अंक : 121 वर्ष : 31 अप्रैल–जून, 2008

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

दिनांक 15-02-2008 को बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली अंचल द्वारा सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु आयोजित राजभाषा संगोष्ठी के अवसर पर श्री एस. के. त्रिपाठी, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए) की 116वीं बैठक एवं भारतीय रिजर्व बैंक, परिचालन एवं विकास विभाग की सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 113वीं बैठक (स्थान इन्दौर, दिनांक 21 जनवरी, 2008) में वक्तव्य देते हुए श्री राजीव, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक । मंचासीन हैं–श्रीमती पी. कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, एवं श्री रमेश बाबू अणियेरी, संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री आलोक भटनागर, निदेशक, बैंकिंग सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री विनय बैजल, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग तथा सुश्री रूपम मिश्र, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 31

अंक : 121

अप्रैल—जून, 2008

❑ **संपादक**
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24619521

❑ **सहायक संपादक**
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ **निःशुल्क वितरण के लिए**

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ **पत्र-व्यवहार का पता :**
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल–ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.gov..in.

विषय-सूची — पृष्ठ

❑ **संपादकीय** (iii)

❑ **चिंतन**

1. हिंदी की स्थापना से ही राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा –डॉ. मनमोहन सिंह 1
2. विश्वलिपि : देवनागरी –डॉ. शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख 3
3. भाषा और संस्कृति –डॉ. बाल शौरि रेड्डी 8
4. कैसे आगे बढ़े रथ हिंदी का –डॉ. श्रीमती धृति नेमा 12
5. असमिया और नागरी लिपि में संबंध –चितरंजन लाल भारती 17

❑ **साहित्यिकी**

6. समकालीन हिंदी साहित्य में लोक चेतना (कविता के संदर्भ में) –डॉ. आरसु 19
7. शरद जोशी के साहित्य में धार्मिक विकृतियों पर व्यंग्य –अनु गौड़ 23

❑ **पुरानी यादें–नए परिप्रेक्ष्य**

8. अहिंसा और सत्य के मार्गदर्शक : महात्मा गांधी –सुषमा रानी 27
9. अखबारों ने भी जगाई थी आजादी की अलख –प्रो. योगेश चंद्र शर्मा 30

❑ **विश्व हिंदी दर्शन**

10. यू. एन. के प्रांगण में हिंदी की शान –डॉ. सुधा. बी. 33

❑ **पर्यावरण**

11. पर्यावरण शिक्षा एवं संचार माध्यम –डॉ. दशमन्त दास पटेल 36

❑ **पत्रकारिता**

12. अखबारों की बदलती चिंता –ईश्वर चंद्र मिश्र 41

❑ **संस्कृति**

13. शब्द एक–अर्थ अनेक –बल्लभ डोभाल 43

❑ **विविध**

14. परिस्थितिकीय संतुलन यानि मानव अस्तित्व की कुंजी –सुशील भूषण 45
15. भारतीय मंदिरों का स्रोत एवं उनका विकासक्रम –डॉ. के. वनाजा 48

विषय-सूची	पृष्ठ

- राजभाषा संबंधी गतिविधियां :
  - (क) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 54
  - (ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 61
  - (ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 73
  - (घ) कार्यशालाएं 82
  - (ङ) हिंदी दिवस 88
- **संगोष्ठी/सम्मेलन** 89
- **पुरस्कार/प्रतियोगिताएं** 94
- **प्रशिक्षण** 96
- **आदेश–अनुदेश** 101
- **पाठकों के पत्र** 109

संपादकीय

भाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है और उस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उनकी भाषा में प्रतिबिंबित होते हैं । भाषा जिस सांस्कृतिक विरासत में जन्म लेती है उस विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुंचाने का कार्य भी करती है । भाषा की इसी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए आचार्य दंडी ने कहा था कि–"यह सृष्टि अंधकार में डूब गई होती, यदि भाषा रूपी प्रकाश का अभ्युदय न हुआ होता ।"

भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, कल्पना व चिंतन को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं । अपने संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो सरल, सुबोध होने के साथ अमृत के समान मधुर मीठी हो । हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें यह सारे गुण विद्यमान हैं । भारत की संस्कृति, नैतिकता व दर्शन को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है । भारत के सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी आसानी से बोली व समझी जाती है । संसार की भाषाओं में हिंदी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है । सरलता, संवेदनशीलता, शक्ति और उदारता की दृष्टि से हिंदी को विश्व के विचारकों ने प्रथम स्थान पर रखा है । यह हिंदी सर्वसहिष्णुता, क्षमाशीलता, श्रमशीलता तथा जीवित स्पंदन की अहिंसक भाषा रही है ।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता की भाषा है । साथ ही देश की संपर्क भाषा और जनभाषा भी है । हमारी संस्कृति की संवाहिका है । इन सब गुणों के कारण हिंदी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है । हमें इसे महत्व देना ही है । हिंदी के सम्मुख अनेक चुनौतियां हैं लेकिन सुदृढ़ संकल्प शक्ति और कार्य के प्रति अटूट समर्पण से चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है । भारत सरकार के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के अनुरूप हमें अपना कार्य करना होगा । इन लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारा कर्त्तव्य है । हम, जो हिंदी बोलते हैं, उसी प्रकार की हिंदी लिखनी है । हम, जैसे बोलते हैं उसे वैसे ही लिख दें । यही हिंदी की विशेषता है । प्रयास करने से ही हम हिंदी को आगे बढ़ाने में सफल होंगे । शुरुआत में हिंदी में हस्ताक्षर करें, छोटे-छोटे पत्र लिखें, उपस्थिति पर हस्ताक्षर हिंदी में करें, लॉग बुक आदि हिंदी में भरने से हमारी कार्य प्रणाली में सुधार होगा । बस शुरुआत करने की आवश्यकता है । आज राजभाषा हिंदी को उसके उच्चासन तक पहुंचाने में प्रेम और व्यवहार की जरूरत है ।

विभिन्न विधाओं और विचार धाराओं के लेखकों/विद्वानों की साझेदारी से 'राजभाषा भारती' के प्रत्येक अंक की रौनक बढ़ाने की 'राजभाषा भारती परिवार' की कोशिश रही है ।

'राजभाषा भारती परिवार' सदैव की तरह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर रहते हुए प्रस्तुत अंक में 'चिंतन' स्तंभ के अंतर्गत हिंदीतर भाषी लेखक डॉ. मनमोहन सिंह, डॉ. शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख, डॉ. बालशौरि रेड्डी तथा ललन चतुर्वेदी एवं डॉ. श्रीमती धृति नेमा ने क्रमशः हिंदी राष्ट्रीय गौरव, विश्वलिपिः देवनागरी, भाषा और संस्कृति, लेखों में अपने विचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । 'साहित्यिकी' स्तंभ में समकालीन हिंदी साहित्य तथा शरद जोशी साहित्य पर डॉ. आरसु तथा अनु गौड़ ने अपने-अपने शोध लेखों को प्रस्तुत किया है । 'पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य' स्तंभ में महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्य के मार्गदर्शन तथा आज़ादी की अलख में अखबारों की भूमिका पर सुषमा रानी तथा प्रो. योगेश चंद्र शर्मा ने प्रकाश डाला है । "विश्व हिंदी दर्शन" के अंतर्गत स्तंभ में विश्व हिंदी सम्मेलन का आंखों देखा हाल डॉ. सुधा. बी. ने प्रस्तुत किया है । इसी तरह पर्यावरण, पत्रकारिता, संस्कृति और विविध स्तंभ के अंतर्गत दिए गए लेखों में लेखकों द्वारा नई जानकारियां देने का प्रयास किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं ।

आशा है इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे । प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

—संपादक

चिंतन

हिंदी की स्थापना से ही राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा

–डॉ. मनमोहन सिंह*

हिंदी भारत की मातृभाषा तथा राष्ट्र भर में प्रचारित भाषा है किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के 41 वर्ष बाद भी वह राजभाषा के पद पर बाकायदा स्थापित नहीं हो सकी है यह खेद का विषय है।

प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना झण्डा, अपना राष्ट्रगीत और अपनी राजभाषा होती है किंतु अंग्रेजी शासकों के विदा हो जाने के बाद भी भारत अंग्रेजी भाषा को उधार लेकर अपना काम चलाए, यह हमारे देश के लिए अत्यंत लज्जा की बात है। आखिर भारत के डेढ़, दो प्रतिशत अंग्रेजी दां लोगों के स्वार्थ के लिए जनता का हित कुरबान करने के पीछे क्या तर्क है? इन्हीं लोगों द्वारा 'हिंदी थोपने' का कुटिल नारा भी लगाया जा रहा है। इन लोगों ने न तो इतने वर्षों में स्वयं हिंदी सीखी और न अपने लड़के-लड़कियों को हिंदी पढ़ाई । वे समझते हैं कि अगर हिंदी राजभाषा बन गई तो कानवेंट तथा पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ रहे उनके लड़के-लड़कियां बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों के अधिकारी कैसे बन पाएंगे? ये ही बातें इन्हें हिंदी विरोध की प्रेरणा देती हैं जो सर्वथा अनुचित और आम जनता के लिए घातक है ।

हम जरा व्यवहारिक दृष्टि से सोचें, जितने समय में कोई व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है, क्या उतने समय में हिंदी नहीं सीख सकता? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं के निकट जितनी हिंदी है क्या उसका शतांश भी अंग्रेजी है? अंग्रेजी नितान्त विदेशी भाषा है और भारतीय संस्कृति से उसका कोई नाता नहीं है। यह केंद्रीय सरकार की भी ढिलाई रही कि उसने हिंदी की स्थापना के संवैधानिक आदेश को मूर्तरूप देने में दृढ़ता से काम नहीं लिया। इस संबंध में एक उल्लेखनीय उदाहरण श्रीलंका का हैं । सन् 1964 में जब वहां की सरकार ने सिंहल भाषा को राजभाषा के पद पर बिठाने का निश्चय किया तो सरकार द्वारा सारे देश के हित में एक आदेश निकाला गया कि जो लोग सिंहल भाषा को सीखने और उसको राजकाज में व्यवहार करने में असमर्थ हैं उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके पेंशन दे दी जाए। हिंदी की स्थापना के लिए हमें ऐसे ही कठोर कदम उठाने होंगे।

जन-जन की भाषा

एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 54 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। साथ ही हिंदीतर क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो हिंदी बहुत अच्छी तरह बोलते तथा समझते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश भारत में हिंदी ही सबसे व्यापक सबसे प्रचारित भाषा है। हिंदी भारत की सबसे सशक्त भाषा भी है। वर्षों पूर्व प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान जार्ज ग्रियर्सन ने लिखा था ''जिन बोलियों से भी हिंदी का निर्माण हुआ हो, वह मानव-मस्तिष्क के किसी भी विचार को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने में समर्थ है। हिंदी का अपना एक वृहद शब्द भण्डार है और गूढ़ विचारों को प्रकट करने के लिए भी उसके पास पूर्ण साधन हैं।''

हिंदी का प्रचार तथा उसका व्यवहार देश के लिए कितना आवश्यक है, यह गांधी जी ने 1917 में ही भली भांति समझ लिया था। उन्होंने अपने जो विचार उस समय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए, उनके कुछ अंश इस प्रकार हैं :–

''जिस भाषा (हिंदी) का देश में इतना प्रचार है, उसकी बराबरी करने के लिए अंग्रेजी, जिसे एक लाख हिंदुस्तानी भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकते, क्योंकर समर्थ हो सकती है? आज तक हमारा देशी काम और व्यवहार हिंदी में नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण हमारी भीरुता, भाषा-अश्रद्धा और हिंदी के गौरव के प्रति अज्ञानता है ।

*889, फेस-X, मोहाली, चण्डीगढ़-160062

यदि हम भीरुता छोड़ दें, श्रद्धावान बनें, हिंदी का महत्व समझ लें तो हमारी राष्ट्रीय तथा प्रांतीय परिषदों व सभाओं का भी कार्य व्यापार हिंदी में चलने लगे।

आज जो लोग अंग्रेजी के मोह-पाश से ग्रसित हैं और यह समझते हैं कि हिंदी में समस्त राजकाज नहीं चल सकेगा उन्हें यह याद रखना चाहिए कि सन् 1362 में जब ब्रिटिश संसद में पहली बार फ्रेंच भाषा के स्थान पर अंग्रेजी के प्रयोग का सवाल आया तो बहुत से अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। बाद में अंग्रेजी पूरे देश और विश्व में फैला दी गई। हिंदी के बारे में भी यही बात है। एक बार से हम राजभाषा के रूप में स्थापित कर दें, उनका प्रचार खुदबखुद कर दें।

भारतीय संस्कृति की भाषा

हिंदी हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति की भाषा है। वह समन्वय की भाषा है। वह तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली भाषा है। उसको अपनाने से देश की एकता तथा विकास को बल मिलेगा साथ ही यदि सभी भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि को अपना लें तो साहित्यिक आदान-प्रदान तथा भावनात्मक एकता में वृद्धि होगी। दक्षिण भारत में जहां हिंदी का सर्वाधिक विरोध है वहां भी अनेक लोग हिंदी के पठन-पाठन में रूचि ले रहे हैं । उनके इस उत्साह से प्रेरणा लेकर हिंदी भाषी राज्यों में भी दक्षिण भारत की भाषाओं का पठन-पाठन होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की महती भूमिका बनेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसार

वर्तमान समय में सोवियत संघ, यूरोप के कई देशों व अमरीका आदि में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोवियत संघ में हिंदी के अनेक लेखकों की रचनाओं के अनुवाद हुए हैं और लाखों की संख्या में उनकी पुस्तकें बिकी हैं। मारीशस, सूरीनाम, त्रिनिनाड, फीजी, बर्मा, थाईलैंड, आदि में हिंदी भाषियों की बहुत बड़ी संख्या है । इन देशों में हिंदी की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी बड़ी संख्या में हो रहा है। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। अत: संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा के रूप में भी इसे विश्व भाषा के रूप में प्रवेश मिलना चाहिए ।

हम सब भारतवासियों का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी न केवल सैद्धान्तिक रूप में बल्कि व्यवहारिक रूप में भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त करे। किंतु अजीब बात तो यह है कि जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी है उनमें से भी अनेक व्यवहार रूप में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। वे अपनी ज्यादातर पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करते हैं। सरकार की ओर से सुविधा होते हुए भी मनीआर्डर फार्म अनेक लोग अंग्रेजी में भरते हैं। तार अंग्रेजी में भेजते हैं। लोग अंग्रेजी में शिक्षा देने वाले, अंग्रेजी तौर-तरीके सिखाने वाले कानवेंट तथा पब्लिक स्कूलों का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। वे अपने बच्चों को अंधाधुंध फीस भरके भी अंग्रेजी स्कूलों में भेज रहे हैं ।

यदि हम चाहते है कि हिंदी भाषा सही अर्थों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनकर हमारे देश का गौरव बढ़ाए तो हमें उसके लिए हर सम्भव पहल करनी होगी। उसे अपना वास्तविक दर्जा दिलाने के लिए व्यवहार रूप में कठोर कदम उठाने होंगे। जब जनता जनार्दन यह फैसला कर देगी कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो कोई दूसरी ताकत उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकेगी। किंतु यह तभी होगा जब हम अपने हृदयों में दृढ़ संकल्प लेकर हिंदी की स्थापना के लिए प्रयत्नशील होंगे । ■

परमवीर चक्र

यह सबसे बड़ा वीरता अवार्ड है । यह सम्मान उन वीर सिपाहियों को प्राप्त होता है जिन्होंने जल, थल और वायु में देश के दुश्मनों के खिलाफ या अपने साथियों को बचाने के लिए युद्ध में अद्वितीय बहादुरी का परिचय दिया हो ।

विश्वलिपि : देवनागरी

–डॉ. शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख*
(अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग
श्री ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, नेवासा)

भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक मात्र साधन है। भाषा दो दिलों को जोड़ती है तो लिपि दो भाषाओं को मिलाती है। प्रत्येक भाषा के लिए लिपि चिह्न है । भाषा का आभार ध्वनि है, जिसे दृष्टिगोचर कराने के लिए जिन प्रतीक चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। इस प्रकार ध्वनि या लिखित चिह्न लिपि कहलाता है । लिपि का उद्भव भाषा के बाद में हुआ। लिपि की सबसे बड़ी आवश्यकता भाषा के संरक्षण और प्रसार की है। मनुष्य ने अपने ज्ञान को चिरस्थायी बनाने तथा उसे आगे की पीढ़ियों तक पहुँचाने की भावना से इसका आविष्कार किया है ।

'लिपि' शब्द 'लिप्यते' से बना हैं । इसका अर्थ होता है–लिखावट। लिपि भाषा का मूर्त रूप होती है। भाषा आत्मा है, लिपि शरीर। भाषा मौखिक होती है और उसका लिखित रूप है लिपि। मौखिक भाषा को दृश्य संकेतों द्वारा व्यक्त करना ही लिपि है। भाषा उच्चरित होने के कारण श्रव्य भाषा है, पर लिपि लिखित होने के कारण दृश्य भाषा है। लिपि भाषा की अनिवार्य शर्त तो नहीं है परंतु लिपि के अभाव में भाषा का विकास भी अवरुद्ध होता है । भाषा एवं लिपि का भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हैं। भाषिक अभिव्यक्ति को देश व काल की सीमा से मुक्त कर सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक बनाने की लिए लिपि का आविष्कार किया गया है। अत: लिपि का आविष्कार मानवता की प्रगति के इतिहास का सर्वाधिक क्रांतिकारी सोपान है।

लिपि के विकास की चार प्रमुख अवस्थाएँ मानी जाती हैं :–1. प्रतीक लिपि, 2. चित्र लिपि, 3. भाव लिपि, 4. ध्वनि लिपि। प्रतीक लिपि को विशुद्ध अर्थ में लिपि नहीं कहा जा सकता। चित्र लिपि में किसी वस्तु का चित्रांकन करके उस वस्तु के उल्लेख करने की पद्धति का समाहार होता है। लेखन कला का यह आद्य रूप है । उदाहरण के लिए चीनी लिपि। मिस्र की लिपि भी इसी प्रकार की है। भाव लिपि में विशिष्ट भावों के बोधन के लिए चिह्नों, संकेतों आदि का प्रयोग किया जाता है। चित्र लिपि का यह विकसित रूप है जैसे, दो स्त्रियों के चित्र से झगड़े का भाव। ध्वनि लिपि में चित्रों का संबंध भावों से न होकर ध्वनि से होता है। इसमें उच्चारित ध्वनियों का अंकन किया जाता है। व्यंजन के साथ स्वर का समाहार अर्थात् ध्वनि लिपि। उदा :–क् + अ =क।

लिपि का आविष्कार आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुआ था। आज लगभग 400 लिपियाँ विश्वभर में मौजूद हैं। भारत में लिपियों का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। दूसरी सदी ई. पूर्व के बौद्धर्मग्रंथ 'ललित विस्तार' में 64 लिपियों का उल्लेख है। भारत की प्राचीन लिपियों में सैंधव (सिंधु घाटी की लिपि) खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि प्रमुख हैं। खरोष्ठी का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत में होता था। इसका विकास आर्मेइक लिपि से हुआ था। आर्मेइक लिपि के 22 अक्षरों को 36 अक्षरों में परिवर्तित करने का काम खरोष्ठ नामक आचार्य ने किया। खरोष्ठी दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। अत: अपूर्ण होने के कारण इसे पूर्ण वैज्ञानिक लिपि नहीं कहा जा सकता। यह एक कामचलाऊ लिपि थी। इसे अनुमान के आधार पर पढ़ते थे। इस लिपि में दीर्घ स्वरों, संयुक्त व्यंजनों और ङ व्यंजन का अभाव था। ब्राह्मी का प्रयोग क्षेत्र प्राय: संपूर्ण भारत था। इसका विकास सैंधव लिपि से हुआ था। लिपि परिवर्तन की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रह्मा (यज्ञ का सर्व प्रमुख आचार्य) के पद पर अधिष्ठित किसी आचार्य ने किया। तत्पश्चात् ब्रह्मा के पद पर आसीन आचार्यों की परंपरा ने इस महत् कार्य में अपना योग दिया। परिणामत: विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि ब्राह्मी का जन्म हुआ। ब्राह्मी पूर्णत: भारतीय लिपि है, जो भारत में 500 ई. पूर्व से 350 ई. पूर्व तक प्रचलित रही। अशोक के

*78/484, सिविल हडको, अहमदनगर-414003 (महाराष्ट्र)

शिलालेखों पर आज भी इसके नमूने पाए जाते हैं। ब्राहमी का व्यापक प्रयोग संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के लेखन में हुआ है ।

भारत एक बहुभाषी देश हैं भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में चार परिवारों की (भारोपीय, द्रविड, मुंडा या अंस्ट्रिक तथा तिब्बती-चीनी परिवार) 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं । इसमें से 1455 भाषाएँ ऐसी हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या दस हजार से कम है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहां 325 भाषाओं और कई सौ बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में अनेक लिपियाँ भी प्रचलित हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे यहाँ 26 लिपियों का प्रयोग होता है।

भारत की प्राचीन एवं आधुनिक लिपियाँ निम्न हैं :- 1. ब्राह्मी, 2. खरोष्ठी, 3. गुप्त, 4. कुटिल, 5. शारदा, 6. देवनागरी, 7. बंगला, 8. तेलुगु, 9. कन्नड, 10. ग्रंथ, 11. कलिंग, 12. तमिल, 13. वहलुत, 14. मलयालम, 15. गुरुमुखी, 16. गुजराती, 17. मोडी, 18. मैथिली, 19. कैथी, 20. महाजनी, 21. उर्दू । इनमें से ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुप्त तथा कुटिल लिपियाँ आज अप्रचलित हैं। देवनागरी के अलावा अन्य समस्त लिपियों में से अधिकांश प्रांतों तक सीमित हैं, जिनकी जननी प्राचीन भारत की लिपि ब्राह्मी है। रोमन और अरबी लिपि का ब्राह्मी से कोई संबंध नहीं है।

देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से चौथी शती में गुप्त लिपि और छठी शताब्दी में गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी का विकास हुआ। दक्षिण में इसे नंदिनागरी कहते थे। सातवीं शताब्दी में देवनागरी का प्राचीनतम् रूप स्पष्टत: प्रकट हो गया और आठवीं शताब्दी के बाद देवनागरी लिपि का पूर्ण विकास हो गया। ग्याहरवीं शताब्दी की देवनागरी आधुनिक देवनागरी से कुछ भिन्न थी। वर्तमान देवनागरी ने बारहवीं शताब्दी से रूप धारण किया था। क्योंकि बारहवीं शताब्दी से प्राप्त सिक्कों में देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। यह भी कहा जाता है कि आधुनिक देवनागरी का जन्म पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी में हुआ। इस प्रकार आधुनिक लिपियों में प्रसार और प्राचीनता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिपि देवनागरी है, जो ब्राह्मी की सच्ची उत्तराधिकारिणी है। इस लिपि के बहुत से अक्षरों का वर्तमान रूप तेरहवीं शती तक निर्मित हो चुका था और शेष अक्षर भी अपनी आधुनिक आकृति ग्रहण कर चुके थे।

विश्व लिपियों के संदर्भ में देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि हैं, जो सर्वश्रेष्ठ सरल एवं बोधगम्य लिपि है। यह आदर्श लिपि है। इसमें भावों को मूर्त रूप में प्रकट करने की अद्भुत एवं अभूतपूर्व क्षमता है। देवनागरी लिपि का प्रत्येक चिह्न अक्षर है । यह वर्णात्मक लिपि है। लचीलापन इसकी विशेषता है । देवनागरी कलात्मक लिपि है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न है। इसके एक चिह्न से एक ही अक्षर का बोध होता है। देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी के अतिरिक्त विश्व की अन्य चार प्रमुख लिपियों में से कोई भी लिपि इस प्रकार वैज्ञानिक और सुविधाजनक नहीं है। रोमन लिपि जो मुख्य रूप से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, चीन और जापान की चित्र लिपि पूर्व एशिया, अरबी और फारसी लिपि ईरान और पश्चिमी एशिया एवं ब्राह्मी लिपि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाई जाती है। भारत में भी दो दर्जन से अधिक लिपियों का प्रचलन है परंतु देवनागरी का स्थान सर्वोपरि है।

भारतीय एवं पाश्चात्य सभी वैज्ञानिकों एवं महापुरुषों ने देवनागरी को आदर्श, प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक लिपि माना है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि नागरी से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने दुनिया में पाई नहीं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने देवनागरी लिपि की महता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि लिपि के सर्वाधिक गुणों से संपन्न नागरी में संपर्क लिपि बनने की अपूर्व क्षमता है। रोमन भारतीय लिपि के प्रबल समर्थक डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे विद्वान भी देवनागरी लिपि की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं-इन सबसे (अरबी-फारसी तथा रोमन) देवनागरी लिपि ही अनेक गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ है, जो अन्य दो लिपियों में नहीं है। देवनागरी लिपि के वर्णक्रम के वैज्ञानिक होने के संबंध में डॉ. चटर्जी ने यह भी कहा है कि संसार की लिपियों में भारतीय लिपियों की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि इसके वर्णक्रम नितांत वैज्ञानिक है।

डॉ. सुनीति कुमार चटोपाध्याय मानते हैं कि भारतीय लिपि रोमन से बहुत ऊँची है-वह है, विज्ञान-सम्मत प्रणाली से भारतीय वर्णमाला के अक्षरों का समोवश या क्रम। इसमें स्वर वर्ण पहले दिए गए हैं, तदनंतर व्यंजन वर्ग समूह-मुँह के अंदर या कंठ से लेकर उच्चारण स्थानों के अनुसार तालु, मूर्द्धा, दंत क्रमश: मुँह के बाहर ओष्ठ तक आकर कंठ्य, तालव्य, मूर्द्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य में पाँच स्पर्श वर्णो के वर्ग, फिर प्रति वर्ग में अघोष (यथा-क) और घोषवत् (यथा-घ)

तथा नासिका (यथांग) और अघोष अल्पप्राण (क), अघोष महाप्राण (ख) घोषवत अल्पप्राण (ग) घोषवत महाप्राण (घ)। इस तरह से वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग सजाए गए हैं। स्पर्श वर्ण के बाद अंत:स्थ वर्ण (य, र, ल, व)। तदनंतर ऊष्म वर्ण (श, ष, स, ह)। इस प्रकार का विज्ञान सम्मत वर्णक्रम संसार की किसी भी वर्णमाला में नहीं है। सेठ गोविंददास ने तो इसे संसार की समस्त लिपियों के समक्ष रखते हुए कहा है कि हमारी देवनागरी इस देश की नहीं समस्त संसार की लिपियों में सर्वाधिक तर्कसंगत लिपि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 'देवनागरी के सिवा अन्य किसी भी लिपि में न तो ध्वन्यात्मक क्षमता है और न वैसी पूर्णता। देवनागरी लिपि सारी भारतीय भाषाओं को जोड़ने लायक वैज्ञानिक भारतीय लिपि ही नहीं बल्कि यह लिपि विदेशी भाषाओं के लिए भी उपयुक्त है।''

अनेक विदेशी विद्वानों ने भी देवनागरी की व्यावहारिकता पर उचित विचार व्यक्त करते हुए देवनागरी को संपूर्ण लिपि बताया है। सुप्रद्धि विद्वान मोनियर विलियन्स का भी यह मत था कि, यदि संपूर्णता में देखा जाए तो यह लिपि प्रत्येक वर्ण के स्तर पर सर्वाधिक पूर्ण एवं व्यवस्थित है । यदि देवनागरी में कोई दोष है तो यह कि यह दोषरहित है । फोनोग्राफी के अनुसंधानकर्ता आइजक पिटमैन का भी यही विचार है कि एकमात्र देवनागरी ही सम्यक लिपि है। सर विलियम जोन्स नागरी को रोमन की अपेक्षा श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं हमारी भाषा अंग्रेजी की वर्णमाला तथा वर्तनी अवैज्ञानिक है।''

इसी प्रकार के कई विचार उन विद्वानों की ओर से आए जिन्हें रोमन लिपि की कमियाँ खलती रही हैं। ब्यूलर, हार्नले, हुत्श मेक्डानल, थामस आइजेक टेलर आदि ने देवनागरी लिपि की प्रशंसा की है। निस्संदेह मैक्समूलर से लेकर ग्रियर्सन एवं विलियम जोन्स जैसे व्यक्ति या जॉन क्रिस्ट, जे. आर. फर्थ, ब्लूम फील्ड, हेनरी स्विफ्ट, डेनियल जोन्स, लैंबर्ट, पेरिजका, फ्रेडरिक, जॉन शोर आदि अनेक विदेशी विद्वानों की शृंखला मुक्त कंठ से देवनागरी लिपि का गुणगान करती है।

वस्तुत: किसी भी लिपि के दो पक्ष होते हैं—पहला है वर्णमाला, जिसका संबंध उच्चारण एवं ध्वन्यात्मक प्रतीक व्यवस्था से होता है, तथा दूसरा पक्ष है ध्वनि प्रतीकों की बनावट, स्वरूप या उनकी संरचना। पहला पक्ष लिपि की आत्मा अर्थात् चैतन्य तत्व है एवं दूसरा उसका शरीर या अवचेतन पक्ष। देवनागरी की श्रेष्ठता का यदि विश्वव्यापी गुणगान किया गया है तो वह इसकी उच्चारण क्षमता और अवयव पर आधारित विन्यास की युक्तियुक्तता एवं विज्ञान सम्मत ध्वनिमूलक वर्ण व्यवस्था के लिए हैं, न कि वर्णों की बाह्य संरचना के लिए। देवनागरी के वर्णक्रम में घोष-अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण तथा उच्चारण अवयव (स्थान) एवं प्रयत्न के आधार पर वर्गीकृत वर्ण विन्यास विश्वभर के भाषाशास्त्रियों को सदियों से चमत्कृत किए हुए हैं। देवनागरी का वर्ण विभाजन वैज्ञानिक है। संपूर्ण अक्षरों को दो वर्गों में बाँटा गया है—स्वर एवं व्यंजन। प्रथम संपूर्ण स्वर, तदनंतर व्यंजन आते हैं। स्वरों में ह्रस्व, दीर्घ आदि का क्रम है। व्यंजनों का विभाजन भी अति सूक्ष्म और सफल है। विश्व की किसी भी लिपि में ऐसा विभाजन नहीं है। व्यंजन संयोग अंकित करने की पद्धति पूर्ण और उच्चारण के अनुरूप है और उच्चारण के अनुरूप ही लिखा जाता है ।

देवनागरी लिपि में कुल 53 वर्ण हैं। इतने अधिक वर्ण विश्व की किसी भी भाषा में नहीं हैं। अंग्रेजी के रोमन लिपि में मात्र 26 अक्षर हैं, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर पांच स्वरों (A, E, I, O, U) की व्यवस्था है। वास्तव में रोमन लिपि में 12 मूल स्वर और 14 व्यंजन हैं। परंतु अंग्रेजी भाषा में कुल स्वर ध्वनियाँ 21 हैं। अत: उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए अन्य ध्वनियों का संयोग करना पड़ता है । उदाहरण के लिए हिंदी के श, च, ड, ढ, थ आदि ध्वनियों के लिए अंग्रेजी में कोई स्वतंत्र सांकेतिक चिह्न नहीं है। इस प्रकार 25 व्यंजन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी भाषा के पास केवल 14 ध्वनि चिह्न हैं। उर्दू के स्वरों के अंकन का यथेष्ठ और असंदिग्ध प्रबंध नहीं है। उर्दू की लिपि में क्रमबद्धता नहीं है। ध्वनि और लेखन में साम्य नहीं है। इसमें स्वरों का अभाव है केवल तीन स्वर है तथा ध्वनि चिह्नों की संख्या 36 है ।

रोमन और फारसी की तुलना में नागरी लिपि की वर्णमाला अधिक परिष्कृत विकसित एवं सरल भी है। रोमन लिपि की तरह वर्णमाला तीन प्रकार की न होकर देवनागरी लिपि की वर्णमाला केवल एक प्रकार की है। उर्दू लिपि विभिन्न सात प्रकार से लिखी जाने के कारण उसके लेखन और पठन में तो और भी जटिल समस्या है।

भारत सरकार द्वारा मानकीकृत देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है।—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अं. (अनुस्वार), अ: (विसर्ग) है।

व्यंजन–

1. कंठ्य ध्वनि-कवर्ग – क, ख, ग, घ, ङ
2. तालव्य ध्वनि-चवर्ग – च, छ, ज, झ, ञ
3. मूर्द्धन्य ध्वनि-टवर्ग – ट, ठ, ड, ढ, ण ड़, ढ़
4. दंत्य ध्वनि-तवर्ग – त, थ, द, ध, न
5. ओष्ठ्य ध्वनि-पवर्ग – प, फ, ब, भ, म

य, र, ल, व

श, ष, स, ह ळ

क्ष, त्र, ज्ञ, श्र

'क' से लेकर 'प' तक वर्ग वाले व्यंजन हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और इस प्रकार वर्ग वाले व्यंजनों की संख्या 25 है। 'य' से लेकर 'ह' तक वर्गेतर (वर्ग से अलग) व्यंजन हैं। य, र, ल, व–ये चार अंतस्थ हैं। 'श' को तालव्य 'श', 'ष' को मूर्द्धन्य 'ष' एवं 'स' को दंती 'स' कहा जाता है। इस प्रकार श, ष, स, ह ये चार वर्ण ऊष्म हैं। 'क्ष' की उत्पत्ति क + क्ष से, 'त्र' की उत्पत्ति त + र से, 'ज्ञ' की उत्पत्ति ज + ञ से तथा 'श्र' की उत्पत्ति श + र से होती है, जो संयुक्त व्यंजन है। मराठी के 'ल' की गणना भी देवनागरी लिपि में हो चुकी है। इस प्रकार देवनागरी में कुल 53 अक्षर हुए। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंग्रेजी अंक न होकर भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। असल में अंग्रेजी के कोई मूल अंक नहीं हैं। क्योंकि अंक हिंदुस्तान में जन्में और अरब होते हुए इंग्लैंड पहुँचे। इसीलिए इन्हें अरेबिक नंबर कहा जाता है। इस प्रकार केवल शून्य ही भारत की खोज नहीं है बल्कि गणना के पूरे अंक भारतीय हैं ।

देवनागरी लिपि पर भारत की लिपियों का ही नहीं बल्कि फारसी एवं रोमन जैसी विजातीय लिपियों का प्रभाव स्पष्ट है । फारसी व रोमन लिपियों की अपेक्षापूर्ति के लिए देवनागरी लिपि में नए लिपि चिह्नों का भी स्वीकार किया गया है। फारसी लिपि मुख्यतः बिंदुप्रधान लिपि है। फारसी के प्रभाव से देवनागरी लिपि में भी कुछ परंपरागत ड–ड़, ढ – ढ़, क – क़, ख–ख़, ग–ग़, ज–ज़, फ–फ़,ध्वनियों के लिए मध्ययुग में नुक्ते (.) का प्रयोग आरंभ हुआ। इसी प्रकार ऑफिस, कॉलिज, डॉक्टर, जैसे शब्दों में (ऑ) का प्रयोग ह्रस्व 'ए' तथा 'ओ' के लिए ऍ, ऑ का प्रयोग तथा पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिह्नों का प्रयोग अंग्रेजी के प्रभाव का फल है। कुछ हिंदी पत्रिकाओं में पूर्ण विराम के स्थान पर अंग्रेजी की तरह बिंदु (.) का प्रयोग भी शुरू हुआ है। उपर्युक्त सभी आयातित लिपि चिह्न देवनागरी की उदारता और विकासशीलता की प्रवत्ति के परिचायक हैं ।

रोमन लिपि में विश्व लिपि बनने की क्षमता कदापि नहीं है। क्योंकि संपूर्ण ध्वनियाँ रोमन लिपि में नहीं हैं। विनोबा जी ने तो कहा था कि ''रोमन लिपि इंग्लिश भाषा के लिए भी अत्यंत खराब है। उस लिपि में बिलकुल अराजकता चलती है। बी यू टी–बट, पी यू टी पुट। Write, Right, Wright इनका उच्चारण 'राईट' ही है।

रोमन के साथ कठिनाई यह है कि उसमें वर्तनी और उच्चारण में अंतर है, परिणामतः उससे देवनागरी और सभी भारतीय लिपियों में लिप्यंतर करते हुए कई समस्याएँ आती हैं। ऐसी स्थिति में उच्चारण को आधार मानकर प्रतिलेखन करना ही उचित हो सकता है, जिसकी दृष्टि से देवनागरी से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रोमन के साथ एक और समस्या है, वह यह कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, इतालवीं आदि सभी यूरोपीय भाषाओं में रोमन का उच्चारण अलग–अलग होता है, फलतः रोमन स्वयं इन भाषाओं के मध्य पारस्परिक लिप्यंतरण में कई समस्याएँ निर्माण कर देती हैं। यदि यही कार्य देवनागरी के जरिए हो, तो इन सभी भाषाओं के मूल उच्चारण सुरक्षित रह सकते हैं। अंग्रेजी के 'a' का उच्चारण मुख्यतः 'अ' होता है, जबकि इतालवी, फ्रेंच और स्पेनिश में 'आ' हो जाता है। अतः देवनागरी लिप्यंतरण और प्रतिलेखन– दोनों दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। देवनागरी जहां भारतीय भाषाओं के संदर्भ में लिप्यंतरण की दृष्टि से पूर्णतः समर्थ है, वही रोमन और फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रतिलेखन की दृष्टि से।

देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और सरलता को देखते हुए यदि पड़ोसी देश भी इस लिपि का प्रयोग करें तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में अवश्य वृद्धि होगी। देवनागरी लिपि जापानी और चीनी के लिए भी चल सकती है। क्योंकि चीन व जापान की लिपि चित्र लिपि है, जहाँ अधिकांश वस्तुओं के लिए चित्र लेखन हैं। उनके पास चित्रों की संख्या लगभग पचास हजार हैं, जिन्हें सीखना सरल काम नहीं है भारतीय और जापानी भाषा बनावट और एकरूपता की दृष्टि से लगभग समान है, इसमें प्रीपोजीशन (पूर्व–प्रत्यय) नहीं है, पोस्ट–पोजीशन (उत्तर–प्रत्यय) है । यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उर्दू का साहित्य भी अब देवनागरी में लोकप्रिय होता जा रहा है। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में देखा जाए तो

संस्कृत, हिंदी, मराठी, डोगरी, मैथिली, बोडो तथा नेपाली की अधिकृत लिपि देवनागरी है कोंकणी, सिंधी तथा संथाली भाषाएँ भी नागरी लिपि को अपना रही हैं। कुछ पंजाबी तथा गुजराती साहित्य भी इसी लिपि में लिखा जा रहा है। इनके अतिरिक्त 92 भाषाएँ तथा 22 बोलियाँ है, जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। नागरी लिपि इन भाषाओं के बीच सेतु का कार्य कर सकती है। इसी प्रकार नागरी लिपि जावा, सुमात्रा और बाली आदि दक्षिण एशिया की भाषाओं के लिए अपनाई जा सकती है ।

बाईस भाषाओं को जानने वाले विनोबा भावे जी ने अपने अनुभव से जाना था कि देवनागरी लिपि संसार की सर्वोत्तम लिपि है, जिसमें चंद ध्वनियों के लिए चिह्न बनाने पर विश्व की प्रत्येक भाषा सुगमता के साथ लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। उनका विचार था कि जगत् को जोड़ना देवनागरी लिपि के द्वारा संभव हो सकेगा। दूरदृष्टि रखने वाले विनोबा जी ने कहा था कि देवनागरी लिपि में चीनी भाषा भी अच्छी तरह से लिखी जा सकेगी। चीनी, रूसी, जापानी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी जैसी कई भाषाओं के रीडर्स अब देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं।

आज यूरोप और अमेरिका आदि ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास में जो शोधकार्य हो रहे हैं, उनमें भी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता ने विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस लिपि की उपयुक्तता को लेकर डॉ. रिंग ब्रिग्स, डॉ. व्यास हूस्टन और डॉ. डेविड लेविन आदि विद्वानों ने अपने आलेखों में व्यापक रूप से लिखा है । इस प्रकार समस्त विश्व को एक सूत्र में तथा पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए रोमन सहित (देवनागरी को छोड़कर) अन्य कोई भी लिपि कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अपूर्णता और अवैज्ञानिकता स्वतः स्पष्ट है। परिणामतः देवनागरी लिपि के माध्यम से चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं को आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। अतः देवनागरी की उपादेयता स्वयंसिद्ध हैं । देवनागरी लिपि के माध्यम से ही जय जगत', 'वसुधैव कुटुंबकम्' तथा 'एक विश्व एक मानव' की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. नागरी लिपि और उसकी समस्याएँ-डॉ. नरेश मिश्र ।
2. राष्ट्रभाषा-राष्ट्रलिपि-प्रकाशक: राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ।
3. हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि-भैरवदत्त शुक्ल ।
4. हिंदी भाषा, नागरी लिपि और अंक-डॉ. जयंती प्रसाद ।
5. हिंदी भाषा और नागरी लिपि-डॉ. भोलानाथ तिवारी ।
6. चेतना का आत्मसंघर्ष : हिंदी की 21वीं सदी-प्रकाशक : भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली ।

■

महावीर चक्र

वीरता के लिए मिलने वाला यह दूसरा बड़ा सम्मान है । थल, समुद्र और हवा में दुश्मनों का सामना करने में दिखाई गई वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है ।

वीर चक्र

देश के दुश्मनों से वीरता के साथ लड़ने के लिए यह तीसरा बड़ा पुरस्कार है । दुश्मनों को परास्त करने के लिए बनाए गए अभियान या दूरदर्शिता में दिखाई गई अभूतपूर्व वीरता के लिए दिया जाता है ।

भाषा और संस्कृति

–डॉ बाल शौरि रेड्डी*

भाषा मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन है, साथ ही एक-दूसरे को जोड़ने का माध्यम भी है, परस्पर सुख-दुखों, आशा-आकांक्षाओं, आचार-विचार, वेष-भूषा, ज्ञान-विज्ञान, कला समस्त प्रकार की भावना, समस्त आध्यात्मिक विरासत, संस्कृति तथा समस्त चिंतन भाषा में निबद्ध होता है ।

वैदिक संस्कृत एवं ग्रीक भाषा एवं साहित्य विश्व के अत्यंत प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषाएं मानी जाती हैं, जिस भाषा में ज्ञान-विज्ञान, वाङमय, शिल्प एवं समस्त कलाओं की अभिव्यक्ति की गहन क्षमता होती है, वह भाषा संपन्न मानी जाती है, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक गीत में स्पष्ट बताया है–इस देश में आर्य भी आए, अनार्य भी आए, द्रविड, चीन, शक-हूण, मंगोल, पठान, मुगल सभी यहां आए, लेकिन कोई भी अलग नहीं रहा। सब इस महासागर (संस्कृति) में विलीन होकर एक हो गए ।

निश्चय ही भारत एक महासागर है और भारतीय संस्कृति भी महासागर है, इसमें विश्व की तमाम संस्कृतियां आकर समाहित हो गई हैं । आज जिसे लोग हिंदू संस्कृति मानते हैं वह वस्तुत: भारतीय संस्कृति है जो सिंधुघाटी की सभ्यता, प्राग्वैदिक एवं वैदिक संस्कृति से विकसित रूप है, इसने अनेक धर्मों, सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को आत्मसात कर लिया है, यही कारण है कि भारतीय संस्कृति सामासिक कहलाती है।

भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताएं हैं । यह प्रगतिशील है, सांप्रदायिकता से परे तथा सहिष्णुता की भावना से ओतप्रोत है। समस्त भारत की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्तर पर एक सूत्र में गूंथने की भावना। एक भारतीय भावना ने एकात्मक भावना में बदरीनाथ, केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी को, काशी से रामेश्वरम, द्वारका से पुरी को जोड़ रखा है, जगतगुरू श्री शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार पीठों की स्थापना की, तुलसी के अयोध्यावासी राम रामेश्वरम् में शिव की उपासना करते हैं।

धार्मिक स्तर पर भी समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति की महान उपलब्धि है।

भारतीय वाङमय भी सांस्कृतिकपरक है, डॉ. वी. राघवन ने अपनी 'भारतीय साहित्य रत्नमाला' पुस्तक में बताया है–'भारत की प्रादेशिक भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के प्रथम प्रयास संस्कृत के अनुवाद मात्र ही थे, यह सभी भाषाएं शब्द-राशि, दार्शनिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि, विषय वस्तु और साहित्यिक शैलियों के लिए संस्कृत पर ही पूरी तरह आश्वित थी।'

यह कथन सर्वथा सत्य है कि हमारे देश की प्राकृत, पालि, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, राजस्थानी भाषाएं ही नहीं अपितु बंगला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड, मलयालम आदि इतर भाषाएं भी अपनी साहित्यिक संप्रदा के लिए किसी न किसी रूप में संस्कृत पर आधारित रही हैं। अर्थात् समस्त भारतीय भाषाएं संस्कृत वाङमय से अनुप्राणित है। महार्षि वाल्मीकी कृत आदिकाव्य रामायण से लेकर व्यास प्रणीत महाभारत, भागवत इत्यादि काव्य ग्रंथों के साथ भास, बाण भट्ट, कालिदास आदि के द्वारा विरचित साहित्य भारतीय भाषाओं में रूपांतरित है और उसके विभिन्न उपाख्यानों के आधार पर अपने वाङमय भंडार को संपन्न कर चुकी है और यह क्रम भी जारी है।

अलावा इसके, संस्कृत में भारतीय दर्शन, वेदांत, उपनिषद, तर्क, व्याकरण, न्याय रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, गणित, धनुर्वेद, मीमांसा, पुराण इत्यादि ज्ञान-विज्ञान संबंधी समस्त साहित्य उपलब्ध हैं जिसका

*27, वडिवेलुपुरम, वेस्ट मांवलम, चेन्नई-600033

रूपांतर समस्त भारतीय भाषाओं में हुआ है और ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं उपरोक्त वाङमय के लिए केवल संस्कृत पर ही प्रारंभ में आधारित रहीं जिसमें हमारी संपूर्ण सांस्कृतिका परंपरा अक्षुण्ण है, अर्थात् संस्कृत भारतीय संस्कृति की स्रोत भाषा रही है और संस्कृत साहित्य उसका मूलाधार रहा है।

दरअसल किसी देश की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में उस देश या राष्ट्र की भाषा अहम भूमिका रखती है। वैदिक युग से लेकर मुगल एवं अंग्रेजों के आगमन तक भारत का इतिहास भव्य रहा है। इस महान् देश की सभ्यता की तूती सारे विश्व में बोल रही थी। भारत सभी क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति में था । रोम, ग्रीक आदि देशों के साथ भारत का व्यापार आदि वाणिज्य के क्षेत्रों में गहरा संपर्क था। बौद्ध एवं जैन धर्मों के समय में भारत की शिल्प स्थापत्य, चित्रकला एवं काव्य कला चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। विदेशों से विद्यार्थी यहां के तक्षशिला, नालंदा तथा विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने के हेतु आया करते थे। यहां की राजदरबारों में विदेशी राजदूत नियुक्त थे। मेगस्थनीस, टालमी, अब्दुल रजाक प्रीती विदेशी यात्रियों ने हमारे देश का भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उससे हमारे देश के प्राचीन वैभव एवं संस्कृति का भली भांति पता चलता है। ईस्वी पूर्व पांचवीं शती से लेकर ईस्वी 10वीं शताब्दी तक भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं कला विज्ञान के क्षेत्रों में स्पृहणीय विकास को प्राप्त था। इस प्रकार हमारे देश के चतुर्मुखी विकास में भाषा एवं साहित्य अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। दो हजार वर्ष पूर्व भारत में जहां न्यायी एवं पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य का वैभवपूर्ण शासन था। चन्द्रगुप्त जैसे प्रतापी और चाणक्य जैसे कुशल राजनीतिज्ञ विश्व के इतिहास में दुलर्भ हैं। महामात्य चाणक्य ने राज्य व्यवस्था चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम से एक अद्भुत राजनीति शास्त्र का प्रणयन किया था, जिससे भारत की शानदार राज्य व्यवस्था का पता चलता है। परंतु यवनों के आक्रमण के पश्चात् क्रमशः हमारे शास्त्र वाङमय एवं कलाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ। अंग्रेजों के आगमन के साथ हम अपने धर्म-कर्म को भी भूल बैठे और पाश्चात्य रंग में रंगने लगे। लार्ड मेकाले ने भारत में शासन तंत्र एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने की सिफारिश करके भारत वासियों को इंग्लैण्ड का बौद्धिक गुलाम बनाया। आज हम उसी भाषा के चश्मे से दुनिया को देखते हैं और अपनी अस्तिमा को खो बैठे हैं। हमारे देश की सुदृढ़ भाषाओं पर हमारा विश्वास नहीं रहा। पाश्चात्य सभ्यता के प्रवाह में बहते हुए भाषा के स्तर पर पराश्रित बन गए हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि विश्व का समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं प्रतिभा कौशल केवल अंग्रेजी भाषा में सुरक्षित है। यह उनकी गलत धारणा है। पुरातत्व फला संगीत, चित्रकारी इत्यादि विषयों में फ्रेंच भाषा में जैसा समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, वैसा साहित्य अंग्रेजी में नहीं है फिर हम लोग अंग्रेजी के बैशाखी पर चलने में गौरव तथा गर्व का अनुभव करते हैं। जबकि यथार्थ में रूसी, जापानी, जर्मन, फ्रेंच एवं फारसी भाषाएं भी कम समृद्ध नहीं हैं। इन भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में ज्ञान-विज्ञान का साहित्य रचा गया है और महत्वपूर्ण अनुसंधान हुआ है उनकी सांस्कृतिक परंपरा इन भाषाओं में अक्षुण्ण है और आज वैश्विक स्तर पर ये देश व्यापार वाणिज्य, कला संस्कृति तथा विज्ञान के क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति में है । यह देश किसी भी हानि से अंग्रेजी के मुंहताज नहीं है। फिर भारत क्यों अंग्रेजी का मुखापेक्षी है। यह हमारी मानसिक दासता का ध्योतक है।

प्रजातंत्रीय राष्ट्रीय के चार अनिवार्य तत्वों में-संविधान राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रभाषा भी नितांत आवश्यक है। साथ ही किसी भी राष्ट्र पर किसी विदेशी भाषा को थोपना आधुनिकता के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है।

वास्तव में यदि किसी राष्ट्र पर जब कोई विदेशी भाषा हावी होने लगती है तभी उस राष्ट्र की संस्कृति का होने लगता है। किसी जाति के पूर्वजों द्वारा विचार एवं कर्म के क्षेत्र में अर्जित श्रेष्ठ संपत्ति उसकी संस्कृति होती है। यह संस्कृति उस जाति की भाषा के माध्यम से जीवित रहती है। सदियों से कोई भी जाति अपने जो मूल्य एवं आदर्श अपने अनुभव, श्रम, निष्ठा, चिन्तन, मेघा, समझ, विवेक द्वारा स्थापित करती है। उस जाति की संस्कृति मानी जाती है। भाषा संस्कृति की वाहिक होती है। अर्थात् संस्कृति की आधारशिला उस जाति की भाषा होती है। इसलिए संस्कृति भाषा पर टिकी होती है। इस प्रकार भाषा और संस्कृति का अभिभाज्य संबंध है ।

आज हमारे देश और विदेशों में भी हमारी संस्कृति खतरे में फंसी हुई है । क्योंकि हम अपनी विरासत को भूल

बैठे हैं और अंधाधुंध पाश्चात्य भाषाओं, साहित्य, कला, रहन-सहन, आचार-विचार, संप्रदायों का अनुकरण करते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता के आदर्श एवं मूल भौतिक सुख-सुविधाओं पर टिके हुए हैं और बौद्धिक विकास को आश्रय देते हैं। जबकि हमारी आदर्श एवं मूल्य निशुद्ध अध्यात्मपरक हैं। यह आदर्श तथा मूल्य भारतीय भाषाओं में सुरक्षित हैं। जब विदेशों में हमारे प्रवासी भारतीय अपनी भाषा संस्कृति, आदर्श एवं मूल्यों के प्रबल समर्थक होते हुए भी विदेशी भाषा को अपनी आजीविका तथा वैज्ञानिक उन्नति का स्रोत एवं साधन मानकर उसकी उपासना में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें जब आत्म विश्लेषण करना होगा कि हम मूलतः भारतीय हैं और भारत गणतंत्र की राजभाषा संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा करना उचित नहीं है। यह जागृति व चेतना पुनः हिंदी के उत्थान में सहायक सिद्ध होगी।

आज वैश्विक स्तर पर हिंदी को एक प्रकार से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। दूतावासों के माध्यम से ही नहीं अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन-पाठन तथा अनुसंधान की व्यवस्था हो चुकी है। हिंदी भाषा-भाषी ही नहीं, अन्य समस्त भारतवासी विदेशों में निवास करते हुए एक अनुभव करते हैं कि वे अपनी संस्कृति व अस्मिता खोते जा रहे हैं, यह अनुभव और आत्मविश्लेषण हिंदी को अपनाने तथा जीवंत बनाए रखने का शुभ संकेत है। यत्र-तत्र वे हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पाठशालाओं में पढ़ाने की व्यवस्था कराने के लिए आकुल-व्याकुल हैं।

मेरी समझ में विदेशों में हिंदी को स्थापित करने तथा उसके उत्थान के उपाय यों हो सकते हैं ।

1. प्रत्येक परिवार में माता-पिता या अभिभावक अपनी मातृभाषा या हिंदी में ही वार्तालाप करें और बच्चों के साथ घर में सदा-सर्वदा हिंदी में ही बोलें अर्थात् हिंदी का वातावरण बनाए रखें।

2. प्रवासी भारतीय विदेशों में जहां भी रहें, जिस स्थिति में भी रहें, भारतीय संस्कृति के आदर्शों तथा मूल्यों से पूर्ण साहित्य का पठन-पाठन करें व कराएं।

3. विदेशों में बच्चों के लिए हिंदी पाठशालाओं में हिंदी पढ़ने का प्रबंध कराएं, चाहें द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में ही क्यों न हो पाठ्यक्रम में स्थान दिलाएं।

4. भारतीय बहुल नगरों, सशहरों व कस्बों में हिंदी ग्रंथालय तथा वाचनालय स्थापित करें, प्रमुख पत्रिकाएं मंगवाकर सबको सुलभ करावें। हिंदी में रचित उत्तम साहित्य तथा विज्ञान संबंधी पुस्तकें मंगवाए अथवा दूतावास के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

5. भारतीय पर्व व त्योहार अवश्य निष्ठापूर्वक मनाकर उनके महत्व पर व्याख्यानों का आयोजन करें।

6. हिंदी की विधि विधाओं पर प्रतियोगिताएं चलाएं तथा विजेताओं को पदक पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करें।

7. समय-समय पर गोष्ठियों, परिसंवादों, समारोहों, सम्मेलनों तथा सभाओं का आयोजन करके अपने ज्ञान की वृद्धि करें और हिंदी भाषा के प्रति महत्व आकर्षण तथा श्रद्धा भाव पैदा करें।

8. विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा साहित्यों के आदान-प्रदान, अनुवाद इत्यादि का प्रबंध हो, ताकि विभिन्न भाषा-भाषी भारतीयों के बीच सद्भाव, सोमनस्य एवं सौजन्य के अंकुर फुटे।

9. पिकनिक, संस्कृति कार्यक्रम भी संगीत, नृत्य नाटक एवं चित्रकलाओं के प्रदर्शन भी हिंदी के उत्थान में सहायक हो सकते हैं।

10. इन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण कार्य यह होना चाहिए कि दादी-नानी के माध्यम से ही नहीं, माता-पिता तथा भारतीय समाज के लोग भारतीय साहित्य, कला, वैभव, इतिहास आदि का बच्चों को बोध करावे तथा अपनी मातृभूमि प्रति श्रद्धा-भक्ति उनके हृदयों में उदित हो सके।

तेलुगु के महाकवि आचार्य रायप्रोलु सुब्बाराव ने अपने एक राष्ट्रीय गीत में यह उद्बोधन किया है–

''देश मेगिना एवं कालिडिना, पोगडरा भी तल्ली भूमि भारतीनी'। अर्थात् तुम किसी भी देश में जाओ, जहां भी कदम रखों, अपनी मातृसदृश भारत भूमि की प्रस्तुति करना न भूलो।

अब रहा, भारत के भीतर हिंदी के उत्थान का प्रश्न–हिंदी तो संवैधानिक स्तर पर 26 जनवरी 1956 से ही भारत की राजभाषा का स्थान व गौरव प्राप्त कर चुकी है। अंग्रेजी सहभाषा के रूप में व्यवहृत होनी चाहिए थी परंतु आज भी उसका वर्चस्व सर्वत्र स्थापित है। यह हमारी मानसिकता की गुलामी का प्रतीक है। गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी को क्रमश: शासन तंत्र में अर्थात् प्रशासन में प्रवेश कराने के प्रयत्न दशकों से हो रहे हैं, जो संतोषजनक नहीं है। वैसे 1965 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से सभी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र अमल करने का निश्चय हुआ था–प्रथम भाषा–मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय भाषा हिंदी तथा तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जाए। दक्षिण के आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं केरल ने ईमानदारी के साथ इन सूत्रों को अलग किया परंतु शेष राज्यों ने या तो आंशिक रूप में अनुपालन किया अथवा उपेक्षा की। इस क्रम से हिंदी वास्तव में राजभाषा के पद पर सही माने में कभी स्थापित नहीं हो सकती। इसके दो ही उपाय हैं–एक तो यह है कि अंग्रेजी के समान हिंदी में उत्तीर्ण स्नातकों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। यह प्रावधान शासन के स्तर पर विधेयक द्वारा होना चाहिए। क्योंकि हिंदी को आज भावना के स्तर पर नहीं, रोजी–रोटी के साथ जोड़ना होगा। तब झक मारकर सब लोग हिंदी पढ़ेंगे–सारे देश का समर्थन हिंदी को प्राप्त होगा और अंग्रेजी अपने आप छूट जाएगी। दो–संसद में यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि पांच या छ: वर्ष की अवधि तक भारत में प्रशासन में अंग्रेजी का प्रचलन होगा। तत्पश्चात् केवल मात्र हिंदी का प्रचालन होगा अन्यथा हमारी संकल्पना कभी आचरण में साध्य न होगी।

हमारे राष्ट्र के मनीषी विद्वान स्वर्गीय डॉ सर्वपल्लि राधाकृष्णन ने सही कहा था कि भारतीय वाङमय एक है और यह विभिन्न भाषाओं में सृजित है। यह हमारी एकात्मकता का ध्योतक है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हमें भारतीय अध्यात्म को पूर्ण रूप में बनाए रखते हुए पश्चिम के वैज्ञानिक उन्मेस को भी अपनाना होगा। तभी हमारा भौतिक एवं अध्यात्मिक स्तर पर समग्र विकास संभव है। परंतु आज हम भारतीयों में कथनी व करनी में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। परिणामस्वरूप हम इस संक्रांतिकाल से गुजर रहे हैं। इस ओर हिंदी के महाकवि, कामायनीकार श्री जयशंकर प्रसाद ने संकेत दिया था।

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। आइए, हम इस विडंबना पर विजय प्राप्त करें तथा महात्मा गांधी के इस कथन को–

''एक राष्ट्रभाषा हो भारत की।
एक हृदय हो भारत जननी ।
सार्थक बनाने का संकल्प करें और
उसे पूर्ण रूप में आचरण में लावें।।''

■

अशोक चक्र

थल, समुद्र अथवा वायु सेना में सेवारत रहते हुए दुश्मनों के खिलाफ प्रदर्शित विशेष साहस और देश के लिए किए गए त्याग के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है । इसे पहले अशोक चक्र क्लास वन कहते थे ।

कैसे आगे बढ़े रथ हिंदी का

–डॉ. श्रीमती धृति नेमा*
अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, उदयपुर

किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता की पहचान उसकी भाषा से होती है। विश्व में वही देश और समाज प्रतिष्ठा पाता है जो अपनी भाषा और अपने संस्कारों का अभिमानी होता है। भारत बहुभाषी है यह इसकी कमजोरी नहीं ताकत हैं । इसकी राष्ट्र भाषा, हिंदी एक ऐसी समृद्ध भाषिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा की वहिनी है जो हर पहलू पर भारत की एकता और अखण्डता की पृष्ठभूमि को पुख्ता करने के साथ-साथ वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को प्रेरित कर रही है ।

हिंदी विद्वानों एवं मनीषियों ने हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हैं। हिंदी की रथ-यात्रा आठवीं शताब्दी से शुरु होती है उस आदियुग में हमें स्वयंभू पुष्पंदना जैसे महाकवि प्राप्त हुए तुलसीदास, द्वारकाप्रसाद और तृतीय युग के देवबिहारी भूषण पद्माकर जैसे प्रतिभाषाओं ने हिंदी के रथ को बरकरार रख आधुनिक युग में हरिओम, पन्त, निराला, महादेवी जैसे उच्च कोटि के कवि पैदा हुए ।

आज हिंदी विश्व के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है भूमण्डलीकृत भाषा के तौर पर तेजी से उभर रही हिंदी के सामने आजकर चुनौतियां हैं। कैसे बढ़े रथ हिंदी का इसके लिए विश्वस्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं । हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार संकल्पबद्ध व प्रतिबद्ध है। भारत में महात्मा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और मौरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की जा चुकी है ।

रूस में हिंदी की लोकप्रियता में फिल्मों का महत्व बढ़ा है। फिल्म संगीत भी हिंदी के रथ को बढ़ाने का माध्यम बना है क्योंकि भाषा से ही विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति होती है। रूस में किसी विद्वान ने कहा है कि हमें हिंदी की आवश्यकता है ठीक जैसे किसी को हवा की आवश्यकता होती है। हिंदी की विकास यात्रा मातृभाषा के साथ-साथ मित्र भाषा के रूप में भी हो रही हैं ।

आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, भौगोलिक दूरियां मिट रही हैं, समय और गति का महत्व बढ़ रहा है पर सैंकड़ों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी संचार क्रांति के हिंदी को दुनिया के कोने-कोने में फैलाया-हिंदी के रथ को बढ़ाने का सिलसिला प्रारम्भ किया । इसे विश्वव्यापी बनाने की यात्रा तभी से आरंभ हुई। पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष श्रम, कुर्बानी से हिंदी और हिंद की संस्कृति की जड़ें मजबूत हुई है । पर आज आत्मदर्शन, आत्म निरीक्षण का क्षण है कि जब यह कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका था तो इसे वांछित गति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? कैसे आगे बढ़े रथ हिंदी का? यह इमारे समक्ष चुनौती है । आज भी जाति तंत्र, आरक्षण तंत्र, भ्रष्टाचार, भीड़ तंत्र, अपराध तंत्र आदि के बीच हिंदी फंस कर रह जाती है जब इसकी दर्द भरी पुकार किसी को सुनाई नहीं देती है। इस दर्द को दूर करना समय की मांग बन गया है ।

हिंदी का इतिहास उतना ही भव्य है जितना कि किसी उन्नत भाषा का हो सकता है, यह भाषा भारत के अधिकांश भागों द्वारा बोली और समझी जाती है निश्चय ही भारत की अन्य भाषा यह कार्य नहीं कर सकती, सम्पर्क की दृष्टि से हिंदी सबसे उपयुक्त भाषा रही है। सदियों से भारत के संतों, महात्माओं, विचारकों ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए इसका उपयोग किया है । यह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सदियों से माध्यम रही है। हिंदी भाषा

*16ए, दर्शनपुरा, उदयपुर (राजस्थान)।

अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हुई सभी के योगदान से आगे बढ़ेगी तभी यह भाषा सरल स्वभाविक और सर्वग्राह्य हो सकेगी। कबीर के शब्दों में भाषा बहता नीर है, इसे सरल और बोधगम्य बनाने के लिए इसे अन्य भाषाओं के शब्दों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने होंगे। यहां तक कि यदि अंग्रेजी शब्द के सही पर्याय नहीं मिल पाएं तो उन्हें देवनागरी में भी स्वीकार करना होगा। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषा से जो शब्द आ रहे हैं तो उन्हें ग्रहण करना होगा तभी भाषा समृद्ध होगी और उससे जीवंतता आएगी साथ ही उसका प्रवाह भी बढ़ेगा। आवश्यकता है हिंदी में अंतर्निहित संप्रेषण क्षमता को समझने की तभी हिंदी के रथ को आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

हिंदी भाषा के माध्यम से आर्थिक प्रगति विकास और समृद्धि संभव हुई है। इसे व्यापार की भाषा बनाना होगा तभी यह बाजार की ताकत बन कर उभरेगी क्योंकि बाजार भाषा की ताकत फैलाव और मूल्य तय करने के मापक बन गए हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में हिंदी विश्व भाषाओं की श्रेणी में आगे आ रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित कर रही है। दुनिया यह बात जानती है कि यदि उन्हें अपना माल बेचना है तो हिंदी को अपनाना होगा चूंकि हिंदी कई राष्ट्रों में बोली, सुनी व समझी जाती है। अतः इसकी ताकत पहचानते हुए बाजार की ताकत और ताकत का बाजार बनाना होगा ।

आज नितांत आवश्यक है कि हिंदी के रथ को आगे बढ़ाया जाए और वांछित गति दी जाए इसके लिए हमें हिंदी भाषा पर अपनी स्वाभिमान चेतना का सभी प्रान्तों में प्रसार करना होगा। हिंदी के विस्तार का विकास, विकास की गति का प्रश्न अहिंदी भाषी क्षेत्रों पर छोड़ दिया जाए और प्रान्तीय भाषाओं का प्रान्तीय राज्य मजबूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दें तो हिंदी का रथ अवश्य ही गति पाएगा साथ ही राष्ट्रीय जनचेतना जागृत होती है ।

हिंदी भाषा अधिक विज्ञान सम्मत है । उच्चारण अनुरूप लेखन है । आज की हिंदी पहले की तुलना में मात्र 42 वर्ण वाली होने से (स्वर, व्यंजन) अधिक संक्षिप्त हैं व टंकण मुद्रण में अधिक द्रुत गति वाली है । इसे कई प्रतियोगिताओं के परिणामों से सिद्ध किया जा चुका है ।

अंग्रेजी व योरोपीय भाषाओं में कैपीटल वर्णो के अनिवार्य प्रयोग के कारण उनके वर्णों की संख्या अधिक हो गई है । इनमें नदी या पहाड़ के आगे 'द' य 'ल' माले प्रत्यय लगाना आवश्यक है जबकि हिंदी में इसकी जरूरत नहीं है ।

दुनिया में 70-80 करोड़ हिंदी बोलने वाले हैं । भारत के अलावा नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिजी, रूस, मॉरीशस, सूरीनाम तथा दक्षिण अफ्रीका में लाखों प्रवासी हिंदी भाषी हैं। अतः दुनिया में जहां कहीं भी हिंदी के लिए कामकाज हो रहा है उन्हें हमें एक सूत्र में बांधना होगा, एकबद्ध करना होगा। हिंदी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में प्रयास करना होगा ।

भारतीय लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि टोनी ब्लेयर व बिल गेट्स जैसे लोग हिंदी में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की सामर्थ्य मानते हैं । यह हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। बिल गेट्स ने भारत यात्रा के दौरान लगभग 2000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की थी । यह उन्होंने भारतीय भाषाओं की कम्प्यूटरिंग में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए की। इसके तहत प्रोजेक्ट भाषा और प्रोजक्ट शिक्षा को चलाया जाएगा। हिंदी की महत्ती आवश्यकता को पहचानते हुए अमरीका में हिंदी के लिए 22000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है । वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका के प्रोफेसर हिंदी सिखाने का कार्य करेंगे और शुभप्रभात और नमस्ते बोलते सुनाई देंगे ।

पैरिस विश्वविद्यालय में हिंदी विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या चौगुना हो गई है और विश्वविद्यालय को एक और अध्यापक नियुक्त करना पड़ा है। दुनिया के दूसरे स्वतंत्र देशों में हिंदी पठन-पाठन का विस्तार होना आवश्यम्भावी है। हिंदी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए चीन से शिक्षा लेनी होगी। चीन की स्थिति भी कुछ वर्षो पहले हमारी भाषाओं जैसी थी पर अब सारे साईंस प्राविधिक ज्ञान चीनी भाषा में पढ़ाए जाते हैं। हरेक शिक्षण संस्था में अनुवाद ब्यूरो होता है। जो एक महीने के भीतर 500 पृष्ठ के बड़े पोथे को अनुवाद कर साइक्लोस्टाइल पर यथेष्ठ संख्या में कॉपियां दे देता है ।

रूस में हिंदी की लोकप्रियता में फिल्मों का महत्व बढ़ा है फिल्म संगीत भी हिंदी के रथ को बढ़ाने का माध्यम बना है क्योंकि भाषा से ही विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति होती है। रूस में किसी विद्वान ने कहा है कि हमें हिंदी की बहुत आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी को हवा की

आवश्यकता होती है। हिंदी की विकास यात्रा मातृभाषा के साथ-साथ मित्र भाषा-भाषी के रूप में भी हो रही है।

रथ को आगे बढ़ाने के उपाय-

* केंद्र सहित प्रत्येक प्रान्त मुख्यालय पर हिंदी प्रसार समिति का गठन हो जो ग्रंथ या प्रतिवेदनों के हिंदी संस्करण पर नजर रखे व दबाव बनाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्यों का सही प्रतिपादन हो एवं प्रगति हो।
* गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग का गठन कर मंत्रालयों में हिंदी भाषा के कार्यान्वयन पर जोर देना होगा। हिंदी सलाहकार समिति द्वारा हिंदी के प्रयोग तथा किए गए कार्यों की समीक्षा की जानी होगी ताकि इस क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी प्राप्त हो सके।
* हिंदीतर राज्यों में व्यावहारिक हिंदी प्रशिक्षण में हिंदी की जानकारी के निशुल्क प्रदाय केंद्र बनाए जाएं। इन प्रदेशों के अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्यापन तथा शोध कार्यों को पुरस्कृत किया जाए। यहां पर विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा हिंदी के प्रति रुचि को बढ़ाने का कार्य निरन्तर किया जा रहा है उसे गति प्रदान की जाए जिससे इसका प्रचार-प्रसार बढ़ सके।
* विदेशों में भी ऐसे केंद्र बनाए जाएं व ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी की तर्ज पर उन 137 देशों में जहां हिंदी पढ़ाई जाती है ग्रंथालय व वाचनालय खोले जाएं।
* नए और उपयोगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पुरस्कार स्थापित किए जाएं । यह भी बताया जाए कि माइक्रोसाफ्ट और एप्पल, सन, ऑरकेल, आईबीएम जैसे विदेशी संस्थान हिंदी में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमें उनसे आगे बढ़ना है। इन कम्पनियों ने यूनिकोड व्यवस्था बनाई है । यूनिकोड फौंट के इस्तेमाल द्वारा इसके खुलने में कोई समस्या नहीं आती है और सभी जगह एक ही फौंट में काम करना आसान हो जाएगा।
* यूनिकोड में 7000 से ज्यादा संकेत हैं, देवनागरी के हिस्से में लगभग 600 केरेक्टर आते हैं। माइक्रोसाफ्ट द्वारा हिंदी के विकास को इस चुनौती को स्वीकार किया गया है । अब सभी भारतीय भाषाओं के लिए अलग इंटरफेस विकसित कर उन्हें इंटरनेट के लिए यूनीकोड प्लेटफार्म पर लाना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आपसी तालमेल बिठाना होगा व भाषा के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण करना होगा। तभी भाषा भारत के जरिए जन-जन तक पहुंच पाएगी ।
* तकनीकी महाविद्यालयों में उच्च कोटि के लेखकों की पुस्तकों के अनुवादों की उपलब्ध ता पर नजर रखी जाए। चिकित्सा, कृषि, प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान पत्रिकाओं में अनुवाद कार्य बढ़ाने के लिए मानव संसाधन मंत्री पर दबाव डाला जाए। यह कार्य पहले की तुलना में फोटान और सिस्टॉन आदि उपकरणों से अधिक सुलभ हो गया है। प्रकाश के इन फोटानकणों पर आधारित कंप्यूटर हजारों गुना अधिक तेजी से काम करते हैं। इस तरह से विश्व साहित्य की अनमोल निधियां मूल भाषा से अनुदित होकर हिंदी को संपन्न बनाएगी । तभी हिंदी नए युग में अपने साहित्य की पूर्णता को प्राप्त करेगी। हमारे पास साधन की कमी नहीं है पर योजना के अभाव के कारण लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं।
* राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाओं में एक साथ अनुवाद करने वाले हिंदी के सॉफ्टवेयर राष्ट्रसंघ को भेंट कर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए शासकीय व अशासकीय तौर पर दबाव बनाया जाए। क्योंकि हिंदी अब देश-विदेश के 100 करोड़ लोगों की भाषा बन गई है । अतः अब वह चीनी से भी वरीयता रखती है । यह तथ्य हाल ही में डॉ. नौटियाल के शोध से सामने आया है पर खेद का विषय है कि अभी तक चीनी को ही प्रथम स्थान प्राप्त है जो अभी 90 करोड़ लोगों की भाषा है।
* विशाल हिंदी भाषी जनता और हिंदी साहित्यकारों को अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए।

आवश्यकता है हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए हिंदी रक्षा आंदोलन की । कुछ राज्यों में जिन्हें हम हिंदी भाषी समझे थे पर चिराग तले अंधेरा निकला। अत: ऐसे राज्यों में हिंदी रक्षा समिति की आवश्यकता है। हिंदी न तो किसी अनुग्रह की मोहताज है न ही दया की । अब हमें हिंदी के भक्त और प्रादेशिक भाषाओं के प्रेमी और सेवक बनना होगा। सभी भारतीय भाषाओं में एक समर्थ कोटुम्बिक भाव पैदा करना होगा। तब सभी मिलकर हिंदी के पक्ष में अपना मत देंगे और हिंदी का रथ आगे बढ़ाने में इनका योगदान मिलेगा।

* हिंदी प्रदेशों में सारी शिक्षा प्रशासन, सारे न्याय हिंदी के माध्यम से होने लगें साथ ही हिंदी भाषा पांच वर्ष के लिए हिंदी की लड़ाई अपने-अपने प्रदेशों में लड़ें तो बहुत काम हो सकता है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है । यदि हिंदी के रथ को आगे बढ़ाना है तो हिंदी प्रदेशों को हिंदीमय बनाने के सिवाए दूसरा कोई रास्ता नहीं है ।

* हिंदी को ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाना होगा । हिंदी माध्यम से विज्ञान पढ़े लोगों की वृद्धि होगी जिससे वैज्ञानिक साहित्य के सृजन की वृद्धि होगी । हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी मदद पर ही निर्भर नहीं रहना होगा। वरन् व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य करना होगा । इस दिशा में विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं । उनको प्रोत्साहित करना होगा और अन्य क्षेत्रों में भी उनसे प्रेरित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा।

* शिक्षण कला है और इसमें यदि प्रेम और प्रतिबद्धता जुड़ जाती है तो यह हिंदी के विकास को गति देने में पूर्णत: सक्षम हो सकती है। हिंदी शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाकर हिंदी के रथ को गति दी जा सकती है। जनमानस की हिंदी बनाने के लिए पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के साथ नई दृष्टि पैदा करनी होगी। नए उपकरण, नई प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। हिंदी और संस्कृति अन्य देशों से सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करना होगा। विदेशों में भारतीय मेलों की धूम, भारतीय उत्सव, पारम्परिक वेशभूषा, भारतीय भोजन द्वारा हिंदी को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि इन सभी में हिंदी सूत की तरह पिरोई इुई है। भारतीय दूतावासों में भाषांतरकारों की व्यवस्था से भी हिंदी को दुनिया के देशों में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है । भाषा ही यह माध्यम है जिसके द्वारा किसी देश की संस्कृति जानी जा सकती है ।

* हिंदी भाषा के साथ जो हीनता या पिछड़ेपन का भाव जुड़ा है उसे दूर करना होगा और इसे आत्मसम्मान के भाव से जोड़ना होगा। तभी हिंदी में लोग लिखना बोलना पसन्द करेंगे। अभी जिनके पास अभिव्यक्ति है वे भी मौका मिलने पर अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं तब यह कार्य बन्द हो जाएगा।

* नई शताब्दी में हिंदी के लिए व्यावहारिक पक्ष के कार्य करने होंगे साथ ही नई पीढ़ी को विकास से जोड़ना होगा और उसके कार्यों को समझना होगा। हिंदी में तकनीकी ज्ञान रखने वालों को बढ़ाना होगा। युवाओं को बाजार में मुहावरों की समझ, संप्रेषणीयता आदि में स्वयं को कुशल बनाना होगा। भारतीय युवाओं की शक्ति पहचानना होगा, ये ही भावी कर्णधार हैं जो सूत्रधार बनेंगे और हिंदी के रथ को विश्व में दौड़ाएंगे।

प्रौद्योगिकी एवं हिंदी का विकास

हिंदी की अभी तक की यात्रा में इसीलिए यह परम्परागत साधनों का ही उपयोग हुआ है । प्रश्न हमारे हिंदी के रथ को आगे बढ़ाना है तो प्रौद्योगिकी से जुड़ना जरूरी है । आज वेब पर 81 प्रतिशत सामग्री अंग्रेजी में है।

माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम एक्सपी में ऑटोकरेक्ट की सुविधा की गई है। टैक्स्ट टू स्पीच सुविधा उपलब्ध है । कई जगह सीडेक के सहयोग से स्पीच टू टेक्स्ट अभी हिंदी में सुलभ हुई। ''श्रुतलेखन राजभाषा'' नामक साफ्टवेयर को विकसित कर उसका लाभ उठाया जा सकता है ।

गांवों की ओर चलो यह बात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गई है । इसी को देखते हुए इफको द्वारा तैयार किए जा रहे ग्रामीण पोर्टल द्वारा विभिन्न स्थानों पर साइबर ढाबे खोले जाने की योजना है जिसमें किसानों के लाभार्थ कृषि संबंधी सूचनाएं उनकी भाषा में दी जाएंगी। हिंदी में लगभग 250 वेबसाइट हैं लेकिन प्रशिक्षण और सम्पर्क सूत्र के अभाव में हम उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। द्विभाषिकता की सुविधा वाले डाटा जैसे पैकेज के और उन्नत मॉडल तैयार किए जाने चाहिएं।

मीडिया ने हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है । पुस्तकीय हिंदी से ज्यादा व्यावहारिक प्रयोग वाली हिंदी श्रव्य-दृश्य माध्यमों से विकसित करनी होगी। इंटरनेट कम्प्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा एवं इन माध्यमों को विकास के लिए गंभीरता से लेना होगा। इनकी सहायता से लोगों तक बहुत सस्ते में पहुंचा जा सकता है। ''घूमिए जगत जोड़ते जाले में'' इंटरनेट पर (हिंदी) इंटरनेट पर हिंदी के तीव्र विकास ने कई संभावनाओं को जन्म दिया है।

हिंदी सम्मेलनों की भूमिका

भाषा के विकास की रथ यात्रा की जब हम बात करते हैं तो यह पाते हैं कि इस मार्ग में आने वाली परेशानियां केवल समारोहों की धूमधाम, शपथ कानून आदि से ही दूर नहीं हो सकती। अब आवश्यकता है कि हम प्रत्येक के अन्दर एक संकल्प जागृत करें और साथ ही यह भी देखें, विचार करें कि संकल्प कितना पूरा हुआ है तभी हिंदी का रथ आगे बढ़ पाएगा।

नागपुर 1975 में प्रथम सम्मेलन से ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को व्यापकता प्रदान करने का संकल्प लिया जिसे द्वितीय सम्मेलन में आधार प्रदान किया गया। इसका प्रभाव यह रहा कि 125 से भी अधिक विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा संस्थानों में हिंदी का अध्ययन एवं अध्यापन प्रारम्भ हुआ। इसके साथ ही युनेस्को की मान्यताप्राप्त भाषाओं में हिंदी को स्थान मिला। चौथे, पांचवें, छठे हिंदी सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता दिलाने, विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना, साथ ही हिंदी साहित्य सृजन को उजागर करने के लिए एक विश्व पत्रिका के प्रकाशन पर बल दिया गया। सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के द्वारा भी हिंदी को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया साथ ही हिंदी के क्षेत्र में आई चुनौतियों का सामना कर इसे उपलब्धियों में बदलने का संकल्प किया गया।

निष्कर्ष

हिंदी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए हमें दृढ़संकल्प और कृत संकल्प होना होगा एवं निम्नलिखित प्रस्तावों को अमल में लाना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को अधिकारिक भाषा बनाने के प्रयासों में तेजी लाना होगा ताकि हिंदी भाषा का नए क्षेत्रों में प्रवेश व विकास हो सके। हिंदी आधुनिक ज्ञान की एक भाषा के रूप में तेजी से उभर रही है जो अपने अन्दर विज्ञान प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों को समेटे हुए है।

हिंदी पीठों का निर्माण करना होगा, हिंदी शोध के लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया करानी होगी एवं हिंदी की शिक्षण व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के नए मार्ग खोलने होंगे ताकि तालमेल व निरन्तर पारस्परिक आदान प्रदान से भाषा के उन्नयन में सहयोग मिल सके। हिंदी के रथ को आगे बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी अहम माध्यम है । हिंदी के ऑनलाइन शब्दकोश एवं विश्वकोष के साथ-साथ अन्य भाषाओं के हिंदी तथा द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने होंगे। हिंदी की पुस्तकों को इलैक्ट्रानिक तथा सीडी माध्यम से न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराना होगा। हिंदी के महारथियों को विश्व हिंदी वेबसाइट के माध्यम से जुड़कर हिंदी के रथ को आगे बढ़ाने के विश्व स्तरीय प्रयास करने होंगे ।

सदियों की पिछड़ी यात्रा को हमें आने वाले वर्षों में पूरा करना है । हमारे पास दो सौ करोड़ हाथ हैं । विश्व की बड़ी शक्तियों के आगे हमें हिंदी के रथ को ले जाना है, विश्राम का समय नहीं है। अत: राष्ट्र बोध व अपनी भाषा के स्वाभिमान तथा हिंदी को आगे बढ़ाने के इन उपायों के द्वारा हम निश्चित ही कुछ वर्षों में हिंदी के रथ को आगे बढ़ाएंगे।

अन्त में पुन: कहना चाहेंगे कि राष्ट्र बोध सूख न जाए उसका ह्रास न हो जाए। अत: इनसे प्रेरित होकर इन उपायों का प्रयोग कर हिंदी के रथ को आगे बढ़ाएंगे । हिंदी की जीवन शक्ति प्रबल है । यह जनमानस के समर्थन से आगे बढ़ रही है यदि हम अपने कर्तव्यपथ के प्रति सचेत हो सके तो हम गर्व कर पाएंगे और हिंदी को विश्व भाषा के रूप में देख पाएंगे । ■

असमिया और नागरी लिपि में संबंध

–चितरंजन लाल भारती*

इदमन्धैतमः कृत्स्नं जायेत भुवनगयम् ।
यदि शब्दाह्‍यं ज्योतिरा संसार न दीप्यते ॥

भाषा और समाज के अविभाज्य रिश्ते के संबंध में दंडी ने अपने ''काव्यादर्श'' में उक्त बातें कही हैं, जिसका अर्थ है कि यदि सृष्टि के आरंभ में भाषा की ज्योति न जलती तो यह संपूर्ण संसार घोर अंधकार में ही डूबा रहता ।

अपने सभ्यता के आरंभिक दौर से अब तक मानव समुदाय पारस्परिक विचार-विनिमय और सोच-संप्रेषणा के लिए भाषा को माध्यम बनाता आया है। यह गर्व की बात है कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। यह परंपरा गुरुकुल की थी, गुरु-शिष्य की थी। शिष्यों को गुरु सामूहिक रूप से, मौखिक रूप में ज्ञान-दान दिया करते थे। शिष्य उन्हें श्रवण-मनन द्‍वारा कंठस्थ किया करते थे। चूंकि श्रवण-मनन द्‍वारा अध्ययन-अध्यापन होता था, इसलिए उन्हें रोचक आह्लादक बनाने के लिए काव्य रूपों में ढ़ाल लिया जाता था। काव्य-रूप में होने से, लय-ताल में होने से उन्हें कंठस्थ करने में आसानी भी रहती थी। इसलिए हमारा संपूर्ण भारतीय साहित्य वेद-पुराण से लेकर रामायण-महाभारत तक काव्य रूप में ही सामने आए हैं। इसके फायदे इस रूप में हुए हैं कि तमाम प्रकार के झंझावात, वह चाहे प्रकृति के हों अथवा वाह्‍य शत्रुओं के, उनसे हमारा प्राचीन भारतीय साहित्य सुरक्षित रहा है। यहाँ तक कि डेढ़-दो सौ साल पूर्व जब हमारे पूर्वजों को फिजी, मॉरीशस आदि अनाम-अनजान देशों में ढकेल दिया गया, तो अपनी इसी स्मृति के बल पर भारतीय वाङ्‌मय साहित्य की ज्योति को पुनर्जीवित कर भारतीय संस्कृति से स्वयं को जोड़े रखा ।

हमारे पूर्वजों ने सभ्यता-संस्कृति के अगले चरण में लेखन को लिया। वे अपनी भावाभिव्यक्तियों को शिलाओं पर, भोज-पत्रों पर उकेरने लगे। पहले प्रतीक-चिह्न बने, जो व्यवस्थित होकर लिपियों के रूप में आकार ग्रहण करने लगे। चूंकि ज्ञान का संग्रहण आवश्यक था, ताकि अन्न के समान उनका वक्त जरूरत उपयोग में लाया जा सके। ''लिपि'' लेप धातु से बना है। पहले दीवारों को मिट्‌टी आदि से लीपकर उस पर कुछ लिखा जाता था। इस तरह लिपियों का आविष्कार तेजी से हुआ। इस लिपि को ''ब्राह्मी लिपि'' कहा गया ।

इस ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं विकसित हुई ।

उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा,

उत्तरी शाखा के क्रमिक विकास के अंतर्गत क्रमशः गुप्त लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि आदि विकसित हुई। 10वीं सदी के लगभग नागरी लिपि का उद्‌भव माना जाता है ।

दक्षिणी शाखा से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि दक्षिण की भाषाओं की लिपियों का विकास माना जाता है ।

ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा की नागरी लिपि ने उत्तर से शुरू कर पूर्व दिशा तक में अपनी जगह बना ली। मध्य देश में खड़ी-बोली, अवधी, ब्रज आदि, तो बिहार (मैथिली, भोजपुरी, मैथिली) से आगे चलकर बंगला में नागरी लिपि छा गई। इसी नागरी बँगला लिपि में असमिया लिखी जाती है उधर मध्य देश में नागरी लिपि 'देवनागरी' के रूप में समादृत होकर भारतवर्ष की लगभग आधी आबादी अर्थात् 14 वृहत् राज्यों में प्रतिष्ठित हो गई।

प्राचीन भारत की भाषा संस्कृत रही है। और सभी भारतीय भाषाएं इसी संस्कृत से निकली हैं। असमिया भी उनमें से एक है। संस्कृत के तत्सम् शब्द उसमें मूल रूप से भरे पड़े हैं। यही कारण है कि जरा सा प्रयास करने पर असमी और हिंदी भाषी एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। नागरी लिपि की सभी भाषाओं, वह चाहे बंगला-असमी हो अथवा खड़ी बोली हिंदी, वर्णमालाएं लगभग एक समान हैं। उनके अक्षरों का संयोजन भी कम में हैं। ध्यान रहे कि भाषा और लिपि दो अलग वस्तुएं हैं। ब्राह्मी लिपि को अक्षरों में थोड़े बहुत हेर-फेर है, मगर हैं वे एक समान।

*राजभाषा अनुभाग मा सं एवं का से विभाग, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि., कछाड़ पेपर मिल., पो. पंचग्राम (असम)-788 802

असमी में देवनागरी की तरह ही स्वर तथा व्यंजन हैं। हिंदी से अतिरिक्त कुछ वर्ण असमी में हैं, यथा–'य' जैसे 'ज' उच्चारण–'त्त'। सामान्य उच्चारणगत अंतर के अतिरिक्त असमी और देवनागरी वर्णों में कोई विशेष भेद नही है। जैसे असमी में 'श' का उच्चारण 'ह' जैसा कर दिया जाता है और 'च' का उच्चारण 'ह' जैसा हो जाता है।

हेमचंद बरुआ ने असमिया साहित्य की उन्नति हेतु वह कार्य किया, जो काम हिंदी साहित्य के लिए आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने किया था। हेमचंद बरुआ ने असमिया भाषा साहित्य को नवीन रूप देने के लिए एक वृहत् असमिया कोष संकलन 'हेमकोष'' का प्रकाशन किया। इस कोष में उन्होंने हिंदी, अवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि पड़ोसी भाषाओं के शब्दों का भी समावेश किया। उन्होंने असमी लिपि में हिंदी की तरह ''व'' अक्षर का प्रचलन किया, जबकि बँगला में ''व'' का प्रचलन नहीं है । उस वक्त उनके इस कार्य का घोर विरोध हुआ । वे निन्दा के भागी भी बने । मगर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की । हेमचंद्र बरुआ ने इसी प्रकार के अनेक कार्य कर असमिया भाषा को नई दिशा दी, शैली को नया स्वरूप प्रदान किया ।

असमिया भाषा का विकास काल 600 ई. के आसपास माना जाता है । उस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग कामरूप राज्य के तत्कालीन शासक कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर असम आया था । अपने यात्रा–विवरण में उसने स्पष्ट लिखा है कि ''इस देश की भाषा बँगला या आसपास की भाषाओं से भिन्न है । किंतु पश्चिमोत्तर की भाषा से कुछ मिलती–जुलती है ।''

15वीं सदी के अहोम युग के वक्त शंकरदेव तथा माधवदेव जैसे भक्त कवियों का प्रादुर्भाव तब हुआ, जब असम में शाक्त तथा शैव मत चरमावस्था में था । शंकरदेव ने गया, बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम् आदि तक का 12 वर्षों तक तीर्थाटन किया । वैष्णव भक्ति में पूर्णतः रमे शंकरदेव तथा उनके शिष्य माध वदेव संपूर्ण असम में वैष्णव भक्ति का प्रचार–प्रचार करते रहे । उन्होंने दूसरी बार पुनः तीर्थाटन किया । उनके वैष्णव धर्म की भाषा ''ब्रजबुली'' अर्थात् ''ब्रजभाषा'' थी, जो असमी लिपि में लिपिबद्ध की गई है ।

यह वह समय था, जो संपूर्ण भारतवर्ष में ''भक्ति काल'' के नाम से ही जाना जाता रहा है। एक तरफ ब्रज भाषा का प्रतिनिधित्व करते सूरदास जैसे भक्त कवि कृष्ण कृति एवं माधुर्य का बखान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अवधी भाषा का प्रतिनिधित्व करते तुलसीदास राम नाम का अलख जगाते समाज को मर्यादित करने के प्रयास में लगे थे । निगुर्ण भक्ति के प्रचारक कबीर अपनी तथाकथित सधुक्कड़ी अर्थात् भोजपुरी के माध्यम से जन–मन में तेजी से पैठ बना चुके थे, तो जायसी रहस्यमयी प्रेमाश्रयी भक्ति का प्रचार अवधी में कर रहे थे। चूंकि गया, काशी (बनारस), प्रयाग (इलाहाबाद), मथुरा आदि ही इन भक्त कवियों के अड्डे थे, स्पष्ट ही इन सबका सम्मिलित प्रभाव शंकरदेव पर पड़ा। और फिर तो लगभग पूरा असम ही वैष्णव धर्म से संचालित होने लगा। माधवदेव ने अपने गुरु शंकरदेव के कीर्तन–भजनों का संकलन असमी भाषा की नागरी लिपि में किया। सो स्वतः ही इसका प्रचार होने लगा।

अंग्रजों ने 1826 ई. में असम पर कब्जा किया था । 1836 ई. में अंग्रेजों ने असम में सरकारी भाषा के रूप में बंगला को लागू कर दिया। उस वक्त अनेक देशों की ईसाई मिशनरिया असम में कार्य कर रही थीं। अमेरिकी मिशनरियां धर्म–प्रचार की सुविधा हेतु असम में राजभाषा के रूप में असमी भाषा की मांग करते रहे, क्योंकि वह स्वयं को स्थानीय जनता के हितैशी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। इसी भावना के तहत ब्रानसन–ब्राउन ने असमिया शब्दकोष तैयार किया। लेकिन अंग्रेजों ने शब्दकोष को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि असमिया कोई भाषा नहीं, महज एक बोली है, जिसमें बंगला के शब्द भरे हुए हैं।

लंबे समय तक यह विवाद चलता रहा। बंगला की सदर दीवानी अदालत में भी इस मामले पर विचार किया गया। न्यायाधीश ए जी मोफ्ट मिल्स तथा आर सी दत्त ने अपने फैसले में इस दावे को खारिज कर दिया कि बंगला के शब्द मिलने के कारण असमिया एक बोली है। उन्होंने कहा कि शब्दों का एक जैसा होना कोई तर्क नहीं है, क्योंकि दोनों संस्कृत से जन्मी भाषाएं हैं। लैटिन और अंग्रेजी में भी एक जैसे शब्द हैं, परंतु दोनों ही स्वतंत्र भाषाएँ हैं। लगभग 40 साल बाद 1874 ई. में असमी को असम में राजभाषा का दर्जा दिया गया।

यह विवाद नहीं उठता, यदि शंकरदेव की परंपरा को ध्यान में रखा जाता तथा असमिया भाषा ने लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया होता। आखिर संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि अनेक समृद्ध भाषाओं की लिपि देवनागरी ही तो है। असम के एक क्षेत्र की बोडो भाषा ने भी इस देवनागरी लिपि को ही अपना लिया है। स्पष्ट है कि एक वृहत्तर वैज्ञानिक लिपि परिवार से जुड़कर उसका तेजी से विकास होना ही होना है। प्रिंट मीडिया से ऊपर उठकर अब यह तेजी से इलेट्रॉनिक मीडिया का माध्यम बनती जा रही है। विश्वास है कि विद्वत्जन इस पर गंभीरता से विचार करेंगे । ■

समकालीन हिंदी साहित्य में लोक चेतना (कविता के संदर्भ में)

–डॉ. आरसु*

समकालीन हिंदी साहित्य में लोक चेतना विषय से जुड़कर कुछ मुद्दे साहित्यकार और आस्वादकों के सामने उभर आते हैं। विज्ञान और तकनीकी के युग में क्या यह चेतना नष्टप्राय होती है? क्या वह धारा आज चुनौतियों का सामना कर रही है? आज के 'विश्वग्राम' की परिकल्पना में यह हमारी लोकचेतना भी शामिल होगी? क्या वह एक पूरक तत्व है या विरोधी? क्या 'विश्वग्राम' का वैचारिक पहलू हमारी लोकचेतना को झकझोर कर डालेगी या साथ लेकर चलेगी ? आज के युग में साहित्य की लोकचेतना केवल संग्रहालय की चीज़ के रूप में रहती है? क्या वह आस्था और जीवनमूल्य का अटूट हिस्सा है? क्या वह विरासत की चीज़ है या महज फैशन की? साहित्यकार उसको बिकाऊ चीज़ के रूप में मानते हैं या टिकाऊ? केवल दिमागी कसरत के रूप में लोकचेतना को साहित्य में जगह देती है तो उसमें ऊर्जा और उन्मेष की गुंजाइश न रहेगी।

साहित्य की लोकचेतना की अपनी खूबियाँ अवश्य होती हैं। पतन के पड़ाव पर पहुँचने के अवसर पर साहित्य की कमजोर विधाओं के शक्तिकरण के बारे में सक्रियसतर्क चर्चाएं सबल बन जाती हैं। यह साहित्य की लोकचेतना के लिए भी लागू हो जाती है। शुरू में ही यह संकेत देना उचित होगा कि हमारी समाज में लोक शब्द के अर्थ की कई छवियाँ होती हैं। उसको विशेषण के रूप में रखकर कई शब्द प्रचलित हैं–जैसे लोकगीत, लोककथा, लोकभाषा लोकवाणी, लोकमत, लोकतंत्र, लोकजीवन, लोकलाज, लोकप्रियता। लोकचेतना के पोषक तत्वों की तलाश भी आज अनुसंधान का विषय है। Folklore अध्ययन की गरिमा आज बढ़ रही है। नेतत्व विज्ञान, समाज विज्ञान, मिथक, आदिबिंब आदि उनमें शामिल हैं। लोक साहित्य को पहले दूर दराज के गाँवों के निरक्षरों के जीवन निरीक्षण के नमूने के रूप में समाज ने मान लिया था। लेकिन आज वह विशेषज्ञों के गहन अध्ययन की विधा बन गई है।

ग्रामीणों के पर्व, त्योहार, आचार-विचार, रिश्ते, जीवनमूल्य आदि को उन्हीं की बोली में लोकसाहित्य में अभिव्यक्ति मिलती है। उनके भाव और भाषा में अपनी मिट्टी की सुगंध आती है। उसमें मन की जड़ता को दूर करने की अपूर्व क्षमता होती है । साहित्य की लोकचेतना उतनी प्राचीन है जितना आदि मानव हैं । उसमें रागात्मक पक्ष मुख्य बनता है। वह बौद्धिक वज़न का साहित्य नहीं हैं । वह मौखिक और जीवंत परंपरा का हिस्सा है। वह, असल में एक अमुक व्यक्ति की भावाभिव्यक्ति नहीं है, वरन् लोक की भावाभिव्यक्ति का आईना हैं । वह समाज की धरोहर हैं । पूराने समाज की घड़कन और स्पन्दन उसको सप्राण बनाती हैं । सामाजिक-पारिवारिक मूल्य ही उसकी जैव खाद है। किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग उधर नहीं होता। लोक साहित्य मानवीय रिश्तों को मधुर बनाता है । भोले-भाले आदमियों के अरमानों को मज़बूत बनाता है। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लक्ष्य की पूर्ति करता है। 'गावहि मंजुल मंगल बानी, सुनि कलरव मंगल बानी' उक्ति (तुलसी) में उसका सन्देश निहित है।

नव उपनिवेशवाद, उत्तराधुनिकता और भूमंडलीकरण की चकाचौंध आज साहित्य की सहजता को प्रदूषित कर रही है। नाना प्रकार की व्यस्तताएं जीवन को यांत्रिक बना रही है। दिल को दिल्लगी मिलने के क्षण कम हो रहे हैं। इसलिए लोकचेतना की धड़कन आज की कविता में अधिक अनुभूत नहीं होती। फिर पाठकीय अभिरुचि भी उस

* अध्यक्ष, हिंदी विभाग, (कालीकट विश्वविद्यालय), साकेत, पो. चेलेम्बरा, मलप्पुरम-673634 (केरल)

ओर अधिक उन्मुख नहीं है। आलोचकों के इन निष्कर्षों को एकदम बेबुनियाद ठहराना भी ठीक नहीं लगता।

विघ्न बाधाएं आ जाना और प्रवृत्तियों का रुक जाना अलग-अलग बातें हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने सहज अभिरुचि को दॉव पर रखकर रास्ते से न हटने वाले कुछ कवि आज भी रचनारत हैं। इनकी एकलव्य साधना को महत्व और प्रोत्साहन देना सहृदय पाठकों का दायित्व है। लोक संपृक्ति से कविता अधिक प्राणवान होगी। लोकानुराग की रचनाएं हमारी अभिरुचियों का परिमार्जन कर सकती हैं। मानवीय संबंधों को मधुर बनाने में भी वह सहायक निकलेगी। संस्कृति और मूल्यों की जड़ें तब अधिक मजबूत बन जाएंगी। रासायनिक खादों से साहित्य को बचाने की मांग आज अधिक सख्त बन रही हैं । निज संस्कृति को बचाने से ही निज भाषा की उन्नति संभव होगी। वह चेतना विकास की विराट प्रक्रिया है। आशा है कि इस प्रकार की विचारगोष्ठी या सहृदय संवादों के फलस्वरूप नए सिरे से सोचने की प्रेरणा भी हमें मिलेगी। तब साहित्य की लोकचेतना को प्रौद्योगिकी के इस युग में अहल्या मोक्ष मिलेगा। उपभोक्ता संस्कृति के विश्वग्राम में तब हमारे ग्राम की आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ेगी।

लोक काव्य के लिए आज अलग विधा और विधान नहीं है। वर्तमान युग को प्रवृत्तियों के साथ लोकचेतना घुल मिल जाती है। आज की कविता से लोकचेतना को पृथक करके देखना मुश्किल है। उसकी धारा पहले के समान अजस्र और अनस्युत नहीं हैं लेकिन वह एकदम बंद हो गई है ऐसा सोचना भी समीचीन नहीं होगा।

साहित्य की लोक चेतना पर आधारित इस चर्चा के केंद्र में सारी विधाओं को समेटना मुश्किल होगा। सुविधा के लिए कविता पर बल देना उचित होगा। चूंकि समकालीनता पर भी प्रश्रय देने का सुझाव मिला है इसलिए सन् 1990 के बाद की कुछ कविताओं को नमूने के रूप में स्वीकार कर सोच विचार करेंगे।

विश्वनाथ त्रिपाठी के काव्यसंकलन 'आखर अनंत' में माँ के बारे में कुछ कविताएँ संग्रहीत हुई हैं। माँ और गाँव के प्रति कवि का प्रेम इस कविता को मार्मिक बना देता हैं। लोक संस्कृति की अमिट छाप इस कविता पर पड़ी है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं।

दिखेंगे नाग पंचमी के साँप
दशहरे के नील कंठ
क्वार के खंजन
बस माँ नहीं दिखेगी
फिर कभी इस रूप में। **पृ. 28**

'अभिनव कदम' पत्रिका में प्रकाशित उपेन्द्रनाथ मिश्र की कविता 'गाँव' में लोकचेतना स्पन्दित होती है। मनुष्यता को मिटाने वाले उत्तर आधुनिक औजारों से कवि मुक्ति चाहते हैं। बचपन में देखे गाँव को बचाने की इच्छा उनके मन में प्रबल बन जाती है।

शहर से दूर
लौटना चाहता हूँ गाँव की पगडंडियों पर
गाना चाहता हूँ, श्रम आस्था के गीत
जगाना चाहता हूँ, प्रेम देवता की ऊर्जा को
पीपल की छांव में बतियाना चाहता हूँ
बचाना चाहता हूँ विलुप्त हो रही लोक धुनों को ।

अभिनव कदम अक्तूबर, 2000, पृ. 28

आदिवासी स्वर को मुखरित करने के उद्देश्य प्रकाशित पत्रिका है 'युद्धरत आम आदमी'। इसके 2001 के विशेषांक में प्रकाशित पहली हिंदी कविता ग्रेस कुजूर की 'एक और जनी शिकार' है। कवयित्री हमारी याद दिलाकर कहती है कि लोक संस्कृति से जुड़े सारे प्रतीक आज नष्टप्राय हैं। कवयित्री पूछती है–

कहाँ गयी वह सुगंध
महुआ और डोरी की
गूलर और केयोंद की
कहाँ खो गया बांसों का संगीत
और न जाने कहाँ उड़ गयी
संघना की सुगंध । **पृ. 21**

शेरजंग गर्ग की एक छोटी सी कविता है । कविता को कैसे मानना है इसी पर वे सोचते हैं । चुंबन के समान नहीं तमाचे के रूप में वह बदल जाए । यही कवि की कामना है।

राग नहीं
अब आग
बन गयी है कविता
उसे होठों पर चुंबन-सा नहीं
गालों पर तमाचे सा
जड़ने का वक्त है ।

कविता, आजकल-मई 2005, पृ. 61

लोकानुराग की चेतना यहाँ प्रस्फुटित होती है ।

मंगलेश डबराल की कविता 'दादा की तस्वीर' में पुरानी यादों को जीवंत बनाने की कामना देख सकते हैं। एक पीते के स्तर पर खड़े होकर दादा की स्मृतियों को वे यहाँ सहलाते हैं।

दादा को तस्तीरें खिचवाने का शौक नहीं था।
या उन्हें समय नहीं मिला
उनकी सिर्फ एक तस्वीर
गंदी पुरानी दीवार पर टंगी है
वे शांत और गंभीर बैठे हैं
पानी से भरे हुए बादल की तरह।

हम जो देखते हैं। **पृ. 23**

यह उपमान एकदम अनूठा है। पुराने परिवार का परिवेश चत्रित कर कवि लोक संप्रक्ति लाते हैं तो कविता की सहजता बढ़ती है।

प्यार को आज भी कविता का मुख्य तत्व बनाने वाले कवि अत्यल्प हैं। प्यार को कविता से भगाने का कारण दूसरा विषय है। लोकचेतना को पसन्द करने वाले कवि प्यार को भी पसंद करेंगे। निर्मल गर्ग की कविता 'कहा असंख्य तारों ने' की कुछ पंक्तियाँ हैं।

तिनके से भी हल्का क्या होता है
प्यार कहा
असंख्य तारों ने
लोहे से भी भारी क्या होता है
प्यार फिर कहा असंख्य तारों ने।

आवेग पत्रिका, मार्च, 2003, पृ. 35

बलदेव वंशी की 'तो मधुमास हो' कविता में हिरन और मोर का वर्णन मिलता है। यहाँ लोकजीवन की कल्पना तथा झाँकी है। भावना और यथार्थ में तालमेल न होने की बात पर कवि का ध्यान पड़ा है। कविता की आरंभिक पंक्तियाँ हैं –

जानकर सब लोगों को पता है
कि हिरन अपने सींगों के
भव्य ताज पर
विराट आकाश को उठाकर
चौकड़ी भरता है उत्फुल्लता में
और पाँवों के यथार्थ को देख
आठ आठ आँसू रोता है।

मधुमती, जनवरी, 2008, पृ. 33

अरुण कमल की कविता 'मातृभूमि' में लोकबिंब का आकर्षक रूप मिलता है। कवि को लगता है कि मैं मेले में खोये बच्चे के समान हूँ। धान के पौधों ने इतना ढँक दिया है कि रास्ता तक नहीं सूझता। ये पंक्तियाँ लोकमानस के चिंतन के अनुरूप हैं–

वे बकरियाँ जो पहली बूँदें गिरते ही
भागी और छुप गयी पेड़ की ओट में
सिंधु घाटी का वह साँढ
खूब चौड़े, पट्टेवाला जो भीगे जा रहा है
पूरी सड़क छेंके

काँची प्रत्रिका, नवंबर, 2002, पृ. 21

'तीज पुजाई' शीर्षक जगदीश विकल की कविता रिश्तों के रेशों को उजागर करती हैं। बेटी की चिट्ठी मिलने पर माँ के मन में उभर आती चिंताएँ यहाँ वर्णित हैं।

आहत अबोध कबूतर की तरह
माँ के हाथ में
काँप रही है बेटी की चिट्ठी
अक्षर अक्षर से झरते हैं
दु:ख और आँसू
पहली बार गयी है
बेटी ससुराल
और गयी नहीं तीज पुजाई।

मधुमती, जनवरी, 2008, पृ. 23

वह चिट्ठी बहुत कुछ छिपा लेती है। फिर भी बहुत कुछ बोलती है। वह माँ छटपटाती प्राण से आँखों के पुतली बेटी की याद करती है।

इलाहाबाद से प्रकाशित कविता की अनियतकालीन पत्रिका 'उन्नयन' के 2007 के विशेषांक में लोकचेतना की कई कविताएं प्रकाशित हुई हैं। कृष्णकुमार यादव की कविता 'गौरया' कंक्रीट शहर, फ्लैट और इंटरनेट के युग में आए परिवर्तनों पर विचार करती है। आज के बच्चे प्रकृति को कुतूहलता से नहीं निहारते हैं। सुबह दिखाई पड़ी गौरया कवि के मन में कुछ नए विचार लाते हैं कवि की आशंका है–

वही गौरया,
जो हर आंगन में
घोंसला लगायी करती है
जिसकी फुदक के साथ
हम बढ़े हुए।
क्या हमारे बच्चे

इस प्यारी व नन्हीं सी चिड़िया को
देखने से वंचित रह जाएंगी । **पृ. 248**

श्रीमती रमणिका गुप्ता की 'पेकची के पत्ते सा' कविता में कई लोकबिंबों की प्रभावशाली प्रस्तुति हुई हैं । प्रकृति के दृश्य उनके मन में मधुर यादें लाते हैं । कुछ पंक्तियाँ हैं–

सूरज के चूल्हे पे
सागर बिरजाता है
उफन उफन जात है
देगची में भात-सा
उबल उबल
माड गिरी जा रही
घर आंगन की याद है जला रही
मोर मितवा की
याद मोहे आ रही

चूल्हा, देगची और माड़ पाठकों के मन में लोक चेतना को स्पन्दित करने में सक्षम है ।

लोक चेतना के प्रस्फुटन को केवल भाव तक सीमित रखना ठीक नहीं जंचता है । भाषा से भी उसका सरोकार है। लोकभाषा को कुछ कवि तथा समीक्षकों ने जनपदीय भाषा के रूप में व्यवहृत किया है। हिंदी की जनपदीय कविता शीर्षक संकलन की भूमिका में डॉ. विद्यानिवास मिश्र ने यह राय प्रकट की थी–एक तरह से हिंदी की जनपदीय भाषाएँ हिंदी को चारों दिशाओं से ऊर्जा प्रदान करती हैं । यह ऊर्जादान की प्रक्रिया चलती रहती है । उन्होंने आगे लिखा है कि साहित्य, कोश रखकर नहीं लिखा जाता, न कोई साचाँ रखकर लिखा जाता है । साहित्य की भाषा साँचों को तोड़ती है, नये साँचे बनाती है । साहित्य की भाषा ही जीवंत मानकों का नक्शा देती है ।

आज भाषाई बहुरूपता मिटती जा रही है । इसका असर लोकचेतना पर पड़ रहा है । एकरूपता को उचित मानने की प्रवृत्ति प्रबल बन रही है । बोलियों के वैविद्य पर बुलडॉज़र का प्रयोग हो रहा है। तब लोकचेतना की भाषाई छवि कमजोर बन जाएगी । इस चुनौती के बारे में सोचकर लोकपक्ष के कुछ समर्थक उदास नहीं बनते । लोक साहित्य के मर्मज्ञ डॉ. नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का अभिमत है–लोक केवल भाषा से परिभाषित नहीं होता, वह परिभाषित होता है युगों से चली आ रही परंपराओं से जन्मे संस्कारों से । लोक की अनुभूति बड़ी सहज है। वह गढ़ी हुई नहीं है, तराशी हुई नहीं है, शिल्पित नहीं है। यह अनुभूति जिसे लोक का भाव कह सकते हैं, नर्मदा के उस कंकट की तरह है जो सदियों के निरंतर प्रवाह के स्पर्श से शंकर हो जाता है ।

निष्कर्षत: कह सकते हैं कि समकालीन कविता में लोकचेतना की घड़कन पूर्णत: बंद नहीं हुई है । लेकिन उसकी मात्रा अवश्य कम हो गई है । लोक संवेदना को समेटने वाले कई कवि आज भी रचनारत हैं । जनपदीय कविता के रूप में लोकचेतना की कविता की धारा को बनाए रखने की कोशिश कुछ कवि अवश्य करते हैं । हिंदी की धारा से कुछ बोलियों को अलग करके उनको अलग अलग भाषा के रूप में मानने की प्रवृत्ति भी आज बढ़ रही है। भोजपुरी, अवधी, कुमाँउनी, गढ़वाली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी और मालवी के अलग-अलग संकलन तैयार हो रहे हैं । इनमें प्रयुक्त शब्दों को विस्तृत पादटिप्पणी देकर हिंदी पाठकों को परिचित कराने की प्रथा भी आज कायम है। हाँ, इन बोलियों का सशक्तीकरण का अभियान ठीक है । लेकिन ऐसी लोकचेतना को बैसाखी बनाकर हिंदी को कमजोर बनाने की प्रथा वाँछनीय नहीं है । यह भाषा के क्षेत्र से अलगाववाद का रास्ता न बनें । हिंदी और संस्कृति मेल मिलाप की है, अलगाव की नहीं। प्राचीन काल से कवियों ने लोक के बारे में जो दृष्टि हमारे सामने रखी थी आज भी हमें प्रेरणादायक लगती है ।

लोकॉ मति कै भोला रे,
जो कबीर कासी मरे तो रामहि कौन निहोरा रे

–कबीर

कहबि लोकमत वेदमत –तुलसी

देस देस के पंछी बैठे एकै ठॉव
आपनी आपनि भाषा लेयँ दइश का नॉव

–जायसी

आज हम परिवर्तन की कामना में वैश्विकता के पीछे पड़ते हैं । इंटरनेट, ईमेल, एस.एम.एस. के युग में लोकानुराग को कुछ लोग गौण मानते हैं । किन्तु परिवर्तन का अर्थ परंपरा, विरासत और धरोहर को रद्द टोकरी में छोड़ना नहीं है । लोकचेतना हमें परंपरा और सामाजिकता से जोड़ती है। निरंतरता की कड़ी को वह मज़बूत करती है । सांस्कृतिक वेविद्य और जीवन रस को पाथेय मानकर आगे बढ़ाने के लिए यह हमारी मदद करेगी । ■

शरद जोशी के साहित्य में धार्मिक विकृतियों पर व्यंग्य

–अनु गौड़*

धर्म का मानव–जीवन से अटूट संबंध है। धर्म मानव को नैतिकता, लोक–कल्याण, ईमानदारी, कर्त्तव्यपरायणता, परोपकार व सत्य की राह दिखाता है। विभिन्न धर्मावलम्बी धार्मिक ग्रन्थों का सार जनता को बताकर उन्हें सही पथ की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज धर्म कपट, झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है व धर्मावलम्बी इन विसंगतियों के संचालक/धर्म का यह रूप वर्तमान में ही विकृत नहीं हुआ, बल्कि प्राचीनकाल से ही धार्मिक क्षेत्र आडम्बरों से भर गया था। मानव–जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाला धर्म कालांतर में विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप पथभ्रष्ट हो गया। धार्मिक पाखण्ड, आडम्बर, ढोंग, बाह्य कर्मकाण्ड, धर्म के ठेकेदारों की छद्‌म लीला, धर्म की आड़ में किए जाने वाले असामाजिक कार्यों ने धर्म को अधर्म का नाम दिया। धार्मिक ठेकेदार, महन्त, मठाधीश, पाण्डे–पुजारी, मुल्ला ही इन कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं । पंडितों एवं मुल्लाओं की अनीतियों को कबीर ने कई बार फटकारा, लेकिन विडम्बना यह है कि धर्म के प्रचार–प्रसार के साथ ही इसमें विसंगतियां भी उपजती गईं ।

आज धर्म जाति–पांति एवं राजनीति के अनावश्यक हस्ताक्षेप के कारण भी दूषित हो रहा है। आज धार्मिक स्थल साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने वाले विश्वविद्‌यालय बन गए हैं। यहां स्वयं को श्रेष्ठ मानने की शिक्षा दी जाती है, न कि दूसरों का सम्मान करने की। अंधविश्वास, रूढ़िवादी मानसिकता एवं धर्म के अवैज्ञानिक रूप ने भी धर्म को क्षति पहुँचाई है। धर्म मानव को भाग्यवादी, अकर्मण्यता व ईर्ष्या की ओर धकेलने लगा। व्यक्ति मेहनत की जगह माला फेर के चक्कर में फँस गया। इस सन्दर्भ में नन्दलाल कल्ला का मत महत्वपूर्ण है, ''धार्मिक मान्यताओं का आज के युग में अवमूल्यन हो चुका है। धर्म अब अकर्मण्यता की अधारशिला बन चुका है। जिस पर आश्रित व्यक्ति नियतिवादी और भाग्यवादी बनता जा रहा है। धर्म की जड़ बनाने वाली उसी मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया जाता रहा है।'' धार्मिक क्षेत्र में इस स्तर तक विषेलापन घुस गया है कि विश्व की अधिकतर वारदातों का कारण ही धर्म बनता जा रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में मानव एक तरफ चाँद पर पहुँच गया, वहीं दूसरी ओर जनता आज भी कर्मकाण्ड जैसी संकीर्णताओं से नहीं निकल पाई। आज ज्योतिष केंद्र अर्धोपार्धन के प्रमुख साधन बनने जा रहे हैं ।

आधुनिक युग में साहित्यकारों ने व्यंग्य द्‌वारा धार्मिक आडम्बरों की खबर ली। धर्म के क्षेत्र में फैले अनाचार, मिथ्याचार, असंगतियों, विसंगतियों को व्यंग्यकारों ने अपना लक्ष्य बनाया। शरद जोशी ने कथात्मक, नाट्‌य, निबंधात्मक, फटैंसी एवं पत्रलेखन शैली द्‌वारा असंख्य धार्मिक विकृतियों पर प्रहार किए। धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त अंधविश्वासों पर शरद जोशी ने तीक्ष्ण प्रहार किए हैं। शिक्षित व अशिक्षित सब समान रूप से ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास करते हैं। 'एक सफल वर्ष का लेखा–जोखा', 'हीरा बिना अकेली' आदि वे प्रमुख व्यंग्य है, जिसमें व्यंग्यकार ने ज्योतिषियों द्‌वारा जनता को मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। 'एक ठिठुरते हुए दिन की डायरी' व्यंग्य में शरद जोशी ने उन अंध–विश्वासी लोगों पर कुठाराघात किया है जो सम्पूर्ण रूप से ज्योतिषियों की कही बात पर विश्वास करके बहम–भरमों में पड़े रहते हैं तथा साथ ही पूरा समय एक अनजाने भय से ग्रस्त रहते हैं, ''ज्योतिषियों ने कहा था पीली वस्तु धोखा देगी तो सोने की अंगूठी से बेसन के लड्डू तक कई खतरे दिखे। वर्ष भर पीली वस्तुओं से शत्रुता बनी रही। पर एक पीला बुशर्ट फटने के अलावा कोई दुर्घटना नहीं हुई।'' ज्योतिषी ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऐसा कहने से जनता डरकर ज्योतिषियों के कहे अनुसार उपाय करवा लेती है। ज्योतिषी कई बार जनता से ठगने के लिए मंहगे–मंहगे उपाए बता देते हैं, जबकि कभी–कभी बाबाओं के चंगुल में

*गौड़ निवासी, सी–175, नजदीक एलपाईन पब्लिक स्कूल, रणजीत नगर, पटियाला–147001 (पंजाब) ।

फंसी जनता के पास इतनी समर्था नहीं होती कि वे मंहगे उपाय कर सके, 'हीरा बिना अकेली' व्यंग्य में शरद जोशी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी उन्हें बहुमूल्य रत्न हीरा पहनने की सलाह देता है। शरद जोशी इस विरोधाभास पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि, ''ज्योतिषी का कहना था कि मैं हीरा खरीद लूँ तो मेरे पास काफी रुपया आने लगेगा। मैं इस परेशानी में हूँ कि रुपया आ जाए तो हीरा खरीद लूँ। रुपया तब तक आएगा नहीं, जब तक मैं हीरा पहनूँगा नहीं। और रुपया नहीं आएगा तो मैं हीरा पहनूँगा कैसे?" शरद जोशी ने धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त भयंकर बीमारी ज्योतिषी विद्या पर अंधविश्वास करने की प्रवृत्ति पर तीव्र कुठाराघात किया है कि किस प्रकार विपन्न वर्ग तक ज्योतिषियों के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी आय का प्रमुख भाग उपायों आदि पर खर्ज डालता है। प्रस्तुत व्यंग्यांश में व्यंग्यकार का स्वयं कीमती रत्न न खरीद सकने की विवशता के कारण पैदा हुई कशमकश की स्थिति इस विकृत व्यवस्था पर तीव्र व्यंग्य प्रहार करती है।

कंप्यूटर के इस युग में मानव संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ गया है। वह सभी समस्याओं का मुकाबला वैज्ञानिक दृष्टि से करता है। फिर भी उसके धार्मिक विचारों में अधिक अन्तर नहीं आया। जहाँ हिदायतें, भाषण, नियम व कानून खोखले साबित होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सर्वाधिक प्रभावी एकमात्र अस्त्र व्यंग्य ही पूर्णत: उपयोगी सिद्ध हुआ। जिसने धार्मिक विसंगतियों की जड़ें हिला दीं।

शरद जोशी हिंदू धर्म की विभिन्न कमजोरियों, न्यूनताओं, विसंगतियों व रूढ़िवादी परम्पराओं पर प्रहार करते हैं। साथ ही धर्म की आड़ में जातिवाद को आधार बनाकर वोटें ऐंठने वाले राजनीतिज्ञों पर भी तीव्र प्रहार करते हैं। भारतीय अपने धर्म के प्रति अति-संवेदनशील होते हैं, वे अपनी जाति-धर्म के बारे में किसी भी प्रकार की बुराई सुनकर बेहद जल्दी क्रोधित हो जाते हैं व नेता उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वोटें प्राप्त करते हैं। साम्प्रदायिक अहिंसा इन्हीं नेताओं की कूट-नीतियों का परिणाम होती है। शरद जोशी ने सेवक राम 'निर्भय' के तीन पत्र, 'इत्तिफाक,' 'चाँदपुर', आदि व्यंग्यों द्वारा नेताओं की इन्हीं छद्म चालों का पर्दाफाश किया है । जाति-धर्म के नाम पर चलने वाले इस देश में मानव मूल्यों से अधिक मानव मूल्यों का रक्त चूसने वाली जातिवाद नाम की जोकों को महत्व दिया जाता है। विडम्बना यह है कि धार्मिक विक्षिप्त स्थितियों को सुधारने के लिए कोई सामाजिक अथवा राजनैतिक संगठन आगे नहीं आ रहे। मीडिया में धर्म का विकृत रूप सदैव चर्चा का विषय रहा है लेकिन उसके सुधार हेतु कोई पहल नहीं कर रहा। इसके विपरीत बाबरी मस्जिद काण्ड, अयोध्या काण्ड, रामसेतू विवाद, को धर्मों के बीच परस्पर ईर्ष्या टकराव एवं हिंसात्मक स्थितियां निरन्तर बढ़ रही हैं, भारतीय राजनीति धर्म और साम्प्रदायिकता का सहारा लेकर ही खेल रही है, इसलिए धर्म के नाम पर धर्मान्धता की प्रवृत्ति समाप्त होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है ।' शरद जोशी ने राजनीति से उपजी समकालीन विद्रूपताओं पर बेहद सटीक व्यंग्य प्रहार किए। उन्होंने जहाँ नेताओं को धार्मिक अव्यवस्था का दोषी ठहराया वहीं जनता को भी राजनीतिज्ञों की ऐसी कूटनीतियों से सावधान रहने को कहा। क्योंकि आम जनता नेताओं की बातों में आकर आपसी भाईचारा तो खराब करती है वहीं साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ाने में नेताओं को अनजाने में सहयोग देती है ।

शरद जोशी ने धार्मिक पाखण्ड का हर स्तर पर विरोध किया है। इस शृंखला में उन्होंने धर्म के रूढ़िवादी पक्ष की भी तीव्र भर्त्सना की है । अनादि काल से अत्यन्त समृद्ध हिंदू धर्म की यहां प्रत्येक मान्यता वैज्ञानिक आधार पर टिकी है, वहीं आज भी अज्ञानी व अशिक्षित धर्मावलम्बी इसके वैज्ञानिक पक्ष से अनभिज्ञ हैं। धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों पर चोट करने वाला शरद जोशी का व्यंग्य 'एक शंख बिन कुतुबनुमा' प्रतीकात्मक ढंग से रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार करता है। इस व्यंग्य में व्यंग्यकार ने शंख की उपमा धर्म से की है एवं कुतुबनुमा को वैज्ञानिक दृष्टि के रूप में चिह्नित किया है। व्यंग्य का आधार है अंधविश्वास, ''वह तेजोमय उन्नत ललाट" वाला व्यक्ति अपने करों में एक दिव्य शक्ति सम्पन्न शंख लिए खड़ा पूछ रहा है, ''उत्तर दिशा कहां है?'' उसका उत्तर किसी के पास नहीं हैं "सच यह है कि कुतुबनुमा नहीं है। एक वैज्ञानिक तथ्य का अभाव सारी मंत्रबल की, आत्मबल की शक्ति को निरर्थक कर रहा है।'' शंख है लेकिन कुतुबनुमा नहीं है अर्थात् धर्म है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, जिनके बिना धर्म अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता। यह व्यंग्य धर्म व विज्ञान के परस्पर संबंधों की ओर इंगित करता है । वैज्ञानिकता के अभाव में एक धर्मगुरू को दिशा ढूंढने में कठिनाई आती है, सारांश यह है कि वैज्ञानिक आधार पाकर ही धर्म अपना लक्ष्य पा

सकता है। भाषा प्रवाह, संवाद शैली, प्रतीकात्मक शैली के कारण यह एक श्रेष्ठ व्यंग्य है। शरद जोशी की इस कालजयी रचना का संकेत है कि वैज्ञानिकता युग की मांग के अनुसार धर्म का भी वैज्ञानिक आधार मान्य होता है। तार्किता शरद जोशी के व्यंग्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है।

शरद जोशी ने धर्म परिवर्तन के पीछे की परिस्थितियों एवं धर्म परिवर्तन करने वाले भारतीयों की मानसिक दशा का सूक्ष्मता से व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। सदियों से अपनी उपेक्षित दशा के कारण निम्न वर्ग बेहद आहत था। भारत में अंग्रेजो के प्रवेश ने निम्न वर्ग की इस स्थिति का फायदा उठाया एवं उन्हें, ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया। शरद जोशी ने इस स्थिति पर 'धर्म से बड़ा डॉलर' व्यंग्य में चिन्तन प्रकट करते लिखा है, ''तब क्रिस्चनों ने समझा था कि बस नए ढंग के कपड़े पहनने, अंग्रेजी बोलने और चर्च जाने से उनके भाग्य बदल जाएंगे, पर वे बरसों कोशिश के बावजूद निम्न मध्यम वर्ग हो जाने के आगे प्रगति न कर सके।'' भारतीय निम्न वर्ग की धर्म परिवर्तन करने की प्रवृत्ति पर शरद जोशी ने तीक्ष्ण व्यंग्य प्रहार किया है। उच्च वर्ग में शामिल होने की आकांक्षा के चलते एवं अंग्रेजों के बहकावे में आकर निम्न वर्गीय ईसाई धर्म अपना तो लेते हैं लेकिन धर्म-परिवर्तन के बावजूद उनके जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं आता। उनकी यहाँ भी वही दशा होती है जो धर्म-परिवर्तन के पूर्व थी। इसलिए शरद जोशी का संकेत है कि बजाए धर्म परिवर्तन के अपने जीवन स्तर को सुधारा जाए यहीं सबसे बड़ा मानवी धर्म है।

मुस्लिम शासन काल में हिंदू धर्मावलम्बी भारतीय अपनी सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर मुस्लिम धर्म अपना रहे थे । ब्रिटिश काल में इतिहास ने अपने-आपको दोहराया। अब मुस्लिमों की जगह अंग्रेजों ने ले ली । इस प्रकार परिस्थितियों के फलस्वरूप हिंदू धर्म परिवर्तन करने को बाध्य होते गए । ईसाई मीशनरियों के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदुओं की निम्न जातियों और भारतीय आदिवासियों ने उच्च स्तर पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया लेकिन इस एकमात्र धर्म परिवर्तन के अलावा उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति ज्यों-की-त्यों रही। इसाईयों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अधिक लालचों के कारण ही निम्न जाति वालों व गरीब वर्ग ने धर्म स्वीकार किया ।

आज धर्म अर्थोपार्जन का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। धर्मगुरु ही नहीं बल्कि भक्त भी समान रूप से धर्म को मोहरा बनाकर अपनी स्वार्थपूर्ति में लिप्त हैं। शरद जोशी ऐसे छद्मरूपधारी भक्तों व पुजारियों पर समान रूप से व्यंग्य प्रहार करते हैं। आधुनिक युग में धर्म व्यापार का सबसे सुरक्षित माध्यम बन गया है। पूजा-पाठ से मानसिक स्कून के स्थान पर अर्थोपार्जन की लालसा रहती है। किसी को कारोबार में घाटा पड़ रहा हो तो वह भी ग्राहकों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेता है। बुद्ध के दांत' व्यंग्य कहानी में शरद जोशी ने उन ढोंगी भक्तों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। जो भगवान के नाम की मनगढ़त कहानियां बनाकर अपना कारोबार चलाते हैं भारत ही नहीं विदेशों में भी धर्म के क्षेत्र में विकृतियां बढ़ रही हैं, ''पैकिंग के दूसरे अखबार में भी डाक्टर ल्यू च्यांग पांग का बड़ा विज्ञापन था, जिसमें उसकी तस्वीर भी दी गई थी और यह वक्तव्य भी, ''दांत उखाड़ना हमारे खानदान के लिए व्यवसाय ही नहीं, धर्म भी है। जिस खानदान के महान डॉक्टर ने कभी भगवान बुद्ध के दांत उखाड़े थे। वही आज आपके दांत उखाड़ने को प्रस्तुत है।'' इस व्यंग्य में व्यंग्यकार ने धार्मिक बाह्यडम्बर, ढोंग व भगवान के नाम पर झूठ बोलने वालों पर तीव्र कुठाराघात किया है। चीनी पृष्ठभूमि पर आधारित यह व्यंग्य कहानी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती धार्मिक विसंगतियों पर तीव्र चोट करती है।

जुआ, मदिरापान जैसे कुव्यसन हमारे समाज में सर्वदा वर्जित माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इनका सेवन आदि निषेध होता हैं लेकिन जिन्हें इन सब की लत लग चुकी होती है, वे इन वर्जित वस्तुओं के प्रयोग की भी कोई-न-कोई युक्ति निकाल ही लेते हैं और-तो-और इनका प्रयोग भी वे धर्म में जोड़कर ही करते हैं। शरद जोशी ने 'रेजगारी के लिए' व्यंग्य में धर्म की आड़ में बुरे कार्य करने वालों की पोल खोली है, ''मेरा ध्यान वहां बिखरी अनगिनत अठन्नी-चवन्नियों और नगदी रुपयों पर गई । वे उसी से खेल रहे थे। बरसों हो गए, मैंने इतनी चवन्नी-अठन्नी एक साथ नहीं देखीं। मेरे मुंह में पानी आने लगा। . . . कहने लगे, दीवाली को जुआ खेलने के लिए हम इन्हें पूरे साल बटोरते, जमा करते हैं। अगर चाहिए तो आओ जुआ खेलो, जीतो और ले जाओ सारी चवन्नी अठन्नी।'' ग़लत कार्य करने वालों को भी बहाना चाहिए। जिससे वे अपने अनैतिक

कार्यों को नैतिक कह सके। जुआरियों को जुआ खेलने के लिए दीवाली से बढ़कर और कौन-सा बहाना है। इसलिए आज भी बहुसंख्या में भारतीय दिवाली वाले दिन जुआ खेलकर इस कुप्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और धार्मिक कृत्यों की संज्ञा देकर स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं । शरद जोशी ने इस स्थिति पर सूक्ष्मता से प्रहार किया है।

धर्म के क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों, अनैतिकता एवं छद्मों का शरद जोशी ने सूक्ष्मता से आकलन करके व्यंग्य प्रहार किए है। अपने अनैतिक कार्यों को अंजाम देने के लिए धर्म की खोल पहने छद्मधारी भक्तों की बगुला भक्ति की खूब धज्जियां उड़ाई हैं।

शरद जोशी का 'बंसी वाले का पुजारी' व्यंग्य भगवद् भक्ति का ढोंग करने वाले, माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को ईश्वर भक्त के रूप में प्रचारित करने वाले वैष्णव भक्त की पोल खोलता है। 'सरकार का जादू: जादू की सरकार' व्यंग्य एक जादूगर के माध्यम से उन साधुसंतों पर मारक प्रहार करता है जो भारतीय धार्मिक स्थलों के दर्शनों को आए श्रद्धालुओं को भी ठगने से नहीं चूकते। इस संदर्भ में प्रसिद्ध व्यंग्य आलोचक शेरजंग गर्ग का मत उल्लेखनीय है, "धार्मिक विसंगतियों का जन्म मनुष्य की मानसिक कूपमंडूकता से तो होता ही है, साथ ही इन विसंगतियों को क्षुद्र स्वार्थपरता एवं धर्म का नाम लेकर इन्सानियत को भूल जाने के कलाकौशल से भी बल प्राप्त होता है । सभ्य संसार में आज भी इस प्रकार की विसंगतियां धर्मों और साम्प्रदायों की हीन मानसिकता स्वार्थपरता और अमानवीयता के मोर्चों के रूप में प्रतिष्ठित किए हुए हैं।" शरद जोशी ने धर्म को अधर्म की ओर जाते देखा, धर्म को भ्रष्ट करने वालों के बीच विचरन किया, इन धार्मिक विकृत परिस्थितियों पर व्यंग्य रूपी अस्त्र ही चोट कर सकता था। शरद जोशी ने वक्रोक्ति, उपहास, परिहास आदि व्यंग्य के अन्य साधनों द्वारा भी धार्मिक विसंगतियों का पर्दाफाश किया ।

अत: उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शरद जोशी ने धर्म के क्षेत्र में व्याप्त ढकोसले, आडम्बर, अंधविश्वासों की अच्छी खबर ली है। उन्होंने जिस चतुराई से आलम्बन को निशाना सेंधा है, उसके वार से आलम्बन के पास सिवाय तिलमिलाने के ओर कोई विकल्प नहीं बचता। उनके व्यंग्यों का निशाना भक्त, मठाधीश, पाण्डे-पुजारी, साधु-सन्त एवं स्वयं को भगवान के रूप में प्रचारित करने वाले ढोंगी सभी समान रूप से बने हैं। धर्म में व्यापक स्तर पर फैली इन विकृतियों की पोल खोलने के लिए व्यंग्यकार ने पौराणिक कथाओं, फैटेंसी, मुहावरेदार भाषा का बेहद कुशग्रता से प्रयोग किया है। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र के खोखलेपन को कुरेदकर यर्थाथ का साक्षात्कार ही नहीं कराया अपितु इन विसंगतियों से लड़ने को प्रेरित भी किया एवं धार्मिक पाखण्डियों का मस्तिष्क झकझोरा। शरद जोशी ने अपने व्यंगों में जिस धर्म-निरपेक्ष भारत की आशा की है उसमें धार्मिक छुआछूत, धर्म-जाति भेदभाव एवं अंधविश्वास जैसी विकृतियों का कोई स्थान नहीं ।

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

आधार ग्रन्थ

1. जोशी, शरद, जीप पर सवार इल्तियां, राजकमल, प्र., दिल्ली, 1971
2. जोशी, शरद, निलस्म, राजकमल प्र., दिल्ली, 2001
3. जोशी, शरद, प्रतिदिन भाग-1, किताबघर प्र., नई दिल्ली, 2005
4. जोशी, शरद, यथासमय,भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2005
5. जोशी, शरद, रहा किनारे बैठ, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली 1972

सहायक ग्रन्थ-सूची

1. कल्ला, नन्दलाल, व्यंग्यात्मक उपन्यास तथा रागदरबारी, अमित प्र., जोधपुर, 1990
2. गर्ग, शेरजंग, व्यंग्य के मूलभूत प्रश्न, पुस्तकायन प्र., नई दिल्ली, 1990
3. गौतम, आनन्द प्रकाश, हिन्दी के व्यंग्य निबंध, गिरनार प्र., गुजरात, 1990 ■

पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य

अहिंसा और सत्य के मार्गदर्शक: महात्मा गांधी

–सुषमा रानी*

2 अक्टूबर, 1869 को भारत की पावन भूमि पर गुजरात राज्य के पोरबंदर में श्री करमचंद गांधी की पत्नी श्रीमती पुतलीबाई की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसे प्यार से मुनिया नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े होने पर उनका नाम मोहनदास रखा गया। गुजरात की एक परम्परा है कि वहां बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता है, इसलिए इस बच्चे का नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ गया।

पोरबंदर का प्राचीन नाम सुदामापुरी था। सुदामापुरी का नाम सुदामा के नाम पर रखा गया था। सुदामा भगवान कृष्ण जी के मित्र थे। कृष्ण जी ने ही इस जगह को अपने मित्र के नाम पर बसाया था।

7 वर्ष की आयु में मोहनदास जी राजकोट आ गए। वह 12 वर्ष की उम्र में हाईस्कूल तक पहुंचे। इसी दौरान 'श्रवण पितृ-भक्ति' नामक नाटक की पुस्तक उनके हाथ लगी, जिसे उन्होंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा और इसे पढ़कर उनके दिल पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दिल में अपने माता-पिता के प्रति सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने बचपन में बाईस्कोप पर 'सत्यवादी हरिश्चन्द्र' नामक नाटक देखा था, जिसे देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि "मैं सत्य का दृढ़ता से पालन करुंगा। कितने भी कष्ट मुझे घेर लें, कितने भी संकट मेरे ऊपर आएं, मैं सत्य का दामन नहीं छोडूंगा।" इसी कारण स्कूल में उन्हें अनेक बार अच्छे आचरण के कारण ईनाम भी मिले और छात्रवृत्तियां भी मिलीं।

पिछली शताब्दी में विश्व क्षितिज पर जितना गुणगान गांधी जी व उनके दर्शन का हुआ है उतना गुणगान शायद ही किसी अन्य चिंतक, दार्शनिक या राजनेता का हुआ हो। पिछले वर्षों में विभिन्न देशों में हुए विविध सर्वेक्षणों में महात्मा गांधी को दुनिया का सबसे महान् नेता और गांधीवाद को विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विचारधारा माना गया। विश्व के अनेक चिंतकों ने गांधी जी को युगपुरुष की संज्ञा दी तथा उनके सिद्धांतों की भरपूर सराहना की। विश्व के नेताओं की नजर में गांधी जी का आकर्षण न सिर्फ आज तक बना हुआ है बल्कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारतीय राजनेता तो अपने राजनैतिक जीवन का श्रीगणेश ही गांधी जी के नाम से करते हैं और प्रतिवर्ष विभिन्न अवसरों पर अगणित बार गांधी जी को याद कर उनके पद चिह्नों पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान व जर्मनी सरीखे अधिकांश समृद्ध व शक्ति सम्पन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष पिछले वर्षों में गांधी जी की समाधि राजघाट पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं।

महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपने समय में राजनीति के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, शिक्षा, समाज-व्यवस्था और अर्थतंत्र को व्यापक रूप से परिष्कृत, पल्लवित व पुष्पित किया था। अस्पृश्यता निवारण और साम्प्रदायिक सद्भाव आदि कुछ अन्य ज्वलंत प्रश्न थे, जिनके हल उन्होंने सुझाए थे। गांधी जी जीवन में सत्य के पक्षधर थे। उनकी भूमिका एक क्रांतिकारी चिन्तक एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता की थी।

अहिंसा भारतीय चिंतन-धारा की एक महत्वपूर्ण अवधारणा और भारतीय जीवन-शैली की एक विशिष्ट धरोहर है। यह 'अ' और 'हिंसा'-इन दो शब्दों के संयोग से

*एम-128, प्लाट नं. 29, रामकृष्ण विहार, पटपड़गंज, दिल्ली-110092

बना है। 'अ' अर्थ 'नहीं' और 'हिंसा' का अर्थ 'प्राणियों को मारने-काटने जैसा शारीरिक कष्ट देने की वृति होता है, इसलिए इन दोनों से बने 'अहिंसा' का शाब्दिक अर्थ किसी प्राणी को कोई शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना होता है। परन्तु व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किसी प्राणी की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, बौद्‌धिक, नैतिक आदि किसी प्रकार कोई कष्ट या क्षति नहीं पहुंचाने के लिए किया जाता है क्योंकि अहिंसा 'जीवन की एकता का सिद्‌धांत' है। इस सत्य की स्वीकृति का सिद्‌धांत है कि जो जीवन किसी एक प्राणी के अन्दर है वही जीवन दूसरे प्राणी के अन्दर भी मौजूद है। अब जबकि सबके भीतर एक ही जीवन व्याप्त है, तब दूसरे को दुख देना स्वयं को ही दुख देना हैं अत: इस दुख से बचने के लिए अहिंसा अनिवार्य है।

गांधी जी ने माना कि अंहिसा ईश्वर की कल्पना की तरह अनिर्वचनीय एवं अगोचर है, पर जीवन में इसके आभास होते रहते हैं। 1940 में कलकत्ता के समीप मलिकंदा में अपने शीर्षस्थ साथियों की सभा में गांधीजी ने कहा था, ''अहिंसा अगर व्यक्तिगुण गुण है तो यह मेरे लिए त्याज्य है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है मैं तो उसका सेवक हूं, जो चीज करोड़ों की नहीं हो सकती, वह मेरे लिए त्याज्य है और मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य होनी चाहिए। हम तो यह सिद्‌ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आधार के नियम नहीं है। यह समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है।'' उन्होंने आगे कहा, ''मैंने इसी को अपना कर्त्तव्य माना है। चाहे सारा जगत मुझे छोड़ दे, तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे सिद्‌ध करने के लिए ही मैं जीऊंगा और उसी प्रयत्न में मैं मरूंगा।''

वास्तव में महानायक बनने में उनके जिस विचार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह उनका अहिंसा का ही विचार था। इसीलिए देश की आजादी को अति महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हुए भी वह उसे अहिंसा को त्यागकर प्राप्त करना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंसा के बदले अहिंसा को हथियार बनाने का कारण भी यही था।

महात्मा गांधी के दक्षिणी अफ्रीका प्रयास पर यदि हम एक बिहंगम दृष्टि डालें तो स्पष्ट होगा कि एक साधारण से व्यक्ति के रूप में पहुंचे गांधी जी ने 22 वर्ष की लम्बी लड़ाई में अपमान, भूख, मानसिक संताप व शारीरिक यातनाएं झेलते हुए न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक व नैतिक क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त कीं, उसकी मिसाल अन्यत्र मिलना असंभव है। उनके भारत लौटने पर गुरुदेव टैगोर ने कहा था-''भिखारी के लिबास में एक महान् आत्मा लौटकर आई है।'' सन् 1919 से लेकर 1948 में अपनी मृत्यु तक भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महान ऐतिहासिक नाटक में गांधी जी की भूमिका मुख्य अभिनेता की रही। उनका जीवन उनके शब्दों से भी बड़ा था। उनका आचरण विचारों से महान् था और उनकी जीवन प्रक्रिया तर्क से अधिक सृजनात्मक थी।

अहिंसा के लिए यह परम आवश्यक है कि यह वस्तुपरक सत्य पर आधारित हो। स्नेह एवं करुणा का मार्ग हमारा मुख्य ध्येय हो, हम अपना आदर करने के साथ-साथ दूसरों का भी आदर करने की समझ रखें। समाज के अन्य वर्गों, सम्प्रदायों, धर्मों, संस्कृतियों व भाषाओं में समन्वय की दृष्टि स्थापित करने की भरपूर चेष्टा करें तभी एक स्वस्थ दृढ़ समाज की स्थापना हो सकती है । आसक्ति से मुक्त हुए बिना हम जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। राजनैतिक अथवा सामाजिक स्तर पर मुक्त हो जाने से इसकी इतिश्री नहीं हो जाती। आसक्ति मुक्त होने का अर्थ है कि व्यक्ति संयम एवं न्याय की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर हो। भले ही इसके लिए उसे धन-संपति, नौकरी, यहां तक कि जीवन भी बलिदान क्यों न करना पड़े।

यह भी उल्लेखनीय है कि गांधी जी की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं है, जो भय के कारण साधी जाती है। यह तो शक्तिशाली और निर्भय लोगों का गुण है। जो व्यक्ति हिंसा का उत्तर हिंसा से दे सकता है, शक्ति का प्रतिकार शक्ति से कर सकता है, परन्तु इस हिंसा और शक्ति को त्यागकर जो इनका उत्तर प्रेम और करुणा से देता है, अहिंसा उसी के लिए है। इसलिए गांधी जी अहिंसा का जन्म भय से नहीं बल्कि प्रेम से मानते हैं और उसमें कायरता और दुर्बलता को कोई स्थान नहीं देते। इतना ही नहीं वे यह भी स्वीकारते हैं कि यदि कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो तो हमेशा हिंसा को चुनना चाहिए। गांधी जी का यह कथन कि ''अहिंसा मानवता के हाथ में बड़ी ताकतवर है। यह मनुष्य द्वारा विकसित किए गए सबसे शक्तिशाली हथियार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है।'' सर्वथा उचित ही है।

अहिंसा की प्रकृति करुणामयी होती है। करुणा मानव जीवन ही नहीं अपितु प्राणिमात्र के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए परमावश्यक है। अहिंसा भय का विनाश कर मनुष्य में निडरता का संचार करती है, इस कारण यह अभयदात्री है। करुणा मानवता के विकास के लिए संजीवनी बूटी है अत: करुणामयी अहिंसा को कायरता कदापि नहीं कहा जा सकता। क्रोध, लोभ तथा मोह आदि मनोवृत्तियों के वशीभूत किसी प्राणी को मारना, सताना या भयभीत करना हिंसा है हिंसा से बचना अहिंसा है। अहिंसा दु:खों से बचाती है दु:खी जनों को शान्ति प्रदान करती है । 'कुरान शरीफ' व 'बाइबिल' में भी हिंसा के परित्याग तथा अहिंसा-वृत्ति अपनाने पर विशेष बल दिया गया हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि संसार के सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों ने अहिंसा के मार्ग को अपनाने पर बल दिया है।

गांधी जी ने अपनी पूर्ण अहिंसा को परिभाषित करते हुए, 9 मार्च, 1920 ई. के 'यंग इण्डिया' के अंक में लिखा था–"पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है ।.... इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है।" और यही प्रेम सद्भावना व सत्याग्रह में भी है। गांधीजी के शब्दों में–"अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाए, स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है।" यह सत्य के लिए नैतिक व आध्यात्मिक संघर्ष है। किन्तु अहिंसा और सत्याग्रह निर्बलों (नैतिक रूप से) की चीज नहीं है। इसके लिए अपार आत्मबल और नैतिक शक्ति की आवश्यकता है ।

सत्याग्रह का विपरीत भाव है-दुराग्रह। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह है। किंतु सत्य का एक ही पक्ष नहीं होता। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। जरूरी नहीं कि सत्य के जिस पक्ष पर हम अड़े हों, हमारे प्रतिपक्षी को भी वही पक्ष ग्राह्य हो। संभव है, उसका पक्ष भी उतना ही सही हो, जितना हमारा। इसलिए उसे हम नितांत गलत कहकर दृढ़पूर्वक नहीं झुका सकते। अत: सत्य के हितकारी पक्ष के प्रति किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को आग्रह और प्रेमपूर्वक झुकाया जा सकता है। यही सत्याग्रह है, जिसमें दोनों पक्षों में समझौते की गुंजाइश रहती है । इसके विपरीत अपनी ही बात को सबसे बड़ा सत्य मानकर उस पर अड़ जाना दुराग्रह है, जिसमें प्रतिपक्षी के प्रति कोई सद्भावना नहीं होती। यह वाणी का अहंकार है, जिसमें विरोधियों के प्रति दुर्भावना और द्वेष होते हैं। यह हिंसा है।

पूज्य बापू ने ग्रामोद्योग, छूआछूत निवारण, मद्यनिषेध व बुनियादी शिक्षा जैसे कार्यक्रमों द्वारा व्यावहारिक जीवन में अहिंसा, प्रेम और सत्य जैसे विचारों की नींव डाली थी। गांधीजी का अहिंसा संबंधी विचार नया नहीं था, वह हमारी संस्कृति का सदा से अंग रहा है। ऋषिगण इसकी घोषणा युगों से करते आ रहे हैं। महाभारत के आदि पर्व में वेद व्यास जी ने कहा है–"अहिंसा परमोधर्म:" अर्थात् अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। वेद व्यास जी ने अनुशासन पर्व में कहा है–"अहिंसा परम सत्य है।"

इस समय अहिंसा ही एक मूल मंत्र है जो विश्व को शान्ति की राह पर ला सकता है। आइए हम आह्वान करें कि भारत एक बार फिर विश्व गुरू की पदवी प्राप्त करें और विश्व को अहिंसा के मूल मंत्र का मूल्य समझाए। आज विश्व भौतिकवाद की जिस अति तक पहुंच चुका है वहां से अहिंसा को मन, वचन और कर्म से अपनाना ही एकमात्र मार्ग है जिससे सुख, संतोष, शांति एवं प्रगति का पथ प्रशस्त हो सकता है।

सम्पूर्ण विश्व आज जिस सुख और शांति के लिए व्याकुल है, वह उसे अहिंसा और शांति से ही प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में 'अहिंसा' कल्याण की वर्षा करती है, उसी प्रकार बड़े-बड़े राष्ट्रों के जीवन में भी अहिंसा से सुख शांति की संवर्द्धना होती है। आज के जगत में कहीं भी सुख शांति नहीं है। संसार के सभी राष्ट्रों के भीतर आज हिंसा व कलह का चीत्कार हो रहा है। गंभीरता से विचार करने पर हमारा ध्यान बरबस अहिंसा की ओर चला जाता है क्योंकि अहिंसा 'जीओ और जीने दो' का दर्शन है। इसलिए यही एकमात्र साधन है, एकमात्र विकल्प है। इसी से पूरी मानवता, पूरा प्राणीजगत, पूरा पर्यावरण और पूरा विश्व सुरक्षित रह सकता है। सबका कल्याण हो सकता है। तभी इस मंगलावाचन का उद्घोष संभव हो सकता है :–

"सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:
सर्वे च भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुखभाग्भवेत।"

■

अखबारों ने भी जगाई थी आजादी की अलख

–प्रो. योगेश चन्द्र शर्मा*

बुद्धिजीवियों की असली ताकत उनकी कलम में होती है और कलम की इस ताकत का जौहर दिखलाने का सबसे सशक्त माध्यम है अखबार या अन्य पत्र-पत्रिकाएं। विश्व भर में अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने में पत्रकारों की विशेष भूमिका रही है। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में भी पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजी सल्तनत द्वारा किए गए अत्याचारों का जमकर विरोध किया और देश की जनता में स्वतंत्रता का शंखनाद करके उसे आजादी की लड़ाई में जूझने के लिए तैयार किया।

भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा 1550 ईस्वी में लाया गया। इसके उपरान्त धीरे धीरे छापाखाने का प्रचार बढ़ा और लोगों में मुद्रित शब्दों के प्रति रुचि बढ़ी। इसी क्रम में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी प्रारम्भ हुआ। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में प्रथम पत्रकार होने का श्रेय एक अंग्रेज को प्राप्त है, जिसका नाम था विलियम बोल्ड्स। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों की आलोचना करने वाला पहला पत्र भी अंग्रेजी भाषा में था 'बंगाल गजट'। इसका प्रारम्भ 29 जनवरी, 1780 को हुआ। यह केवल दो पृष्ठों का एक साप्ताहिक पत्र था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिखने पर इसके संपादक आगस्टस हिकी को कई बार दंडित भी किया गया और बाद में यह पत्र बन्द कर दिया गया। इसके बाद 'बंगाल-जनरल', 'मद्रास-कोरियर', 'इंडियन-हेरल्ड', 'बाम्बे-हेरल्ड' तथा 'बाम्बे-गजट' आदि पत्र शुरू हुए। इन सबके संपादक अंग्रेज थे। फिर भी इन्हें अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। हिंदी भाषा का प्रथम पत्र 'उदंत मार्तण्ड' माना जाता है, जिसका प्रकाशन 30 मई, 1826 को कलकत्ता से प्रारम्भ हुआ। इस पत्र के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक थे पं. युगल किशोर शुक्ल। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध के साथ ही इसे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा था। इसलिए यह अपने अस्तित्व को लगभग डेढ़ वर्ष तक ही बनाए रख सका। दिसम्बर 1827 में इसका प्रकाशन बंद हो गया।

प्रसिद्ध समाज-सुधारक राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी भाषा में 'हिंदू हेरल्ड' बंगला भाषा में 'संवाद कौसुदी' (1820) तथा बंगला फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र 'बंगदूत' पत्र प्रकाशित किए। ये पत्र देश की जनता में राष्ट्रप्रेम के साथ ही समाज-सुधार की भावना भी जागृत करते थे। देशी पत्रकारिता को स्थापित करने का श्रेय राजा राममोहन राय को ही है। इसके बाद वाराणसी से 1845 में एक हिंदी साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ 'बनारस-अखबार', जिसके संपादक थे राजा शिवप्रशाद सितारेहिंद। भाषा के संदर्भ में राजा शिवप्रसाद 'आम फहम और खास पसन्द' भाषा के समर्थक थे। इसलिए इस पत्र में उर्दू और फारसी शब्दों की भरमार थी। इसके उपरान्त 1846 से कलकत्ता के 'इंडियन सन' का हिंदी संस्करण 'मार्तण्ड' तथा 1853 में बनारस से 'सुधाकर पत्र' प्रकाशित होने लगे। 1854 में कलकत्ता से ही हिंदी का पहला दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित होने लगा --'समाचार सुधावर्षण'। इस दैनिक में प्रारम्भ का आधा भाग हिंदी में होता था और अन्तिम आधा भाग बंगला भाषा में। इन सभी पत्रों में ईस्ट इंडिया कम्पनी में फैले भ्रष्टाचार और अंग्रेजों के अत्याचार की घटनाएं प्रकाशित होती थीं। ये पत्र समाज-सुधारकों तथा देशभक्तों को प्रोत्साहन देते तथा उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को उभारते। इस दृष्टि से 'समाचार सुधावर्षण' का विशेष स्थान था।

* 10/611, मानसरोवर, जयपुर-302020

1857 के प्रथम स्वाधीनता-समर के समय देश में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध खुले आम विप्लव की आग उगली जाती थी । अंग्रेज इनसे बहुत अधिक परेशान रहे । उन्होंने इन पत्र पत्रिकाओं के संपादकों पर जबर्दस्त अत्याचार भी किए । फिर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आया यह देशभक्ति का तूफान रोका नहीं जा सका । 'सादिकुल' के संपादक अमलालुद्दीन पर राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । बड़ौदा के पत्र 'इन्दु' को सरकार ने जब्त कर लिया और 'सुधावर्षण' के ऐसे कई अंकों को जब्त कर लिया गया, जिनमें अंग्रेजी सल्तनत के अमानवीय अत्याचारों का पर्दाफाश किया गया था । अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर ने भी 'सिराज उल अखबार' के नाम से एक पत्र प्रकाशित किया था, लेकिन वह भी अंग्रेजों के दमन से बच नहीं सका ।

1857 का सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली पत्र था 'पयामे आजादी' । इसे प्रसिद्ध क्रान्तिकारी अजीमुल्ला खां ने प्रारम्भ किया था और इसका प्रथम अंक आठ फरवरी, 1857 को प्रकाशित किया गया था । 'पयामे आजादी' के संपादक थे बहादुर शाह जफर के पौत्र बेदारबख्त । इसके तीन संस्करण निकलते थे । हिंदी और फारसी संस्करण दिल्ली से तथा मराठी संस्करण झांसी से प्रकाशित होता था। 1857 के स्वाधीनता-सैनिकों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने में इसकी उल्लेखनीय भूमिका रही । यह पत्र अंग्रेजों की खोखली नीतियों की धज्जियां उड़ाता और उनके खतरनाक इरादों से देश की जनता को आगाह करता । इसके प्रमुख पृष्ठ पर प्राय: एक झण्डागीत रहता था, जिसमें देश पर मर मिटने के लिए जनता का स्पष्ट शब्दों में आह्वान किया जाता था ।

आज शहीदों ने तुमको, अहलेवतन ललकारा,
तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा ।

'पयामे आजादी' से अंग्रेज बहुत आतंकित रहते थे, परन्तु प्रथम स्वाधीनता-समर के दौरान वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके । 1857 की क्रांति असफल हो गई और अजीमुल्ला खां की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इसके संपादक बेदारबख्त को फांसी पर चढ़ा दिया तथा किसी के लिए भी 'पयामे आजादी' की कोई भी प्रति रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया । इस पत्र के लिए अंग्रेजों ने घर घर तलाशी ली तथा जिसके घर पर भी इसकी कोई प्रति मिली, उसे गोलियों से भून दिया गया ।

1857 की क्रान्ति में पत्र पत्रिकाओं की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने 1870 में 'ताजेरात हिन्द' में राजद्रोह से संबन्धित एक धारा 124 जोड़ दी और उसमें पत्र पत्रिकाओं में की जाने वाली सरकार की आलोचना को भी राजद्रोह में शामिल करके उसे दंडनीय अपराध बना दिया । फिर भी भारतीय पत्रकार इससे हतोत्साहित हुए हों, ऐसा नहीं लगा । पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा उनमें सरकार की आलोचना यथावत जारी रही । इसके लिए सरकार पत्रकारों को गिरफ्तार करती और उन्हें कठोर दण्ड देती, जिसे वे सहज रूप में स्वीकार कर लेते ।

1857 के बाद जो पत्र प्रकाशन में आए, उनमें विशेष उल्लेखनीय थे--1858 में 'धर्मप्रकाश' (अहमदाबाद), 1861 में 'सूरज प्रकाश' और 'सर्वोपकारक' (आगरा), 'ज्ञान दीपक' और 'प्रजाहित' (अजमेर), 1866 में 'शक्ति दीपक' तथा 1867 में 'वृत्तान्त विलास' आदि ।

राष्ट्रीय आंदोलन में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के पत्र 'केसरी' तथा 'मराठा' का भी उल्लेखनीय योगदान रहा । 'केसरी' मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और 'मराठा' अंग्रेजी भाषा में । 'केसरी' का उद्देश्य था जनता की भाषा में जनता को गुलामी के कष्टों से परिचित करवाकर उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए तैयार करना तथा 'मराठा' का उद्देश्य था अंग्रेजों को उनकी भाषा में उनके अत्याचारों से परिचित करवाकर उनकी निरंकुशता को नियन्त्रित करना । इन पत्रों की भाषा प्राय: अत्यन्त उग्र तथा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होती थी । ये पत्र जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे और इसलिए अंग्रेजी सरकार इनसे खौफ खाती थी । 1881 में 'केसरी' में छपे तिलक के कुछ लेखों को आधार बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 101 दिन के कारावास की सजा दी गई । 1896-97 के अकाल के समय तिलक ने अपने पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की कुव्यवस्था और अत्याचारों की जमकर आलोचना की । इस पर उन्हें पुन: गिरफ्तार करके 18 माह के कारावास का दंड सुनाया गया । लोकमान्य तिलक को यह प्रलोभन भी दिया गया कि अगर वे भविष्य में अपने पत्रों में अंग्रेजी सरकार की आलोचना न करने का आश्वासन दें तो उनकी सजा माफ की जा सकती है । इस पर तिलक का

निर्भीक उत्तर था--'केसरी, केसरी है । 18 माह तो क्या, यदि आजीवन जेल में बंद रहना पड़े तो भी मैं अपने पथ से विचलित नहीं होऊंगा ।' इसके बाद इसी आधार पर 1907 में तिलक पर पुनः मुकदमा चलाया गया और उन्हें छः वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई ।

इसी समय प्रसिद्ध उग्रवादी नेता और तिलक के सहयोगी विपिनचन्द्र पाल 'वन्दे मातरम्' पत्र निकालते थे, जो अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध आग उगलता था । 1907 में ही विपिनचन्द्र पाल पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें भी छः वर्ष के कारावास का दंड दिया गया । इसी अवधि में प्रकाशित होने वाले अन्य प्रमुख पत्र थे--'स्वराज्य' (सं. शान्तिनारायण भटनागर), 'कर्मयोगी' (सं. महर्षि अरविन्द), 'युगान्तर' (सं. भूपेन्द्र नाथ दत्त), 'सन्ध्या' (सं. ब्रह्म बान्धव) 'कलकत्ता जर्नल' (सं. जेम्स सिल्क बर्किंघम), 'आर्य गजट' और 'इंकलाब' (सं नंदगोपाल), 'हिन्दी बंगवासी' (सं. अमृतलाल चक्रवर्ती), तथा 'राजपूताना गजट' (सं. मौलवी मुरादअली 'बीमार') आदि ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसी वर्ष हिंदी के प्रथम सर्वांगीण दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दोस्थान' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । 'हिन्दोस्थान' मूलतः 1883 में इंग्लैंड से अंग्रेजी में प्रकाशित होना शुरु हुआ था । इसके बाद 1885 में इसे राजा रामपाल सिंह ने अपनी स्टेट कालाकाकर से पूर्णतः हिंदी में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया । 'हिन्दोस्थान' के प्रधान संपादक थे प्रसिद्ध शिक्षाविद्, उदारवादी राजनेता और निस्वार्थ समाजसेवी पं. मदनमोहन मालवीय । राजा रामपाल सिंह ने पत्र की केवल व्यवस्था का कार्यभार संभाला । इस पत्र ने अंग्रेजी सरकार के दुष्कृत्यों की डटकर भर्त्सना की तथा विदेशी सरकार के विरुद्ध जनमत को उभारने में उल्लेखनीय योगदान किया ।

भारत में समाचार पत्रों के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेजी सरकार ने 1910 में 'इंडियन प्रेस एक्ट' लागू कर दिया, जिसके अन्तर्गत किसी भी पत्र पत्रिका से जमानत मांगी जा सकती थी और अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले पत्र को जब्त किया जा सकता था । इसी कानून के अंतर्गत देश में बहु प्रसारित अनेक पत्र पत्रिकाओं को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया । फिर भी नए नए पत्रों का प्रकाशन होता रहा और सरकार के प्रत्येक दमन को झेलते हुए उनमें अंग्रेजी सल्तनत के अत्याचारों का विरोध किया जाता रहा ।

पंजाब में लाला लाजपतराय का पत्र 'वन्दे मातरम्' अंग्रेजी सरकार पर लगातार दबाव बनाए रहा । सरकार भगतसिंह के चाचा सरदार अजीतसिंह तथा सूफी अंबा प्रसाद के उर्दू पत्र 'पेशवा' ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की आवाज बुलन्द की । सरकारी दमन के कारण उन्हें अपना पत्र बंद करके विदेश भागना पड़ा । कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी भी एक पत्र निकालते थे --'प्रताप' । इसने भी देशभक्तों को अत्यधिक उत्साह प्रदान किया । मौलाना मोहम्मद अली अपने पत्र 'हमदर्द' तथा 'कॉमरेड' के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों की खुलकर आलोचना करते थे, जिससे उन्हें छः वर्ष के कारावास की सजा भोगनी पड़ी । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल को अपने पत्र 'अग्रगामी' में प्रकाशित क्रान्तिकारी रचनाओं के कारण 16 वर्ष तक कालापानी की सजा भोगनी पड़ी । सरकार किशनसिंह तथा सरकार कर्मसिंह को अपने पत्र 'बब्बर अकाली' के कारण फांसी पर चढ़ना पड़ा । राजस्थान में 'राजस्थानी केसरी', 'राजस्थान देश' तथा 'राजस्थान समाचार' जैसे पत्रों ने रियासतों की प्रजा में देशभक्ति की अग्नि को प्रज्वलित किया । 'चांद' का फांसी अंक तो विश्वभर में बेजोड़ रहा। इनके अतिरिक्त 'शंखनाद' (काशी), 'सैनिक' (आगरा), 'बलिदान' (लाहौर), 'स्वदेश' (गोरखपुर) तथा 'विप्लव' के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता । जन जागरण की दृष्टि से महात्मा गांधी के पत्र 'यंग इंडिया', 'नव जीवन' तथा 'हरिजन सेवक' विशेष रूप से उल्लेखनीय थे । इन्होंने आजादी की आवाज को देश के कोने तक पहुंचा दिया ।

अनेक भारतीयों ने देश की आजादी के लिए विदेशों में भी पत्र प्रकाशित किए । इनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का 'इंडियन सोशियोलोजिस्ट' (इंग्लैंड) लाला हरदयाल का 'गदर' (अमरीका), मौलवी बरकतुल्ला का 'अल इस्लाम' (जर्मनी) तथा मैडम कामा का 'वन्दे मातरम्' (फ्रांस) विशेष उल्लेखनीय हैं । ■

विश्व हिंदी दर्शन

यू. एन. के प्रांगण में हिंदी की शान

आठवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन, न्यूयॉर्क (13-15 जुलाई, 2007)

–डॉ. सुधा. बी*

आज विश्व मंच पर सभी भाषा के बीच हिंदी का कद और दिल बढ़ता जा रहा है । हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है इसका जीवन्त उदाहरण यह है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी बीसवीं शताब्दी में केवल छह हिंदी सम्मेलन ही आयोजित हुए जबकि इक्कीसवीं शताब्दी में केवल सात वर्षों में दो विश्व हिंदी सम्मेलन और दोनों विदेशों में आयोजित हुए । अत: हिंदी अब केवल नौ हिंदी प्रदेशों की भाषा ही नहीं है वरन् इस समय वह एक विश्व भाषा बन गई है । भारतवंशी जहाँ कहीं विदेशों में जाकर बस गए वहाँ वे अपनी भाषा को भी ले गए । सूनीराम, ग्याना, त्रिनिनाड, मारिशस, फिजी आदि देशों में भारतीय कुछ शताब्दी पहले भेजे गए थे । यहाँ के भारतवंशी हिंदी में व्यवहार ही नहीं करते साहित्य सृजन भी करते हैं । अत: वरिष्ठ विद्वानों का सवाल ''हिंदी और न्यूयॉर्क में'' सिर्फ पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं तो और क्या है?

13 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय भवन के कान्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुआ । सभागार देश विदेशों से आए प्रतिनिधियों, मीडिया लेखकों, हिंदी प्रेमियों, साहित्यकारों से भरा हुआ था । मंच पर आसीन थे भारत के विदेश राज्य मंत्री माननीय आनन्द शर्मा, भारत से अमेरिका के राजदूत श्री रणेन्द्र सेन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के मारिशस के शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री माननीय धरमवीर गोखुल, नेपाल के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय राजेन्द्र मेहतो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून तथा भारतीय विद्याभवन न्यूयॉर्क के अध्यक्ष डॉ. नवीन मेहतो । भारत के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ''हमारी संस्कृति सभ्यता की विरासत को समृद्ध करने में भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों ने अहम् भूमिका निभाई है ।'' हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया और वह हमारी संस्कृति के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है । हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने लगी है । विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अपने संदेश में कहा कि ''हिंदी का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह देश के एक बड़े भू-भाग में बोली जाती है बल्कि इसलिए भी है कि इसमें अन्य सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने की उदारता है ।'' संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में की ''नमस्ते, क्या हाल है'' कहते ही सारा सभागार जोरदार तालियों से गूँज उठा। अपने भाषण के दौरान वे बीच बीच में हिंदी शब्दों की बौछार कर हिंदी प्रेमियों का दिल जीत रहे थे । बान की मून का हिंदी में बोलना हमारे यहाँ समाज नेताओं का चुनाव के दौरान वोट की भीख के लिए अहिंदी प्रदेशों में जाकर उनकी भाषा में दो वाक्यों को रटकर सुनाने के समान नहीं था । बल्कि हिंदी के शब्द उनके हृदय से निकल रहे थे इसका एहसास हमें तब हुआ जब वे हिंदी भाषा के माध्यम से बने पारिवारिक गठबंधन की बात सुना रहे थे । भारत के विदेश राज्यमंत्री श्री आनन्द शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ''हिंदी प्रेमियों के साथ आज हिंदी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने के मार्ग पर है ।'' हिंदी प्रेमियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार एक विश्वव्यापी अभियान चलाएगी । हिंदी के इस विकास में हिंदीतर भाषा भाषियों का योगदान महत्वपूर्ण है ।

* प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट-673635

इस सम्मेलन में भारतीय सांस्कृतिक परिषद् की ओर से तीन प्रदर्शनियाँ आयोजित थीं । इसमें हिंदी के महान रचनाकारों की किताबें प्रदर्शित थी । एक तरह से यह प्रदर्शनी अतीत, वर्तमान और भविष्य को समेटे हुई थी । इन प्रदर्शनियों के बाद शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हो रहा था । शैक्षिक सत्रों में विविध विषयों पर देश विदेश के विद्वानों ने अपने अपने चर्चे पढ़े । प्रथम सत्र का विषय था । ''संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी'' जिसकी अध्यक्षता डॉ. गिरिजा व्यास कर रही थी । बीज भाषण राम शरण जोशी और श्री अनन्तराम त्रिपाठी का था । दूसरा सत्र ''देश विदेश में हिंदी शिक्षण'' पर था । इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रेमचंद शर्मा । इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि देश विदेश में हिंदी के प्रचार के लिए हमें अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत करना होगा । इस सन्दर्भ में दक्षिण कोरिया की प्रोफेसर यू.जी. किम ने कहा कि ''हिंदी सीखने के लिए विद्यार्थियों को भारत के सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ना होगा ।'' उन्होंने प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदी भाषियों को अपनी साहित्यिक विरासत को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए । प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. सुरजभान सिंह ने कहा कि ''विदेशों में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए द्विभाषी पुस्तकों और वार्तालाप पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करना होगा ।'' तीसरा सत्र ''वैश्वीकरण मीडिया और हिंदी'' पर था । इस सत्र का संचालन कर रहे थे राहुल देव और अध्यक्ष मृणाल पांडे थी। बीज भाषण सुधीश पचौरी का था । इन्होंने अपने भाषण में कहा कि ''हिंदी को आगे बढ़ाने और फैलाने के लिए खुलेपन की ज़रूरत है । संस्कृतनिष्ठ हिंदी से युवाओं को जोड़ा नहीं जा सकता ।'' इस सत्र के मुख्य वक्ता श्री रवीन्द्र कालिया जी थे । इन्होंने कहा कि ''हिंदी रोजी रोटी से जुड़कर ही आगे बढ़ सकती है । समय की मांग के अनुसार इसे तकनीक से जोड़ना आवश्यक है ।'' इसके साथ और भी कई विद्वान थे । अपने अध्यक्षीय भाषण में मृणाल पाण्डे जी ने कहा कि ''बदलते समय के साथ लोगों की भाषागत मांगें और उनका मन भी बदलता है । ऐसी स्थिति में बदलते वक्त को स्वीकारने से एतराज नहीं दिखाना चाहिए ।'' चौथा सत्र ''विदेशों में हिंदी सृजन'' पर है । सत्र की अध्यक्षता कर रही थी इंदिरा गोस्वामी । पाँचवाँ सत्र था । ''हिंदी के प्रचार प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका'' । इस सत्र के अध्यक्ष थे डॉ. अशोक चक्रधर । छठा सत्र ''हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों की भूमिका'' पर था । इस सत्र के अध्यक्ष थे श्री गुलजार । फिल्मों से जुड़ा सत्र होने के कारण इस सत्र में बहुत चर्चाएँ हुई । सभी सत्रों में खुलकर चर्चा- परिचर्चाएँ हुई । सब लोगों ने खुलकर भाग लिया । सातवाँ सत्र ''हिंदी-युवा पीढ़ी और ज्ञान विज्ञान'' पर केंद्रित था जिसमें अध्यक्ष श्री गोविन्द मिश्र थे । मुख्य भाषण मलयाली भाषी श्री गोपीनाथन जी का था । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ''नई दुनिया पैदा हो रही है साथ ही सूचना क्रान्ति और जैसा कि कहा गया प्रबंधन व्यापार का नया युग, इसी तरह भौतिक प्रगति का एक नया युग । हम महसूस कर रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों की तरफ लौटने की ज़रूरत है जिससे मानवता के शब्द को संजोया जा सकता है ।''

आठवाँ सत्र ''हिंदी भाषा और साहित्य'' पर था जिसकी अध्यक्षता कर रही थी हिंदी समकालीन लेखिका चित्रा मुदगल । बीज भाषण प्रो. निर्मला जैन का था । इस सत्र में कई श्रेष्ठ लेखकों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे जैसे ओम प्रकाश बाल्मीकि, डॉ. प्रभा खैतान, डॉ. शंभुनाथ, श्री उदय प्रकाश, मुंशी रमणिका गुप्ता आदि । मैं यहां रमणिका जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुई । उन्होंने कहा कि ''हम एक वैश्विक परिवेश में जी रहे हैं । हमें अपने विचार भी उसी के अनुरूप बनाने हैं । इसके साथ स्थानीय अस्मिताओं की रक्षा भी एक जरूरी मुद्दा है । भाषा साहित्य संस्कृति के विमर्श से दलित आदिवासी और स्त्रियों की आवाज़ों को भी शामिल करना चाहिए । इसके बिना हम ग्लोबल हिंदी की कल्पना नहीं कर सकते ।'' नवें सत्र तीन समानांतर सत्रों में विभक्त था । पहला था ''साहित्य में अनुवाद की भूमिका''। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इन्द्र नाथ चौधरी । दूसरा समानांतर सत्र था ''हिंदी और बाल साहित्य'' जिसमें अध्यक्ष श्री बाल शैरी रेड्डी थे । बीज भाषण हरिकृष्ण देवसरे का था और मुख्य भाषण मृदुला गर्ग का था । तीसरा समानांतर सत्र ''देवनागरी लिपि'' पर केन्द्रित था जिसके अध्यक्ष थे श्री बालकवि बैरागी ।

उक्त सत्रों में देश विदेशों के जिन विद्वानों ने अपने पर्चे प्रस्तुत किये, वे इस प्रकार हैं--श्री अनंतराम त्रिपाठी,

प्रो. रामशरण जोशी, डॉ. रत्नाकर पांडेय, श्री नारायण कुमार, प्रो. हरमन वैन ऑल्फन, प्रो. जिआंग जिंग कुई, डॉ. अच्युतानन्द मिश्र, डॉ. जी. गोपीनाथन, प्रो. सुधीश पचौरी, श्री रवीन्द्र कालिया, श्रीमती ममता कालिया, डॉ. बी. सुधा, श्री मोहनकांत गौतम, डॉ. एस. तंकमणि अम्मा, डॉ. विमलेश कांति वर्मा, डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रो. निर्मला जैन, डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल, सुश्री रमणिका गुप्ता, डॉ. निर्मला. एस. मौर्या, डॉ. ओम विकास ।

इस तरह न्यूयॉर्क में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में यह साबित कर दिया कि हिंदी बड़ी तेजी के साथ विकास के उतुंग शिखर पर चढ़ रही है । भूमंडलीकरण सूचना प्रौद्योगिकी के नए-नए विकास ने सम्पूर्ण विश्व में अंग्रेजी के वर्चस्व को कायम कर दिया है । रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में जहाँ वे अपनी देशी भाषा में सरकारी काम करते थे वहाँ वे एकाएक अंग्रेजी की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वे जान रहे हैं कि "आउट सोर्सिंग" कर विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अंग्रेजी एक सशक्त माध्यम है । आज अंग्रेजी के बाद नेट पर हिंदी की पहल है । न्यूयॉर्क में हुए इस सम्मेलन में हिंदी के बढ़ते हुए महत्व को विशेष रूप से आँका गया है । कंप्यूटर पर हिंदी भाषा संसाधन के लिए यूनिकोड के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वक्ता ने कहा कि हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए यूनिकोड की सुविधा क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकती है । आज विश्व की सभी लिखित भाषाओं के लिए यूनिकोड नामक विश्वव्यापी कोड का उपयोग सभी कंप्यूटर कंपनियां कर रही हैं । इसके साथ ही उन्होंने हिंदी में ई-शिक्षण के महत्व को अनिवार्य बताया और इसके आधार पर हिंदी में कोर्सस के आधार पर कोश निर्माण जैसे कार्य भी किए जा सकेंगे । इससे प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में हिंदी का मार्ग स्वत: ही प्रशस्त हो जायेगा । इस तरह सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के बढ़ते हुए कदम को सराहते हुए प्रख्यात विद्वानों ने कहा कि सूचना टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हिंदी का प्रचार भी बढ़ता जा रहा है । वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी से बाजार बढ़ा है और समृद्धि भी । इसका परिणाम यह होगा कि शीघ्र ही हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनेगी ।

इस तरह शैक्षिक सत्रों में एक ओर हिंदी के बढ़ते महत्व, सूचना प्रौद्योगिकी में उसके फैलाव का स्वर गूँज रहा था तो दूसरी ओर न्यूयॉर्क की सड़कों पर हिंदी के गीत और हिंदी में बात करते हुए लोगों को देखकर दिल खुश हो रहा था । पेनसुनवानिया होटल के सामने पेन स्टेशन है जहाँ से अमेरिका के दूर-दूर के शहरों के लिए मेट्रो सर्विस है । वहाँ कई भारतीयों की छोटी-छोटी दुकानों में अपने छोटे-मोटे व्यापार को चलाते देखकर सचमुच बड़ी खुशी हो रही थी । अपना देश छोड़कर इतनी दूर आकर ये लोग कितने हौसले से अपनी जीविका चला रहे हैं । हमें वहाँ देखकर वे भी बड़े खुश हो रहे थे ।

मुझे वहाँ जाकर सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि वहाँ जितने भी विदेशी विद्वानों से हम मिले सब शुद्ध हिंदी में बातें कर रहे थे । जब भी हम आपस में मिलते थे वे हाथ जोड़कर प्रणाम करते । हमारी परम्परागत वेशभूषा को देखकर वे चकित हो रहे थे । कई स्त्रियों ने हमसे फोटो खिंचवाने की अनुमति माँगी । वे कह रही थीं उन्हें औरतों को साड़ी में देखकर आश्चर्य हो रहा है और पूछ रही थीं कैसे इतने लम्बे वस्त्र को लपेटा जाता है । वे बार-बार साड़ी के सौन्दर्य पर बोलती जा रही थीं । विदेशियों के मुँह से भारतीय भाषा और भारतीय वेषभूषा की तारीफ सुनकर गरिमा का अनुभव हो रहा था ।

हम सब जानते हैं कि भारत की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है । इस विरासत को समृद्ध संपन्न करने के लिए अब भाषाओं के साथ हिंदी ने भी अहम् भूमिका निभायी है। विशेषकर आज के ग्लोबल विलेज में, हिंदी का स्तर किसी भी मायने में गिरा नहीं है बल्कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अपनी वैश्विक पहचान बनाने से सफल हो पायी है ।

15 जुलाई, 2007 की दोपहर को आयोजित समापन सत्र में भारत के प्रधानमंत्री के विशेष दूत डॉ. कर्णसिंह, मॉरिशस के शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री माननीय धरमवीर गोखुल, नेपाल के उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय राजेन्द्र मेहतो एवं मधुकर राव चौधरी द्वारा भारतीय एवं विदेशी हिंदी विद्वानों का सम्मान हुआ । ■

पर्यावरण शिक्षा एवं संचार माध्यम

–डॉ. दशमन्त दास पटेल*

प्रस्तावना : शिक्षा का उत्कृष्टतम उद्देश्य मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करना है, जिससे समाज और राष्ट्र का समग्र विकास हो । मानवीय विकास के आधार पर ही शिक्षा की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन जनसंख्या की तीव्रतम एवं अनियंत्रित वृद्धि मानवीय विकास के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित कर रही है । परिणामस्वरूप पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन, गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा में तेजी से वृद्धि हो रही है । प्रकृति से छेड़छाड़ बढ़ती जा रही है । अनियंत्रित जनसंख्या होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जिससे जल, वायु, ध्वनि एवं औद्योगिक ही नहीं वरन् रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है । परिणामस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से पर्यावरण की समस्या विकराल होती जा रही है ।

पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की एक ज्वलन्त समस्या है, जिसका जनक स्वयं मानव है । सभी प्रकार के जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों के लिए जल अति आवश्यक है, परन्तु वर्तमान परिवेश में जल प्रदूषण की समस्या प्रमुख है । जल प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत घरेलू मलमूत्र, उर्वरक एवं कीटनाशक पदार्थ हैं । घरेलू कूड़ा-करकट, सीवेज पाइप, कारखानों से निकले गंदे अवशेष पदार्थ तथा कीटनाशक पदार्थ जैसे डी.डी.टी., कार्बनिक फासफेट, कार्बन और क्लोरीन युक्त पदार्थो का जल में विलय होने से जल प्रदूषित हो जाता है । दूषित जल का दुष्प्रभाव जलीय जीवों पर भी पड़ता है अवशिष्ट पदार्थों के नदी जल में मिलने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तथा सल्फेट, नाइट्रेट एवं क्लोराइड आदि की मात्रा बढ़ जाती है । इससे जलीय जन्तुओं एवं पादप के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रदूषकों में रेडियोधर्मी प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक एवं खतरनाक है क्योंकि इसका दुष्प्रभाव दूरगामी होता है तथा जल, स्थल एवं वायुमंडल का पर्यावरण प्रदूषित होता है । नाभिकीय विस्फोट के द्वारा इलेक्ट्रान, प्रोट्रान एवं न्यूट्रान के साथ अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के कण प्रवाहित होते हैं । रेडियोधर्मी प्रदूषण नाभिकीय अस्त्रों के विस्फोट से अधिक होता है । परमाणु बमों का परीक्षण, विस्फोट तथा परमाणु विद्युत गृहों के अवशिष्ट द्वारा रेडियोधर्मी प्रदूषण फलता है । कोबाल्ट तथा थोरियम मुख्य रेडियोधर्मी पदार्थ हैं । रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्य के अनुवंशिक लक्षणों परिवर्तन, गर्भाशय में, शिशुओं की मृत्यु, नवजात शिशुओं के अपंग पोलियोग्रस्त या विकलांग हो जाने संबन्धी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं ।

पर्यावरण को प्रदूषित करने में वायु प्रदूषण काफी हद तक जिम्मेदार है । वायु प्रदूषण फैलाने में दिल्ली, कलकत्ता एवं बम्बई में उद्योगों का प्रतिशत क्रमशः 29, 46 एवं 43, यातायात वाहनों का प्रतिशत क्रमशः 65, 35 और 53 एवं घरेलू योगदान 6, 19 एवं 4 प्रतिशत है (शर्मा 1995) । इनकी वजह से वायु में प्रतिदिन 2000 टन जहरीले प्रदूषक घुल जाते हैं ।

मोटरवाहनों के धुँए में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शरीर में खून के बहाव को कम करती है । नाइट्रोजन आक्साइड का धुँआ फेफड़ों पर चोट करता है । हाइड्रोकार्बन दिल और सांस के रोग पैदा करने के साथ फेफड़ों का घातक

* निदेशक, अस्मित शिक्षा विकास संस्थान, अशोक यादव का मकान, पंचायती कुँआ, गोकलपुर, जबलपुर, म.प्र.-482011

कैंसर भी विकसित करते हैं । पेट्रोल में घुला सीसा गुर्दा, जिगर और दिमाग की बीमारियाँ पैदा करता है । वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी अनेक बीमारियों की जड़ है। सामान्य स्वास्थ्य के लिये 55-65 डेसीबल के बीच का शोर स्वीकार्य माना गया है, पर भारत में व्यस्त सड़कों पर 75-80 डेसीमल शोर दर्ज किया गया है, जिससे सिर दर्द की आम शिकायत के अतिरिक्त रक्तचाप का खतरनाक रोग भी पनपता है ।

देश के महानगरों में वातानुकूलित एवं आधुनिक गगनचुम्बी इमारतों में काम करना भी प्रदूषण रहित नहीं है। इन इमारतों में सबसे अधिक प्रदूषण विद्युत चुंबकीय तरंगों का हैं । ये तरंगें कामकाज में इस्तेमाल बिजली की मशीनों से पैदा होती हैं । इनमें सबसे अधिक प्रदूषणयुक्त कंप्यूटर, वातानुकूलन यंत्र और फोटो कापी मशीन पाये जाते हैं । उच्च वोल्टेज के कारण इन मशीनों के इर्द-गिर्द एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है । इस क्षेत्र की सीमा में कार्य करता हुआ व्यक्ति अदृश्य प्रदूषण की चपेट में आ जाता है । परिणामत: रक्त कैंसर और आमाशय का कैंसर पनप सकता है । विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में बैठकर काम करने वालों को सिर दर्द की आम शिकायत रहती है ।

इधर सूर्य की किरणों के पृथ्वी पर एकत्रीकरण से पृथ्वी गरम हो रही है । इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं । वायुमण्डल में जब कार्बन डाई आक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह पृथ्वी में आच्छादित होकर सुरक्षित घेरा बना लेती है, जिससे सूर्य की रोशनी धरती पर तो आ जाती है किंतु पृथ्वी से किरणों को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, इसके कारण वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है । वैज्ञानिकों के एक अनुमान के अनुसार विगत 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है । । अब यदि 3.6° तापक्रम और बढ़ता है तो अंटार्कटिक के विशाल हिमखण्ड पिघल जाएंगे । परिणामत: समुद्र तल में 1.5 मीटर की वृद्धि हो जायेगी । परिणामत: 21वीं सदी के मध्य तक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, न्यूयार्क, पेरिस, लन्दन, हॉलैंड एवं बांग्लादेश के अधिकांश भागों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा । सार्क अध्ययन के अनुसार ग्रीनहाउस का सर्वाधिक प्रभाव बांग्लादेश पर पड़ेगा, जिससे फसल योग्य क्षेत्र का 13.74 प्रतिशत एवं वन क्षेत्र का 29.29 प्रतिशत भाग नष्ट हो जायेगा । जनसंख्या का 9 प्रतिशत शहरी क्षेत्र को, स्थानान्तरित हो जायेगा । श्रीलंका में वर्षा प्रभावित होने से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ेगा । भारत में तापक्रम बढ़ने से अधिकांश फसलों की उत्पादकता प्रभावित होगी । आंधी एवं चक्रवात अनिश्चित रूप से आते रहेंगे । (लामा 1995)

पर्यावरण प्रदूषण के लिए उपभोग ढांचा भी काफी हद तक जिम्मेदार है । संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक एवं सामाजिक सर्वे के अनुसार अगले 35 वर्षों में पर्यावरण के विनाश का कारण अधिक जनसंख्या नहीं बल्कि विभिन्न देशों के उत्पादन और उपभोग का ढांचा होगा क्योंकि ये दोनों पर्यावरण के विनाश स्तर निर्धारित करते हैं । भौतिकतावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण मानव ने अपने सुख साधन के लिये प्रकृति का भरपूर दोहन एवं शोषण किया है । यद्‌यपि प्रकृति में स्वयं को संतुलित रखने की क्षमता है किंतु विनाश की स्थिति यहां तक पहुँच गई है कि प्रकृति स्वयं को संतुलित रखने में असमर्थ है । पर्यावरण इस हद तक प्रदूषित हो गया है कि स्थिति भयावह होती जा रही है । इसका अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1992 में ब्राजील के रियो डि जेनेरो में पर्यावरण प्रदूषण पर पृथ्वी सम्मेलन करना पड़ा । वैसे 1972 में स्टाकहोम में मानव पर्यावरण पर बहुत पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा चुका है । सम्पूर्ण पर्यावरण दूषित होने के कारण शैक्षिक पारिस्थितिकी (एडयुको इकालोजी) भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती । प्रदूषित पर्यावरण में कितनी ही अच्छी शिक्षा क्यों न दी जाए, वह छात्रों के दिलोदिमाग पर खतरनाक प्रभाव डालती है जिससे बच्चे मानसिक रूप से मन्द, स्फूर्तिहीन एवं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं । यदि अनियंत्रित औद्‌योगिक विकास, पर्यावरण का प्रदूषण तथा जीवों, वनस्पतियों और जैव विविधता के विनाश की गति यही रही तो बहुत अधिक समय तक मानव जीवन का बने रहना असम्भव होगा ।

पर्यावरण के निम्नीकरण एवं असंतुलन के कारण आज मानव का जीवन अत्यन्त व्यस्त एवं जटिल हो गया है । अत: वर्तमान और भावी पीढ़ी में पर्यावरण संबन्धी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता महसूस हो रही है जिससे वे पर्यावरण संबन्धी समस्याओं एवं उसके परिणामों से अवगत हो सकें एवं इसमें सुधार हेतु

प्रयासरत हों। इन परस्थितियों में पर्यावरण शिक्षा की अनिवार्यता अनुभव की जा रही है। पर्यावरण शिक्षा की अनिवार्यता एक तो औपचारिकता शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करके की जा सकती है, दूसरे जनसंचार के माध्यमों से जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाकर। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण से संबन्धित शिक्षण का पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त होता है क्योंकि औपचारिक शिक्षा में नमनीयता का अभाव होता है तथा शिक्षक एवं छात्र दोनों के सामने परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संबन्धी शिक्षण का भार अधिक होता है, जिससे पर्यावरण के विभिन्न पक्षों की अवहेलना हो जाती है। जनसंचार माध्यम, विशेष रूप से दूरदर्शन द्वारा पर्यावरण से संबन्धित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे–खेती और पर्यावरण, रोग और प्रदूषण, पर्यावरण, औद्योगिक प्रदूषण गाँवों का परंपरागत परिवेश एवं पर्यावरण इत्यादि। यदि इन कार्यक्रमों का उचित शैक्षिक उपयोग किया जाए तो छात्रों में पर्यावरण से संबन्धित समस्याओं को समझने और हल करने की योग्यता का विकास होगा।

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि :

पर्यावरण : पर्यावरण अत्यन्त व्यापक शब्द है। पर्यावरण का तात्पर्य उस समस्त भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। पर्यावरण जैविक व भौतिक दोनों प्रकार का होता है। जैविक पर्यावरण में पेड़–पौधे, जीव–जंतु तथा भौतिक पर्यावरण में मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि आते हैं। पर्यावरण के जिन कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है वे जल, प्रकाश, ताप, खनिज पदार्थ, वायु की नमी तथा वायु आदि है तथा जो कारक दूसरे कारकों को प्रभावित करके जैविक क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालते हैं वे वर्षा, मृदा, पर्वत तथा समुद्र इत्यादि हैं।

पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है–परि + आवरण अर्थात् चारों ओर से ढका हुआ। इस प्राणी जगत के चारों ओर जो कुछ भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं वही उसका पर्यावरण हैं। मानव का पर्यावरण प्राकृतिक और सामाजिक दो प्रकार का होता है। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण मानव स्वयं करता हैं। समाज, समूह, संस्था, परंपराएं, धर्म, नैतिकता और सामाजिक मूल्य से सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है। जिसवर्ट के अनुसार–पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। **एम.के. तोलबा के अनुसार**–पर्यावरण मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी समय विशेष पर उपलब्ध भौतिक या सामाजिक संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणवत्ता में प्राकृतिक अथ्वा मानवकृत होने वाले अवांछित परिवर्तनों से है।

पर्यावरण शिक्षा : सामान्यतया बोलचाल की भाषा में पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय मनुष्य में उसके प्राकृतिक तथा भौतिक वातावरण के प्रति चेतना जागृत करने की शिक्षा है। शिक्षा एक ओर जहाँ मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों का बाह्य विकास करती है, वहीं उन शक्तियों का शुद्धीकरण भी करती है। पर्यावरण शिक्षा जहाँ एक ओर मनुष्य को अपना भौतिक विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित शोषण करने की शिक्षा देती है वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का पाठ भी पढ़ाती है। पर्यावरण शिक्षा को पर्यावरणीय अध्ययन भी कहा जाता है। पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक सम्पदाओं का विवेकपूर्ण ढंग से आवश्यकतानुसार लम्बे समय तक उपयोग करने तथा भावी पीढ़ी के लिए उन्हें सुरक्षित रखने का ज्ञान प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों के अन्धाधुन्ध शोषण से उत्पन्न दुष्प्रभावों का ज्ञान कराती है, पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न संकट का ज्ञान कराती है तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों में चेतना जागृत करती है। पर्यावरण शिक्षा मानवीयता का बोध कराने वाली शिक्षा है। इससे व्यक्ति, प्रकृति एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का बोध करते हुए पर्यावरण सुधार के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। यह शिक्षा व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाती है तथा व्यवहार में वैचारिक परिवर्तन लाती है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार की विश्व जनसंख्या का विकास करना है जिससे व्यक्ति पर्यावरण एवं उससे संबन्धित समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित कर अपने आपको उन समस्याओं से संबन्धित कर सके तथा वर्तमान एवं भावी समस्याओं से संबन्धित समझ, अभिवृति एवं अभिप्रेरणा से युक्त हो।

पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य : पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. छात्रों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करना।

2. पर्यावरण प्रदूषण और उसके संरक्षण के उपायों से लोगों को अवगत कराना ।
3. छात्रों को यह बताना कि प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में लम्बे समय तक उपयोग कैसे किया जाये जिससे वे भविष्य के लिए सुरक्षित रहें ।
4. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे उनके उपायों और उनके परिणामों की जानकारी देना ।
5. पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली नवीन तकनीक से छात्रों को अवगत कराना ।
6. छात्रों में मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच निहित संबंध एवं प्रतिक्रिया के बारे में अन्तर्दृष्टि उत्पन्न करना ।
7. छात्रों को प्रकृति अवलोकन एवं नियमों को समझने के लिये प्रोत्साहित करना ।
8. छात्रों को प्रकृति और पर्यावरण के संबंधों को समझने योग्य बनाना ।
9. छात्रों में पर्यावरण, प्रकृति एवं संसाधनों के संरक्षण के लिए अभिवृत्ति विकसित करना ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं ।

1. पर्यावरण शिक्षा पर व्यक्त किए गए विचारों, समाचारों एवं अनुभवों को विभिन्न देशों में पहुँचाना ।
2. पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, विषय-वस्तु और प्रविधियों पर समन्वित रूप से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना ।
3. पर्यावरण शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यचर्या, नूतन प्रविधियों, शिक्षकोपयोगी सामग्री एवं कार्यक्रमों की परियोजना तैयार करना ।
4. पर्यावरण शिक्षा के प्रसार कार्य में संलग्न शिक्षक, अनुसंधानकर्ता एवं शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण और स्तरोन्नयन ।
5. पर्यावरण शिक्षा में कार्य करने वाले राष्ट्रों को तकनीकी सहायता व सेवाएं उपलब्ध कराना ।

पर्यावरण शिक्षा के द्वारा मानव व पर्यावरण के बीच उत्पन्न हुए असन्तुलन को दूर करके दोनों के मध्य अंत:क्रिया एवं संतुलन का पुन: स्थापित किया जा सकता है । मानव व पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत सन् 1988-89 में स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा की शुरूआत की गई । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक एवं हाई स्कूल स्तर के पर्यावरण संबंधी पाठ तैयार किए हैं और उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने भी पर्यावरण शिक्षा को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर लागू करने की अनुशंसा की है लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अधिक ओपचारिक होने एवं परीक्षा प्रधान होने के कारण पर्यावरण शिक्षा को पूर्णरूपेण शिक्षा का अंग नहीं बनाया जा सका है । अत: जनसंचार माध्यम इस दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं । जनसंचार माध्यम ऐसे संचार हैं जिनके द्वारा एक ही समाचार को एक बड़े जनमानस, जो एक दूसरे से काफी दूरस्थ हैं, तक एक ही समय में आसानी से पहुँचाया जा सकता है । इनमें से मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि में हैं । इनमें से अधिकांश माध्यमों का विकास शिक्षा के लिए नहीं किया गया, किन्तु वर्तमान परिवेश में इनकी शैक्षिक उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि माध्यमों का पर्यावरण शिक्षा में सृजनात्मक उपयोग किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि छात्र अधिक सीखते हैं, अधिक समय तक याद रखते हैं तथा कौशलों एवं कार्यो का विकास कर सकते हैं । सीधे और उद्देश्यपूर्ण अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देना ही शिक्षण की उत्तम विधि सिद्ध हो सकती है क्योंकि सीधे अनुभवों से प्राप्त ज्ञान ही स्थाई तथा वास्तविक होता है । अत: दूरदर्शन ही ऐसा शक्तिशाली साधन है जिसका उपयोग शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जा सकता है । अत: पर्यावरणीय जागरूकता लाने, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हो सकता है ।

निष्कर्ष : शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य मानवीय विकास है जिसके आधार पर ही शिक्षा की प्रभाविकता का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे समाज एवं राष्ट्र का चतुर्दिक विकास हो । लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि मानवीय विकास के प्रत्येक आयाम को प्रभावित कर रही

है । परिणामस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं पैदा हो रही हैं । मानव ने प्रकृति का इस कदर शोषण एवं दोहन किया है कि प्रकृति अपने को संतुलित रखने में असमर्थ है । पर्यावरण का प्रदूषित होना एक विश्वव्यापी समस्या है । इसका जनसंख्या वृद्धि से प्रत्यक्ष संबंध है । ज्यों-ज्यों जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है त्यों-त्यों मनुष्य और पर्यावरण के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है । उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण मानव अपने भौतिक सुख साधनों के लिए प्रकृति का अनियंत्रित शोषण कर रहा है जिससे प्रकृति स्वयं को संतुलित रखने में असमर्थ है । संपूर्ण पर्यावरण दूषित होने के कारण शैक्षिक पर्यावरण भी प्रदूषित हुए बिना नहीं रह सकता । अत: पर्यावरण के निम्नीकरण एवं असंतुलन को देखते हुए वर्तमान एवं भावी पीढ़ी में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति चेतना जागृत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है । इन परिस्थितियों में पर्यावरण शिक्षा प्रासंगिक है । पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा एवं जनसंचार माध्यम प्रभावपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । जनसंचार माध्यम विशेष रूप से दूरदर्शन द्वारा पर्यावरण से संबन्धित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । यदि इन कार्यक्रमों का उचित शैक्षिक उपयोग किया जाए तो लोगों में पर्यावरण से संबन्धित समस्याओं को समझने एवं हल करने की योग्यता का विकास होगा । अत: पर्यावरण प्रदूषण की भयावहता को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए, अन्यथा बहुत अधिक समय तक मानव जीवन का बने रहना असंभव होगा ।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. पारख, बी.एस. पापूलेशन एजूकेशन : इन्सेप्शन टू इन्स्टीट्यूशनालाइजेशन नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् 1985
2. वेस्ट जान डब्लू एण्ड जेम्स वी. काहन, रिसर्च इन एजूकेशन, नई दिल्ली : प्रेंटिस हाल ऑफ इंडिया, 1992
3. वोर्ग, वाल्टर आर : एजूकेशनल रिसर्च : एन इन्ट्रोडक्शन, न्यूयार्क : डेविड मेक कम्पनी, 1962
4. लामा, महेन्द्र पी. : इन्वायरमेंटल कन्सर्न इन साउथ एशिया, मेनस्ट्रीम 4 नवम्बर, 95 पृ. 13 सिंह, देवेन्द्र,
5. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं बागवानी से संबन्धित दूरदर्शन कार्यक्रमों की प्रभाविकता, अप्रकाशित एम.एड. शोध प्रबन्ध, देवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर, 1991
6. सारस्वत, मालती और वाजपेयी एल.वी. : भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक समस्यायें, इलाहाबाद आलोक प्रकाशन, 1996
7. शर्मा ज्योति, : दि इंस्पेक्टर ऑफ एस.पी.एम. हाट्स इनवायरमेंट, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 10 सितम्बर, 1995 ■

कीर्ति चक्र

यह पुरस्कार पहले अशोक चक्र क्लास-टू कहलाता था । इसे प्राप्त करने वाले वायु सेना के यू.ए.डी. क्रूज थे । जिन्होंने दुश्मन की कैद में रहकर सारे जुल्म सहे, परन्तु अपना सिर नहीं झुकाया ।

अखबारों की बदलती चिंता

–ईश्वर चंद्र मिश्र*

समाज का चिंतनशील वर्ग हर वर्तमान में अगले कालखंड की धड़कनें सुनता है । परिवर्तन की आहट सुनने के कारण ही अखबार एक ओर बनता हुआ इतिहास और दूसरी ओर वर्तमान का दर्पण दोनों होता है। आज संचार के इतने माध्यम हैं कि आम आदमी न सही को सही समझ पा रहा है और न गलत को गलत। इसी अर्थ में भारतीय समाज का यह भी एक संक्रमण काल है। संचार के सिनेमा और दूरदर्शन – जैसे माध्यम अश्लीलता और उपभोक्तावादी मसाले परोसने का तर्क यह देते हैं कि जनता ऐसा चाहती है। इसमें दो राय नहीं कि समाज बदल रहा है। युवाओं की नई से नई पौध बढ़के आगे आ रही है जिनकी अपनी हसरतें हैं, और अपने मनसूबे हैं। कई अखबार सस्ती लोकप्रियता और ग्राहक झपटने के लोभ में नग्न और अर्धनग्न तस्वीरें छापते हैं। ऐसी तस्वीर देनेवाली लड़कियां खुद को बिंदास कहती हैं। इस तरह बेशर्मी के लिए नया शब्द चल पड़ा है बोल्डनेस। यह तथाकथित बोल्ड और बिंदास कल्चर भारतीय मूल्यों की ऐसी–तैसी अपनी ही धरती पर कर रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। अखबारों में और इंटरनेट पर सेक्स तथा सेक्स आधारित चुटकुलों की भरमार है। बेशक ऐसी चीजों का मजा ले–लेकर पढ़नेवाले उपलब्ध भी हैं। जरूरत है कि अखबार अपने उपभोक्तावादी खोखे से बाहर आएं और अपनी गंभीर सामाजिक प्रतिबद्धता को समझें। उन्हें अपने लाभ के साथ–साथ भारतीयता की चिंता भी करनी है।

एक दिन पेड़ के नीचे आलिंगनबद्ध एक जोड़े का फोटो देकर एक अखबार ने उनकी भावनाएं छापीं। ''हमें अपराधी न माना जाए।'' पार्कों में संभवत: पुलिस ने उन्हें खलल डाली होगी। उन्हें डपटा और धमकाया होगा। उनकी इच्छा यह जाहिर हो रही थी कि पार्क उनके लिए एकांत स्थान का सुख दे। अंग्रेजी अखबार में किसी और दिन पढ़ने को मिला कि 20 से 35 वर्ष की उम्रवाला एक ऐसा युवावर्ग मुंबई, दिल्ली और बेंगलूर जैसे महानगरों में उभरकर आ रहा है जो अपने साथी के साथ सेक्स का मज़ा उसी तरह लेना चाहता है जैसे किसी के साथ शाम की चाय पी जाती है। लोग अलग–अलग रेस्तरां में अलग–अलग साथी तथा कभी–कभी अलग–अलग स्थानों में चाय–कॉफी अथवा ड्रिंक का मजा लेते हैं। नई युवापीढ़ी के लिए सेक्स एक अगंभीर मामला बन गया है। यह वर्ग सेक्स में भावुकता और समर्पण जैसी बातों को दकियानुसी और पुरानी मानता है।

भारतीय भौगोलिक परिवेश और यहां के नैतिक मूल्यों पर ज़रा गौर करें तो मामला साफ हो जाता है। हमारे यहां सेक्स विवाह की मर्यादा से बंधा है। हमारे यहां लड़कियां तेरह–चौदह वर्ष की उम्र में रजस्वला हो जाती हैं और यह बात यूरोपीय देशों में नहीं होती। देश के नैतिक मूल्य वहां के भूगोल और इतिहास के अनुरूप होते हैं। इसलिए जो अखबार सेक्स में भावुकता और समर्पण जैसी बातों को पुराने जमाने की पुरानी बातें मानते हैं, वे युवाओं की तरह ही अगंभीर और छिछले हैं। बेशक, ऐसा करने के पीछे उनके व्यावसायिक लाभ भी हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे चटखारे लेकर पढ़ने भर से मतलब है। वह थमकर चीज़ो के दूरगामी परिणाम सोचने को तैयार नहीं है। यह कहना सुखद नहीं है कि अखबारों के जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, पूंजीपति हैं, वे बेशर्मी भी उसी अनुपात में बेच रहे हैं।

पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई कि अखबारों के माध्यम से अश्लीलता न फैलाई जाए। याचिका दायर करने वाले वकील अजय गोस्वामी निश्चय ही परिवार की मर्यादा और सामाजिक मूल्यों के टूटने से विचलित हुए होंगे। उनका विरोध है कि अखबारों को इतना व्यावसायिक और मूल्यविहीन न हो जाना चाहिए कि वे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व

***प्रशिक्षण अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, डी–विंग, पांचवां तल, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूर– 560034**

का स्मरण न रख सकें। पाठक वर्ग चाहता है - यह तर्क वस्तुतः चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की तरकीब ज्यादा लगती है। अखबारों का एक महत्वपूर्ण दायित्व जनाभिरुचि का परिमार्जन करना और जन जागरूकता लाना भी है। समाज में धीर-गंभीर और ऐसे सचेतन लोगों की कमी नहीं होती जो चीज़ों को निथराए पानी से साफ देख सकते हैं। उसी तरह चीज़ों को छिछोरेपन और चलताऊ तरीके से देखने वाले भी काफी होते हैं। इसलिए अखबारों का काम संतुलन को साधना है। दुर्भाग्यवश टी वी जैसे चाक्षुस माघ्यम की नकल अखबार बदले जा रहे हैं ।

अखबार मालिकों एवं उनके संपादकों का कर्त्तव्य है कि यह समझें कि शब्दों के मुद्रित लोक को लेकर अखबार घरों में जाते हैं। मुद्रित शब्दों की ताकत है कि वे मस्तिष्क के ऊपर गंभीर प्रभाव डालते हैं। उन्हें संदर्भित और संरक्षित किया जा सकता है। वे हमारे कल्पना के तारों को झकझोरते हैं। हमारे चिंतन को उसी तरह हिलकोरते हैं जैसे शांत तालाब में कोई पत्थर करता है। समझने की जरूरत है कि आधुनिक व्यावसायिकता और प्रौद्योगिकीय विकास ने अखबारों में क्रांति ला दी है। विषय-वस्तु और पाठ्यसामग्री की प्रस्तुति आज अधूरी लगती है, यदि चित्रों और रंगो की चकाचौंध वहां न भरी जाए। शब्दों को दृश्यों तथा रंगों का साथ मिल जाए तो उनमें मनोहरता आ जाती है ।

दृश्यों, तस्वीरों और रंगों की भूमिका ने भारतीय परिवेश में अखबारी चिंता के केंद्रक पहलुओं को गड़बड़ कर दिया है। प्रौद्योगिकी सस्ती लोकप्रियता और मूल्यहीनता का माघ्यम बन गई है। यूरोपीय देशों में जो अखबार सनसनीखेज़ खबरों और ओछेपन को बढ़ावा देते हैं, उन्हें पोपुलर कहा जाता है। हमारे अखबार लोकप्रिय तब होंगे जब उनमें लोककल्याण का तत्व रहेगा। त्याग, तपस्या और सादगी भारतीय मूल्यों की आधारशिला है। सच्चाई और ईमानदारी के बिना भारतीय मूल्यों की रक्षा असंभव है। भारतीय भाषाओं और खासकर हिंदी के अखबार मिशनरी भावना को लेकर आगे बढ़े थे। उनका उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद करना था। राष्ट्रप्रेम, भाषाप्रेम और भारतीय मूल्यवत्ता में अगाध विश्वास उनकी पूंजी था। आज के ज्यादातर अखबार इन बातों को बेकार और बेमतलब मानने लगे हैं ।

अखबारी चिंता का प्रमुख पहलू निश्चय ही उनका अपना अस्तित्व भी है। हिंदी के अखबारों के सामने ये बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें अंग्रेजी अखबारों की प्रतिस्पर्धा में स्वयं को खड़ा करना है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए भाषाओं के अखबारों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। उनकी अनेक विवशताएं भी समझ आती हैं। फिर भी जो हिंदी अखबार तरह-तरह के हथकंडे नहीं अपनाते हैं, उनके सामने अपना लक्ष्य साफ होता है। उनकी तारीफ करनी ही चाहिए। वे तीज-त्यौहारों के महत्व, पर्यटन स्थलों और तीर्थों के परिचय एवं इतिहास तथा संस्कृति के अन्यान्य संदर्भों से लोगों को जोड़ते हैं। बदलते वक्त की समझ रखते हुए हिंदी तथा अन्य भाषाओं के अखबार हर आयुवर्ग के पाठकों से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। फैशन, वेशभूषा, रहन-सहन तथा रोजगार और कैरियर के तमाम अवसर आज अखबारों में देखें जा सकते हैं ।

हिंदी अखबार पढ़ने वाले या पढ़ना चाहने वाले वर्गों की एक बड़ी विडंबना यह है कि उन्हें अपनी बौद्धिक भूख मिटाने वाली सामग्री इन अखबारों में नहीं मिलती। अंग्रेजी अखबारों के मुकाबले हिंदी अखबारों की सामग्री में श्रम और समस्तरीयता की कमी खलती है। अंग्रेजी की तुलना में भाषाओं के अखबार एक प्रकार से पैदल और साधनविहीन हैं। इनकी अपनी समाचार एजेंसियां नहीं हैं । अंग्रेजी समाचार एजेंसियां ही खबरों का अनुवाद करवाकर इन्हें बेचती हैं। स्वभावतः इन अखबारों को अनुवाद की गुणवत्ता और उसी तरह की अन्य चुनौतियों से जूझना पड़ता है। कम श्रम और कम समय में धनाढ्य बन जाने की मनोवृत्ति भारत में काफी बढ़ रही है। उसे संतुलित करने की दिशा में भाषाओं के अखबारों को काम करना चाहिए। इस बेतहासा भागते समय में थके पांव बूढ़े पिछड़ रहे हैं, वे कहीं छूट रहे हैं। भावनाओं के स्तर पर वे कई बार लूटे और टूटे हुए लगते हैं। अखबारों को आगे बढ़कर कुछ ऐसी पहल करनी है, ऐसा वातावरण बनाना है कि कुछ सामग्री इनके घावों पर मरहम बन सके। अनेक वर्गों का मनोवैज्ञानिक प्रबंधन आज एक बड़ा विषय है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण देश में एक ऐसी होड़ मची हुई है कि रहन-सहन, खान-पान और तौर-तरीकों, सभी में अधैर्य और आपाधापी है। उपभोक्तावाद का ऐसा रंग लोगों पर चढ़ चुका है कि सब के सब उसमें सराबोर हैं। आत्मधन्यता इतनी है कि सभी अपने में मस्त हैं। पूंजी का एक निरंकुश खेल जारी है जिससे समय रहते हम सावधान न हुए तो हमारी मूल्यवत्ता की चूलें हिल जाएंगी और हम-हम नहीं रहेंगे। ■

संस्कृति

शब्द एक-अर्थ अनेक

–बल्लभ डोभाल*

भारतीय वाङ्मय में देवता शब्द अनेक असाधारण क्षमताओं की प्रतीति कराने वाला है। देवता शब्द के अर्थ व्यापक हैं, किन्तु व्यवहार में उसका उपयोग कुछ इस ढंग से हुआ है कि उसे समझ पाने की स्थिति में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किसी समष्टि में काम आने वाली शक्ति को देवता कहा गया है ।

ऋग्वेद में 'एकोदेवः सर्व भूतेषु गूढ़ः' कहा है। अर्थात्, सम्पूर्ण विश्व का एक ही देवता है। किन्तु उसके अधीन काम करने वाले अनन्त देवता हैं, जो एक ही सत्ता के पोषक हैं। उपनिषदों में 'रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूवः, कहा है। एक ही शक्ति कार्य-कारण भाव से अनेक रूपों में बंटी हुई है, इसलिए हम कण-कण में उस छवि की कल्पना करते हैं और जड़ कहे जाने वाले पदार्थ में भी देवता की शक्ति सक्रिय मानते हैं। यह हमारी भावना है। भाव की शक्ति भी प्रबल है।

'जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी' कहा है। मनुष्य जैसा सोचता है, वही स्वरूप उसका बन जाता है। भावना ही बन्धन और मुक्ति का कारण भी बनती है। उपनिषदों ने माना है कि तुम्हारी भावना और तुम्हारे अन्दर की शक्तियां ही देवता हैं। मनुष्य यदि अपने अन्दर की शक्तियों से परिचित होकर उन्हें कर्म में प्रस्तुत करता है तो देवता कहलाता है। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ऐसे ही देवता हैं । देवताओं को भी कर्म के अधीन बताया गया है। प्राचीन शास्त्रों में कर्म की विशद् व्याख्या हुई है। वहां कर्म का स्थान देवताओं से भी ऊंचा कहा गया है। सद्कर्मों से मनुष्य देवता कहलाता है, गुण और कर्मों की ही पूजा की जाती है। देवताओं की पूजा हम इसलिए करते हैं कि उनके चरित्र में गुण और कर्मों की विशेषता है। 'गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृ वंशो निरर्थकः' कहा है। सृष्टि-रचना में कर्म की प्रमुखता है। कर्म से ही धर्म की उत्पत्ति है। यदि कर्म नहीं करेंगे तो न धर्म पैदा होगा न अधर्म। न पाप होगा न पुण्य की ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ है ।

भारतीय दर्शन के अन्तर्गत मनुष्य जीवन में देवताओं का स्थान अवश्य है, किन्तु अन्तिम सिद्धान्त यह है कर्म देवताओं से भी ऊंचा है। जिस प्रकार सारे देवता एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं उसी तरह सम्पूर्ण कर्म मनुष्य जीवन की व्याख्या है। देवता कर्म के नियन्ता नही हैं, कर्म ही देवताओं को नियंत्रित किए हैं । देवता भी कर्म से बंधे हैं। सद्कर्मों के कारण मनुष्य देवता कहलाता है तो दुष्कर्म करने पर देवता भी राक्षसों की कोटि में आ जाते हैं ।

महर्षि कश्यप अपनी संहिता में एक जगह लिखते हैं कि– व्याधियां स्वयं कभी नहीं आती, माता-पिता अथवा संतान के दुष्कर्म ही उसके आक्रमण के हेतु बनते हैं।

'चरक संहिता' में चरक की मान्यता है कि–जो मनुष्य अपने कर्मों से दूषित नहीं है और जिसके मन में किसी प्रकार की दुर्भावना दूसरों के प्रति नहीं है, देव,गन्धर्व, पिशाच और राक्षस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, किसी प्रकार का रोग-शोक परिताप उसे प्रभावित नहीं कर सकता। दुष्कर्मों को सद्कर्मों के द्वारा ही जीता जा सकता है, देवताओं की कृपा से नहीं।

प्रश्न उठता है कि जब देवता किसी का दुःख दूर नहीं कर सकते तो फिर उनके सम्पर्क से क्या लाभ ! .....भारतीय आचरण-शास्त्र में इसका उत्तर भी दिया गया है। यह कि

*डब्ल्यू-46, सैक्टर-12, नोएडा-201301

देवता किसी का दुःख दूर करने स्वंय नहीं आते, किंतु जो उनके समक्ष प्रायश्चित की भावना लेकर जाता है और अपने उद्धार की कामना करता है, उसे वे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वह अपने कर्मों को सुधार सके। क्योंकि सुख-दुःख भी कर्मों के अधीन है, देवताओं के अधीन नहीं ।

मनुष्य के सुख-दुःख का कारण मन है। 'मनः एवं मनुष्याणां कारण बंधमोक्षये' कहा है। बंधन और मुक्ति का कारण भी मन ही है। आश्चर्य है कि आज का विज्ञान भारी से भारी भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में लगा है, किंतु मन के नियंत्रण का कोई वैज्ञानिक उपाय वह अब तक खोज नहीं पाया। यही कारण है कि विज्ञान की प्रचुर उपलब्धियों के बावजूद मानव समाज आज भी सुख से वंचित है। आज हम धर्म की बातें बहुत जोर-शोर से करते हैं। लेकिन धर्म की वास्तविक स्थिति क्या है, उसे समझ नहीं पाए। धर्म हमेशा एक-सा नहीं रहता। सनातन...यानि एक-सा रहने वाला कोई धर्म नहीं है। समय, स्थितियां और युग के अनुसार उसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। वर्तमान में धर्म हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है । जिसकी सर्व-सम्मत परिभाषा कठिन है। भारतीय इतिहास में धर्म शब्द देश-काल और पात्र को देखकर अपने कर्त्तव्य को प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से जब हम धर्म-निरपेक्षता की बात करते हैं तो अपने कर्त्तव्य से विमुख होने की बात करते हैं। क्योंकि धर्म के मूल में कर्म है। कर्म की ही उपज है धर्म । धर्म का अस्तित्व कर्म पर निर्भर है। तब धर्म-निरपेक्षता का अर्थ कर्म की उपेक्षा करना ही बनता है ।

वास्तव में धर्म की परिभाषा जितनी जटिल है उतनी ही आवश्यक भी है। मनु, याज्ञवल्क्य आदि ने धर्मशास्त्र जरूर लिख दिए, पर उतने से काम चलने वाला नहीं। व्यवस्था और स्थितियों के अनुसार हमें स्वयं भी कई निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए धर्म को किसी खांचे में रखा नहीं जा सकता। राम को प्रतिष्ठा इसलिए मिली कि उसने राज्य का त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन राम का धर्म बना। किन्तु प्रह्लाद ने पिता की आज्ञा का पालन न कर वही प्रतिष्ठा प्राप्त की जो राम को मिली। श्रवण कुमार का सम्मान माता-पिता की सेवा के कारण होता है जब कि परुषराम माता की हत्या कर वही सम्मान पा जाते हैं। राजा दिलीप गुरु-सेवा से यशस्वी होते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य का वध करने पर अर्जुन को वही यश प्राप्त है। विदेशों में पति के मर जाने पर दूसरे पति का वरण स्त्री के लिए दोष नहीं, भारत में वह दोष है। मुसलमान चाचा अथवा मामा की लड़की से निकाह, पाप नहीं मानते, हिन्दुओं में उसे पाप माना गया है। ऐसी स्थिति में मानव-धर्म क्या है, अधर्म क्या !...पाप क्या और पुण्य क्या !...इसका निर्णय कर पाना कठिन है। गीता में इसीलिए कहा है- 'किंधर्मकिमधर्मेति कवयोप्यन्न मोहितः' क्या करणीय है और क्या नहीं करना है, यह तय कर पाना कठिन है। तो भी निर्णय हमें स्वयं ही करना है ।

हमारा अपना चिन्तन जरूरी है। इसीलिए कहा है-स्वयं को पहचानो । दूसरे का ज्ञान तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तुम्हारे अन्दर भावना का एक व्यापक समुद्र लहरा रहा है। एक दुनिया वहां बसी है, भावों की उस दुनिया में लौट सको तो देवता बनने से तुम्हें कोई रोक न सकेगा ।

मनुष्य प्राणी को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि उसमें चेतना है। उस चेतना को जागृत कर दूसरों को उसका लाभ पहुंचाने में ही जीवन की सार्थकता है। यही मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म है और यही परम-धर्म कहलाता है ।

देवताओं की पूजा, अर्चना, उपासना, भजन-कीर्तन आदि के मूल में एक ही भावना थी। यह 'सोडहं' की भावना थी। अभिप्राय यह कि जो तुम हो, हम भी वही बनें। वही शक्ति और सामर्थ्य हमें भी प्राप्त हो। तुम्हारी तरह हम भी अमर-पद प्राप्त करें। अमरत्व ही देवताओं का वरदान है, वरना साक्षात् देवताओं से किसका साक्षात्कार हो सका है। भाव ही उनका साक्षी रहा है, जो उस भाव में रममाण हो गया वही देवता बन गया ।

महात्मा बुद्ध सब कुछ त्याग कर तप करने चले जाते हैं, लौटने पर जब भगवान के बारे में उनसे पूछा गया तो मौन रह गए, किन्तु अपने तप, त्याग के कारण भगवान कहलाने लगे। स्वामी चैतन्य इस भाव में इस तरह लीन हुए कि पागलों की तरह नाचते-गाते ही चले गए। भगवान को उन्होंने भी नहीं देखा, किन्तु 'महाप्रभु' का पद प्राप्त कर गए। तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि को यही भावना अमर कर जाती है और अमर हो जाना ही देवत्व को प्राप्त हो जाना कहा गया है। ■

विविध

परिस्थितिकीय संतुलन यानि मानव अस्तित्व की कुंजी

–सुशील भूषण*

परिस्थितिकीय संतुलन प्रकृति के स्वास्थ्य की स्थिति का पैमाना होता है। परिस्थितिकीय तंत्र की काव्यात्मक परिभाषा यही हो सकती है कि परिस्थितिकीय प्रकृति का वो साज है जिस पर जिंदगी का गीत गाया जाता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक वैज्ञानिक विषय का मानवीय दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत कर सकूं। वैसे भी विषय कोई भी हो उसका लक्ष्य मानव ही होता है।

मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि मनुष्य क्रमिक विकास का परिणाम है या ईश्वर की कृति। पर इतना दावे से कह सकता हूँ यदि मानव को ईश्वर ने बनाया होगा तो बनाकर बहुत पछताया होगा, आज भी वह अपनी इस प्यारी दुनिया की किसी भी समस्या का विश्लेषण करता होगा तो उसकी जड़ में भगवान को मनुष्य की महत्वाकांक्षा या उसका लालच बैठा हुआ मिलता होगा। यदि मुझे आज की समस्याओं को एक वाक्य में परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा ''आदमी की, आदमी के लिए आदमी द्वारा पैदा की गई समस्याएं।

परिस्थितिकीय संतुलन पर बात मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शाश्वत वचन से शुरू करना चाहता हूँ । उन्होंने कहा था कि ''यह धरती प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, परन्तु लालच एक भी व्यक्ति का पूरा नहीं कर सकती।'' क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है। हमारे वेदों में भी एक आप्त वचन है कि ''भोग त्याग के साथ करो'' मानव प्रकृति का छोटा सा...अदना सा हिस्सा है और व्यवहार इस तरह करता है मानो वह प्रकृति का स्वामी हो। परिणाम...भयंकर पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, परिस्थितिकीय संतुलन का डगमगाना आदि अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो गई हैं। मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि मानव को अपनी सभ्यता को नए आयाम देने थे, यदि उसे चाँद को छूना था, तो उसका जंगलों से बाहर आना और प्रगति की एकतरफा यात्रा पर निकलना नितान्त आवश्यक था। मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी गलतियों से सीखता भी है और उन्हें सुधारता भी है। हाँ, यह क्रूर सत्य है कि परिस्थितिकीय संतुलन पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भी मानव ने ही डाला है, तो यह भी अटल सत्य है कि मानव ही अपनी मेघा और प्रयासों से सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम है। यूं भी जब हम परिस्थितिकीय संतुलन की बात करते हैं तो हम पृथ्वी के अस्तित्व की बात करते हैं और मानव जाति के होने या न होने की बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह परिस्थितिकीय संतुलन है क्या बला? एक आम आदमी की भाषा में कहें या एक आदमी को समझ आने वाली भाषा में कहें तो परिस्थितिकीय संतुलन इस प्राणी जगत में मौजूद प्रत्येक जीव और वनस्पति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित हुआ तन्त्र है। इस गृह पर मौजूद हर एक जीवन एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में संपृक्त है, जुड़ा हुआ है। किसी भी क्षेत्र विशेष में सजीव वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं, खाद्य शृंखला और पर्यावरणीय परिस्थितियों के मध्य एक उत्कृष्ट किंतु संवेदनशील संतुलन बना रहता है। यदि इस संतुलन में, इस तंत्र में, जरा सा भी व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो, संवेदनशील प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। इस विषय पर विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर भी नजर डालना समीचीन होगा।

*338, सैक्टर-13, पाकेट-ए, द्वारका, नई दिल्ली-110075

पीटर हेरेट जो पश्चिमी जगत के एक बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा था कि ''परिस्थितिकीय तंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें पौधे और जीव जन्तु अपने पर्यावरण से, पोषण श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं।''

श्री ई.पी. ओडम द्वारा दी गई परिभाषा मुझे परिस्थितिकीय तंत्र की एक मुकम्मल परिभाषा नज़र आती है। उन्होंने कहा था कि ''परिस्थितिकीय तंत्र के अध्ययन में हम प्रकृति की शरीर रचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं।''

लिडर मैन के अनुसार ''किसी भी आकार की, किसी भी क्षेत्रीय ईकाई में भौतिक, जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था, परिस्थितिकीय तंत्र कहलाती है।''

मैंने पीछे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिस्थितिकीय तंत्र की कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया है। यदि मैं भारतीय मनीषियों द्वाराा पर्यावरण के प्रति व्यक्त उदात्त धारणाओं को रेखांकित न करुं तो यह उनके प्रति अन्याय ही नहीं बल्कि अपराध होगा। भारतीय जीवन शैली या तो ऋषि आधारित रही है या कृषि आधारित रही है। हमारे ऋषि-मुनियों की जो आश्रम व्यवस्था थी, वह प्रकृति के साथ पर्यावरण को पोषित करते हुए जीवन यापन की एक पद्धति थी। आज हम अपने को भले ही लाख धर्मनिरपेक्ष कहें परन्तु हमारे यहां धर्म व्यक्ति के मर्म को स्पर्श करता रहा है। इसलिए वहां वृक्षों और वनस्पति को धर्म से जोड़कर देखा गया है। स्कन्द पुराण में कहा गया है कि ''हे वनस्पति ! आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति पशुधन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारण शक्ति प्रदान करो।'' आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि वैदिक युग में जो व्यक्ति हरे वृक्ष की शाख काटता था उस पर 20 पण, जो वृक्ष का मोटा तना काटता था उस पर 48 पण और जो उसे समूल नष्ट करता था उस पर 80 पण, जो उस समय की मुद्रा थी, जुर्माना लगाया जाता था। इससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण और परिस्थितिकीय संरक्षण के लिए कितने उच्च और अनुकरणीय मानदण्ड स्थापित किए हुए थे। वृक्षों की पूजा होती थी, कहा जाता था कि:-

वृक्ष कबुहँ नाहिं फल भरवै,
नदी न संचे नीर।।

इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्राकृतिक और जैविक वातावरण में विभिन्न तत्वों के पारस्परिक अन्त:क्रिया फलस्वरूप अद्भुत भूदृश्य को परिस्थितिकीय तंत्र से अभिहित किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्त जड़-चेतन जैविक-अजैविक तत्वों को शामिल किया जाता है। पृथ्वी के किसी स्थान विशेष में मिलने वाले इन तत्वों में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्वत: ही भिन्नता मिलती है और यदि तत्वों में भिन्नता नही होती तो उनके संयोजन में भिन्नता मिलती है। यह भिन्नता ही भिन्न-भिन्न परिस्थितिकीय प्रणालियों की जननी बनती है।

हमारे इस जैव मंडल के अन्दर कई परिस्थितिकीय प्रणालियां कार्यरत हैं। जैसे-तालाब, झील, जंगल, घास, मरुस्थल, समुद्र आदि। जैसे नदी की अपनी एक प्रणाली है, तो तालाब की उससे भिन्न है। इसी तरह समुद्र का अपना एक विशाल और समृद्ध परिस्थितिकीय तंत्र होता है और ज्यादा गहराई से देखें तो समुद्र की अलग-अलग हिस्सों की अलग-अलग प्रणाली होती है। तटीय क्षेत्रों जैसे गोवा का एक अलग परिस्थितिकीय तंत्र है, तो समुद्र की अतल गहराईयों में एक अलग परिस्थितिकीय तंत्र काम करता है। इसी तरह डेल्टा क्षेत्र जो कि नदी के मुहाने होते हैं, जहां समुद्र और नदी मिलते हैं, वहां एक अलग ही समृद्ध और विविधता पूर्ण पर्यावरण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है।

मैं यहां अब परिस्थितिकीय तंत्र की समस्याओं और उसके सामने उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करना चाहूंगा। सही कहें तो यह परिस्थितिकीय तंत्र के सामने उत्पन्न चुनौतियां नहीं बल्कि मानव के सामने उत्पन्न चुनौतियां हैं। मानव की विकासात्मक गतिविधियां, विनाशात्मक गतिविधि बन कर कई प्रजातियों और कई परिस्थितिकीय तंत्रों को नष्ट कर चुकी है। यदि हम आज भी चेत जाते हैं तो पर्यावरण और परिस्थितिकीय तंत्रों को हुई नुकसान की काफी कुछ भरपाई कर सकते हैं। वैसे भी कहावत है कि ''जब आंख खुले तभी सवेरा।''

आज हम जनसंख्या विस्फोट और शहरीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं। आज हमने हरे भरे जंगलों की जगह कंकरीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। यदि हम प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लेते तो हर्ज नहीं था, परंतु हमने उस पर अपनी महत्वाकांक्षा के चाबुक और अपने लालच के खंजर से भरपूर वार किया है। यह और बात है

कि हमने उसे विकास, प्रगति, सभ्यताओं का उत्कर्ष आदि बड़े-बड़े नाम दे दिए हैं। सिर्फ एक शहर बसाने के लिए हमने कितनी प्रजातियों को नष्ट किया, कितने परिस्थितिकीय तंत्रों को तबाह किया। इसका कभी भी और कहीं भी कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

आज हम 110 लाख हेक्टेयर जंगल प्रति वर्ष नष्ट कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही 13 लाख हेक्टेयर जंगल प्रतिवर्ष काटे जा रहे हैं। विश्वभर में 50 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष रेगिस्तान में तब्दील हो रही है। हो सकता है 100 साल बाद या 500 साल बाद हमारे तटीय शहर जैसे-गोवा, मुंबई आदि समुद्र की अतल गहराईयों में डूब चुके हों । हो सकता है कि थार का रेगिस्तान दिल्ली को भी लील जाए। आज हम जिस गति से सल्फर और नाइट्रोजन आक्साइड वायुमंडल में भेज रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब आसमान से शीतल पानी की बूंदों की जगह तेजाब की बूंदे गिरेंगी। तेजाबी वर्षा आज तक हकीकत बन चुकी है। बाढ़ आज हम लोगों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम की तरह है।

आधुनिक सभ्यता उग्रवाद को प्रशय देने वाली युद्ध की संस्कृति की हिमायती है। युद्ध और उग्रवाद भी हमारे परिस्थितिकीय तंत्रों के लिए भस्मासुर सिद्ध हो रहे हैं। एक अकेले वियतनाम-अमेरिका युद्ध में जिसमें अमेरिका ने वियतनाम के घने जंगलों में भयंकर बमवारी की थी। हजारों प्रजातियों के प्राकृतिक आवास स्थाई रूप से नष्ट हो गए थे। युद्ध में भले ही एक पक्ष जीत जाए या एक पक्ष हार जाए परन्तु जब लाखों लाख टन बम जब धरती मां के सीने में उतारे जाते हैं जो हमारी धरती मां हमारा पर्यावरण, हमारा परिस्थितिकीय हमेशा हारती है। हिरोशिमा और नागासाकी की धरती आज भी बंजर है। वहां आज भी अपाहिज और विकृत बच्चे जन्म लेते हैं।

हर चीज की एक सीमा होती है। इस धरती के धैर्य की और धारण करने की भी एक सीमा है। यह सही है कि धरती हमारी मां है। लेकिन मां भी एक बिगड़े हुए बच्चे को कभी-कभी चांटा मार ही देती है और कभी इसलिए मारती है कि बच्चा बिगड़े नहीं । मनुष्य ने आज तक अपनी हरकतों से यही सिद्ध किया है कि वह इस धरती मां का बिगड़ा हुआ बच्चा है । धरती ने अभी तक अपने छोटे-मोटे प्रकोपों से जो सजा हमें दी है वह इस बात का प्रयास है कि बच्चा बिगड़े नहीं परंतु हम हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।

आज हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो परिस्थिति के प्रति मित्रवत हो जाएं । पर्यावरण से दोस्त की तरह व्यवहार करें या फिर आत्मघात के रास्ते पर चलकर डायनासोरों की तरह सदा के लिए विलुप्त हो जाएं। मैं इस सकारात्मक टिप्पणी पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मनुष्य की दृष्टि ही सृष्टि को रचती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह एक प्रज्ञावान प्राणी है। उसे अपनी गलती स्वीकार करना भी आता है और उसे सुधारना भी आता है। परिस्थितिकीय संरक्षण की दिशा में विश्व भर से गंभीर प्रयास आरम्भ हो चुके हैं हमें इन प्रयासों को अभी और गति एवं गंभीरता देनी है। हम भारतीय भी इस महायज्ञ में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी हाल ही में श्री आर. के. पचौरी जी को उनके प्रयासों के लिए नोबल पुरस्कार मिला है। हम आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा, स्वच्छ पानी, हरा-भरा पर्यावरण और अनगिनित, समृद्ध परिस्थितिकीय तंत्र देने में सफल होंगे। आज भले ही परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अन्धेरा नजर आए परंतु उजाला भी तो अन्धेरे के दूसरे छोर से ही निकल कर आता है। यात्रा अन्धकार में हो रही है परंतु यात्रा अन्धकार की नहीं प्रकाश की है, उजाले की है। मनुष्य की कभी न हारने वाली प्रकृति की है। मनुष्य इस संघर्ष में भी विजेता बनकर निकलेगा, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए अपनी एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात समाप्त करुंगा-

पिछले पतझड़ में
जिस आम को आग लगी थी
इस बसन्त में उस पर
दो पत्ते फूटे हैं
अगले बसन्त में
बौरे भी पड़ जाएगी
रुठी कोयल,
लौट आएगी घर अपने
छायेगी हरियाली जड़ों में गहरे,
बैठा जीवन जीतेगा,

■

भारतीय मन्दिरों का स्त्रोत एवं उनका विकासक्रम

–डॉ. के. वनाजा*

सहस्राब्दियों के परिवर्तन तथा परिवर्द्धन के पश्चात् पुरातन रेखाओं का सीमा-निर्धारण और नवीन अन्वेषण असंभव नहीं तो भी कठिन अवश्य है। देवालयों के उद्‌भव और विकास का इतिहास भी काल के प्रवाह में पड़ कर जब धुँधला सा दृष्टिगत होता है तो उनका स्त्रोत ढूँढ निकालना कितना दुष्कर कार्य होगा, यह अनुमाननीय है। किसी भी देश में अनेक जाति तथा वर्ग के लोग जब घुल-मिल जाते हैं तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक योगदान संभव होता है। भारतवर्ष में हज़ारों वर्षों से कई धर्म, जाति, वर्ग, रंग और संस्कार के लोग आए और उनके मिलने-जुलने से पारस्परिक आदान-प्रदान का कार्य संपन्न हुआ। जहाँ तक इतिहास-ज्ञान की सीमा है, आर्येतर जन ही यहाँ की प्रथम संस्कृत चित्त जनता सिद्‌ध होते हैं। उनके यहाँ मूर्ति-पूजा की प्राचीन प्रथा थी। अनुमानतः ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व भारत में देवमंदिर थे और मूर्तिपूजा का विधान भी प्रस्तुत था, इसका उल्लेख मिलता है। सगुण और निर्गुण भक्ति का आन्दोलन भी आर्येतर जनता का उपादान सिद्‌ध हुआ है। 'भक्ति दक्षिण उपजी' वाला कथन अब सर्वसम्मत हो गया है। संस्कृत के पुराणकाल से बहुत पहले दक्षिण में भक्ति-संप्रदाय की परंपरा प्रचलित थी। दक्षिणी शैव भक्ति तथा वैष्णव भक्ति की परंपरा अवश्य संस्कृत-भक्ति परंपरा से प्राचीन तथा संस्कृत-भक्ति परंपरा के लिए सहायक रही है। नायनार और अलवार भक्त इस पूर्व परंपरा की श्रृंखलाएं हैं। प्रकृति की अनेक शक्तियों की आराधना का क्रम भी आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ परिलक्षित होता है। प्राचीन द्राविडों ने भौगोलिक परिस्थिति की विशेषता को लक्ष्य बनाकर देश को कुरिंचि (पार्वत्य देश) मुल्लै (पर्वत और तराई के बीच का भाग) मरुतं (नदी मुख का समतल) नेय्तल (समुद्र तीर) और पालै (मरुभूमि) नामक पांच भागों में विभक्त किया है। इन देशों के देवता हैं क्रमशः 'मुरुकन (शेयोन), मायोन, इन्द्र, वरुण एवं कोट्टवै हैं।' वे प्राकृतिक देवता थे और आज उन को आर्य देवताओं का पर्याय माना जाता है। शेयोन या मुरुकन ही सुब्रह्मण्य है, मायोन विष्णु है तथा कोट्टवै के देवी कही गई है। इसका कारण यही सिद्‌ध होता है कि आर्यों के उपनिवेश से लेकर पुराण एवं तंत्र साहित्य का प्रभाव दक्षिण में भी हुआ और आर्यों के पूजा-क्रम एवं देवता के नाम का प्रचार दक्षिण देवालयों में भी होने लगा। इसमें रंच मात्र भी आश्चर्य की बात नहीं कि सहस्राब्दियों के संपर्क से आर्य और आर्येतर देवों और देवमन्दिरों का मौलिक स्वरूप-विधान नष्टप्राय सा हुआ और संश्लेषण की मात्रा बढ़कर सम्मिश्रण अधिक हुआ और उसका विश्लेषण असंभव सा हो गया। यहाँ तर्क यही है कि भारतीय मन्दिरों का स्त्रोत एवं विकास केवल आर्य तांत्रिक सिद्‌धान्तों से ही संपन्न हुआ है या आर्येतर स्वरूप विधान भी इसमें संकलित है? अगर आर्येतर अंश है ही तो वह किस कोटि का है और कहाँ तक वह प्राचीन है? आधुनिक मन्दिरों की दशा के निदान क्या-क्या हो सकते हैं?

भारतीय मंदिरों एवं मूर्तियों में आर्येतर संस्कृति का समावेश निस्तर्क हुआ है। प्रसिद्‌ध केरल साहित्य के इतिहासकार उल्लूर एस. परमेश्वरय्यर का विचार है कि द्राविड-आर्य-संपर्क के पूर्व कौन-कौन देवता (दक्षिण में) थे उनमें किन-किन को आर्यो ने परिष्कृत बनाया यह कहा नहीं जा सकता। पर निस्संदेह पुराण-काल के हिंदु धर्म में द्राविड धर्म में कतिपय अंश अवश्य जुड़े हैं।[2] अब भी आर्येतर संस्कृति के वे चिह्न यत्र-तत्र दिखाई पड़ते हैं। यद्‌यपि वे केवल खंडहर रह गए हैं तो भी वे अपने अन्यून प्राचीन उत्कर्ष का शंखनाद कर रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, मैसूर और आँध्र के मंदिरों की आकृति, प्रकृति तथा उनका पूजा-क्रम उत्तर से बहुत भिन्न है। उनमें आर्येतर मुद्रा का अंश अंकित है। आसाम एवं कश्मीर की पूजाविधियों में और मन्दिरों के स्वरूप में भी आर्येतर भव्य भाव दृष्टिगोचर होता है । विद्‌वानों का अनुमान है कि जैन चैत्यों और बौद्ध

[1]रीडर, हिंदी विभाग, विज्ञान एवं टेक्नोलोजी, कोचीन विश्वविद्‌यालय, कोची-682022

विहारों-स्तूपों का परिणत रूप ही सारे भारतीय मंदिर हैं। एक सीमा तक उनका अनुमान भी वास्तविक है। क्योंकि दक्षिण के कुछ मन्दिर स्तूपों के आकार के अनुकरण हैं। लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जो कुटीर, लतानिकुंज, वृक्षवेदिका और श्मशान वेदी हैं। जिनमें बौद्ध, जैन या आर्य प्रभाव का लेशमात्र स्पर्श नहीं है। शून्यता पर बने इन आराधना स्थानों के न उत्तुंग स्तूप या गोपुर हैं या बृहदाकार आलय निर्मित हुए हैं। यद्यपि ये क्षेत्र केरल तथा दक्षिण भारत में सार्वजनिक एवं कौटुंबिक आराधना के पवित्र स्थान हैं तथापि अब्राह्मण लोग ही इन देवस्थानों की पूजा में अधिक मात्रा में लगे हुए हैं ।

आर्येतर देवताओं में चुटलै माटन, वेताल, भैरव या शिव, कोट्टवै (आज वही काली या देवी है), शेयोन या मुरुकन (सुब्रह्मण्य है आज) और अय्यनार (वह अब शास्ता या बुद्ध माना गया है) प्राचीन एवं आर्यंतर प्रकृति के हैं।[3] इनकी पूजा का विधान ही प्राचीनतम माना जा सकता है। प्राचीन शिवमंदिरों का उद्भव स्थान "चुटलै" या इमशान हैं। चुटुकाड़ या चुटलै कलं (श्मशान) में मृतक के दाह कर्म के बाद एक स्तूपाकृति का पत्थर रखा जाता था जो बाद में लिंगम कहलाया गया। आज भी दक्षिण के श्मशानों में ऐसे कई लिंगम कोई भी साधारण यात्री देख सकता है [4] जो मसजिदों के या गिरजाघरों के पत्थर अथवा स्मृति चिह्न हैं। महाभारत अनुशासन पर्व के 141 अध्याय में शिवजी का उद्घोषण है कि मेरे लिए श्मशान से बढ़कर हृदयंगम दूसरा स्थान नहीं है .... इसलिए वही मेरा पवित्र आवास है.... वही मेरा स्वर्ग है। शिवालयम् का अर्थ भी श्मशान है ।[5] इस श्मशान देवता के विकास क्रम की कई दक्षिणी रेखाएं है। जिनका आनुषंगिक प्रतिपादन भी आर्यरचनाओं में उपलब्ध नहीं होता। नवीं शताब्दी ईस्वी के एक प्रमाण से पता चलता है कि चोल राजा राजादित्य ने अपने पिता की चिता के स्थान पर एक देवमंदिर की स्थापना की थी । चोल सम्राट आदित्य प्रथम तथा चोलेश्वर राज प्रथम ने भी ऐसे मंदिरों की स्थापना की है ।[6] श्मशानों में मंदिर बनाने की प्रथा आज भी कम्मालर, वेल्लालर, जान्द्र आदि जातियों में प्रचलित है। निर्धन लोग चिता स्थान में एक लिंगम की प्रतिष्ठा करते हैं जो शिवजी का लघुतम परिनिष्ठ रूप माना जाता है। इससे अद्भुत कार्य यही है कि नीलगिरि के तोड़ा लोग मृतों का दाहकर्म पत्थरों के टुकड़ों से बनाए एक गोलाकार स्थान में करते हैं ।[7] आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों में ऐसी रीति चलती है। तोडा लोग उन्हीं गोलाकार स्थानों में पूजा का कार्य भी शुरू करते हैं। चिता स्थान में एक ओर वे एक काले पत्थर की प्रतिष्ठा करते हैं और उसकी वन्दना करते हैं। मृत स्थानों को वे आज़ारं कहते हैं। इन्हीं आज़ारं से भविष्य में मंदिर का रूपविधान हुआ है, यही निर्णय समीचीन सिद्ध होता है। इस निर्णय के और भी उपपत्ति प्राप्त है। नीलगिरि के कुरुम्बा लोग गोलाकृति के एक पत्थर की पूजा करते हैं । वे इसे लिंगम नहीं कहते यद्यपि वे शैव कहलाते हैं ।[8] तोडा लोग भी ऐसे ही पत्थर की अपने इष्ट देव "बोत" कहकर पूजा करते हैं। उसमें इतना अंतर है कि उसके ऊपर एक स्तूपाकृति का ताड़ के पत्तों से आच्छादित मंडपवितान है जो वर्तुलाकृति की दीवारों पर बसा है। ऐसे मंदिरों के चारों तरफ पत्थर के टुकड़ों को कतार में रखकर दीवार खड़ी की गई है ।[9] केवल पुरुषों के दाहकर्म के समय चिता स्थान में पत्थर रखने और उसकी पूजा करने का विधान है। इससे प्रमाणित होता है कि पहले केवल पत्थर रखकर मृतक की आत्मा का संकेत करके पूजा की जाती थी और पीछे उसे 'लिंगम्' का अभिध ान प्राप्त हुआ था। इस पत्थर या 'कल्लु' को लिंगम कहने की रीति बाद की ही हुई होगी। कोडुंङ्ङल्लूर नामक प्रसिद्ध केरल के स्थान का संस्कृतीकरण यहाँ विचारणीय है।

कोटुं+कल्लु+ऊरू =कोटुङ्ङल्लूर

कोटि+लिंग+पुरम=कोटिलिंगपुर[10]

इसमें 'कल्लू' को संस्कृत में लिंगम् कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि दक्षिण श्मशानों में प्रतिष्ठित 'कल्लू' ही बाद में लिंगम् बने और श्मशान देव के प्रतीक हुए । शिव का रूप विकास इसी से हुआ समझना चाहिए और वही आर्येतर शिव बाद में वैदिक रूद्र के तथा बाद की शिवाकृति की कल्पना के अनुरूप बना होगा। प्रकृत विषय के संबंध में और भी प्रमाण प्रस्तुत हैं। शिव तो क्षेत्रपाल माने जाते हैं। उनका स्थान प्रधान मंदिरों के बाहर ही माना जाता है। क्षेत्रपाल और भैरव के तीन नेत्रवाले विग्रह पाए जाते हैं। [11a] इसका यही आशय है कि आर्य-जाति आर्येतर शिव को बहुत समय तक अपने देवों के बीच समुन्नत स्थान देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए निम्न कोटी का समझ द्वार में उसको प्रतिष्ठित करने को मान्यता दी थी। केरल में भी चिता में तीन आँखवाले नरियल के पक्व फल को लगाने की रीति है। वही आगे चलकर 'चुडलैतेङ्ङु' (श्मशान के नारियल का पेड़) बनता था। इसमें भी तीन नेत्रवाले शिव का ही संकेत माना जाना चाहिए । शिवजी के आराधकों की संख्या

और शिव पूजा की प्रधानता देखकर ही बाद में आर्यों ने उन्हें प्रमुख देवता और वैदिक रुद्र का पर्याय समझा होगा। इसी प्रकार डकान और पश्चिमी भारत के कुछ लोग चिता के चारों तरफ गोल पत्थरों की चार दिवारी नहीं बनाते अपितु वर्तुल चार दिवारी के अन्दर अपने ईष्टदेव वेताल की प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा करते हैं। अब वह वेताल शिवजी का अवतार बन गया है ।[11b] वेताल मूर्ति के ऊपर स्तूपाकृति के आलय का निर्माण भी किया जाता है। इसी भांति नीलगिरी के इरुल लोगों के ऐसे दो मंदिर रंगस्वामी पर्वत में हैं। यहाँ के देव रंगस्वामी हैं । जो आर्येतर देव थे। परन्तु अब आर्य प्रभाव से विष्णु के अवतार पुरुष बने हैं । इन प्राचीन मूर्ति गृहों के उदाहरण से हम आगे अनुमान कर सकते हैं कि इन्हीं के आधार पर भविष्य में श्रीचक्र की नींव पर बने कई आर्यमन्दिरों का निर्माण-क्रम शुरू हुआ है। वैसे भारत वर्ष के अनेक या अधिकतर मन्दिरों का आधारखंड़ श्रीचक्र है ।[12] समय प्रवाह में इसमें भी परिवर्तन आए और षड्कोण एवं चतुष्कोण गर्भगृह मन्दिरों की सविशेषता हो गया ।

हमारे पूर्विक श्मशान के मृतकों की आत्मा से भयभीत होकर उनको संप्रीत करने के मार्ग ढूंढ़ने लगे। इसके फलस्वरूप उन मृतों के पूजाक्रम का आरम्भ हुआ। मृतों को तृप्त करने के लिए वे कई प्रकार की चीजें भी चितास्थान या 'अस्थिमाटं' (अस्थिवेदिका) पर अर्पित करते आए । पशुपक्षि की बलि भी इन आत्माओं को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से की जाती थी। बहुधा उन्हें विशिष्ट भोजन भी देने की प्रथा चली आई । ताड़ या नारियल की मदिरा (कल्लु) भी उन्हें पीने के लिए दी जाती थी। अतृप्त इच्छाओं के मरे लोगों का प्रेत या पिशाच रूप जीवित मनुष्यों को अनेक आपत्तियां पहुँचाता है, यही उनका विश्वास है। केरल में कई जातियों में आज भी यह रिवाज है। असभ्य जातियों में यह रूढमूल विश्वास पर आधारित अमुष्ठान हो गया है। केरल के लोग मृतक की संचित अस्थियों को एक घड़े में रखकर घर के दक्षिण भाग में अस्थिमाडं या अस्थिकुटीर बनाकर उसमें रखते हैं और उसमें नित्य प्रति दीप जलाते हैं। विशेष त्योहारों के दिनों में एक निर्जन कमरे में इन्हीं मरे लोगों को प्रथमत: दावत दी जाती है, बाद में घर के लोग भोजन करते हैं ।

श्मशान से संबन्धित देवस्थान के समान एक देवालय का रूप सर्पपूजा के क्रम में पाया जाता है। आसाम के नागलोगों तथा केरल के हिंदुओं में खासकर नायर जाति में सर्पपूजा प्रचलित है। केरल में सर्पकावु या सर्पपूजा का स्थान हर हिन्दु के घर में था। जमीन के एक कोने में वनराजियों एवं लता निकुंजों से विभूषित स्थान अथवा 'कावु' में तैयार की हुई पत्थर की वेदिका ही सर्पमूर्तियों का आस्थान है। जीवित सर्पजाल भी स्वेच्छा से दिनान्धकार पूर्ण इस वनस्थली में रेंग सकते हैं। केरल की जनता का यही विश्वास भी है । इन वेदिकाओं के ऊपर आलय नहीं बनाया होता। त्योहारों और पर्वों में उस वेदिका के ऊपर नारियल के नवांकुर पत्ते से वितान बनाया जाता है। सर्पों को दूध का आमिष्ठ भोजन भी दिया जाता है। सर्पपूजा का यही कारण रहा होगा कि केरल और आसाम में सर्पों की अधिकता और उनकी पीड़ा बड़ी मात्रा में थी। अब उनको सन्तुष्ट करने के लिए सर्पपूजा का क्रमिक विकास हुआ। केरल पर्वतों से आच्छादित समुद्रतटीय प्रदेश है। यहाँ सर्पों की अधिकता देखकर ही आर्यों ने अपने पुराणों में पाताल तथा नागलोग की कल्पना की होगी। भारत के अन्य किसी स्थान में सर्पमन्दिर या कावु की प्रथा नहीं है।

सर्पाराधना की तरह शक्तिपूजा भी प्राचीन आर्यतर जाति की पूजा विधि मालूम होती है। ये प्रकृति शक्ति प्रकृति, माता के रूप में स्त्रीलिंग सूचक तथा आगे देवी, लोकमाता लोककन्या के विभिन्न स्वरूपों में ग्रहीत हुई होगी। भारतीय किसानों ने अपनी सन्तान और खेती पर आने वाले प्राकृतिक महारोगों से भयभीत होकर प्रकृति की अधिष्टात्री की पूजा अभीष्टसिद्‌धि के लिए शुरू की होगी । यही बाद में ग्रामदेवता के पूजाक्रम की आधारशिला बनी होगी। भारत में अनेक आर्येतर शक्ति के मन्दिरों का पता चला है। वे सब देशी नामों से अभिहित हैं। देवी पूजा के स्रोत को आर्येतर मानने के उपोत्बलक अनेक प्रमाण प्राप्त हैं। आर्येतर भारत में एक समय ऐसा था जब देश भर देवी, शक्ति, दुर्गा, काली या अम्बा की पूजा प्रचलित रही थी। उनका आर्येतर नाम भी था। किंतु आर्य-संस्कृति के प्रवाह में वे सब देवियाँ ही गोत्र की या बहुत से आर्य देवों से संबंधित गिनी जाने लगीं। वे सब अब किसी आर्य देव की पत्नी, बहन या कन्या रूप में विराजमान हैं। प्राचीन तमिल् संघं कृति में प्रतिपादित कण्णकी अब मीनाक्षी बन गई है। द्राविड़ मंकम्मा भी वैष्णव देवी हो गई है। विजयवाड़ा की कनक दुर्गम्मा, नेल्लूर को पोडिलम्मा, तमिलनाड् की मारियम्मन, कल्कता की कालिका आदि आर्येतर देवियों अब आर्य देवों की दारा-स्नुता परिणत हुई है। देवी-पूजा का इतिहास भारत में अत्यंत प्राचीन है। मोहनजदारों और हरप्पा के भूखनन में दो देवी-विग्रह तथा

एक शिव मूर्ति प्राप्त हुई है । सिंधुतट संस्कृति आर्येतर संस्कृति का प्रतीक है। इतनी पुरानी सभ्यता का चित्र भारत में कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए देवी-पूजा की प्राक्तनता एवं उसके आर्येतर अंश का पूरा पता चलता है। देवी-पूजा के बाद ही शिव-पूजा का प्रचार भारत में हुआ होगा। इस कथन का भी एक तथ्य प्राप्त है। चिदंबरं आज शिव-पूजा का केंद्र है। परन्तु यहाँ पहले कतिका की ही प्रतिष्ठा थी। प्रचलित विश्वास है कि शिवजी ने एक बार नृत्य में देवी को पराभूत किया और मंदिर से उसे बाहर कर वहाँ अपनी प्रतिष्ठा की। कहा जाता है कि उस नगर की सीमा में दिखाई देने वाली देवी इस प्रकार अपने आलय से निकली हुई है।[13] इस कथा का यही अर्थ हो सकता है कि एक आर्येतर जाति में शिव तथा दूसरी है काली की पूजा का विधान और जब द्वितीय को प्रथम के हाथ से पराजित होने का अवसर आया तो प्रथम आर्येतर जाति के ईष्ट देव की प्रतिष्ठा द्वितीय के आराध्य देवता के स्थान पर हो गई । देवी पूजा थी प्राचीनता व्यक्त करने वाली और भी प्राक्तन अवशेष अब भी दक्षिण में हैं। केरल और तमिलनाड में अधिकतर ग्राम-देवता देवियाँ हैं । ये देवीमंदिर आज भी आर्येतर स्वभाव को बनाए रहते हैं । इन मंदिरों में मध्य में उल्लंपलं या गर्भगृह में देवविग्रह है। उसके चारों तरफ द्वारों से युक्त कच्ची मिट्टी या पत्थर की दीवार बनाई होती है। प्राचीन केरल के देवी-मंदिरों का ही रूप है। गाँवों में भी ऐसे प्राचीन मंदिर अपनी प्राचीनता एवं आर्येतर स्वभाव को स्पष्ट करते हुए स्थित हैं। कई ऐसे देवी मन्दिर (कोविल, कोयिल या अंपलं) हैं जहाँ अब्राह्मण पूजारी ही नित्य पूजा करते हैं। तांत्रिक आभिचारों के प्रभाव के पहले ही इन मंदिरों में पशुबलि, मदिरादान आदि भी प्रथाएं भी परंपरा से चली आ रही हैं। देवियों के समान दक्षिण के ग्राम-देवताओं में शिव, मुरुकन (सुब्रह्मण्य), गणपति तथा शास्ता भी स्थान लेते हैं। उनके मंदिर भी उपरोक्त रूप विधान के ही होते हैं। देवी-पूजा की प्रधानता और प्राचीनता व्यक्त करने वाली और एक बात यहाँ दर्शाई जा सकती है। बौद्ध लोग यद्यपि वे मूर्तिपूजा के विरुद्ध थे और उनमें मूर्ति थी पूजा प्रचलित होने पर भी केवल बौद्ध-विग्रह की ही पूजा किया करते थे, वे भी हारिति, यक्षी आदि देवियों की पूजा करते आए । कौन जाने मसूर की चामुंडी और कर्णाटक की मूकाम्बा भी आर्येतर देवी की प्रतिनिधि नहीं रही होंगी।

श्मशान देवों तथा ग्राम देवताओं के मंदिर के समान वृक्षदेवता के मंदिर की भी पुरानी परंपरा दक्षिण में है। वृक्षदेवता का संकल्प भी आर्येतर है। विष्णु के लिए अश्वत्थ, शिव के लिए विघ्न आदि का संबंध ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यो ने आर्येतर वृक्षदेवता के संदर्भ में कराया अवश्य है। केरल तथा दक्षिण भारत के कई स्थानों में किसी विशेष वृक्ष के नीचे ही ऐसे देवों का आस्थान बनता है। न ईटप्रस्तर का मंदिर उनमें बना होता है न उन मूर्तियों के लिए चहारदीवारी रची होती है। उनको धूप-शीत से बचने के लिए एकमात्र वृक्ष की घनी छाया प्राप्त है। यक्षी के मंदिर अधिकतर ऐसे ही होते हैं जो यक्षिक्काबु कहलाते हैं। वह पहले आर्येतर यक्की थी, यक्ष वर्ग की प्रतिनिधि थी, पीछे वही स्वर्ग वर्ग की तथा यक्षों की स्त्री मानी गई है। केरल के यक्षि मन्दिर ऐसे आधुनिक संकल्प के नहीं हैं। वे पुराने आर्येतर प्रतीक अवश्य हैं। वैसे ही माटन (अस्थि माटं या चुटल माटं के अधीश रहे होंगे) देवता भी वृक्षों की छाया में या खुले मैदान में नीरव स्थानों में एक प्रस्त खंड के रूप में पड़े मिलते हैं। उनको भी माटनकावु या माटननटा का नामकरण दिया गया है। देवता का प्रतिनिधित्व एक प्रस्तरखंड मात्र है। शायद यह भी शिवलिंग के पूर्व स्वरूप ही माने जा सकते हैं। चुटलैमाटन तो शिवजी है ही। दक्षिण में भैरव, वीरन, इरुलन, कारेट्टी, नोण्डि, पंचरूली आदि ग्राम-देवता प्रसिद्ध हैं। केरल में देवी को भगवती पर्याय भी प्रख्यात है। तमिल्नाड में मारियम्मन, कालियम्मन, द्रौपतियम्मन आदि ग्राम-देवियों की मुख्यता है। तमिल सघं कृतियों में प्रतिपादित कोट्टरे ही प्राचीनतम आर्येतर ग्रामदेवी प्रतीत होती है। ग्राम देवताओं के लिए विग्रह विरने ही प्रचलित थे। स्तूप और मंदिर भी पहले नहीं थे। आर्य पूजाक्रम के संयोग से ग्राम देवताओं की मूर्तियां भी अब बन चुकी हैं। पर विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि केरल के देवालय पुराने एट्टकेट्टु (केरलीय प्राचीन घर) के नमूने ही रहा करते हैं न कि आर्य मंदिर की मातृका में।

देवस्थान का और भी एक प्रकार है। दक्षिण भारत में अतिप्राचीन काल से पूर्वसुरियों का पूजा-क्रम चलता है। द्राविडों में मृत पूर्वजों की आराधना प्रस्तुत थी। डा. एलमोर का मत हैं कि द्राविडों के अधिकतर देव-देवियाँ सांसारिक मनुष्य-आत्मा हैं जो धरती पर लौटे हैं ।[14] विजयवाड़ा की कनक दुर्गम्मा और लिंगम्मा का इतिहास यही सिद्ध करता है। वे दोनों ग्रामीण नारियाँ थीं जिनकी अपमृत्यु के बाद उनकी आत्मा अपना ग्रामों की जनता को तंग करने लगी। इसी से भयभीत ग्रामीणों ने उनकी आराधना की सुविधा कर

दी। केरल में भी प्राचीन हिंदू घराने में योगीश्वर, योगमूर्ति, मुनीश्वर, मूर्ति आदि की पूजा होती आ रही है। या तो घर के दक्षिण कोण में इन की प्रतिष्ठा होती है या दक्षिण भाग में अलग-अलग स्थान इनके लिए तैयार किया जाता है। इन देवालयों को तेक्कतु अर्थात् दक्षिण देवालय कहा जाता है। इनमें मूर्ति या विग्रह नही रखा जाता। केवल एक पीठ, मुख्य रूप से रहता है। उनके ऊपर जपमाला भस्मपात्र, सोंटा, तलवार आदि रखे जाते हैं। पीठ तो गेरुए वस्त्र से सजा जाता है। यहाँ प्रतिदिन दीप जलाया जाता है और विशेष वर्षो में उत्सव भी मनाया जाता है। इन देवालयों में प्रतिष्ठित संकल्प देव उस घर के कोई पूर्व महान व्यक्ति ही होते हैं। मूर्ति या मंत्रमूर्ति वही देव है जो उस घर का पूर्विक है जिसकी मृत्यु चेचक के रोग से हुई हो। योगमूर्ति और योगीश्वर दिव्य शक्ति प्राप्त घर के पूर्विकों के ही कल्पित रूप होते हैं। कई ऐसे देवालय वीरों की कलरी या आयुधविधा संकेत रहे थे। इसी कारण तलवार भी पूजा-सामग्रियों में स्थान लेती है। अधिकतर कलरी आशान (कलरी के गुरु) आयुध-विद्या दाता थे। वे तंत्र और मंत्र के भी आचार्य रहा करते थे। कई ऐसे गुरु योगाचार्य भी होते थे। उनके पूर्व गुरुवों की पूजा वे धूमधाम से करते आ रहे हैं। यह आर्येतर पूजन संप्रदाय आर्यधर्म में भी पश्चात्काल में प्रचलित हुआ होगा। आदिशंकराचार्य के बाद आज तक शंकराचार्य की परंपरा अक्षुण्ण रहती है। अन्य मठों और आर्यों की परंपरा भी आज तक चली आ रही है। वे सब इन दक्षिण पूर्वसूरियों की पूजा-परंपरा का परिणत रूप ही मालूम होता है। वीराराधना का प्राचीन संप्रदाय भी इसी प्रकार आर्येतर संस्कृति से आर्य संस्कृति में संक्रमित हुई प्रतीत होती है।

पल्लवकालीन दक्षिण भारत के मंदिरों के विश्वास एवं उत्तुंग गोपुर, विमान एवं रथ के निर्माण कौशल की ओर सब लोग हठात् आकृष्ट होते हैं। कई इतिहासकारों के मन में वे गोपुर और विमान बौद्ध स्तूपों के ही रूपांतर है। लेकिन वे यह भूल जाते है कि दक्षिण में मंदिरों के कलारूप ईंट-पत्थर के न होकर काठ के होते थे। मलबार के अधिकतर मंदिरों में आज भी ऐसे काठ की अद्भुत प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं। विमानों और रथों के निर्माण में लकड़ी ही काम आती थी। पल्लव राजाओं के समय में कलोपासना की इतनी उन्नति हुई कि उन का प्रयोग देवालयों में तथा राजप्रासादों में किया जाने लगा। पल्लवों के पहले भी यहाँ देवालय तथा उनसे संबंधित कलारूप प्रस्तुत थे। लंका के रावण भी शिव भक्त कहे जाते हैं। उनके पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में है। देवों के लिए विमान की सवारी की कल्पना ही दक्षिण देवमंदिरों के विमान की रचना में सहायक रही होगी। या रावण के समय ऐसे विमान अवश्य रहे थे जिनका कलात्मक परिधान ही आज के मंदिरीं के विमान हैं। विमान के समान देवरथ की भी कल्पना की जाती है। इसलिए कतिपय मंदिारों में चार चक्रवाले भीमाकार रथ रखे हुए हैं। रथोत्सव भी इन मंदिरों में प्राचीन काल से चलता है। इसलिए विमानों और रथों के निर्माण के संबंध में बौद्ध स्तूपों का परिणत स्वरूप देखना भ्रामक सिद्ध होता है। गोपुरों के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। अगर स्तूपों का प्रभाव इन गोपुरों के निर्माण के लिए सहायक रहे होते तो प्रश्न उठता है कि ऐसे गोपुर केवल दक्षिण में ही क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर में इनका एक भी रूप क्यों प्राप्त नहीं होता? इन उत्तुंग गोपुरी को दक्षिण राजाओं की कलात्मकता का परिचायक मानना हो समीचीन है।

यहाँ एक और विषय पर विचार करना आवश्यक है जिस के संबंध में आरंभ में सूचना दी जा चुकी है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि जैन-बौद्ध चैत्य एवं स्तूप ही भारतीय मंदिरों के रचनाक्रम के आधार हैं। अब तक इस में यही तर्क रखा गया है कि श्मशानों में गोलाकार का जो बाड़ा बनाया जाता था वही भविष्य में मंदिरों की रूपरचना के लिए सहायक हुआ है। इस तर्क के लिए सहायक है चैत्यम और स्तूप का शब्दार्थ। चैत्यम् या चैत्य, शब्द के कई अर्थ होते हैं-(1) सीमा-चिह्न बनने वाले पत्थरों का डेर (2) समाधि प्रस्तर, स्मारक, यज्ञमंडप (3) धार्मिक पूजा का स्थान वेदी, वह स्थान जहाँ देवमूर्ति प्रस्थापित रहती है। (5) देवलाय (6) बौद्ध और जैन मंदिर ।[15] इस से स्पष्ट है कि चैत्य का प्रथम अर्थ हमारे तर्क को सिद्ध करता है। बाकी अर्थ काल की धारा में आए उस शब्द के अर्थ-परिवर्तनों के सूचक हैं। शायद चैत्य शब्द चिता शब्द से संबंधित होगा जो श्मशान भू से संबंधित अवश्य है। यही समय की अविराम गति में पड़कर श्मशान मंडप, श्मशान मंदिर आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ होगा। श्मशान मंदिरों के ईष्टदेवता श्मशान देव तो बाद में शिवजी के रूप में प्रसिद्ध हुए। शिव का आर्येतर संकल्प वैसे स्थिर हुआ होगा। शिव शब्द का एक पर्याय है क्रतुध्वंसी[16] जो योग विनाशी के अर्थ में प्रयुक्त है। आर्यो के यज्ञ को नाश पहुँचाने वाले इसी आर्येतर शिव को बाद में आर्यें ने स्वीकार किया होगा। अत: संभव है कि आर्यों ने श्मशान मंदिर चैत्य को अपने देवालय की रचना के

लिए मातृका बनाई होगी और उस शब्द के वास्तविक रूप को भी उन्होंने अपनाया नहीं। शिव जी का भव्य स्वागत भी इसी काल–सीमा में हुआ प्रतीत होता है। पीछे जैन और बौद्ध लोगों ने भी इसी को अपने मंदिरों की मातृका बनाई, उसी शब्द से अपने मंदिरों के अभिहित भी किया। इसी प्रकार चैत्यम् से मिलता–जुलता शब्द चित्यम् है जिसका अर्थ है – शवदाह करने का स्थान तथा चित्या शब्द है जिसका अर्थ है – चिता या काष्ठ चयन का निर्माण।[17] इस से यह प्रकट होता है कि 'चैत्यम', 'चित्यम' से बना शब्द है और हमारा तर्क आधारपूर्ण है। अब दूसरे शब्द स्तूप को लें। उसके भी कई अर्थ हैं (1) ढेर (मिट्टी का) (2) बौद्धस्मारक चिह्न, पावन अवशेषों को (जैसे कि बुद्ध के) रखने के लिए एक प्रकार का स्तंभ सदृश्य स्मृति–चिह्न (3)चिता।[18] मेरा विचार है कि स्तूप का पुराना अर्थ चिता था और वही चैत्यम के समान विभिन्वार्थ में प्रचलित हुआ। एक प्रमाण भी इस पर प्राप्त है। दक्षिण कानरा के बिल्लव लोग अपने बंधुओं की मृत देहों का एक स्थान पर दाह कर्म करा कर वही उनके फूल संचित कर रखते हैं और वहाँ एक स्तूपाकृति का मिट्टी का ढेर बनाते हैं। इसे वे धूप कहते हैं। उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगाते हैं। दाहकर्म के तेरहवें दिन उसके ऊपर बांस का विमान जैसा 'निरनेरलू' जातीय क्षुरक तैयार करता है। उसके नीचे एक खाट डालकर उसपर मृतक की अमूल्य वस्तुएं रखी जाती है। यह 'निरनेलु' कई विशिष्ट वस्त्रों से अलंकृत होता है । बंधु–मित्रादि इसके चारों तरफ तीन बार प्रदक्षिण करके चले जाते और बाद में क्षुरक सारी चीजें बटोर कर ले जाता। मृत व्यक्ति ग्राम–मुख्य हो तो इस 'निरनेरलु' को लोग जुलूस निकालते हैं।[19] अतः हमारा अनुमान है कि स्तूप शब्द उपरोक्त धूप से ही बना है या ऐसा कोई आर्येतर शब्द अवश्य विमान रथ का प्रचार भी इसी निरनेरलु के अनुकरण पर हुआ है।

ऊपर कतिपय तर्क खड़े लिए गए हैं और कुछ उपयुक्त प्राप्त प्रमाण भी रखे गए हैं। उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि देवालय के प्राचीनतम तीन रूपों का जो उल्लेख ऊपर हुआ है वे ही आधुनिक मंदिरों के स्रोत हैं। अब के भारतीय मंदिरों के रूपविधान में तथा उन्हीं के विकास और परिणामों के वे ही प्रत्यक्ष चिह्न हैं। उल्लूर के शब्दों में मंदिर के आर्येतर प्रमाणों को खोज निकालना डेढी खीर है, परन्तु अब भी वे प्राचीन चिह्न हमारे दक्षिण में, असभ्य जातियों के बीच ही सही, बिखरे पड़े हैं। उनका अनुसंधान और क्रोडीकरण आवश्यक है। तभी अंधकारावृत प्राक्तन मानवराशि के स्मृतिचिह्नों की अविच्छिन्न श्रृंखला संप्राप्त होगी।

1. केरल साहित्य चरित्रं प्रथम वाल्यं, प्रथम संस्करण, अं. 5. पृ. 45.
2. केरल साहित्य चरित्रं प्रथम वाल्यं, प्रथम संस्करण, अं. 5. पृ. 45.
3. उपरोक्त
4. An Essay "on the Origin of the South Indian Temple-Dr. N. Venkata Ramanayya-Ch. 1. Page 3.
5. संस्कृत हिंदी कोश - वामन शिवराम आप्ते - संस्करण - 1966. पृ. 1136.
6. 4 Krishna Sastri-Report of Arch. Sur. Southern Circle 1915-16.
7. J.W. Breeks-The Primitive Tribes of Nilgiri, Pp. 96.
8. ,, ,, Pp. 96-97.
9. Willam E. Marshal-A Phrenologist Amongst the Todas-P. 163.
10. वेट्टम माणि - पुराण निघंटु, भाग - दो, पृ. 16.
11. Stevenson-J.R.A.S. Vol. V. Pp-192-195.
11ए. अग्निपुराण, अध्याय-51.
12. R. Ananta krishna Sastri-The Bhutas, Pretas and Pisachas-P. 19.
13. वेट्टम माणी-पुराण निघंड, भाग-2, पृष्ठ 26-27.
14. Dr. Elmore- The Dravidian Gods in Hindu Religions.
15. वामन शिवराम आप्टे–संस्कृत हिंदी कोश, 1966 का संस्करण, पृ. 1019
16. .. .. पृ. 72
17. .. .. पृ. 381
18. .. .. पृ. 1136.
19. E. Thurston—The Castes & Tribes. Vol. I. ■

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 32वीं बैठक 27 फरवरी, 2008 को सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

बैठक में सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए राजभाषा विभाग में निदेशक (सेवा) ने अपने संबोधन में कहा कि सभागार में बड़ी संख्या में उपस्थिति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति आप सभी की गहरी रूचि दर्शाता है और मंत्रालयों/विभागों के सक्रिय सहयोग से ही सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा ।

सचिव, राजभाषा विभाग का उद्‌बोधन

सचिव, राजभाषा विभाग ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि बैठक में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी । राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सूचना तकनीक से संबन्धित विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी । उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयास करने पर बल दिया और कहा कि जिन मंत्रालयों/विभागों ने पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है वे इस ओर विशेष ध्यान दें । इसके उपरांत उन्होंने संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग से बैठक की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया ।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग का संबोधन

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने अपने संबोधन में कहा कि यदि हम राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सूचना प्रौद्‌योगिकी को नहीं अपनाएंगे तो इसका प्रयोग-प्रसार अवरुद्‌ध हो जाएगा और हम राजभाषा हिंदी का विकास वांछित गति से नहीं कर पाएंगे । राजभाषा विभाग ने सी-डैक, पुणे के सहयोग से हिंदी कार्य में सहायक विभिन्न साफ्टवेयरों का निर्माण करवाया है । इन सॉफ्टवेयरों का समुचित उपयोग करने के लिए विभाग द्‌वारा मंत्रालयों/विभागों को पत्र भी भेजे जा चुके हैं । दो-तीन बार प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि अधिकारी/कर्मचारी साफ्टवेयरों के प्रयोग में प्रवीणता प्राप्त कर सकें और हिंदी में सरकारी काम-काज त्वरित गति से कर सकें । उन्होंने कहा कि जिन मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया है, वे इनका गठन शीघ्र करें और समिति की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित करें ।

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

31वीं बैठक का कार्यवृत्त पहले ही परिचालित किया जा चुका था और कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त न होने के कारण उसकी पुष्टि की गई ।

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

समिति की 31वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में गहन विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

(i) **मद सं. 5(i)** परमाणु ऊर्जा विभाग के मुम्बई और कलपक्कम केंद्रों के आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलवाने के संबन्ध में समिति को बताया गया कि मुम्बई केंद्र में प्रशिक्षण दिया जा चुका है । कलपक्कम केंद्र में आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है । अत: यह निर्णय लिया गया कि परमाणु ऊर्जा विभाग इस बारे में राजभाषा विभाग से सम्पर्क करे ।

(ii) **मद सं. 5(ii)** अंग्रेजी में कठिन शब्दों के हिंदी पर्याय वेबसाइट पर रखने और इसके लिए **'खोज'** की सुविधा उपलब्ध करवाने के बारे में अधिकांश मंत्रालयों/विभागों द्‌वारा समुचित कार्रवाई न किए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया कि संबन्धित

चित्र समाचार

दिनांक 15-02-2008 को सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु आयोजित राजभाषा संगोष्ठी के अवसर पर श्री रमेशबाबू अणियेरी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ।

श्रीमती अशोका चटर्जी, महाप्रबंधक, आई ओ बी अध्यक्षीय संबोधन करते हुए ।

दिनांक 15-02-2008 को सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु आयोजित राजभाषा संगोष्ठी के अवसर पर आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली अंचल द्वारा तैयार 'संदर्भ पुस्तिका' का विमोचन करते हुए श्री रमेशबाबू अणियेरी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।

एन एच पी सी लि. फरीदाबाद द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए एक अधिकारी ।

नराकास (बैंक) भुवनेश्वर द्वारा आयोजित सदस्य बैंकों के राजभाषा अधिकारियों हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान देते हुए एक अधिकारी ।

...साइट
...प में तैयार
... आवश्यक हो तो
...राजभाषा विभाग से भी
...सकता है ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मुख्यालय (प्रशिक्षण प्रभाग) में “कंप्यूटर पर कु...
(राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित) प्रथम बैच के प्र...

केनरा बैंक झारखंड अंचल द्वारा आयोजित कार्यशाला प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारी तथा प्रबंधकगण ।

वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अधिकारीगण ।

मंत्रालय/विभाग इस बारे में अविलम्ब कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो तो निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग से भी परामर्श लिया जा सकता है ।

(iii) मद सं. 5(viii) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में राजभाषा विभाग की प्रस्तुति के माध्यम से सदस्यों को विभाग के कार्यकलापों और हिंदी साफ्टवेयरों की अद्यतन जानकारी देने के संबन्ध में समिति को बताया गया कि कतिपय मंत्रालयों/विभागों की सलाहकार समिति की बैठकों में विभाग के सॉफ्टवेयरों की जानकारी देने हेतु पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई । लेकिन कुछ मंत्रालयों/विभागों ने प्रस्तुति देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई । अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में कई बार राजभाषा विभाग द्वारा प्रस्तुति नहीं दी जा सकी । अत: निर्णय लिया गया है कि उचित स्तर पर अनुमोदन लेने के उपरांत ही राजभाषा विभाग को प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाए और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ।

(iv) मद सं. 31.2 हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें विलम्ब से प्राप्त होती हैं । सूचनाएं भी असलियत से दूर होती हैं । अत: यह जरूरी है कि तिमाही रिपोर्टें निर्धारित समय के दौरान राजभाषा विभाग को भेजी जाएं और सभी सूचनाएं स्पष्ट और सही दी जाएं ।

(v) मद सं. 31.7 मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों व अनुभागों के निरीक्षण किए जाने का उत्तरदायित्व संबन्धित मंत्रालयों/विभागों का है । प्राय: यह देखा गया है कि निरीक्षण मात्र औपचारिकता निभाने के लिए किए जाते हैं । निर्णय लिया गया कि निरीक्षण कार्य गंभीरता से किया जाए और निरीक्षित कार्यालयों से अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट मंगवाई जाए ।

(vi) मद सं. 31.11 मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में प्रेक्षकों को नामित किए जाने के बारे में समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग की ओर से इस संबन्ध में पहले से ही आदेश है कि यदि मंत्रालय/विभाग चाहें तो प्रेक्षक नामित कर सकते हैं । अत: इस संबन्ध में अन्तिम निर्णय मंत्रालय/विभाग को ही लेना है ।

32वीं बैठक की कार्यसूची की मदें

मद सं. 32.1-वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में बैठक में वर्ष 2006-07 की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई । मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

- जिन मंत्रालयों/विभागों ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का उल्लंघन किया है वे यह सुनिश्चित करें कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले कागजात अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं ।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने अनिवार्य हैं । इस नियम का उल्लंघन करने वाले मंत्रालय/विभाग नियम का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं ।
- मूल पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कारगर कार्रवाई की जाएं ।
- सभी कोड, मैनुअल, हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएं ।
- निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फाइलों पर टिप्पणियां लिखी जाएं ।
- सभी कंप्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ।
- मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी होनी चाहिए । कतिपय मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है, वे अपनी वेबसाइट अविलम्ब हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार करवाएं । इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग से भी परामर्श लिया जा सकता है ।

- हिंदी पुस्तकों की खरीद लक्ष्यानुसार की जाए ।
- कतिपय मंत्रालयों/विभागों ने सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए अपेक्षित अनुभागों को विनिर्दिष्ट नहीं किया है । वे इस संबन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करें ।
- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए राजभाषाई निरीक्षण आवश्यक हैं । निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निरीक्षण कार्य किया जाए क्योंकि राजभाषा की प्रगति की मानीटरिंग के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए इसे गंभीरता से किया जाए ।

32.2 मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त निकायों आदि द्वारा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भेजना ।

मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्टें निर्धारित प्रोफार्मा में राजभाषा विभाग के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भेजी जानी अपेक्षित हैं । समिति को बताया गया कि अधिकांश कार्यालयों द्वारा उक्त रिपोर्टें नहीं भेजी जा रही हैं । इस संबन्ध में निर्णय लिया गया कि मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों को स्पष्ट निदेश जारी करें कि वे अपेक्षित रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भेजें ।

32.3 सभी उपक्रमों, बैंकों तथा स्वायत निकायों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन सुनिश्चित करना और प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से बैठकें करना और बैठक के कार्यवृत्तों को राजभाषा विभाग के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को भेजना ।

सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां होनी चाहिए और प्रत्येक तिमाही में उनकी नियमित रूप से बैठकें भी होनी चाहिए । इन बैठकों की सूचना राजभाषा विभाग के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को यथासमय दी जानी चाहिए और बैठकों के कार्यवृत्त भी भेजे जाने चाहिए । लेकिन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को बैठकों की न तो सूचना दी जाती है और न ही उनके कार्यवृत्त भेजे जाते हैं । सभी मंत्रालय/विभाग इस बारे में आवश्यक निदेश जारी करके इस पर निगरानी रखें ।

32.4 मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/संस्थानों का निरीक्षण उपयुक्त अनुपात में करना ।

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 25% अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए । प्राय: यह देखा गया है कि किसी श्रेणी विशेष के कार्यालयों का ही निरीक्षण किया जाता है । अत: निर्णय लिया गया कि कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त निकायों आदि का निरीक्षण उपयुक्त अनुपात में किया जाए ।

32.5 मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा आयोजित समारोहों, सम्मेलनों आदि में बैनर, नामपट्ट, सूचनापट्ट आदि हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करना ।

मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा आयोजित समारोहों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में बैनर, सूचनापट्ट, नामपट्ट हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में लगाए जाने चाहिए । इस संबन्ध में पहले से ही निदेश मौजूद हैं । लेकिन इन निदेशों के बावजूद यदा-कदा देखने में यह आता है कि सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के बैनर केवल अंग्रेजी में लगाए जाते हैं । सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस संबन्ध में प्रभावी कदम उठाए जाएं और इसकी मानीटरिंग सुनिश्चित की जाए कि बैनरों, नामपट्टों, सूचनापट्टों, साहित्य, परिपत्र बैज़ों आदि में हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग हो ।

32.6 जांच बिन्दुओं को और अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाना ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत प्रतिशत अनुपालन और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पत्रादि में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए जांच बिन्दुओं को और प्रभावी बनाया जाए जिससे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

32.7 मंत्रालयों/विभागों आदि में तैनात केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्धारित कार्य ही लेना ।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों और अनुवादकों की तैनाती विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों आदि में अनुवाद और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबन्धी कार्यों को करने के लिए की जाती है । अत: उनसे निर्धारित कार्य ही लिया जाना चाहिए । इस संबन्ध में आदेश भी मौजूद हैं । कतिपय मामलों में यह देखने में आया है कि हिंदी स्टाफ को अन्य कार्यों में लगाया जाता है जिसका राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । निर्णय लिया गया कि इस संबन्ध में जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

32.8 हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिंदी में ही दिया जाना

स्वयं सेवी संस्थाओं से विभाग में प्राय: इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जाते हैं जोकि उपयुक्त नहीं है । इस पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया कि हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन हिंदी में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जाएं ।

32.9 गृह पत्र-पत्रिकाओं में विभागों के कार्यकलापों से संबन्धित विषयों पर स्तरीय लेख प्रकाशित करना

प्राय: यह देखने में आता है कि गृह पत्र-पत्रिकाओं में कहानी, कविताएं, नाटक आदि से संबन्धित सामग्री प्रचुर मात्रा में प्रकाशित की जाती है । इस संबन्ध में निर्णय लिया गया कि वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पत्र-पत्रिकाओं में मंत्रालयों/विभागों से संबन्धित विषयों पर भी हिंदी में स्तरीय लेख प्रकाशित किए जाएं ।

32.10 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा निकाले जा रहे सभी प्रकाशन द्विभाषी रूप में तैयार करना

इस संबन्ध में पहले से ही निदेश मौजूद हैं कि मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के सभी प्रकाशन हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकाशन केवल अंग्रेजी में न निकाला जाए । इन निदेशों का समुचित पालन किया जाए ।

32.11 मंत्रालयों/विभागों आदि में चलाई जा रही हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कृत पुस्तकों की सूची वेबसाइट पर डालना

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पुस्तकों के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि पुरस्कृत पुस्तकों का विवरण मंत्रालय/विभाग अपनी वेबसाइट पर भी डालें ।

32.12 मंत्रालयों/विभागों आदि की वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी रूप में होना

सभी मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में किए जाने के बारे में समिति को बताया गया कि इस संबन्ध में पहले से ही आदेश मौजूद हैं । तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जिन मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी नहीं है वे इन आदेशों का अनुपालन करें और वेबसाइट अविलम्ब द्विभाषी रूप में तैयार करें ।

32.13 (i) अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी कार्य में सहायक विभिन्न साफ्टवेयरों की जानकारी देना और उन्हें प्रयोग में लाना

सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा हिंदी कार्य में सहायक विभिन्न साफ्टवेयरों का निर्माण किया गया है । लेकिन इन साफ्टवेयरों के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती है । इस संबन्ध में निर्णय लिया गया कि इन साफ्टवेयरों की जानकारी विभिन्न बैठकों/कार्यशालाओं आदि में सभी कार्मिकों को दी जाए ।

(ii) केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले फोंट्स की कम्पैटिबिलिटी (Compatibility) ताकि दस्तावेजों को बिना समस्या के हस्थानांतरित किया जा सके ।

इस संबन्ध में समिति को बताया गया कि यूनिकोड इनकोडिग को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मानक के रूप में मान्यता दे दी गई है । जैसे वर्ड प्रोसेसर में किसी अंग्रेजी फोंट्स में किसी कंप्यूटर पर तैयार/उपलब्ध फाइल को कंप्यूटर पर दूसरे अंग्रेजी फोंट् में देखा जा सकता है ।

उसी प्रकार अब यूनिकोड आधारित ओपन टाइप फोंट्स में बनी फाइलों का आसानी से आदान–प्रदान किया जा सकता है तथा पहले से तैयार किसी अन्य फोंट्स की फाइलों को यूनिकोड आधारित फोंट्स में बदला जा सकता है ।

(iii) कार्यालयों में उपलब्ध अन्य फोंट्स को यूनिकोड फोंट्स में परिवर्तित करना

समिति को बताया गया कि कार्यालयों में पहले से उपलब्ध अन्य फोंट्स (ISCII,ISFOC, या किसी भी फोंट्स) में किए गए कार्य को www.ildc.in वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध परिवर्तन 2.0 नामक साफ्टवेयर के जरिए यूनिकोड में रूपांतरित किया जा सकता है । यह साफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निःशुल्क वितरित हिंदी साफ्टवेयर उपकरण सीडी में भी उपलब्ध है ।

(iv) राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए मानक फोंट एवं की–बोर्ड

राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए मानक फोंट एवं की–बोर्ड के बारे में समिति को बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विश्व में प्रचलित यूनिकोड इनकोडिंग एवं इनस्क्रीप्ट की–बोर्ड को मान्यता दी गई है । फिर भी प्रयोगकर्ता की सुविधानुसार इनस्क्रीप्ट की–बोर्ड के अलावा दूसरे की–बोर्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है ।

(v) राजभाषा हिंदी में कार्य हेतु आवश्यक साफ्टवेयर विकसित/उपलब्ध कराना

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क हिंदी साफ्टवेयर उपकरण सीडी द्वारा वे सभी आवश्यक साफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए हैं जिनके द्वारा अब हिंदी में काम आसानी से किया जा सकता है । इस सीडी में दिए गए उपकरणों को निःशुल्क www.ildc.in वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है । इन उपकरणों में यूनिकोड समर्थित फोंट्स, की–बोर्ड ड्राइवर, परिवर्तन 2.0, वर्ड प्रोसेसर इत्यादि शामिल हैं । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी प्रयोग में सहायक कुछ साफ्टवेयर विकसित कराए गए हैं और कुछ का विकास कार्य जारी है । अब तक विकसित किए जा चुके साफ्टवेयर हैं –

(क) ऑनलाइन विभिन्न भारतीय भाषाओं से स्वयं हिंदी सीखने के लिए–लीला–प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ

(ख) मशीन साधित अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद–मंत्र–राजभाषा

(ग) हिंदी डिक्टेशन साफ्टवेयर–श्रुतलेखन–राजभाषा

सभी मंत्रालय/विभाग आवश्यकतानुसार इनका समुचित उपयोग करें ।

(vi) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयरों को प्राप्त करना

लीला–राजभाषा स्वयं शिक्षण पैकेज राजभाषा विभाग के पोर्टल http://www.rajbhasha.gov.in पर निःशुल्क उपलब्ध है तथा **मंत्रा–राजभाषा** भी विभाग के पोर्टल से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है । डाउनलोड किए गए **मंत्रा–राजभाषा** साफ्टवेयर को इन्सटाल किया जा सकता है । इस संबन्ध में समिति को बताया गया कि इसके लिए निम्नलिखित सिस्टम की आवश्यकता होती है :

1. पेंटीयम IV (1 गीगाहर्टज़ या अधिक)

2. विंडोज़ 2000 या अधिक

3. माइक्रोसॉफ्ट आफिस 2000 या अधिक

4. 512 मेगाबाईट रैम या अधिक

5. माई सीक्वल सर्वर (http://dev.mysql.com/downloads/mysql/6.0.html) कनेक्टर (http://dev.mysq.com/downloads/connector/odbc/3.51.html) सहित जो उनके वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध हैं ।

6. फॉन्ट DVBW-TTYogeshEN

(vii) हिंदी में कार्य करने से संबन्धित साफ्टवेयरों के बारे में प्रशिक्षण एवं उपलब्ध निःशुल्क उपकरण का इंस्टालेशन/प्रयोग हेतु जानकारी देना

इस संबन्ध में समिति को बताया गया कि राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष एवं तकनीकी कक्ष में स्थित तकनीकी निदेशक (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) एवं सभी मंत्रालयों/विभागों में उपस्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से इस कार्य के लिए आवश्यक मदद ली जा सकती है । इसके अलावा विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सी–डेक, एन.पी.टी.आई. के माध्यम से चलाए जा रहे

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है ।

32.14 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मदें –

(i) जिन कंप्यूटरों में हिंदी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है उन सभी में एक सा फोंट् डालना । (गृह मंत्रालय)

इस संबन्ध में समिति को बताया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के आदेशानुसार नेटवर्कों (LAN) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विंडोज-95, विंडोज-98 वर्जन को हटाया गया है तथा कुछ मंत्रालयों/विभागों में हटाया जा रहा है । केंद्र सरकार द्वारा 'यूनिकोड' इनकोडिंग को मान्यता दे दी गई है । विंडोज-2000 और बाद के वर्जन यूनिकोड इनकोडिंग कम्पलायेंट किसी भी फोन्ट्स में कार्य करने में सक्षम है । उल्लेखनीय है कि मंगल फोन्ट के अलावा एरियल यूनिकोड एम.एस.फोन्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है जो कि बनावट में सुन्दर है । इनके अलावा www.ildc.in (हिंदी साफ्टवेयर टूल्स उपकरण सी.डी. जो कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय ने उपलब्ध कराया है) में भी यूनिकोड समर्थित 160 फोंट्स उपलब्ध कराए गए हैं ।

(ii) हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि में प्रशिक्षित कार्मिकों को उन अधिकारियों/अनुभागों में तैनात करना जहां उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग हो सके (गृह मंत्रालय)

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिया जाता है । बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णाय लिया गया कि प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षित कार्मिकों से हिंदी में काम लेना तथा उन्हें आवश्यकता सुविधा उपलब्ध कराना संबन्धित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का दायित्व है । तथापि, राजभाषा विभाग इस बात पर बल देता है कि प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाओं का लाभ उठाया जाए ।

(iii) प्रोत्साहन-योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या एवं राशि में वृद्धि करना (गृह मंत्रालय)

सरकारी कामकाज (टिप्पण/आखेलन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का मामला राजभाषा विभाग द्वारा आंतरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया । समिति को बताया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रकरण पर राजभाषा विभाग से कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है और विभाग ने इस विषय में सभी मंत्रालयों/विभागों से सूचना मांगी है । कुछ मंत्रालयों/विभागों से अभी भी वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अत: निर्णय लिया गया है कि संबन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपेक्षित सूचना अविलम्ब राजभाषा विभाग को भेजी जाए ।

(iv) सभी भारतीय भाषाओं के दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्दों को शामिल करते हुए एक भारतीय भाषा कोश का निर्माण करना (दूरसंचार विभाग)

इसका संबन्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग से है ।

(v) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के भर्ती नियमों में हिंदी टाइपिंग के ज्ञान (कंप्यूटर पर) को एक अनिवार्य अर्हता बनाना और भविष्य में तदनुसार भर्ती करना (दूरसंचार विभाग)

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के भर्ती नियमों में हिंदी टाइपिंग के अनिवार्य ज्ञान को शामिल करना उचित नहीं है क्योंकि वरिष्ठ/कनिष्ठ हिंदी अनुवादक केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के मूल स्तम्भ हैं । अनुवाद का अधिकांश कार्य वरिष्ठ/कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के स्तर से निष्पादित होता है । अत: उनके लिए टंकण के ज्ञान को अनिवार्य करना उचित प्रतीत नहीं होता है । मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी अनुवादकों को हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए नामित कर सकते हैं ।

(vi) अधीनस्थ कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी पदों के लिए एक अलग संवर्ग (कैडर) बनाना तथा इन कार्यालयों में हिंदी पदों के वेतनमानों की विसंगतियां दूर करना (दूरसंचार विभाग)

अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के लिए हिंदी कर्मियों का अलग से सेवा संवर्ग बनाने के लिए इस विभाग द्वारा पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं । अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम अपने कार्य की

आवश्यकताओं के अनुरूप और राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजभाषा कर्मियों का सेवा संवर्ग बनाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(vii) राजभाषा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सी-डैक, पुणे द्वारा मिलकर एक-समान (Uniform) हिंदी साफ्टवेयर तथा एक-समान की-बोर्ड विकसित करना (दूरसंचार विभाग)

इस संबन्ध में समिति को बताया गया कि एक समान साफ्टवेयर विकास की शर्त हिंदी साफ्वेयर के क्षेत्र में पर्याप्त विकास को कुछ सीमा तक प्रतिबंधित करेगी । आवश्यकता है कि सरकार एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा इस दिशा में बहुआयामी प्रयास किए जाएं लेकिन इनमें समन्वय हो व न्यूनतम डुप्लीकेशन हों । जिस प्रकार की समानता की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही यूनिकोड इनकोडिंग, इन्स्क्रीप्ट की बोर्ड को मान्यता दी है अर्थात् हिंदी का कार्य किसी भी यूनिकोड समर्थित फोंटस में किया जा सकता है । यद्यपि इन्स्क्रीप्ट की बोर्ड को मानक के रूप में मान्यता दे दी गई है फिर भी प्रयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार अन्य की-बोर्ड के जरिए टाइपिंग कर सकते हैं । उल्लेखनीय है कि www.ildc.in (हिंदी साफ्टवेयर टूल्स उपकरण सी.डी. जो कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय ने उपलब्ध कराया है) में भी यूनिकोड समर्थित 160 फोंटस उपलब्ध कराए गए हैं । इस वेबसाइट पर हिंदी में कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए और भी साफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जो निःशुल्क डाउनलोड करके प्रयोग में लाए जा सकते हैं ।

(viii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की प्रणालियों में ऐसा कंवर्टर रखना जिससे किसी भी हिंदी साफ्टवेयर में दिए गए कार्य को परिवर्तित करने पर वेबसाइट आदि पर रखा जा सके । (राजस्व विभाग)

इस संबन्ध में समिति को बताया गया कि www.ildc.in साइट पर परिवर्तन साफ्टवेयर (एक फोंट में बनी फाइल को दूसरे फोंट में बदलने के लिए) निःशुल्क उपलब्ध है ।

www.bhashaindia.com साइट पर TBIL FONT CONVERTOR निःशुल्क उपलब्ध है ।

(ix) अनुवादक के लम्बी छुट्टी पर जाने की स्थिति में छुट्टी रिजर्व (leave reserve) की व्यवस्था करना । (पोत परिवहन विभाग)

अनुवादकों के लम्बी छुट्टी पर चले जाने पर छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था करने के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई मंत्रालय/विभाग छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था करता है तो राजभाषा विभाग को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों के लिए पहचान-पत्र बनाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया लेकिन गृह मंत्रालय ने पहचान-पत्र केवल अंग्रेजी में बनवा दिए । इस पर गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि पहचानपत्र की सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार कर दी गई है । इस संबन्ध में यह निर्णय लिया गया कि मामले की जांच की जाए । ■

शौर्य चक्र

यह भी वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है । असल में कीर्ति और शौर्य चक्र भी अशोक चक्र के ही दो वर्ग थे । सन् 1967 के बाद इन्हें नया मान दिया गया । इनमें मुख्य अंतर रिबन पर पट्टियों का है ।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन भोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का आयोजन 14 मार्च, 2008 को संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं समिति के अध्यक्ष श्री एस.के. सरकार जी की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक के सम्मेलन कक्ष (कमरा नं. 190) में किया गया ।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में मदवार, जानकारी देते हुए सदस्य सचिव श्री प्रेम सिंह उप निदेशक ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि बहुत अच्छी बात है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अनुभागों की तिमाही हिंदी रिपोर्ट एकत्रित करके राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी जा रही है लेकिन खेद की बात है कि अभी भी उक्त रिपोर्टों को राजभाषा विभाग को निर्धारित समय से पहले नहीं भेज पा रहे हैं जिसकी वजह से राजभाषा विभाग द्वारा समीक्षा के माध्यम से लगातार आपत्ति प्रकट की जा रही है । सदस्य सचिव ने बताया कि बार-बार लिखित व मौखिक अनुरोध करने पर भी कुछ अनुभागों से हिंदी तिमाही रिपोर्ट हिंदी अनुभाग को समय पर नहीं मिलती है । संयुक्त सचिव ने विभाग के सभी निदेशकों व उप सचिवों आदि से अनुरोध किया कि वे भी निगरानी रखें कि उनके नियंत्रण में आने वाले सभी अनुभाग अपनी तिमाही रिपोर्ट सही ढंग से भरकर हिंदी अनुभाग को निर्धारित अवधि तक अवश्य भेज दें । इस विषय में सदस्य सचिव ने बताया कि समय पर और सही रिपोर्ट भेजने के बारे में संयुक्त सचिव के अनुमोदन से दिनांक 25-02-2008 को एक पत्र भी जारी किया गया है ।

उप निदेशक (राजभाषा) ने सभी को जानकारी दी कि 19-02-08 को इस विभाग के लोकनायक भवन में कार्यरत डैस्क/अनुभाग अधिकारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला लगाई गई जिसमें 11 डैस्क/अनुभाग अधिकारियों ने भाग लिया । इस कार्यशाला में उप निदेशक (राजभाषा) ने सभी को हिंदी तिमाही रिपोर्ट के नए प्रपत्र को ठीक से भरने की विस्तृत जानकारी दी । इसी क्रम में सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि राजभाषा विभाग से हिंदी तिमाही रिपोर्ट भरने के लिए एक नया प्रपत्र भेजा है जिसे सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा जून, 2008 को समाप्त तिमाही से भरा जाएगा । इस पर संयुक्त सचिव (प्रशासन) महोदय ने आदेश दिया कि नए हिंदी तिमाही रिपोर्ट प्रपत्र को ठीक से भरने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में विभाग के कार्यरत अनुभाग अधिकारियों/तिमाही रिपोर्ट तैयार करने वाले कार्मिकों के लिए अप्रैल/जून, 2008 के दौरान कार्यशाला लगाई जाए । नए प्रपत्र के कॉलम में जानकारी देते हुए, उप निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि प्रपत्र में मुख्य रूप से दो नई बातें जोड़ी गई हैं (1) तिमाही के दौरान कितने पत्र अंग्रेजी में मिले और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया । (2) तिमाही के दौरान, कितनी टिप्पणी अंग्रेजी में व कितनी टिप्पणी हिंदी में लिखी गई हैं ।

इस विभाग की 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त तिमाही की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के समीक्षा के दौरान सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि दिसम्बर, 2007 को समाप्त तिमाही की तुलना में दिसम्बर, 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता में कुछ वृद्धि जरूर हुई है क्योंकि 30-09-2007 को समाप्त तिमाही को 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के साथ हिंदी पत्राचार क्रमशः 72.82%, 52.91% और 46.00% था जो कि 31-12-2007 को समाप्त तिमाही को यह बढ़कर क्रमशः 73.59%, 60.87% और 56.52% हो गया ।

हिंदी टिप्पणी के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम, 2007-08 में दिए गए लक्ष्य के अनुसार 'क' क्षेत्र में कम से कम 75% टिप्पणी हिंदी में लिखी जानी चाहिए जबकि इस विभाग में 31-12-2007 को समाप्त तिमाही के दौरान केवल 33% टिप्पणी हिंदी में लिखी जा रही हैं जो कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी कम है हिंदी टिप्पणी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके बताते हुए उप निदेशक (रा.भा.) ने कहा कि–

(i) सभी अधिकारियों/कर्मचारी हिंदी टिप्पणी के तुरन्त पश्चात्, हिंदी में टिप्पणी लिखें क्योंकि हिंदी टिप्पणी के तुरन्त बाद अंग्रेजी में टिप्पणी लिखने से हिंदी में टिप्पणी लिखने वाले अधिकारी हतोत्साहित (discourage) होते हैं ।

(ii) अंग्रेजी की टिप्पणी के बाद यदि हिंदी में टिप्पणी लिखी जाए तो यह सोने में सुहागा होगा इससे अन्य अधिकारी हिंदी में टिप्पणी लिखना शुरू करेंगे । उदाहरण के लिए अंग्रेजी टिप्पणी के बाद यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी को केवल Approved लिखना है तो वे अनुमोदित स्वीकृत, मंजूर आदि लिख सकते हैं ।

(iii) अंग्रेजी व हिंदी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों पर मार्किंग हिंदी में की जा सकती है ।

(iv) हिंदी अनुभाग से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मांगने का अनुरोध नोटशीट पर हिंदी में ही किया जाए।

हिंदी प्रशिक्षण के नामांकन के बारे में उप निदेशक (रा.भा.) ने जानकारी दी कि हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए इस विभाग के शेष तीन कार्मिकों को नामित किया गया है जो कि नियमित रूप से कक्षाओं में जा रहे हैं । इसी प्रकार से फरवरी, 2008 से शुरू हुए हिंदी आशुलिपि के लिए 07 व हिंदी टंकण के लिए 08 कार्मिकों को नामित किया गया है।

मंत्रालय की बेवसाइट को द्विभाषी करने के बारे में चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में मंत्रालय के बेवसाइट में मंत्रालय एक परिचय, वार्षिक रिपोर्ट, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाएं व मार्गदर्शिका, गैर सरकारी संगठनों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की जागरूकता का प्रसार, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में वर्ष, 2008-09 के दौरान किए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना बेवसाइट में डलवाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष, 2007-08 के राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों पर चर्चा के बारे में उप निदेशक (रा.भा.) ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्धारित सभी दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी जारी किया जाए, हिंदी में प्प्राप्त पत्रों व हिंदी में हस्ताक्षरित अभ्यावेदनों, अपील एवं आवेदनों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं, 'क' क्षेत्र से 'क' और 'ख' क्षेत्रों के साथ 100 प्रतिशत पत्राचार तथा 'ग' क्षेत्र के साथ कम से कम 65 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में ही किया जाना चाहिए । इसी प्रकार 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रा में कम से कम क्रमश: 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत टिप्पणी हिंदी में लिखनी चाहिए । प्रत्येक अधिकारी को कम से कम 20 प्रतिशत डिक्टेशन हिंदी में देनी चाहिए । कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण द्विभाषी ही खरीदे जाएं । जर्नलस् और मानक संदर्भ ग्रथों को छोड़कर हिंदी पुस्तकों की खरीद पर, पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कुल अनुदान में से 50 प्रतिशत धनराशि खर्च करनी चाहिए ।

सम्पदा निदेशालय

सम्पदा निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 107वीं बैठक संपदा निदेशक-II श्री रमेश चन्द्र की अध्यक्षता में 17-12-2007 को सांय 4.00 बजे संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गयी ।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा दिनांक 02-11-2007 को राजभाषायी निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जो ध्यान देने योग्य बातें संपदा निदेशालय को बताई गई थीं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उनकी जानकारी सदस्य सचिव (स.नि. राजभाषा) द्वारा समिति के सदस्यों को दी गई । यथा: हिंदी जानने वाले सभी अधिकारियों को अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाए तथा शतप्रतिशत हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ाई जाए; उच्च अधिकारियों को हिंदी मे कार्य करने/कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए । जो अधिकारी पहले से कंप्यूटर पर हिंदी में काम करते हैं उन्हें और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए; (क) और (ख) क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं; मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए; कार्यालय में प्रयुक्त सभी कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतया हिंदी में काम करने के लिए किया जाए; कार्यालय का

समस्त कार्य हिंदी में करने की समय-सीमा (एक वर्ष) निर्धारित की जाए; सभी आशुलिपिकों/टंककों को हिंदी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान होना चाहिए; हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि न जानने वाले टाइपिस्टों व आशुलिपिकों के प्रशिक्षण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए; सभी प्रशिक्षित टाइपिस्टों/आशुलिपिकों से हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि का कार्य करवाया जाए; सभी अनुभागों को पूरा काम हिंदी में करने के लिए शीघ्र विनिर्दिष्ट किया जाए ।

संसदीय राजभाषा समिति ने निरीक्षण बैठक के दौरान निदेशालय को जो उपर्युक्त दिशा निर्देश दिए उनके बारे में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सभी सदस्यों को निदेश दिया कि हिंदी जानने वाले सभी अधिकारी अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें जिससे शत प्रतिशत कार्य हिंदी में करने वाले अधिकारियों की संख्या में निश्चय ही वृद्धि हो जाएगी; उच्च अधिकारी कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करें; "क" और "ख" क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएं; मूल पत्राचार में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए ताकि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सके; सभी कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य किया जाए ।

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र आयकर भवन, सैक्टर-2, पंचकुला-134112

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकुला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 24-03-08 को दोपहर 03.00 बजे श्री कैसर शमीम, मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकुला की अध्यक्षता में उनके कमरे में आयोजित की गई ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए निर्णय अनुसार 5 एवं 6 मार्च, 2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 17 कर्मचारियों ने भाग लिया । मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, चण्डीगढ़ कार्यालय के राजभाषा विकास अनुभाग द्वारा मानक प्रारूपों की सी.डी. तैयार हो जाएगी सभी कंप्यूटरों पर लोड करवा दी जाएगी । पंचकुला में सभी कार्यालयों में दो-दो कंप्यूटरों पर द्विभाषी की-बोर्ड लगवा लिए गए हैं । प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आयकर आयुक्त कार्यालय, करनाल, रेंज कार्यालय पानीपत, करनाल एवं यमुनानगर में भी द्विभाषी की-बोर्ड लगवा लिए गए हैं ।

मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र में लगभग 65 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है । बैठक में यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित पत्राचार हिंदी में किया जाए :-

1. अग्रेषण पत्र (Forwarding Letters) हिंदी में भेजे जाएं ।
2. पत्र की प्राप्ति की सूचना अर्थात् पावती पत्र (Acknowledgement) हिंदी में भेजे जाएं ।
3. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया वे हिंदी में पत्राचार को धीरे-धीरे बढ़ाएं । उन्होंने यह भी चाहा कि सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा मानक प्रारूपों की सी.डी. कंप्यूटरों में यथावश्यक लोड करवाई जाए तथा नमूने की एक-एक प्रति सभी संबन्धित कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई जाए । उन्होंने यह भी चाहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा टिप्पणी हिंदी में लिखी जाए ।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से सरल एवं बोलचाल की भाषा हिंदी, हिंदुस्तानी में कार्य करने का अनुरोध किया । उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी में कार्य करते हुए यदि किसी अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है । हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग करके भाषा को कठिन न बनाया जाए । हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए ।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, मेरठ-1, मंगल पांडे नगर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने, मेरठ

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय मेरठ-प्रथम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 10-03-08 को अपराह्न 4.00 बजे श्री हरिन्दर बंसी, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, मेरठ-प्रथम की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सभा कक्ष सं. 104 में आयोजित की गई । माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरठ आयुक्तालय "क" क्षेत्र में स्थित है अत: सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में लिखने और समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए । जिन शाखाओं का कार्य शत

प्रतिशत हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है उन शाखाओं का शत प्रतिशत कार्य हिंदी में ही किया जाना चाहिए । सभी शाखाओं और मंडल कार्यालयों की वर्ष 2007 की जनवरी–मार्च, 2007, अप्रैल–जून, 2007, जुलाई–सितम्बर, 2007 एवं अक्तूबर–दिसम्बर, 2007 की चारों तिमाहियों की हिंदी पत्राचार की स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय की अधिकांश शाखाओं एवं अधीनस्थ मंडल कार्यालयों के मूल हिंदी पत्राचार की स्थिति संतोष जनक है । कुछ शाखाओं यथा–रिकवरी, निवारक, विधि, समन्वय, सांख्यिकी व सेवाकर शाखाओं के मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है और जिन शाखाओं को (प्रशासन, स्थापना–I, स्थापना–II, समन्वय, न्यायनिर्णय, गोपनीय, राजस्व एवं मुख्यालय) शत प्रतिशत हिंदी में कार्य के लिए नामित किया गया है उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए । सभी प्रकार के अनुस्मारक (रिमाइन्डर), अग्रेषण–पत्र (फारवर्डिंग) व पृष्ठांकन, सम्मन, व्यक्तिगत सुनवाई के पत्र तथा सतर्कता शाखा सहित सभी शाखाओं की फाइलों में टिप्पणियाँ हिंदी में ही लिखी जानी चाहिएं । प्रशासन शाखा द्वारा स्थानीय खरीद आदि से संबंधित पत्राचार हिंदी में ही किया जाना चाहिए । सभी प्रकार के आदेश केवल अंग्रेजी में जारी नहीं किए जाने चाहिए । अपर आयुक्त (का. एवं सत.) ने कहा कि स्थापना शाखा द्वारा केवल अंग्रेजी में जारी किए जाने वाले सभी आदेशों को बाद में द्विभाषी जारी करने के लिए स्थापना शाखा को निर्देश दिया गया है । सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को सूचित किया कि स्थापना शाखा द्वारा जो आदेश हिंदी अनुवाद के लिए हिंदी शाखा को भेजे जा रहे हैं, उनका यथासमय हिंदी में अनुवाद उपलब्ध कराया जा रहा है । अपर आयुक्त (का. एवं सत.) ने सुझाव दिया कि स्थानान्तरण आदेश का ऐसा एक नमूना हिंदी में बनाया जा सकता है जिसमें स्थानान्तरित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम/पदनाम भर कर स्थानान्तरण आदेश हिंदी में जारी किए जा सकते हैं । उन्होंने सहायक निदेशक (राजभाषा) से यह भी कहा कि वे मुख्यालय की शाखाओं का हिंदी कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण कर हिंदी में कार्य को बढ़ाने के लिए शाखा प्रभारियों का मार्गदर्शन करें । माननीय अध्यक्ष ने इस पर सहमति प्रकट की ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस सूचना तकनीकी के युग में नए–नए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटरों में बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के एक से अधिक भाषाओं में कार्य किया जाना संभव हो गया है । कंप्यूटरों से ही एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपान्तर किया जा सकता है । माननीय अध्यक्ष ने कहा कि पत्रिका में इस आयुक्तालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वरचित रचनाओं के अलावा अन्य कार्यालयों में तैनात ऐसे प्रसिद्ध लेखकों/रचनाकारों के लेख/रचनाओं को भी शामिल किया जा सकता है जो सुरूचिपूर्ण हों और जिनको पढ़कर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का देश की राजभाषा के प्रति लगाव हो और उन्हें हिंदी में अधिक से अधिक काम करने की प्रेरणा मिले ।

परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय पश्चिमी क्षेत्र, ए एम डी काम्प्लेक्स, प्रताप नगर से. V विस्तारबम्बाला सांगोर, जयपुर

बैठक में कार्यालय में प्रयोग होने वाले फार्मों व मानक मसौदों के द्विभाषीकरण के संबंध में भी चर्चा की गई जिसमें ज्ञात हुआ कि कार्यालय में प्रयोग होने वाले लगभग सभी फार्मों व मानक मसौदों का द्विभाषीकरण किया जा चुका है, क्रय आदेश के प्रपत्र का द्विभाषीकरण नहीं हुआ है, इस संबंध में निर्णय लिया गया कि क्रय आदेश के प्रपत्र का भी द्विभाषीकरण शीघ्र किया जाएगा ।

बैठक में कार्यालय में प्रयोग की जा रही मोहरों के द्विभाषीकरण की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया गया, इस संबंध में ज्ञात हुआ कि कार्यालय में प्रयोग की जा रही लगभग सभी मोहरें द्विभाषी रूप में हैं क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने सुझाव दिया कि इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया जाए कि यदि किसी अधिकारी/अनुभाग की मोहर द्विभाषी रूप में उपलब्ध नहीं है तो उसे द्विभाषी करवा लिया जाए ।

बैठक में संसदीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति को दिए गए आश्वासनों पर भी चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि दिए आश्वासनों पर संतोषजनक कार्रवाई की गई है एवं आश्वासन संख्या–7 (ध्यान देने योग्य बातों पर आवश्यक

कार्रवाई की जाएगी) के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(i) कार्यालय में प्रयोग किए जा रहे सभी रजिस्टरों के शीर्षक तथा शीर्षनाम द्विभाषी किए जाने के संबंध में परिपत्र जारी किया जाए ।

(ii) द्विभाषीकरण के लिए शेष सभी नक्शों के द्विभाषीकरण की प्रक्रिया की जाए ।

(iii) मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं ।

(iv) राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत आवश्यक जाँच बिंदु बनाए जाएँ ।

उपरोक्त में से बिंदु संख्या (iv) के संबंध में विचार किया गया कि अनुभाग प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक हिंदी विवरण को जाँच बिंदु माना जाए ।

इनके अतिरिक्त बैठक में कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के संबंध में भी चर्चा की गई, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने जानकारी दी कि कार्यालय के लगभग सभी कंप्यूटरों पर हिंदी साफ्टवेयर लोड किया जा चुका है एवं इस संबंध में पुनः सभी अनुभाग प्रमुख से जानकारी माँगी जाएगी यदि किसी कंप्यूटर पर हिंदी साफ्टवेयर लोड नहीं हुआ है तो उसे लोड कर दिया जाएगा ।

दक्षिण पूर्व रेलवे, कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा) गार्डनरीच, कोलकाता-43

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 86वीं बैठक दिनांक 31-03-2008 को महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री ए. के. जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । महाप्रबंधक ने माननीय श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, सांसद एवं सदस्य रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का स्वागत करते हुए उनको अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बैठक में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया तथा आश्वासन दिया कि भारत सरकार की नीति के तहत कार्य करते हुए इस रेलवे पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएँगे । उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि 19 अक्तूबर, 07 को रेलवे बोर्ड द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे को अधिसूचित किये जाने तथा 01 नवम्बर, 07 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्यालय के निरीक्षण के समय जो सुझाव और निर्देश दिए हैं उनका पूरी तरह अनुपालन करें और उसे लागू करें । उन्होंने कहा कि यदि सभी अधिकारीगण हिंदी में काम करना शुरू करें तो नीचे के कर्मचारी खुद ब खुद हिंदी का प्रयोग करने लगेंगे । यदि पूरा हिंदी न भी लिख सकें तो मिली जुली भाषा का प्रयोग करें । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे अपने स्तर पर कई फाइलों में टिप्पणियाँ आंशिक रूप से हिंदी में देते हैं । उन्होंने इस रेलवे के वैबसाइट को जल्दी से जल्दी द्विभाषी करने के लिए CSTE को निर्देश दिया तथा कहा कि यदि जरूरत पड़े तो बाहरी एजेंसी से मदद लेकर भी इस कार्य को शीघ्र पूरा करवाएँ ।

CSTE, श्री एस. मुरलीधरन ने बैठक को सूचित किया कि दक्षिण पूर्व रेलवे की वैबसाइट को द्विभाषी करने का कार्य अंतिम चरण में हैं । उन्होंने अब तक की द्विभाषीकृत वैबसाइट का प्रदर्शन बैठक के दौरान प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने सहाहना की ।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, सांसद एवं सदस्य रेलवे हिंदी सलाहकार समिति ने सुझाव दिया कि आप एक नियम बना लें कि इस बैठक से 15 दिन पहले मंडलों का निरीक्षण करें और उनसे रिपोर्ट लें कि किस मद में क्या प्रगति हुई है और क्या कमी रह गई है ताकि इस बैठक में चर्चा करने में सहूलियत हो । उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारी जब भी निरीक्षण पर जाएँ अपने कार्य के अतिरिक्त, हिंदी के संबंध में भी निरीक्षण एवं चर्चा करें । उन्होंने पत्राचार में टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर तथा कंप्यूटर का प्रयोग करके भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का सुझाव दिया । उन्होंने एक तयशुदा कार्यक्रम बनाकर प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को पूरा करने की सलाह दी । CSTE द्वारा दिखाए गए हिंदी वैबसाइट की भी उन्होंने प्रशंसा की ।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य इंजीनियर डॉ. जी. नारायणन ने सभी अधिकारियों को ध्यान दिलाया कि महाप्रबंधक ने संसदीय राजभाषा समिति को जो आश्वासन दिये हैं उनके अनुपालन के संबंध में पिछली बैठक में चर्चा की गई थी । उन्होंने COM के प्रतिनिधि को कहा कि परिचालन विभाग में और भी सुधार लाने की जरूरत है । उन्होंने सभी PHODs से अनुरोध किया कि आश्वासनों को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए सख्त कदम उठाएँ ताकि इन आश्वासनों को शीघ्र पूरा किया जा सके ।

पूर्व रेलवे, 17, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 27-12-2007 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री एन. के. गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई । समिति की 20-09-2007 को संपन्न पिछली बैठक के बाद रेलवे पर हिंदी के प्रयोग-प्रसार में हुई निम्नांकित उपलब्धियों का जिक्र किया :

(क) पूर्व रेलवे के डॉ विधान चन्द्र राय ऑडिटोरियम, सियालदह में नाटकों की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यालय के नाटक 'क्षुधित पाषाण' को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ एवं इसे रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली भेजा जा रहा है । नाट्योत्सव जैसे सांस्कृतिक अनुष्ठानों के माध्यम से रेल कर्मचारियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्यालय की लघु पत्रिका 'पूर्वोदय' के दिसम्बर, 07 अंक का नेट एक्टीवेशन हुआ । यह भारतीय रेल की पहली पत्रिका है जिसे वैबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ।

(ग) सतर्कता सप्ताह के दौरान आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में 31 कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया तथा 'जागृति' नामक द्विभाषी पत्रिका का प्रकाशन की सतर्कता सप्ताह की प्रमुख उपलब्धि रही ।

(घ) सियालदह मण्डल ने स्टेशन संचालन नियमों का अनुवाद कार्य पूरा कर लिया है ।

(ङ) जाँच बिंदुओं की सक्रियता एवं राजभाषा क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष के साथ आन्तरिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं ।

(च) 140 कर्मचारियों को डेस्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया । यह कार्य जारी है ।

मुराधि ने निम्नांकित क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें सुधार करना है :

(क) दिसम्बर, 2008 तक हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने हेतु संबंधित विभाग/मण्डल/कारखाने विभागीय स्तर पर कक्षाएँ आयोजित कर प्रशिक्षण कार्य में तेजी लाए । साथ ही, हिशियों के तहत अतिरिक्त केंद्र भी खोलें ।

(ख) कर्मचारियों को छोटी-मोटी टिप्पणियाँ हिंदी में लिखने के लिए अभ्यास कराकर उन्हें प्रोत्साहित करें ।

(ग) हिंदी सवर्धन विषयक पुरस्कार योजनाओं को हर स्तर पर लागू किया जाए ।

(घ) विभागाध्यक्ष चैक प्वाइंट्स की सक्रियता पर नजर रखते हुए धारा 3(3) के तहत आने वाले कागजात वस्तुतः द्विभाषी रूप में ही जारी कराएं ।

(ङ) वर्किंग टाइम टेबुल को द्विभाषी जारी किया जाए ।

(च) 80% से ज्यादा प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्यालयों को अधिसूचित करने के प्रस्ताव सभी मंडल, मुख्यालय को भेजें, ताकि पात्र कार्यालयों का विवरण रेलवे बोर्ड को भेजा जा सके ।

महाप्रबंधक एवं समिति अध्यक्ष ने कहा कि यह बैठक 2007 की आखिरी बैठक है । वर्ष 2008 के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने हिंदी के प्रयोग-प्रसार में तेजी लाने के लिए कहा । उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय समिति के निरीक्षण से पहले पूर्व रेलवे के नाम बोर्ड/सूचना बोर्ड आदि एवं गेट संचालन नियमों को द्विभाषी/त्रिभाषी में उपलब्ध कराया जाना है । उन्होंने डेस्क प्रशिक्षण का कार्य चालू रखने एवं पुरस्कार योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया ।

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को सृजनात्मक आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की जन्मशताब्दी के अवसर पर 'राष्ट्रकवि दिनकर' - व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, श्री कन्हैयालाल पाण्डेय ने 1968 में विविध भारती से प्रसारित 'दिनकर' जी के काव्य पाठ का एक रिकार्डेड अंश सुनवाया । साथ ही, 'दिनकर' की कालाजयी रचना 'कुरुक्षेत्र' से भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के अंशों का भी वाचन किया ।

कविवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अनेक छुए-अनछुए पहलुओं को स्पर्श करते हुए तीन विद्वान वक्ताओं ने व्याख्यान दिए ।

श्री राज्यवर्धन, कला समीक्षक ने दिनकर जी के पारिवारिक एवं संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन करते हुए बताया कि कविवर की जड़ें गाँव के माहौल में गहरे जमी थी तथा उन्होंने ग्रामीण वातावरण में अत्यल्प साधनों से उच्च संस्कार ग्रहण किए, जो उनकी राष्ट्रीय विचारधारा के पोषक सिद्ध हुए । सरकारी नौकरी की विवशता और गुलामी के माहौल को झेलते हुए भी दिनकर जी ने राष्ट्रीयता का जो उद्घोष किया, वह अन्यत्र नहीं मिलता है । श्री जितेन्द्र धीर, संपादक, शब्द संस्कृति ने दिनकर जी की साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनकी सारी रचनाओं में समाज में व्याप्त विषमताओं एवं अन्याय के प्रति आक्रोश है । 'रश्मिरथी', कुरुक्षेत्र इसके कुछ उदाहरण हैं । दिनकर जी ने पूरी निर्भीकता के साथ अपनी रचनाओं का सृजन किया है और कहीं भी चाटुकारिता की भाषा का प्रयोग नहीं किया है । डॉ अमरनाथ, प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कहा कि कविवर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवतावाद की स्थापना पर जोर दिया है । विजय मानव का लक्ष्य है । लेकिन विजय-तिलक के लिए कुपथ पर चलना पाप है । विद्वान वक्ता ने आगे कहा कि दिनकर जी ने धरती की सहनशीलता, नदी की निर्मलता और पहाड़ों की विशालता को आत्मसात करते हुए अपनी रचनाओं के जरिए हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की । डॉ अमरनाथ ने कविवर की रचनाओं से सटीक उद्धरण देते हुए यह सिद्ध किया कि कविवर 'दिनकर' का साहित्य हमें आज भी विषमताओं एवं विडम्बनाओं से निजात दिलाते हुए उन्नति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ।

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी : सागर (म.प्र.) 470 001

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 23-04-2008 को केंद्राध्यक्ष श्री अविनाश एच. दुर्गे, सहायक केंद्र अभियन्ता आकाशवाणी सागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में हुई चर्चानुसार यह निष्कर्ष निकला कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है एवं किसी प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई । यथासंभव सभी अनुभागों में हिंदी भाषा में ही पत्राचार किया जा रहा है ।

कार्यालय में हिंदी में पत्राचार करने के लिए हिंदी टाईपराईटर एवं कंप्यूटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिससे हिंदी में पत्राचार सुचारू रूप से किया जा सके ।

कार्यालय के सभी कक्षों में द्विभाषिक नाम पट्टिका लगाई गईं हैं जिनमें हिंदी एवं अंग्रेजी में अधिकारियों एवं कक्षों के नाम लिखे गए हैं ।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने का सुझाव देते हुए बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और बैठक समाप्ति की घोषणा की ।

आकाशवाणी, कटक

सुश्री संजीवनी सुधा पटनायक, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, कटक की अध्यक्षता में दिनांक 02-04-2008 का पूर्वाह्न 11.30 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक सम्पन्न हुई ।

जनवरी-मार्च, 2008 तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई । मूल पत्राचार में बढ़ोतरी करने के लिए अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि सप्ताह में कम-से-कम एक दिन सभी अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में काम करें । सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बुधवार को सभी अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में काम करेंगे एवं इस संबंधी एक परिपत्र जारी किया जाए ।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में आकाशवाणी, कटक केंद्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है । इस कार्यालय के श्री प्रशान्त चन्द्र पण्डा, प्रवर श्रेणी लिपिक को अखिल आकाशवाणी राजभाषा सम्मान वर्ष, 2007 के लिए चुना गया है ।

अध्यक्ष महोदया ने कार्यालय में हिंदी पुस्तकों के पाठक संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एक अभिनव सुझाव दिया । उन्होंने कहा कि हिंदी पखवाड़े के दौरान एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए जिससे अधिकारी/कर्मचारियों को सालभर में पुस्तकालय में उपलब्ध हिंदी पुस्तकों को पढ़ने की रूचि बढ़े । हिंदी के लेखक/कवियों के विभिन्न विधाओं पर उनका कहां तक ज्ञान है, इस संदर्भ में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए । उद्देश्य यह है कि कार्यालय के ज्यादा से ज्यादा अधिकारी/कर्मचारी हिंदी की पुस्तकें पढ़ें ।

दूरदर्शन केंद्र : राजकोट

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 16-01-08 को दोपहर 03.00 बजे श्री बाबुभाई परमार, वरिष्ठ निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राजकोट की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

हिंदी प्रभारी श्री किरण किकाणी ने वरिष्ठ निदेशक श्री से हिंदी पखवाड़ा के दौरान हुई प्रतियोगिताओं में विजेता हुई प्रतिभागी के नाम की घोषणा की और हिंदी पखवाड़ा के समापन के बारे में जानकारी दी । और निदेशक श्री ने सभी कर्मचारी ने उत्साह से हिंदी पखवाड़े में भाग लिया और पुरस्कार एवम् प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सराहना की । और साथ में जो कर्मचारी को हिंदी टंकण का ज्ञान नहीं है उन्हें 'सरल हिंदी' में कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए कहा ।

श्री किरण किकाणी ने तिरुवनंथपुर में हुआ । राजभाषा सम्मेलन के बारे में सबको जानकारी देते हुए कहा कि कार्यालय में हिंदी अनुवादक एवं हिंदी अधिकारी का पद रिक्त है फिर भी श्री किरण किकाणी, कार्यक्रम निष्पादक हिंदी प्रभारी का अतिरिक्त कार्यभार का सुचारु रूप से संचालन करते हैं उसके बारे में निदेशक श्री ने तारिफ की और हिंदी में कार्य करने के लिये सभी कर्मचारीगण को अभिनंदन दिया । हिंदी पखवाड़े का आयोजन हुआ जिसमें अधिकतम कर्मचारियों ने भाग लिया । हिंदी पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया ।

दूरदर्शन केंद्र : दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10-01-08 को अपराह्न 03.00 बजे निदेशक सुश्री दीपा चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

हिंदी अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया और इसके उपरांत विषयों पर चर्चा की गई ।

निदेशक महोदया को इस सॉफ्टवेयर के कार्य प्रदर्शन संबंधी जानकारी दी गई तथा उन्हें यह भी सूचित किया गया कि लेखा संबंधी कुछ कार्यों को इस पर करने में कुछ असुविधा हो सकती है लेकिन कार्यालय के अन्य कार्य इस पर आसानी से संपन्न किए जा सकते हैं ।

हिंदी अधिकारी ने सूचित किया कि अभियांत्रिकी अनुभागों के विभिन्न स्कंधों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा डेस्क कार्यशाला के अंतर्गत उन्हें उनकी कार्य की प्रकृति के अनुसार राजभाषा नियमों के अनुपालन के संबंध में जानकारी दी गई ।

निदेशक महोदया ने निदेश दिया कि लिफ्ट के ऊपर जो इलैक्ट्रानिक स्क्राल चलता रहता है उसमें हिंदी में भी शब्दों का प्रदर्शन किया जाए तथा प्रशासन अनुभाग द्वारा यथाशीघ्र अलग से इलैक्ट्रानिक बोर्ड लगवाने की व्यवस्था की जाए ।

आकाशवाणी: विशाखापट्टणम

आकाशवाणी केंद्र, विशाखापट्टणम में कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक केंद्र निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24-12-2007 को सुबह 11.30 बजे संपन्न हुई । सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । तदुपरांत पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । इसके पश्चात् कार्यसूची के सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और निम्न प्रकार निर्णय लिए गए ।

हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि इस कार्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृंद द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किए जाने के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस कार्यालय को अधिसूचित कार्यालय घोषित किया गया है और हिंदी प्रशिक्षण के लिए अब केवल 9 कर्मचारी ही शेष बचे हैं, उनमें से 5 कर्मचारियों को जनवरी -जुलाई सत्र के लिए नामित किया जा रहा है ।

हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण की स्थिति पर चर्चा उठने पर समिति को यह भी सूचित किया गया है कि हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए शेष बचे 5 में से दो अवर श्रेणी लिपिक वर्तमान सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इस पर यह निर्णय लिया गया है कि शेष बचे कर्मचारियों को भी कार्यालय की सुविधानुसार अगले सत्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा ।

तत्पश्चात् समिति को आकाशवाणी महानिदेशालय से आवधिक रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त कार्यालय ज्ञापन पढ़कर सुनाया गया इस पर यह निर्णय लिया गया है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णरूप से पालन की ओर

तथा कार्यालय ज्ञापन में निहित सभी मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ।

मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के बारे में चर्चा उठने पर समिति को सूचित किया गया है कि चूँकि यह 'ग' क्षेत्र है कुछ हद तक 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों को द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में भेजा जा रहा है । फिर भी उनकी संख्या निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा कम है तब अध्यक्ष महोदया ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि तीनों क्षेत्रों में जाने वाले पत्रों में यथासंभव हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए । तदनुसार निर्णय लिया गया है कि 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ।

हिंदी कार्यशाला के बारे में चर्चा उठने पर यह निर्णय लिया गया है कि फरवरी में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए और यह भी निर्णय लिया गया है कि जनवरी के अंत में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक आयोजित की जाए ।

हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में समिति को यह सूचित किया गया है कि पुस्तकालय के लिए अलग से लाइब्रेरी फंड उपलब्ध न होने के कारण पुस्तकें खरीदने के लिए "कार्यालय व्यय/ओ.ई. से ही इसका खर्च उठाना पड़ रहा है और ओ. ई. में निधियों की कमी के कारण पुस्तकें खरीदनें में दिक्कत हो रही है फिर भी निधियों की उपलब्धता के आधार पर कुछ हिंदी शब्दकोश आदि खरीदने की कोशिश की जाएगी ।

दूरदर्शन केंद्र : रांची

दिनांक 19-12-2007 को अपराह्न 3.30 बजे राजभाषा की बैठक केंद्र निदेशक महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में संपन्न हुई ।

सर्वप्रथम केंद्र निदेशक महोदय ने आगन्तुकों का अभिनन्दन किया, तत्पश्चात पूर्व बैठक के कार्यवृत्तों पर चर्चा की गई ।

गत माह इस केंद्र पर संसदीय राजभाषा की दूसरी उप-समिति निरीक्षण हेतु आई थी । इस बैठक में केंद्र में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा की गई । हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण समारोह पर भी चर्चा की गई ।

वर्तमान बैठक के दौरान, केंद्र से जो हिंदी पत्रिका प्रकाशन का निर्णय लिया गया है, उस पर चर्चा हुई । केंद्र निदेशक महोदय का सुझाव था कि प्रत्येक अनुभाग अपने कार्य कलापों के विषय में आलेख तैयार करे, जिसे पत्रिका में स्थान दिया जाए । साथ ही हिंदी पखवाड़े के दौरान जो काव्य-पाठ प्रतियोगिता हुई थी, उसमें से सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को भी पत्रिका में प्रकाशित किया जाए ।

केंद्र में हिंदी साहित्यकारों के चित्रों को लगाने का भी निर्णय लिया गया । इसके लिए केंद्र निदेशक महोदय ने वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित लेखकीय चित्रमाला मंगाने का निर्देश दिया ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गुवाहाटी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय (गुवाहाटी) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष 2007 की चौथी व अंतिम तिमाही बैठक दिनांक 4 जनवरी, 2008 को अपराह्न तीन बजे श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, कार्यपालक निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र) की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने पुनः जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है, जब हम सेवा भावना से किसी काम को अंजाम दें । मैनें पिछली बैठक में सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे हिंदी में काम करने की शुरूआत कम से कम हिंदी में हस्ताक्षर करें; पर अब तक मात्र तीन सदस्यों –सर्वश्री आर, वीरास्वामी, निदेशक विमानपत्तन, गुवाहाटी, ए.पी. गजबे, संयुक्त महाप्रबंधक (भू प्रबंधन, विमानक्षेत्र) तथा श्रीमती रोजलिंड जोसफ, वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) के हस्ताक्षर कुछ पत्रों एवं कार्यालय टिप्पणियों पर हिंदी में देखने को मिले हैं मुझे आशा है कि सभी सदस्य पत्रों एवं कार्यालय टिप्पणियों पर हिंदी में ही हस्ताक्षर करने पर उचित ध्यान देंगे ।

अपनी टिप्पणी को जारी रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु यह जरूरी है कि इसकी ठोस शुरूआत हो । आइए हम सभी, सप्ताह के मंगलवार को तथा माह की 14

तारीख को हिंदी में हस्ताक्षर करने के साथ उस दिन व तिथि को अपना समस्त कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिंदी में करें। और इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी विभागाध्यक्ष डायरी और डिस्पैच के लिए अपने-अपने अनुभाग में अलग-अलग रजिस्टर खोलें ताकि पत्राचार की सही स्थिति का पता चल सके।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से यह भी आग्रह किया कि वे हिंदी और अंग्रेजी में किए गए पत्राचार को मास्टर फोल्डर/ गार्ड फाइल में रखें जिससे कि आसानी से किसी पत्र को देखने और दिखाने में सुविधा हो। हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के वास्ते छह अंग्रेजी आशुलिपिक बचे हुए हैं तो उन्होंने बारी-बारी से उन्हें हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित करने का अनुदेश दिया। साथ ही, सदस्य -सचिव ने सदस्यों को सूचित किया कि जो अहिंदी भाषी अंग्रेजी आशुलिपिक, हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें दो वेतन वृद्धियां प्राप्त होती हैं जो आगे चलकर एक-एक कर क्रम से मूल वेतन में स्थायी रूप से जुड़ती जाती हैं। इस पर श्री ओ.पी. शर्मा, प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) ने कहा कि यह बड़ी अच्छी बात है। इससे प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन होगा।

बैठक में बात उठी कि सेवा पंजिकाओं में इंदराज (Entry) हिंदी में होना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने श्री ओ.पी. शर्मा, प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) को अनुदेश दिया कि वे उप-महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) के मार्गदर्शन में दविभाषी मोहर बनवाने की दिशा में यथोचित कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय ने समिति सदस्यों से आग्रह किया कि अगली तिमाही बैठक से कोई दो अनुभाग प्रधानों द्वारा अपने-अपने अनुभाग में, अपने-अपने स्तर से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग (Progressive use) की दिशा में की गई कार्रवाई का ब्यौरा समिति के समक्ष रखना है। कृपया कोई दो अनुभाग प्रधान स्वेच्छया आगे आकर अपना संकल्प प्रदर्शितकरें।

भारत संचार निगम लिमिटेड उपमहाप्रबंधक पारेषण परियोजना कार्यालय चिट्टर रोड, एरणाकुलम

उ.म.प्र.पा. परियोजना एरणाकुलम कार्यालय के संबंध में राजभाषा समिति की बैठक 3,11,2007 को 15.00 बजे श्री एन.एस. दीपु, उ.म.प्र.पा.प. एरणाकुलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हिंदी अनुवादक ने सूचित किया कि पिछले वर्ष में 8986 रु. की हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि इस वर्ष में भी कुछ पुस्तकें और सी डी खरीदें। कुछ सदस्यों के मतानुसार फिल्मी तथा अन्य साहित्य की सी डी भाषा के प्रचार के लिए अच्छा होगा। उ.म.प्र. ने अनुदेश दिया कि इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

अध्यक्ष ने अपनी खुशी प्रकट की कि हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता अभी 55% तक पहुंची है। उन्होंने अनुदेश दिया कि भविष्य में भी उक्त प्रतिशत बनाएं रखें। समिति ने सुनिश्चित किया कि सभी डिविजन में सूचना पट्ट, नाम पट्ट, कार्यालय मोहर आदि द्विभाषी बनाया रखा। उपमहाप्रबंधक ने सुनिश्चित किया कि कार्यालयों के सामने प्रदर्शित सतर्कता बोर्ड त्रिभाषी है।

हिंदी अनुवादक ने सूचित किया कि डिविजनों में प्रयोग करने के लिए इंजी 27, गाड़ी विवरण आदि की प्रपत्र द्विभाषी बनाया। अध्यक्ष ने अनुदेश दिया कि भविष्य में उक्त को प्रयोग किया जाए।

राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, नई दिल्ली

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 10-1-2008 को प्रात: 11.00 बजे कार्यकारी निदेशक महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संस्थान के उपसचिव/समकक्ष एवं उससे उच्च स्तर के 77 अधिकारियों में से हिंदी में प्रवीणता प्राप्त 42 अधिकारी हैं और उनमें से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या 8 (अधिकांशत:) तथा 34 (सामान्य) हैं। इनमें से हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों की संख्या मात्र 8 है परन्तु हिंदी में डिक्टेशन के लिए किसी भी अधिकारी को पुरस्कार प्रदान नहीं किया। इस संबंध में निदेशक महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों विशेष रूप से प्रोत्साहन योजनाओं को निस्केयर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए ताकि सभी कार्मिक राजभाषा अनुपालन के साथ-साथ प्रोत्साहन योजनाओं का भी लाभ उठा सकें। अधिकारियों के लिए डिक्टेशन प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए प्रशासन विभाग के सभी अधिकारी हिंदी आशुलिपि

का पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्राप्त आशुलिपिकों की सेवाएं प्राप्त कर हिंदी में डिक्टेशन देकर इस सरकारी योजना का लाभ उठाएं ।

संस्थान में राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी कर लगभग शत-प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिंदी में किया गया है । यदि से आंकड़ें सही हैं तो यह नि:संदेह अत्यंत प्रशंसा की बात है। इस संबंध में कार्यकारी निदेशक महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की और राजभाषा इकाई को बधाई देते हुए निदेश दिया कि इस संबंध में आंकड़ों की जांच हेतु एक परिपत्र जारी करें, ताकि सभी आंकड़ों की सत्यता की जांच की जा सके, साथ ही उन्होंने प्रशासन अनुभाग के सभी अधिकारियों को निदेश दिया कि सभी अनुभागों/विभागों में रिकॉर्ड की जांच के लिए सभी कागजात आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिएं और रिपोर्ट में सदैव सही आंकड़े ही भेजे जाएं ।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राकास) की बैठक निदेशक, भापेसं के गोष्ठी कक्ष में दिनांक 1-11-2007 को अपराह्न 4.00 बजे श्री वी. एस. सैनी, कार्यकारी निदेशक, भापेसं की अध्क्षता में संपन्न हुई ।

सर्वप्रथम डॉ. दिनेश चमोला, सदस्य सचिव ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया । इसके उपरांत पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के साथ-साथ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई ।

डॉ चमोला, सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य शत प्रतिशत निर्धारित किया गया है जबकि इस तिमाही में संस्थान द्वारा किया गया हिंदी पत्राचार पूर्व की तुलना में कुछ कम है । इस पर चर्चा करते हुए श्रीमती सुशीला सिंघल, प्रशासनिक अधिकारी का सुझाव था कि राजभाषा अनुभाग के सदस्यों को समय-समय पर संस्थान के ऐसे अनुभागों/ प्रभागों में जाकर हिंदी में पत्राचार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से अधिक मात्रा में पत्राचार किया जाता हो । इस पर डॉ. दिनेश चमोला, सदस्य सचिव का कहना था कि समय आदि के अपव्यय से बचने के लिए प्रेषण अनुभाग को ही जांच-बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया है । संस्थान चूंकि नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है ऐसे में अब सभी संबंधों से मूल रूप में हिंदी में टिप्पण व प्रारूपण की अपेक्षा की जानी चाहिए । प्रेषण अनुभाग चूंकि एक उपयुक्त जांच बिंदु है अत: आवश्यक होगा कि ऐसे पत्रों का प्रेषण से पूर्व हिंदी में अनुवाद करा लिया जाए जो तकनीकी प्रकृति के न हों ताकि अपेक्षानुसार हिंदी पत्राचार में वृद्धि सुनिश्चित हो सके । श्री वी.एस.सैनी, कार्यकारी निदेशक का कहना था कि अधिकांश पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किया जाता है । उनका कहना था कि यदि हिंदी टंकण आदि की सुविधा सभी संबंधितों को उपलब्ध हो तो पत्राचार सीधे हिंदी में ही किया जा सकता है । फिर भी सभी प्रभागाध्यक्षों को इस कार्य में भरपूर सहयोग करना चाहिए । अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दिन प्रेषण अनुभाग से उन पत्रों को अनुवाद हेतु उठा लिया जाए जो तकनीकी प्रकार के न हों । सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान के 16 आशुलिपिक तथा 23 सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी हिंदी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान रखते हैं किंतु उनका हिंदी काम- काज के लिए सही उपयोग नहीं किया जा रहा है । इस पर चर्चा करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री वी एस सैनी का सुझाव था कि हिंदी में आशुलिपि/टंकण का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की सूची संस्थान के समस्त अनुभाग -प्रभाग -प्रमुखों को उपलब्ध करवा दी जाए ताकि उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग कर हिंदी काम-काज में सरकार की अपेक्षानुसार लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके ।

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान द्वारा पिछले कई वर्षों से हिंदी पुस्तकों की खरीद नहीं की गई है जबकि नियमानुसार पुस्तकों की खरीद के कुल बजट का 50% तक (संदर्भ ग्रंथ व जनरलों को छोड़कर) हिंदी पुस्तकों पर व्यय की जानी अनिवार्य है । इस पर चर्चा करते हुए श्री वी. एस. सैनी, कार्यकारी निदेशक का कहना था कि संस्थान जिन क्षेत्रों में अपना अनुसंधान कार्य कर रहा है उन क्षेत्रों से संबंधित पुस्तकें क्रय की जा सकती हैं ।

कार्यालय महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला, कटक

दिनांक 11 जनवरी, 2008 को दूरसंचार भवन के सम्मलेन कक्ष में महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार होता और

वरिष्ठ अधिकारियों की अपराह्न 4.00 बजे एक विशेष बैठक में कार्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के पश्चात् उसकी प्रथम बैठक प्रारंभ हुई । बैठक का संचालन सदस्य सचिव और मण्डल अभियंता (प्रशासन) ने किया । उनके आग्रह पर वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक विमल किशोर मिश्र ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला । उन्होंनें राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद 3(3), हिंदी पत्राचार,नियम 11 के अधीन व्यवहृत कार्य सामग्री के द्विभाषीकरण आदि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों से सदस्यों को परिचित कराया ।

तदुपरान्त, सर्वसम्मति और अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय किए गए :-

(1) आगे से प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर समिति की बैठक बुलाई जाएगी ।

(2) कार्यालय के सभी अनुभागों/एककों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की मदवार समीक्षा की जाएगी और उसे संकलित / समेकित करके मुख्यालय तथा राजभाषा विभाग को एक एक प्रति भेजी जाएगी ।

(3) कार्यालय में राजभाषा संबन्धी कार्यों का समन्वय और संचालन करने के लिए मंडल अभियंता (प्रशासन) को सम्पर्क अधिकारी (हिंदी) के पद पर नियुक्त किया गया ।

(4) हिंदीकार्य शाला वर्ष में 30 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी । चालू वित्त वर्ष में उसका आयोजन दस-दस घंटे की दर से जनवरी/फरवरी/मार्च 2008 में किया जाएगा ।

(5) हिंदी के सेवा कालीन प्रशिक्षण से शेष बचे अधिकारी/कर्मचारियों का रोस्टर तैयार किया जाएगा ।

महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार होता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में समिति के गठन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति के सम्यक् कार्यान्वयन में सभी सदस्यों से सम्पूर्ण योगदान करने का आहवान किया । उन्होंने आशा प्रकट करते हुए कहा कि अगली बार जब समिति की बैठक होगी तो हमारी उपलब्धियों के खाते में अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं दर्ज होंगी ।

अपराह्न 6.00 बजे हिंदी प्राध्यापक श्री प्रदीप कुमार साहु ने बैठक के अन्त में समिति के गठन, सुचारू संचालन और लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए सबको धन्यवाद ज्ञापित किया ।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, कार्यालय परिसर, सैक्टर-33 फरीदाबाद-121003

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2007-2008 की चौथी तिमाही बैठक श्री एस.के. चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक), महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20-3-2008 को आयोजित की गई । निदेशक (कार्मिक) महोदय ने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही हम वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए यह हम सबका संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें और अपने निगम में राजभाषा कार्यान्वयन को और आगे बढ़ाएं । निदेशक (कार्मिक) महोदय ने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों को गंभीरता से लेते हुए सभी राजभाषा नियमों का गंभीरता से अनुपालन करने के निर्देश दिए । बैठक के दौरान निदेशक (वित्त) श्री ए.बी. एल. श्रीवास्तव ने निगम में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे निगम में राजभाषा हिंदी को बढ़ाने के कारगर प्रयास किए जा रहे हैं, यह प्रशंसनीय है । निदेशक (वित्त) महोदय ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के दावे व फार्म यथा मेडिकल बिल, व वाहन भत्ता, छुट्टी आवेदन, दौरा पेशगी आदि केवल हिंदी में ही प्रस्तुत किए जाएं । बैठक में महाप्रबंधक (मा. सं. वि. का. संचार व राजभाषा) श्री उपेन्द्र राय ने कहा कि हमारे सभी निदेशकगण राजभाषा संबंधी गतिविधियों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं तथा उनके बहुमूल्य सुझावों से निगम में राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं । बैठक में स्लाइडों के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निगम की राजभाषा कार्यान्वयन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई और राजभाषा का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई । ■

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

मदुरै

मदुरै नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं एवं राजभाषा बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्तरोतर प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाल ही में मदुरै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 39वीं बैठक का आयोजन समिति के संयोजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दूवारा किया गया । बैठक में भारत सरकार नई दिल्ली के राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पी. वी. वल्सलाजी कुट्टी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी । उन्होंने कहा कि कंपनियों में हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार की महती आवश्यकता है । इस अवसर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा इन कंपनियों ने हिंदी एवं अन्य भाषाओं की संचार शक्ति को अनुभव किया है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए ये क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी का भी प्रयोग कर रही हैं। इसी तरह केंद्र सरकार एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्मिक होने के नाते हमें भी हिंदी की क्षमता को समझना होगा ।

बैठक में विशिष्ट अतिथि मुख्य प्रबंधक राजभाषा राजकिशोर उपाध्याय ने कहा हिंदी को क्लिष्टता के दायरे से निकालकर आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करके हम इसका कार्यालयों में प्रयोग बढ़ा सकते हैं । संयोजक कार्यालय के रूप में मदुरै के सभी केंद्र सरकार से संबंधित कार्यालयों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित समिति की विभिन्न गतिविधियों एवं बैठकों का संचालन करना हमारे बैंक के लिए बहुत गर्व की बात है । नराकास के अध्यक्ष एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक श्री आर. शिवसुब्रमण्यन ने सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा समिति को दिए जा रहे समर्थन और सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही समिति ने अत्यंत अल्प समय में अपनी पहचान कायम की है ।

बैंक के अंचल कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा डॉ. वी.वी. कुचरू का माननीय संयुक्त सचिव महोदया की बैठक में उपस्थिति से सभी को राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन में दृढ़तापूर्वक जुट जाने की प्रेरणा मिली है जो कि नराकास मदुरै के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है ।

भारत सरकार राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय कार्यान्यवन कार्यालय कोचीन के उपनिदेशक डा. वी. बालकृष्णन ने सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की । समिति के सदस्य सचिव श्री हितेंद्र धूमाल ने समिति द्वारा विगत वर्ष में संचालित गतिविधियों समिति के लक्ष्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुत की ।

दक्षिण रेलवे के मंडल प्रबंधक हेमंत कुमार ने सुझाव दिया कि सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा फाइलों में प्रतिदिन कम से कम एक हिंदी शब्द लिखा जाए, आयकर आयुक्त मदुरै इंद्रकुमार ने कहा स्टाफ की कान्फिडेंशियल रिपोर्ट में हिंदी योग्यता की भी प्रविष्टि की जानी चाहिए ।

बैठक में नराकास के सदस्य कार्यालयों की पता पुस्तिका एवं राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की स्टीकर के रूप में प्रस्तुत रचना का संयुक्त सचिव ने विमोचन किया । वर्ष 2007-2008 के दौरान राजभाषा हिंदी का उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने वाले कार्यालयों को भी मुख्य अतिथि ने शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए । इस के अंतर्गत अपने वर्ग में भारत संचार निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कार्पोरेशन एवं इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रथम स्थान, आयकर कार्यालय, दक्षिण रेलवे, आकाशवाणी एवं केनरा बैंक को द्वितीय स्थान तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कीट-विज्ञान अनुसंधान केंद्र तथा भारतीय स्टेट बैंक को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, केंद्रीय विद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, इंडियन बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र एवं शील्ड दी गई ।

कोयंबत्तूर

कोयंबत्तूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्द्ध-वार्षिक बैठक दिनांक 22 मई, 2008 को सुसंपन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री के. श्रीनिवासन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने की ।

समिति के अध्यक्ष श्री के. श्रीनिवासन जी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि नराकास, कोयंबत्तूर एक संस्थान का रूप ले लिया है । समिति की गतिविधियों में गुणात्मकता के साथ गतिशीलता भी आई है । राजभाषा कार्यान्वयन के विविध आयामों में सदस्य-कार्यालयों को साधन संपन्न बनाने के उद्देश्य से समिति के सदस्य-सचिव डॉ. सी. जय शंकर बाबु ने 'राजभाषा साधन' के नाम से कँपैक्ट डिस्क(सी.डी.) बनाया है जिसका विमोचन इसी अवसर पर होगा । इस सी. डी. का उपयोग करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में आने वाली समस्याओं के लिए समाधान ढूंढ पाना तथा सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में एक रूपता लाना भी संभव है । उन्होंने अपील की कि सी. डी. का सही रूप में उपयोग करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने का प्रयास किया जाए ।

सदस्य-सचिव डॉ. सी. जय शंकर बाबु ने 'राजभाषा साधन' सी. डी. के बारे में विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि विकसित सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बनाई गई इस सी.डी. में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी, राजभाषा विभाग द्वारा जारी पुस्तकें, वार्षिक-कार्यक्रम, हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण कैलेंडर, परिपत्र, विभिन्न प्रपत्र, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली, हिंदी व्याकरण एवं रचना, ई-पुस्तक, शब्दकोश आदि के अलावा सी-डैक के मंत्रा अनुवाद उपकरण की कड़ी, कुछ फांट परिवर्तन उपकरण, यूनिकोड अनुप्रयोगों के उपकरण, नराकास, कोयंबत्तूर सदस्य कार्यालयों की सूची, महत्वपूर्ण पते एवं फोटो गैलरी आदि कई सामग्री सी. डी. में शामिल हैं ।

तदनंतर डॉ. वी. बालकृष्णन के कर कमलों से 'राजभाषा साधन' सी. डी. का विमोचन किया गया । इस सी. डी. की प्रस्तुति के लिए समिति के सदस्य -सचिव की प्रशंसा में उन्होंने कहा कि डॉ. सी. जय शंकर बाबु राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में प्रगतिशील नाम है विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदी सेवी श्री रुक्माजी राव अमर ने अपने वक्तव्य में हिंदी के राजभाषा बनने संबंधी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं अपने विस्तृत अनुभवों की जानकारी देते हुए कहा कि हिंदी की सेवा राष्ट्र की सेवा है । तदनंतर सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई । बैठक में चर्चित महत्वपूर्ण मद इस प्रकार है :-

* कोयंबत्तूर नगर में हिंदी शिक्षण योजना को प्रभावी बनाने हेतु अतिरिक्त हिंदी प्राध्यापकों की तैनाती तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु रिक्त सहायक निदेशक (टंकण एवं आशुलिपि) पद पर तुरंत तैनाती हेतु राजभाषा विभाग को प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा भेजे जाएं ।
* नराकास के तत्वाधान में कोयंबत्तूर में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जाए जिसके लिए नई दिल्ली से तकनीकी निदेशक को आमंत्रित किया जाए ।
* राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए मंत्रा, श्रुतलेखन, वाचांतर आदि साफ्टवेयरों का विस्तृत परिचय देते हुए उप निदेशक (कार्यान्वयन) कहा कि इन साफ्टवेयरों का सभी कार्यालयों में उपयोग करते हुए हिंदी में अधिक मात्रा में कामकाज सुनिश्चित किया जाए ।
* सभी कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में निर्धारित 14 प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
* राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में 'ग' क्षेत्र में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य 55 प्रतिशत हासिल करने हेतु प्रयास किया जाए ।
* राजभाषा नियम, 1976 के नियम-11 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी रबड़ मुहरें तथा कार्यालय के नामपट्ट, सूचना पट्ट आदि नियमानुसार द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में बनवाना सुनिश्चित किया जाए ।
* राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रयास किया जाए ।
* सितंबर-अक्टूबर, 2008 के दौरान हिंदी सप्ताह आयोजित किया जाए तदवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएं ।
* आगामी तिमाही के दौरान एक हिंदी कार्यशाला आयोजित किया जाए । नराकास तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी अनुवाद कार्यशाला आयोजित किया जाए ।

* उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि न.रा.का.स. द्वारा उच्च अधिकारियों के लिए राजभाषा प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जा सकती है । नराकास की ओर से यथाशीघ्र पत्रिका तथा सदस्य-निर्देशिका प्रकाशित किए जाए ।

पारादीप

पारादीप में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमो/निगमों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग तथा इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए पारादीप पत्तन न्यास द्वारा दि. 4 मार्च, 2008 को स्थानीय अधिकारी क्लब में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पारादीप की बैठक आयोजित की गई । पारादीप पत्तन न्यास के अध्यक्ष श्री के. रघुरामय्या इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा विभाग, कोलकाता की ओर से उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री अजय मल्लिक भी उपस्थित थे । सबसे पहले पत्तन न्यास के हिंदी अधिकारी श्री एन. के. पटनायक ने सभी सदस्य कार्यालयों का स्वागत किया और श्री पी.के. नन्द, सचिव, पारादीप पत्तन न्यास एवं सदस्य सचिव,न.रा.का.स ने टॉलिक पर विवरण प्रस्तुत किया । तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजे तथा कंम्प्यूटरों में हिंदी का प्रयोग करें। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि अपने कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित करें और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हिंदी पत्राचार को बढ़ाएं । उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए गए विभिन्न द्विभाषीय साफ्टवेयर के बारे में बताया । अध्यक्ष श्री के. रघुरामय्या ने कहा कि हिंदी संघ की राजभाषा है और इसका ठोस कार्यान्वयन हम सभी का दायित्व है । उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया कि राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए सब सहयोग का हाथ बढ़ाएं और पत्तन न्यास इस दिशा में सभी प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है । राजभाषा हिंदी के व्यवहार में किसी भी प्रकार की संकोच न करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया । उन्होंने टॉलिक स्तर पर हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का अनुरोध किया ।

तूतीकोरिन

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन के संयोजन में तूतीकोरिन नराकास की 20वीं बैठक दिनांक 25-03-2008 को सीएमएफआरआई के सभाकक्ष में आयोजित की गई । बैठक में समिति के अध्यक्ष श्री वी.वी.एस. रामाराव एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचिन से पधारे श्री पी. विजयकुमार भी उपस्थित थे ।

टॉलिक अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक भारी पानी संयंत्र का स्थानांतरण, हैदराबाद होने से उनकी यह तूतीकोरिन नराकास अध्यक्ष के रूप में उनकी यह अंतिम बैठक थी । इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि टॉलिक की इस समय जो भी गतिविधियां चल रही हैं, वे नियमित रूप से चलती रहनी चाहिएं । उन्होंने कहा कि तूतीकोरिन स्थित सभी कार्यालय राजभाषा नियमों को पूरी तरह पालन करें एवं सभी कार्मिकों को भी यह समझाएं कि कहां-कहां हिंदी में काम किया जा सकता है, जिससे वे हिंदी में काम करने की शुरूआत कर सकें । इस अवसर पर कोचिन से पधारे श्री पी. विजय कुमार ने स्पष्ट किया कि राजभाषा नियमों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए, जिसमें हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में रबड़ स्टाम्प, नाम पट्ट, इत्यादि द्विभाषी होने चाहिएं एवं हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है । कार्यालय में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे अपना कार्य आवश्यकतानुसार हिंदी में भी करें । उन्होंने राजभाषा नियमों, उपबन्धों को अपने कार्यालयों में पालन करने को कहा एवं इसे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझ कर करना चाहिए । उन्होंने सदस्य कार्यालयों से पधारे प्रतिनिधियों को कहा कि वे अपने कार्यालय प्रमुखों के साथ आएं एवं ऐसी बैठकों में नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है । अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया ।

गुवाहाटी

न.रा.का.स.(कें.का.), गुवाहाटी की वर्ष 2007-08 की द्विवितीय छमाही बैठक दिनांक 5-02-2008 को 4.00 बजे (अपराह्न) में आयकर विभाग, सैकिया कॉमर्शियल काम्प्लैक्स, श्रीनगर, जी. एस. रोड, गुवाहाटी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री विनीत सहाय, भा.रा.से., मुख्य आयकर आयुक्त (सं.नि.प्रा.) एवं अध्यक्ष, नराकास (कें. का.), गुवाहाटी ने की । बैठक की

कार्यवाही का संचालन श्री शेष मणि शुक्ल, सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास (कें.का.) गुवाहाटी ने किया ।

श्री राम नारायण सरोज, उपनिदेशक (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, गुवाहाटी ने हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी टंकण व आशुलिपि एवं कंप्यूटर पर प्रशिक्षण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारी कक्षाओं में नियमित रूप से जाएं तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठें । उन्होंने बताया कि कार्यालय के प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर बनाएं तथा इस संबंध में हमारे कार्यालय द्वारा समय-समय पर मंगवाई जाने वाली अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को अवश्य भेजें ।

श्री अशोक कुमार मिश्र, सहायक निदेशक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी ने सर्वप्रथम मुख्य आयकर आयुक्त(संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी), पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी द्वारा गृह पत्रिका 'आयकर पूर्वोत्तर दर्पण', (वर्ष 2007-08), अंक-3 का त्रिभाषी रूप में(हिंदी,असमीया व अंग्रेजी में) सफलतापूर्वक प्रकाशन किए जाने पर अध्यक्ष महोदय तथा पत्रिका के संपादन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी तत्पश्चात श्री मिश्र ने राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वर्ष 2007-08 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर चर्चा की । उन्होंने बताया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

डिब्रूगढ़

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डिब्रूग की वार्षिक बैठक दिनांक 3-03-2008 को अपराह्न 2:30 बजे होटल गार्डन ट्रीट, डिब्रूगढ़ में सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता श्री सोमनाथ माइति, नराकास अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, बी.एस. एन. एल., डिब्रूगढ़ ने की । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार मिश्र, सहा. निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, गुवाहाटी थे, अन्य मंचासीन अधिकारियों में श्री हरिराम मीणा, नराकास सचिव एवं हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय डिब्रूगढ, श्री एस. आर. राजखोवा, उप मंडलीय अभियंता (प्रशा.) बीएसएनएल, डिब्रूगढ तथा विभिन्न कार्यालयों से 28 सदस्यों ने भाग लिया । श्री अशोक कुमार मिश्र ने किसी कवि की ये पंक्तियां कही 'लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।' आगे श्री मिश्र ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय शिलपुखरी, गुवाहाटी-03 तथा नराकास अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, बीएसएनएल, डिब्रूगढ को भेजी जाए, अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया जाए, कार्यालय में द्विभाषी हिंदी साफ्टवेयर लगाया जाए ।

भारतीय खाद्य निगम के श्री रणजीत बरठाकुर ने अपने कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समस्या बताई, वहीं केंदीय विद्यालय, डिब्रूगढ के श्री रविकान्त त्रिवेदी ने हिंदी दिवस के खर्च एवं हिंदी प्रशिक्षण की मानदेय राशि के बारे में विचार रखा । भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, डिब्रूगढ के श्री एस. के. मलिक ने कहा कि हमारे कार्यालय मे हिंदी कार्यशाला, हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन, आकस्मिक अवकाश प्रोफार्मा सहित विभिन्न दस्तावेजों को द्विभाषी किया गया है । भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गुवाहाटी के श्री डी. एस. मिश्र ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट की शिल्ड हेतु एक जांच समिति गठित की जाए, तथा नराकास डिब्रूगढ की ओर से हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए । दूरदर्शन के श्री गोपाल कुमार ने कहा कि कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा, तथा हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । नराकास की और से जरूरती हिंदी वाक्यों का अनुवाद सदस्य कार्यालयों को वितरित किया जाए ।

बेतार अनुश्रवण केंद्र के श्री विशाल सिंह यादव ने कहा कि तिमाही बैठक प्रत्येक कार्यालय द्वारा की जाए तथा उसमें नराकास से जुड़े अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए । प्रधान डाकघर, डिब्रूगढ़ से श्रीमती शांति सैकिया ने कहा कि कार्यालय में साइनबोर्ड, मुहरें, नोटिंग-ड्राफ्टिंग द्विभाषी हैं, कार्यालय में हिंदी दिवस पखवाडा तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । कार्यक्रम के दौरान नराकास सचिव एवं हिंदी प्राध्यापक श्री हरिराम मीणा ने पिछली बैठक के कार्यवृत को, पढ़कर सुनाया तथा नराकास द्वारा किए गए कार्य–हिंदी दिवस, पखवाड़ा, प्रतियोगिताएँ तथा अन्य का विवरण दिया । नराकास, डिब्रूगढ़ स्तर पर हिंदी

प्रतियोगिताएं आयोजित करने की जिम्मेदारी ली उनमें नोटिंग-ड्राफ्टिंग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मोहनबाडी, डिब्रूगढ़ को, वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए दूरदर्शन केंद्र, डिब्रूगढ को आशु-भाषण प्रतियोगिता के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डिब्रूगढ़ को, निबन्ध प्रतियोगिता के लिए नराकास एवं बीएसएनएल, डिब्रूगढ़ तथा श्रुत लेख प्रतियोगिता के लिए इलाहाबाद बैंक, डिब्रूगढ़ द्वारा करने का निर्णय लिया । कार्यशाला नराकास स्तर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मोहनबाडी, डिब्रूगढ़ करने का निर्णय लिया । नराकास अध्यक्ष श्री सोमनाथ माइति, महाप्रबंधक, बीएसएनएल, डिब्रूगढ ने कहा कि हिंदी सॉटवेयर अगले छः माह में सभी कार्यालय ले लेंगे । अगली बैठक में सभी कार्यालय प्रधान आएं, नराकास डिब्रूगढ़ की ओर से श्रेष्ठ तिमाही रिपोर्ट देने वाले कार्यालय को शिल्ड द्वारा सम्मानित किया जाएगा । इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, कार्यक्रम में आने पर सभी का आभार व्यक्त किया । अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से धन्यवाद ज्ञापन एवं बैंठक समाप्ति की घोषणा श्री केदार पंडित, अधिकारी, राजभाषा, इलाहाबाद बैंक , डिब्रूगढ़ ने की ।

जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की 54वीं अर्द्ध वार्षिक बैठक दिनांक 28-02-2007 को अपराह्न 3.00 बजे महालेखाकार भवन जयपुर के मनोरंजन कक्ष में आयोजित की गई ।

इस अवसर पर श्री एस. डी. पाण्डेय, राजभाषा प्रतिनिधि ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी कार्य की समीक्षा करना बहुत आसान है, किन्तु कार्य को पूरा करना उतना ही कठिन होता है । सदस्य कार्यालयों एवं प्रमुखों का यह संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वे इन बैठकों में उपस्थित रहें । इन बैठकों में हिंदी अधिकारियों, पदाधिकारियों की उपस्थिति उतनी अनिवार्य नहीं है जितनी कि कार्यालय प्रमुखों की होनी चाहिए ।

नगर स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों से हिंदी के कार्य की सूचनाएं अपेक्षित थी परन्तु 58 कार्यालयों द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त हुई ।

1-07-2007 से 31-12-2007 तक के प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा के दौरान बैठक में बताया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत कार्य द्विभाषी होना चाहिए । 10-12 कार्यालायों ने इस नियम का उल्लघंन किया है, नियम 8 (4) में अधिकृत कार्यालयों को 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना होता है ।

श्री पाण्डेय ने बताया कि आपसी विचार विमर्श से कार्य कर लिया जाना चाहिये तथा कंप्यूटर की सहायता से कार्य करना सुविधाजनक हो गया है इसमें पैन ड्राईव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इसमें सूचनाओं को एकत्रित करने व आदान-प्रदान करने में काफी सुविधा रहती है ।

हिंदी शिक्षण योजना केंद्र कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर में संचालित है, जिसका संचालन श्री हरीश माखीजा, अनुदेशक द्वारा किया जाता है । इसमें विभिन्न कार्यालयों /बैंकों /निगमों/उपक्रमों आदि से कर्मचारीगण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते हैं ।

हिंदी टंकण एवं आशुलिपि का नया सत्र 20 फरवरी 2008 से प्रारम्भ हो चुका है वर्तमान में हिंदी टंकण में 23 एवं हिंदी आशुलिपि में 9 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं । माह अगस्त 2008 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में शेष रहे कर्मचारियों को नामित करने का अनुरोध किया गया ।

श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा, महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान जयपुर एवं पदेन अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में उपस्थित सभी कार्यालयाध्यक्षों से कहा कि आज के वैश्वीकरण के इस दौर में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारतीय बाजार में आने को लालायित हैं इसलिए भाषा के महत्त्व को समझते हुये अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा कि अमेरिकावासियों "हिंदी सीखो" । आज एक देश ने आहवान किया है, कल दूसरे देश भी हिंदी सीखने का प्रयास करेंगे । उन्होंने कहा जनवरी 2004 में नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गये "मॉर्स सर्वेयर" अंतरिक्षयान पर लगे सनडॉयल के दोनों तरफ हिंदी व बंगला भाषा में "मंगल" लिखा हुआ था । इस प्रकार हिंदी विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रही है। इस विषय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ।

बालाघाट

बालाघाट नगर के लिए गठित की गई नगर राजभाषा समिति की वर्ष 2007-08 की द्वितीय बैठक श्री देबाशीष

दास, वैज्ञानिक-डी केंद्रीय रेशम बोर्ड की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, बालाघाट के सभाकक्ष में दिनांक 16-01-2008 को आयोजित की गई ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राजभाषा की प्रगति एवं राजभाषा विभाग के लक्ष्यों की प्राप्ति पर सदस्यों के प्रयास की सराहना की गई तथा सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में भी आयोजित होने वाली तिमाही हिंदी बैठक में हिंदी की प्रगति की निरंतर समीक्षा करते रहें ।

भारतीय स्टेट बैंक बालाघाट के मुख्य प्रबन्धक श्री टी. चन्द्रशेखर अय्यर द्वारा कहा गया कि हमें धारा 3(3) के अंतर्गत उच्चाधिकारियों के द्वारा जारी परिपत्र द्विभाषी रूप में लगातार प्राप्त हो रहे हैं तथा हम राजभाषा हिंदी में विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्दों को देवनागरी लिपि में प्रयोग कर शासकीय कार्य में हिंदी को आसानी से बढ़ावा दे रहे हैं । डॉ. कृष्ण कुमार, प्रबन्धक, सिंडिकेट बैंक, भरवेली ने कहा कि मुझे तो हिंदी भाषी क्षेत्र में कार्य करने पर गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अहिंदी भाषा क्षेत्र से हूं तथा शासकीय कार्य में हिंदी के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नही हो रही है, अत: हमारी राजभाषा बहुत ही आसान है तथा कुछ सदस्यों द्वारा समिति की हिंदी कार्यशाला के आयोजन पर प्रकाश डाला गया, जिस पर समिति ने निर्णय लिया कि अगली बैठक के साथ ही हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा । बैठक के अंत में सदस्य सचिव महोदय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड एवं प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रथम स्थान के लिए भारतीय स्टेट बैंक, द्वितीय स्थान के लिए केंद्रीय विद्यालय एवं तृतीय स्थान के लिए क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों का चयन किया गया है, जिसपर सदस्यों द्वारा हर्ष ध्वनि से विजेताओं को बधाई दी गई । पुरस्कार की शील्ड एवं प्रमाण पत्र सर्वप्रथम श्री टी. अय्यर, मुख्य प्रबन्धक, श्री जी. बोरकर, प्राचार्या श्री एस. के. चौकसे, कार्यालय प्रभारी ने ग्रहण किया । बैठक में समिति के सदस्य कार्यालयों के 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों क्रमश: नेशनल इंश्योरेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्य डाकघर, बैंक आफ महाराष्ट्र, भारतीय खाद्य निगम, कोसमी एवं नेहरु युवा केंद्र के प्रति अपना गहरा रोष व्यक्त किया गया तथा उनसे अगली बैठक में अनिवार्यत: उपस्थिति देने की अपेक्षा की गई । बैठक के आयोजन में अपना अमूल्य श्रम/समय देने के लिए क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय के प्रति सदस्यों द्वारा आभार व्यक्त किया गया ।

देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 40वीं बैठक दिनांक 6-12-2007 को अपरान्ह 3.00 बजे बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के सभाकक्ष में बैंक नोट मुद्रणालय के महाप्रबन्धक श्री दिलीप वि. गोंडनाले की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

बैठक के प्रारंभ में राजभाषा विभाग की अनुसंधान अधिकारी श्रीमती साधना त्रिपाठी ने समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप वि. गोंडनाले को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया । समिति की ओर से श्री बृजेश कानूनगो ने श्रीमती साधना त्रिपाठी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया । सभी सदस्यों के स्वागत एवं परस्पर परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री गोंडनाले जी ने कहा–

आप सभी के सहयोग और सक्रियता से नराकास देवास का हिंदी पखवाड़ा गरिमा के साथ संपन्न हुआ । नराकास पत्रिका ''गांधर्व'' का 12 वां अंक जारी किया गया। इस अंक के संदर्भ में अनेक स्थानों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं जो ''गांधर्व'' के लेखकों और संपादक मंडल के प्रयासों का सुफल है । अतएव आप सब मेरी बधाई स्वीकारें । मुझे उम्मीद है कि गांधर्व का अगला अंक आप सबके सहयोग से और भी बेहतर होगा ।

पिछली बैठकों की भांति मैं पुन: इस तथ्य को दोहराना चाहूंगा कि ''अनुपस्थिति हमारी प्रगति में बाधक है'' नराकास देवास सभी मोर्चों पर अग्रणी होने के बावजूद ''उपस्थिति'' में कमजोर होने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम पंक्ति में स्थान पाने में सफल नहीं हो पा रही है। भारत सरकार राजभाषा विभाग के विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार इन बैठकों में उपस्थिति स्वैच्छिक नहीं है अपितु अनिवार्य

है । कृपया इन बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहकर जहां आप कर्तव्य पालन करेंगे वहीं संवैधानिक उपबन्धों का पालन करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग से अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा करने में सफल होंगे ।

जिस तरह गणतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए है उसी तरह लोक सेवक, लोक कार्यालय जनता की भाषा में, जनता की सेवा के लिए है । हम जनता से, अपने ग्राहकों से उनकी भाषा में संवाद कर उन्हें बेहतर सेवा प्रदान कर संतुष्ट करने में सफल होकर अपने कार्यालयीन लक्ष्यों को प्राप्त कर आत्म संतुष्टि पाकर संवैधानिक उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल होंगे । "संतुष्ट ग्राहक, संतुष्ट जनता हमारी पूंजी है। आईए राजभाषा हिंदी के माध्यम से अपनी पूंजी बढ़ाएं ।"

राजभाषा विभाग की प्रतिनिधि श्रीमती साधना त्रिपाठी ने नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रगति रिपोर्ट प्रभावी होती है, तथापि आंकड़ों के संकलन और संप्रेषण में यथोचित गंभीरता नहीं बरती गई है । अनेक कार्यालय 6-6 माह तक एक भी पत्र नहीं लिखते । धारा 3(3) के अन्तर्गत कोई करार, अनुबंध, परिपत्र, आदेश आदि जारी नहीं करते, क्या यह संभव है। प्रगति रिपोर्ट के अनेक कालमों का रिक्त होना हमारे प्रयासों की अपूर्णता की ओर इंगित करता है हिंदी में सरकारी कामकाज का उद्देश्य सरकारी कार्य में पारदर्शिता भी लाना है ।

श्रीमती त्रिपाठी ने प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी सदस्य कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य है । बैठकों में भाग लेना और नियमित रूप से तिमाही रिपोर्ट भिजवाना उनका उत्तरदायित्व है । नियमों से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता ।

हम राजभाषा अधिनियम, नीति, निर्देशों को समझें । इन बैठकों में चर्चा कर आपसी समस्याओं का निदान निकालें । हम सब सरकार के प्रतिबिम्ब हैं । सरकार से जुड़े हैं । हमें नियम, मर्यादा और अनुशासन का पालन करना है। राजभाषा के विधिक पक्ष, उसका मनोविज्ञान आदि से अवगत रहना जरूरी है । जन सामान्य हमारे प्रत्येक कार्यकलाप में झांक सकता है । अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में जन सामान्य के हित, विभाग के हित को संरक्षित रखने के लिए जन सामान्य की भाषा को समुचित स्थान देना हमारा दायित्व है ।

रांची

भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय में शुक्रवार को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया । बैठक को संबोधित करते हुए उप महाप्रबन्धक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि पटना मंडल ने कारपोरेट केंद्र का 'क' क्षेत्र के लिए राजभाषा शील्ड लगातार दूसरी बार जीता है । बैठक में हिंदी प्रचार और आंतरिक कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया गया । हिंदी में वास्तविक कार्य के आधार पर अनुभागों और क्षेत्रों में से सर्वश्रेष्ठ को अलग-अलग राजभाषा चल वैजयंती से हर तिमाही सम्मानित किया जाएगा और वृहद तौर पर कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा । अंत में राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका स्वर्णरेखा के नवीनतम अंक जारी करने के साथ बैठक संपन्न हुई ।

करनाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल की 46वीं छःमाही समीक्षा बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 22-11-2007 को 14.30 बजे एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान (पूर्ववर्ती लघु उद्योग सेवा संस्थान), करनाल के सभागार में आयोजित की गई ।

मुख्य अतिथि डा. के. पी. सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा पुलिस ने अपने संबोधन में कहा कि जब हिंदोस्तान आजाद हुआ और राष्ट्र की बात आई तो हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में उचित पाया जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पक्षी अपनाएं गए हैं । हिंदी एक समृद्ध एवं संपर्क भाषा थी और अब भी है । उन्होंने कहा कि जब हम अंग्रेजी के शब्द का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हमारे अनुवादक उसको और क्लिष्ट कर देते हैं क्योंकि हम इसके लिए अच्छे अनुवादक व अनुवाद प्रबंध की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाएं । अच्छे द्विभाषिये भाषान्तर उत्पन्न करने की जरूरत है तभी हम हिंदी को आम जनता की भाषा बना पाएंगे और हिंदी को समृद्धि भी करना है । उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि उच्च शिक्षा अभी भी हम हिंदी में नहीं कर पाएं ।

उन्होंने कहा कि जब प्राचीन भाषा की बात आती है तो हमने संस्कृति व पाली भाषा को स्वीकार किया है । उन्होंने सरल हिंदी अपनाने का आग्रह किया । सिनेमा व इलैक्ट्रोनिक मीडिया ने हिंदी को घर-घर तक पहुंचा दिया है । हिंदी का प्रचार-प्रसार करने में नराकस सराहनीय कार्य कर रही है और राजभाषा के प्रति जागरूक भी है । हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए । उन्होंने सरकार की इस बात की प्रशंसा की कि मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इससे हिंदी को और बढ़ावा मिलेगा । उन्होंने बताया कि संविधान लोगों से शुरू होकर लोगों पर ही समाप्त होता है। जब राज की बात होती है और जनता के अधिकार की बात आती है तो हमें लोगों की भाषा में ही काम करना चाहिए ।

प्रतिनिधि गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) श्री जसवंत सिंह सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार हमें हर बैठक में सभी नियम, अधिनियमों की जानकारी जैसे नियम 10(4), 8 (4) एवं 1976 का नियम 5, धारा 3(3) राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण जैसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान, हिंदी टंकण, आशुलिपि प्रशिक्षण, अनुवाद प्रशिक्षण आदि की जानकारी देनी होती है । उन्होंने सभी नराकास समितियों की संसदीय राजभाषा समिति की राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिशों के अनुपालन की आवश्यकता बताई और कार्यालय प्रभारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा ।

नराकास, करनाल के सचिव श्री बृजेश यादव ने इस अवसर पर नराकास, करनाल के द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि नराकास, करनाल देश की पहली समिति है जो राजभाषा कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण का भी दायित्व निभा रही है । उन्होंने समस्त सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए आगे आएं और प्रभावी रूप से राजभाषा के लक्ष्यों को पूर्ण करने में कार्रवाई करें क्योंकि यह उनका नैतिक दायित्व है ।

आचार्य डॉ. महावीर प्रसाद शास्त्री, प्रसिद्ध लेखक एवं कवि ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, बिना संस्कृत भाषा के शब्द निर्माण होना असंभव है । राजभाषा के प्रति करनाल में सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है । आशा है हम ऐसा ही वातावरण बरकरार रखेंगे । उन्होंने कहा कि हम दूसरी भाषा को चाहे जितना ही महत्व दें लेकिन अन्तत: अपनी भाषा में ही विकसित हो पाएंगे ।

संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष नराकास श्री कंवलजीत सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि इरादा यदि दृढ़ हो तो सफलता अवश्य मिलेगी । राजभाषा के क्षेत्र में नराकास, करनाल उल्लेखनीय कार्य कर रही है, उन्होंने संविधान की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी को सरल हिंदी अपनाने और इसमें कार्य करने के लिए प्रेरित किया ।

इस अवसर पर वर्ष 2006-07 के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले केंद्र सरकार के कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक, उपक्रम, निगमों को पुरस्कृत किया गया और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजाताओं को पुरस्कृत किया गया ।

पानीपत

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पानीपत की वर्ष 2008 की पहली बैठक दिनांक 19-2-2008 को श्री सी. मनोहरन, कार्यकारी निदेशक, पानीपत रिफाइनरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से पधारे उप निदेशक (कार्या.) श्री जसवंत सिंह ने प्रत्येक कार्यालय से अनुरोध किया कि वे अपनी छ:माही रिपोर्ट नियमित रूप से समिति के कार्यालय को तथा इसकी एक प्रतिलिपि राजभाषा विभाग को अनिवार्य रूप से भिजवाएं, जिससे उनके द्वारा हिंदी कार्यान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों का अवलोकन एवं समीक्षा की जा सके । साथ ही प्रत्येक कार्यालय के प्रधान नराकास की बैठक में अनिवार्य रूप से हिस्सा लें । उन्होंने आज की बैठक में अनुपस्थित कार्यालय अध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगने पर बल दिया ।

समिति के अध्यक्ष श्री सी. मनोहरन ने समिति के क्रियाकलापों पर संतोष प्रकट करते हुए सदस्यों से अनुरोध

किया कि हिंदी कार्यान्वयन के वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य हर संभव प्रयास करे । इसके लिए कार्य योजना बनाए और उसे कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करे । उन्होंने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक बैठक को समय पर आयोजित करें । बैठक में लिए गए निर्णयों का गम्भीरता से पालन सुनिश्चित करें ।

नोएडा

दिनांक 30-1-2008 को भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, पावर सेक्टर उत्तरी क्षेत्र, सेक्टर-16ए, नोएडा के सभागार में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा की अठारहवीं बैठक का आयोजन हुआ । यह बैठक भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के सदस्य (कार्गो एवं वित्त) श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई । श्री जितेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (राजस्थान प्रोजेक्ट/आई.टी/टी.एस.) और श्री एस. के. उप्पल, महाप्रबन्धक (एस.ए.एस./एस.सी.पी.) बी.एच.ई.एल.,पावर सेक्टर उत्तरी क्षेत्र, नोएडा के सान्निध्य में आयोजित इस बैठक में श्री नरेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन), भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, पावर सेक्टर उत्तरी क्षेत्र ने स्वागताध्यक्ष के रूप में सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि न.रा.का.स., नोएडा ने हमें राजभाषा हिंदी की सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया है । हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी न. रा.का.स., नोएडा के तत्वाधान में विविध कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हमें इस प्रकार के सुअवसर प्राप्त होते रहेंगे ।

इस बैठक में सदस्य कार्यालयों की हिंदी की छमाही और तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई । जिन सदस्य कार्यालयों की रिपार्टें प्राप्त नहीं हुई थीं, उन्हें अपेक्षित मार्गदर्शन देने के लिए पूर्व गठित समिति को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने और अपेक्षित मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया गया ।

इस अवसर पर वर्ष 2006-07 की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में हिंदी में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को नोएडा-नगर के स्तर पर और न.रा.का.स., नोएडा के सदस्य-कार्यालयी स्तर पर 'हिंदी छात्र प्रतिभा' पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया । अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्षीय उद्बोधन में सभी कार्यालय प्रमुखों और प्रतिनिधियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं और कहा कि अगली बैठक में छः मास के प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देना चाहिए । बैठक का संचालन नराकास, नोएडा के सदस्य सचिव डॉ इन्द्रपाल सिंह द्वारा किया गया । अन्त में भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, पावर सेक्टर उत्तरी क्षेत्र की हिंदी अधिकारी श्रीमती दुर्गा पाण्डेय ने सभी उपागतों का हार्दिक आभार व्यक्त किया ।

गुड़गांव

समिति ने वर्ष 2007 की दूसरी बैठक दिनांक 28 दिसंबर, 2007 को नराकास कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय दिल्ली-3 के सम्मेलन कक्ष में श्री जयन्त मिश्र जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई । सबसे पहले पिछली बैठक की पुष्टि की गई । इसके उपरान्त बैठक की कार्यसूची की प्रत्येक मद पर विस्तृत चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गुडगांव स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के 'क' क्षेत्र में होने के नाते हिंदी के प्रयोग की प्रतिशतता में समुचित वृद्धि के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए । राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में हिंदी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने चाहिएं । उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में स्थत कार्यालयों के लिए उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा किए जाने के लिए सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया ।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नराकास को बहुत ही कम सदस्य कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जिस कारण अनेक कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी रिपोर्टों की समीक्षा नहीं हो पा रही है । उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से अपने-अपने कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि नराकास कार्यालय को समयानुसार भेजने का अनुरोध किया ताकि बैठकों में उनकी समीक्षा की जा सके । ■

(घ) कार्यशालाएं

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 27 एवं 28 मार्च 2008 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन संयंत्र के महाप्रबन्धक श्री वी.वी.एस. रामाराव ने किया ।

भारी पानी के महाप्रबन्धक श्री वी.वी.एस. रामाराव ने कहा कि हिंदी राजभाषा है अत: इसे कार्यालयों में अनिवार्यत: अपनाया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि कार्याशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता रहेगा । इस अवसर पर प्रशासन अधिकारी श्री एम.एम. रसूल ने अपने उद्बोधन में कहा कि 'ग' क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करना एक सुखद स्थिति है एवं कार्यशालाओं में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल कार्य है । फिर भी हम हर तिमाही में इसका आयोजन कर पा रहे हैं । साथ ही हिंदी प्रशिक्षण पाठयक्रम भी चलाया जा रहा है । तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन भी नियमित किया जा रहा है । हम थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं । लेकिन इस कार्य में आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है । आप लोग थोड़ा-थोड़ा कार्य कार्यालय में हिंदी में करना शुरू करें, प्रगति अपने आप होती रहेगी। इस कार्यशाला में कुल 10 व्याख्यान हिंदी व्याकरण,राजभाषा नियम 1976, संविधान में राजभाषा, विदेशी शब्दावली, अनुवाद, प्रोत्साहन योजनाएं, ज्ञान प्रबंधन एवं विभागीय गतिविधियों व विकिरण नामक विषय पर दिए गए ।

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद-1, ऐ. सि. गार्डस, हैदराबाद-500 004

मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद में अधिकारियों के लिए दिनांक 25-3-2008 से 27-3-2008 तक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में विभाग के 24 अधिकारियों को नामित किया गया । कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में श्री अतुल प्रणय, आयकर आयुक्त एवं राजभाषा अधिकारी ने नामित अधिकारियों को कार्यालयीन हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के भिन्न रूपों पर प्रकाश डाला और कहा कि कोई भी भाषा अगर हम मन लगाकर सीखेंगे तो उसे सीखने में जो आनंद आता है वह अलग है ।

इस तीन दिवसीय कार्यशाला के प्रथम सत्र में रवि-कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने आयकर विभाग में राजभाषा के कार्यान्वियन के बारे में बताया । सत्र को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम, तिमाही रिपोर्ट, पत्राचार एवं पुरस्कार योजना पर विस्तार से चर्चा की ।

दूसरे सत्र में हिंदी शिक्षण योजना के श्री कमालुद्दीन ने व्याकरण एवं लिंग निर्धारण पर अपने व्याख्यान दिए । इनके बाद का सत्र श्री सत्यानंदन, मुख्य राजभाषा अधिकारी, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम पर प्रकाश डाला । भोजन अवकाश के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हैदराबाद के डॉ. एन. नारायण रेड्डी ने राजभाषा के कार्यान्वियन में अधिकारियों का योगदान एवं राजभाषा कार्यान्वियन की समस्या एवं इसके समाधान पर अपना व्याख्यान दिया ।

तीसरे दिन श्री संतराम यादव, सहायक निदेशक (राजभाषा) CRIDA, हैदराबाद ने अनुवाद एवं कंप्यूटर, राजभाषा के कार्यान्वियन में कम्प्यूटर का योगदान एवं सेवा पंजियों में प्रविष्टियों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया ।

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग, अतिरिक्त न्यायपीठ, चेन्नई

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग अतिरिक्त न्यायपीठ, चेन्नई में दिनांक 27-2-2008 व 28-2-2008 को एक दो-दिवसीय हिंदी कार्यशाला अत्यंत सफलतापूर्वक आयोजित की गई । इस कार्यशाला की विशेषता यह है कि इसमें इस न्यायपीठ में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

दिनांक 27-2-2008 को हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नई के उपनिदेशक श्री नवनाथ काम्बले व्याख्याता के रूप में उपस्थित थे । उन्होंने **''टिप्पण और आलेखन''** विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया । इसी क्रम में दिनांक

28-2-2008 को आंध्र प्रदेश दूरसंचार, हैदराबाद के सेवानिवृत उपनिदेशक (रा.भा.) डॉ. वाई.एन.राव ने **''हिंदी व्याकरण''** विषय पर अपना व्याख्यान दिया ।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सहसपुर देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सहसपुर देहरादून में दिनांक 14-12-2007 को एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला मे श्री एस.एन. सिलस्वाल, वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता (सेवानिवृत) ने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी व्याकरण की जानकारी दी । उन्होंने व्याकरण के नियमों तथा वाक्य विन्यास पर काफी गहन व्याख्यायन दिया तथा हिंदी वर्तनी में मुख्य रूप से होने वाली अशुद्धियों पर चर्चा की तथा उनका शुद्ध रूप में लिखने के नियम बताए । उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्याकरण तथा वर्तनी से संबंधित शंकाओ का भी स्टीक ढंग से समाधान प्रस्ततु किया ।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में केंद्र के वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) श्री कमल किशोर बडोला ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों की सविस्तार जानकारी दी । उन्होंने कार्यालय पत्राचार के विभिन्न रूपों तथा प्रकारों से अवगत कराया तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को अभ्यास कराया । उन्होंने कार्यशाला के दौरान (हिंदी) वर्णमाला तथा शब्द बनाने का भी अभ्यास कराया । द्वितीय सत्र में प्रतिभागियों की राजभाषा नियमों तथा वर्णमाला से संबंधित शंकाओं का समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किया । उन्होंने पत्रों व फाइलों पर लिखी जाने वाली टिप्पणियों की भी पूरी जानकारी दी ।

विशिष्ट अतिथि डॉ. बी.बी. बिन्दरू ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं से हिंदी में कार्य करने का वातावरण तैयार होता है तथा कार्य करने में सुगमता आती है । साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कार्यशाला में पावर प्वाइंट पर प्रस्तुतीकरण किया जाए तो और अच्छा रहेगा । श्री एम.एन. भट्ट, वैज्ञानिक-डी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया कि हमें कार्यशाला से हिंदी में कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है उसे हमें अपने दैनिक कार्यालय कार्य में परिलक्षित करना है तथा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना है तभी हम कार्यशालाओं की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे । उन्होंने कहा कि कार्यशाला हिंदी सिखाने का मंच नहीं है बल्कि हिंदी में कार्य करने में हमें जो कठिनाइयां आती है उनके समाधान का एक मंच है । उन्होंने आगे कहा कि कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के पश्चात हिंदी कार्य करने में कितना प्रभाव पड़ा इसका भी समय-समय पर अवलोकन होना चाहिए तथा अनुवर्ती कार्रवाई पर नजर रखनी चाहिए । यदि कोई कमी रहे तो उसका समाधान होना चाहिए ।

कार्यशाला में इस केंद्र की अधीनस्थ इकाइयों तथा देहरादून में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड की अन्य इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

कार्यालय : वैज्ञानिक-डी, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, मोतीनगर, बालाघाट

दिनांक 17 मार्च, 2008 को केंद्र के प्रभारी अधिकारी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री देबाशीष दास की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष की अंतिम तिमाही की हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने वक्तव्य में शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह कहा कि हमारी कार्य गतिविधियां मुख्यत: देश के अति पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में संचालित होती है, उक्त कार्य गतिविधियों को हम हिंदी भाषा में आसानी से संपन्न करने में सहुलियत महसूस करते हैं । वैज्ञानिक-डी महोदय द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा की व्याकरण के तहत उपसर्ग, प्रत्यय, एकवचन, बहुवचन, शुद्ध-अशुद्ध शब्द का लेखन एवं संधि विच्छेद आदि का प्रशिक्षण दिया गया तथा अभ्यास करवाया गया । इस प्रकार के प्रयास की प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सराहना की गई । अंत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री एस.ए. मतीन, उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की गई ।

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड पोस्ट बाक्स सं. 11, भंडारा 441 904 (महाराष्ट्र)

केंद्रीय रेशम बोर्ड की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण

केंद्र, भंडारा के द्वारा एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 24-3-2008 को किया गया । इसमें स्थानीय केंद्रीय रेशम बोर्ड/कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे । अध्यक्षता केंद्रीय रेशम बोर्ड के डॉ. एस.के. माथुर, वैज्ञानिक-डी ने की ।

डॉ. एस. के. माथुर, ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सदन को सूचित किया कि केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा द्वारा नियमित रूप से हिंदी कार्यशाला का आयोजन करने से सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को लाभ हो रहा है, जिसके कारण यहां स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के सभी कार्यालयों में 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में हो रहा है । इसके लिए उन्होंने सभी सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं आशा व्यक्त की कि सभी लोग इस कार्यशाला का लाभ उठाएंगे एवं यह कार्यशाला उनके ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी ।

श्रीमती अनिता जायस्वाल ने वैज्ञानिक/तकनीकी शब्दावली संबंधी अवगत कराया । तथा श्री सुरजभान, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने हिंदी राजभाषा अधिनियमों पर प्रकाश डाला एवं अद्यतन किया ।

क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केंद्र, बोको

क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केंद्र, बोको में दिनांक 29 मार्च, 2008 को एक द्विसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । श्री राम नारायण सारोज, उप निदेशक (पूर्वोत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार गुवाहाटी को कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तथा कक्षाएं में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया । डॉ. हरिश चन्द्र महापात्र, कार्यालय प्रमुख तथा वैज्ञानिक-घ ने कार्यशाला की अध्यक्षता की ।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के व्यक्तव्य में श्री सारोज जी ने कहा है कि हमारी देश एक महान देश है एवं देश की पहचान इसकी राष्ट्र भाषा है । अतः अपनी राष्ट्रभाषा के जरिए कार्यालय के काम-काज करने पर उन्होंने जोर दिया । श्री मोहन चन्द्र पायेंग, सहायक निदेशक (प्रशा. एवं लेखा) ने अपनी व्यक्तव्य में कहा है कि हिंदी एक सहज-सरल भाषा है, एवं सभी को अच्छी से सिखने के लिए प्रयास करना चाहिए ।

हिंदी कार्यशाला के अन्तर्गत कक्षाओं में श्री राम नारायण सारोज जी ने हिंदी व्याकरण सीखने तथा लिखने की सहज-सरल पद्धित पर प्रकाश डाला । इसके अतिरिक्त उन्होंने संघ की राजभाषा नीति, अधिनियम, प्रोत्साहन योजनाएं एवं कार्यालयीन कार्यों में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों आदि पर भी चर्चा किया । दूसरे सत्र में उन्होंने मई, 2008 में होने वाले पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परिक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के पाठ्यक्रम पर चर्चा किया ।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. कार्यालय परिसर सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

दिनांक 22-2-2008 को वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक स्तर के कार्यपालकों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

इस कार्यशाला में दयाल माथुर, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) ने अपने उदबोधन में प्रतिभागियों से कहा कि हमारे निगम में हिंदी कार्य में अपेक्षित प्रगति हो रही है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि वे हिंदी कार्यशाला में दी जाने वाली जानकारी का भरपूर लाभ उठाकर उसे अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में उपयोग करें ।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉ. दंगल झाल्टे, निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग ने अपने व्याख्यान में प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा अधिनियम/नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी और प्रतिभागियों की शंकाओं/समस्याओं का समाधान किया । उन्होंने भाषा की महत्ता बताते हुए मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को भी स्पष्ट किया ।

डॉ. शोभा रानी, सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ने अपने व्याख्यान में मानक हिंदी वर्तनी की महत्वपूर्ण जानकारी दी और कार्मिकों को शुद्ध शब्दों को लिखने का अभ्यास भी कराया ।

श्री केवल कृष्ण, तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने ''सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी'' विषय पर प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी । उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए गए मंत्र एवं श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुवाद कार्य करना संभव है तथा बोलकर कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य किया जा सकता है । इसके

अतिरिक्त उन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी कार्य करने से संबंधित प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान भी किया ।

एन.एच.पी.सी.लि., क्षेत्र-IV, 74-75, सैक्टर 31ए, दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 030

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 15 फरवरी, 2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उदघाटन श्री अर्नेष्ट तिर्की, प्रमुख (मानव संसाधन) ने किया । उन्होंने अपने उद्घाटन संबोधन में राजभाषा हिंदीके महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं । नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करके सभी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है । हिंदी भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है जिसमें समझना और समझाना बहुत आसान है । हमारा उद्देश्य है कि हम कार्यशालाओं के माध्यम से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें जिससे कि वे अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने में सक्षम बन सकें । इसी क्रम में आज की हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्रीमती नीना बहल, आकाशवाणी, चंडीगढ ़ने सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग विषय पर व्याख्यान दिया जिससे सहभागियों की कई शंकाओं का समाधान हुआ ।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में श्री अर्नेष्ट तिर्की, प्रमुख (मानव संसाधन)ने हिंदी पत्राचार-नोटिंग, अर्ध-शासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश एवं पत्र लेखन पर व्याख्यान दिया । उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान सहभागियों से अभ्यास भी कराया । जिसे सहभागियों ने बहुत उपयोगी बताया ।

कार्यशाला के तीसरे सत्र में श्री धर्मपाल गौतम, भूतपूर्व उप निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने हिंदी वर्तनी विषय पर व्याख्यान दिया । इस व्याख्यान को सहभागियों ने महत्वपूर्ण बताया और कहा कि आज हमारी पुरानी यादें ताजा हो गईं हैं और हिंदी वर्तनी में जो गलतियां हम किया करते थे वह भविष्य में नहीं होंगी ।

कार्यशाला के चौथे सत्र में श्री देश राज, सहायक राजभाषा अधिकारी ने धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले कागजातों, प्रचलित प्रशासनिक शब्दों और छोटी-छोटी टिप्पणियों को हिंदी में लिखना आदि का अभ्यास कराया ।

यह कार्यशाला श्री इ तिर्की, प्रमुख (मानव संसाधन) के निर्देशन में सम्पन्न हुई । श्री तिर्की स्वयं कार्यशाला में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे और व्याख्यान भी दिया जिससे कार्याशाला को सफल बनाने में बल मिला । कार्यशाला में कुल 14 सहभागियों ने भाग लिया ।

आकाशवाणी : रोहतक

आकाशवाणी महानिदेशालय के निर्देशानुसार आकाशवाणी रोहतक में 18-3-2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

कार्यशाला का उद्घाटन 10.30 बजे श्रीमती मंजु माथुर, केन्द्र अभियंता ने किया । इस अवसर पर केन्द्र अभियंता महोदया ने कार्यशाला की आवश्यकता तथा महत्व पर बल देते हुए कहा कि कार्यशाला एक ऐसा मंच है जहां पर कार्यालय में हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा काम करने की झिझक को दूर किया जाता है । उन्होंने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह केंद्र 'क' क्षेत्र में है तथा सभी को हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है। हिंदी में कार्य करना न केवल हमारा संवैधानिक दायित्व है बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है । उन्होंने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि कार्यालय में अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करें और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें ।

इसके उपरान्त कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित श्री एम.एस. आनन्द, मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, रोहतक ने हिंदी में पत्राचार विषय पर व्याख्यान दिया । उन्होंने हिंदी पत्राचार, पत्रों के प्रकार तथा पत्रों के लिखने व प्रारूप तैयार करने के बारे में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी और कार्यशाला में पत्र लिखने का अभ्यास करवाया । पत्र लिखते समय अंग्रेजी के तकनीकी तथा जटिल शब्दों को देवनागरी लिपि में ही के तरीके बताए और अभ्यास करवाया ।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में श्री मेम पाल, हिंदी अनुवादक ने प्रतिभागियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के बारे में जानकारी दी तथा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाया ।

कार्यशाला के समापन पर श्रीमती ललिता चतुर्वेदी, कार्यक्रम अधिशासी नामित हिंदी अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला के आयोजन को सार्थक बनाने के लिए अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने का अनुरोध करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

आकाशवाणी : अहमदाबाद

दिनांक 29-2-2008 को दोपहर 3.00 बजे हिंदी कार्यशाला का शुभारंभ किया गया । श्री भगीरथ पंड्या, केंद्र निदेशक ने हिंदी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और बताया कि वैसे तो हमारे कार्यालय में राजभाषा का कामकाज अच्छा हो रहा है । फिर भी नियमानुसार समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित करने का उद्देश्य यही होता है कि आप सभी को हिंदी में कार्य करने में अधिक सहायता मिल सके और आप लोग बेझिझक अपना कार्य हिंदी में जारी रख सकें ।

कार्यशाला में वक्ता के रूप में श्री आर.एस. राजपूत वरिष्ठ प्रबन्धक राजभाषा एन.टी.सी. एवं नराकास के पूर्व अध्यक्ष आमंत्रित थे । कार्यशाला का विषय 'प्रशासनिक मामलें' था, जिसमें वक्ता ने प्रशासन संबंधी मामलों पर चर्चा की और उपलब्ध सामग्री में से उदाहरण दे कर चर्चा की ।

आकाशवाणी : पणजी

आकाशवाणी पणजी में 31 जनवरी को त्रिदिवसीय हिंदी कार्याशाला का उद्घाटन कर अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए केंद्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदार ने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा हिंदी संपूर्ण भारतीय उप महाद्वीप में संपर्क भाषा का कार्य करती है । हिंदी हमारी सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम है । भारतीय उप महाद्वीप की संस्कृति में एकता देखी जा सकती है । हिंदी भाषाा सैंकड़ों बरसों से भारत के समुद्र पार देशों में पहुंचकर फलती-फूलती रही है और अब भूमंडलीकरण के कारण विश्वभाषा बन रही है ।

श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने संबोधित करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला और आकाशवाणी पणजी में राजभाषा के उत्कृष्ट क्रियान्वयन की समीक्षा की । कुमारी किरन पोपकर ने हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया, भाषा वैज्ञानिक स्वरूप और विशाल साहित्य पर सुंदर व्याख्यान दिए । उन्होंने कहा कि लोक व्यापक स्वरूप के कारण हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया ।

हिंदी कार्यशाला के साथ विविधा कार्यक्रम आयोजित किया गया । विविधा का आरंभ अमीर खुसरों की रचना से हुआ । विविधा का संचालन श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने किया । उन्होंने हिंदी के विकास और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो के योगदान की विवेचना की।

आकाशवाणी : कडपा केंद्र

आकाशवाणी, कडपा में दिनांक 15-2-2008 को सुबह से शाम तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय श्री ए.मल्लेश्वर राव ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह बताया कि केंद्रीय सरकार ने हिंदी राजभाषा के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को आरंभ किया । इसी के अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा सीखने के लिए कार्यशाला का आयोजन करते हैं । आमंत्रित अतिथि वक्ता डॉ. पद्मजा देवी, आचार्य, हिंदी विभाग श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति ने हिंदी भाषा की व्युत्पत्ती, हिंदी शब्द का प्रयोग राजभाषा से संबंधित विषय को पूर्ण विश्लेक्षण कर दिया ।

दूसरे सत्र में श्री एस.एम. बाशा, हिंदी अनुवादक ने हिंदी राजभाषा नीति संबंधित अधिनियम, नियम और धारा के बारे में विश्लेषण किया । सत्र के समापन में कार्यालयाध्यक्ष ने यह बताया कि हिंदी भाषा की वृद्धि के लिए और दैनिक कार्य में प्रयोग करने के लिए हर कर्मचारी को उत्सुकता से आगे बढ़ना चाहिए ।

अंत में हिंदी अनुवादक,श्री एम. सुब्बशेखर ने सभी उपस्थित कर्मचारी/अधिकारी गण को धन्यवाद प्रदान किया।

आकाशवाणी : नागपुर

आकाशवाणी, नागपुर में सोमवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । आकाशवाणी, नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य केंद्र अभियंता श्री संजय एम. बोदेले की उपस्थिति में संपन्न हुआ ।

अपने अध्ययक्षीय भाषण में श्री संजय एम. बोदले केंद्र अभियंता ने कहा कि हर तिमाही में कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाती है ताकि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिंदी का ज्ञान बना रहे और हिंदी के कार्यों में प्रगति हो सके ।

प्रमुख वक्ता श्रीमती स्वाती चड्डा ने ''राजभाषा हिंदी की प्रगति के उपाय'' इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया और कहा कि अगर हिंदी को राजभाषा बनाना है तो सभी लोंगो को अपने मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज से जो भी कार्यालयीन कार्य करूंगा वह सिर्फ राजभाषा हिंदी में ही करूंगा ऐसा संकल्प करने पर ही राजभाषा की प्रगति हो सकेगी ।

कार्यशाला में आकाशवाणी, नागपुर के 42 अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे ।

विजया बैंक : क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर के परिसर में दिनांक 13-12-2007 से 15-12-2007 तक क्षेत्रगत शाखा/कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के लिए तीन दिवसीय सामान्य हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला में कुल 14 कर्मचाारियों ने भाग लिया । कार्यशाला का उद्घाटन सहायक महाप्रबन्धक श्री एम. मंजुनाथ रै ने किया। अपने उद्घाटन वक्तव्य में उन्होंने संघ के राजभाषा नीति को लागू करने के कर्तव्य को याद दिलाया । हिंदी एक सरल भाषा है तथा कंप्यूटरों में इसका प्रयोग आजकल मुश्किल नहीं है । कार्यशाला में बैंक के दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने हेतु विभिन्न बैंकिंग विषयों पर चर्चा की गई । कार्यशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक तथा कार्पोरेशन बैंक के सदस्यों से संकाय सहायता प्राप्त हुए । कार्यशाला का संचालन राजभाषा अधिकारी श्रीमती एस. माया ने किया । कार्यशाला में चर्चित विषयों से प्रतिभागी खुश थे क्योंकि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी से दैनिक बैंकिंग कार्य हिंदी में करने में तथा नेमी पत्राचार में हिंदी के प्रयोग करने में बहुत सहायक महसूस किया । समापन समारोह में वरिष्ठ प्रबंधक श्री के. पी. हेग्डे ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और कहा कि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का सही प्रयोग शाखा/कार्यालय स्तर पर हिंदी के कार्यान्वयन में कार्य में लाया जाए । प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए ।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016

संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसमें उन्हें सहायता देने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । इसी क्रम में संस्थान के अवर श्रेणी लिपिकों के लिए 26 फरवरी, 2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला का उद्देश्य सहभागियों को व्यावहारिक हिंदी लिखने का अभ्यास कराना था जिससे कि वे अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग आसानी से कर सकें । इस कार्यशाला में संस्थान के कुल 19 सहभागियों ने भाग लिया । कार्यशाला के विषय को भाषण एवं अभ्यास पद्धति द्वारा प्रतिपादित किया गया । सहभागियों को हिंदी में विभिन्न आवेदन पत्र लिखने और दैनिक कामकाज के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली का अभ्यास कराया गया । उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई और उनकी कठिनाईयों का समाधान किया गया । सहभागियों ने कार्यशाला के दौरान कराए गए अभ्यास को उपयोगी माना और उल्लेख किया कि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल वे अपने कामकाज में व्यावहारिक रूप से करेंगे ।

संघ प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन सिलवासा

दिनांक 16-10-2007 को संघ प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के राजभाषा विभाग एवं सी-डेक, पुणे के तत्वाधान में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंप्यूटर में हिंदी सोफ्टवेयर के प्रयोग पर अधिकारी वर्ग हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन श्री पी. के. गुप्ता, सचिव (वित्त-राजभाषा), सी-डेक, पुणे के तकनीकी विशेषज्ञ श्री आशुतोष शुक्ला, श्री हरिओम शुक्ला तथा श्री एस. बी. पटियाल, सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित करके किया गया जिसमें हिंदी में अनुवाद से संबंधित 'मंत्र हिंदी सोफ्टवेयर' तथा श्रुत लेखन हिंदी सोफ्टवेयर की जानकारी दी गई । इस कार्यशाला में प्रशासन के लगभग 65 अधिकारियों ने भाग लिया ।

(ङ) हिंदी दिवस

पश्चिमी बेस कर्मशाला (ग्रेफ) पठानकोट-145001

पश्चिमी बेस कर्मशाला में 03 से 14 सितम्बर, 2007 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन 03 सितम्बर, 2007 को प्रातः 0900 बजे ले. कर्नल विजय चौधरी, कमांडर एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पश्चिमी बेस कर्मशाला (ग्रेफ) द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया । हिंदी पखवाड़े के दौरान कर्मशाला परिसर में विभिन्न स्थानों पर हिंदी पखवाड़े से संबंधित बैनर एवं पोस्टर लगाए गए ताकि कर्मशाला में मनाये जा रहे हिंदी पखवाड़े का व्यापक प्रचार हो सके एवं कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए प्रेरक वातावरण तैयार किया जा सके ।

कर्मशाला में हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी कविता पाठ, हिंदी निबन्ध एवं पत्र लेखन, हिंदी नोटिंग ड्राफ्टिंग, हिंदी टंकण एवं हिंदी भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए अधिकारियों के बोर्ड गठित किए गये । प्रतियोगिताएँ हिंदी तथा हिंदीतर भाषी प्रतियोगियों के लिए सामूहिक रूप से आयोजित की गई परन्तु मूल्याँकन हिंदीतर भाषीयों के लिए अलग से किया गया ताकि सभी क्षेत्रों के लोगों को पुरस्कार में प्रतिनिधित्व मिल सके । पश्चिमी बेस कर्मशाला के कार्मिकों ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में बड़े ही उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

दिनाँक 14 सितम्बर, 2007 हिंदी दिवस के दिन कर्मशाला में मुख्य समारोह आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत विशेष ग्रेफ सम्मेलन में कमांडर महोदय ने कार्यशाला में 12 से 20 मार्च, 2007 तक एवं 13 से 22 अगस्त, 2007 तक आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में भाग लेने वाले 44 कर्मचारियों तथा हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्मिकों को नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनको प्रोत्साहित किया ।

इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता -700001

इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में 14 सितम्बर, 2007 को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया । समारोह का आरंभ दीप प्रज्जवलन से हुआ । जिसके बाद माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार एवं केबिनेट सचिव द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर जारी संदेशों का पाठ किया गया । इस अवसर पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री ए.सी. महाजन द्वारा जारी संदेश का भी पाठ किया गया । श्री श्रवण कुमार, महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने इस अवसर पर स्वागत भाषण दिया ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में तत्कालीन महाप्रबंधक (राजभाषा) ने कहा कि दूसरे बैंक जहाँ हिंदी सप्ताह या पखवाड़ा मनाते हैं वहीं हम इलाहाबाद बैंक में प्रति वर्ष हिंदी माह मनाते आए हैं और इस वर्ष भी हिंदी माह मना रहे हैं । हिंदी प्रयोग के क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक को प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त हो रहे हैं जो इस बात का द्योतक है कि इलाहाबाद बैंक में हिंदी प्रयोग एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य पूरी गंभीरता के साथ किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रधान कार्यालय के कार्यपालकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी उत्सुकता से सहभागिता की । ■

संगोष्ठी/सम्मेलन

निर्माण महानिदेशालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2008 (शुक्रवार) को प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद में एक दिवसीय क्षेत्रीय राजभाषा संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया । निर्माण महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, श्री एच.एस.डोगरा जी द्वारा संगोष्ठी की अध्यक्षता की गई । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती पी.वी. वल्सला जी. कुट्टी तथा हिंदी सलाहकार समिति के सम्मानीय सदस्य डॉ. महेशचन्द्र गुप्त भी गणमान्य अतिथियों के रूप में संगोष्ठी में उपस्थित थे । इसके अलावा इस संगोष्ठी में के लो नि वि/लो नि वि के दिल्ली, गाजियाबाद तथा उत्तर भारत स्थित कार्यालयों के लगभग 250 कर्मचारियों/अधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया ।

निर्माण महानिदेशक श्री एच.एस. डोगरा जी ने भी अध्यक्षीय भाषण के रूप में अपने विचार सभी के समक्ष रखे और कहा कि हिंदी केवल हमारी भाषा ही नहीं अपितु हमारी राष्ट्रीयता की पहचान भी है । तत्पश्चात् विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग श्रीमती पी.वी. वल्सला जी. कुट्टी द्वारा "राजभाषा का विकास, उपलब्धियां और चुनौतियां" विषय पर व्याख्यान दिया गया । बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में उन्होंने राजभाषा के विकास में आने वाली कठिनाईयों का सटीक वर्णन किया और व्याख्यान की समाप्ति पर सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा ।

गणमान्य अतिथियों के भाषणों के पश्चात् संगोष्ठी के शैक्षणिक सत्र का आरम्भ डॉ. महेश चन्द्र गुप्त द्वारा किया गया । उन्होंने "राजभाषा नीति, कार्यान्वयन और प्रगति" विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जिसमें हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के कारगर और प्रभावशाली उपाय सुझाए गए । भोजनोपरांत, निदेशक (अनुसंधान एवं सेवा), राजभाषा विभाग श्री बी.सी. मंडल ने राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया ताकि भविष्य में उनसे सभी लाभान्वित हो सकें । व्याख्यानों की श्रृंखला को कुछ समय के लिए विराम देते हुए सम्पदा निदेशालय में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया । उन कलाकारों ने गीतों और हास्य व्यंग्य के माध्यम से मनोहारी और रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसे सभी ने सराहा । संगोष्ठी के अंत में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री नरेश कुमार और उप निदेशक (राजभाषा), शहरी विकास मंत्रालय, श्री नन्द किशोर ने "हिंदी समितियां – गठन तथा कार्यप्रणाली" विषय पर संयुक्त रूप से व्याख्यान दिया । तत्पश्चात्, श्री नरेश कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ संगोष्ठी का समापन किया गया ।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

पांचवी राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी

दिनांक 05 एवं 06 मार्च, 2008 को भारी पानी संयंत्र के अतिथि गृह स्थित सभागृह में दो दिवसीय राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । जिसमें 14 व्याख्यान हिंदी में तकनीकी विषयों पर दिए गए ।

अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य अतिथि श्री एन. आर. नटराजन, महाप्रबंधक बीएसएनएल ने कहा कि तूतीकोरिन जैसे ठेठ हिंदीतर प्रदेश में तकनीकी विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन एक अच्छा प्रयास है एवं इतने सारे विषयों पर व्याख्यान एक स्थान पर हिंदी में आयोजित करने हेतु मैं भारी पानी संयंत्र को बधाई देता हूँ । इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में अपनी **"राजभाषा वार्ता"** उद्बोधन में श्री के. टी. जाधव सहायक आयुक्त सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि तूतीकोरिन में वैज्ञानिक संगोष्ठी लगातार पाँचवी बार आयोजित करना एक अच्छा प्रयास है क्योंकि यहाँ की प्रधान बोलचाल की भाषा तमिल

है एवं केंद्रीय कार्यालयों में भी तमिल भाषा का ही बोलबाला है । इसलिए हमें भी दैनिक प्रयोग में आने वाले तमिल भाषा के मुख्य शब्द सीखने चाहिएं एवं उन्हें भी हिंदी में कुछ शब्द सीखाने चाहिएं जिसमें भाषा का आदान प्रदान होगा एवं कार्यालयों में भी हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे ।

भारी पानी संयंत्र के महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष टॉलिक श्री वी.वी.एस. रामाराव ने कहा कि हम इस बारे में प्रयासरत हैं कि हिंदी में काम करने की संभावनाओं एवं क्षेत्रों का पता लगाए एवं धीरे-धीरे आंशिक रूप से वहाँ हिंदी में भी कार्य की शुरूआत करें । इसमें तकनीकी संगोष्ठी का आयोजित करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है । इस अवसर पर भारी पानी संयंत्र के कार्मिकों के कक्षा पहली से 12वीं तक के उन बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक हिंदी विषय में प्राप्त किए ।

इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, पो.बा.नं. 3765, 763, अण्णासालाई चेन्नई-600002

इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा चेन्नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समित (बैंक/वि सं) के तत्वावधान में जोखिम प्रबंधन पर हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन

शाखा स्तर पर कार्यरत स्टाफ को सामान्य बैंकिंग में हिंदी के प्रयोग के प्रति प्रेरित करने के लिए चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से हर वर्ष समिति के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सामान्य बैंकिंग के विषय पर हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है । इस वर्ष समिति की ओर से इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा सदस्य बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के वेतनमान IV श्रेणी के अधिकारियों तथा राजभाषा प्रभारियों के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के स्टॉफ कॉलेज के सम्मेलन कक्ष में 21-02-2008 को सुबह 10.00 बजे जोखिम प्रबंधन पर हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

संगोष्ठी की अध्यक्षता चेन्नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षा श्रीमती अशोका चटर्जी महाप्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज बैंक ने की । डॉ शेख अब्दुल कादर, समिति के सदस्य सचिव एवं मुख्य प्रबंधक, इणियन ओवरसीज बैंक ने समिति द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों पर विस्तृत जानकारी देते हुए संगोष्ठी के उद्देश्य के बारे में बताया ।

इण्डियन ओवरसीज बैंक की ओर से बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उप महाप्रबंधक श्री समीर बरूआ ने मुख्य अतिथि, अध्यक्षा एवं समिति के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से पधारे वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजभाषा प्रभारियों का स्वागत किया । अपने संबोधन में उन्होंने बैंकिंग कारोबार को बढ़ाने में भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला ।

मुख्य अतिथि डॉ. जयंतीलाल जैन ने अपने संबोधन में वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि शाखाओं में हिंदी का प्रयोग बढाने के लिए बैंकिंग विषयों से हिंदी को जोड़ना जरूरी है ।

अध्यक्षीय संबोधन में श्रीमती अशोका चटर्जी ने कहा कि अगर हम लगन से कोई भीकाम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी । उन्होंने सुझाव दिया कि समिति द्वारा बैंकिंग से संबंधित अन्य विषयों जैसे ग्राहक सेवा, रिटेल बैंकिंग आदि पर भी हिंदी में संगोष्ठी आयोजित करने संबंधी विचार किया जा सकता है । यह अच्छा प्रयास है कि शाखा प्रबंधकों के जरिए शाखाओं में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन विषय पर हिंदी में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है । संगोष्ठी की सफलता की कामना करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी में सक्रियता से चर्चा की जाएगी । डॉ. जंयतीलाल जैन, महाप्रबंधक, इंडियन बैंक ने जोखिम प्रबंधन विषय पर पॉवर पांइट प्रस्तुति के जरिए हिंदी में सहजता से व्याख्यान दिया । उन्होंने कई उदाहरण देते हुए बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला । इसमें विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आए हुए सहभागियों ने सक्रियता से चर्चा की । सबको संगोष्ठी बहुत ही उपयोगी लगी । कुल 55 अधिकारियों ने संगोष्ठी में भाग लिया । शाखाओं में हिंदी के प्रयोग के प्रति रूचि बढ़ाने में यह संगोष्ठी सार्थक साबित हुई । श्री वेंकटसुब्रमण्यन, मुख्य प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय II द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन से संगोष्ठी का समापन हुआ । संगोष्ठी का संचालन, श्री सुरेश कुलकर्णी, वरिष्ठ, प्रबंधक, राजभाषा, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय ने किया ।

प्रस्तुतिः इण्डियन ओवरसीज बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली तृतीय तल, शहीद भगत सिंह प्लेस बंगला साहिब मार्ग, गोल मार्केट नई दिल्ली

राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा अंचल में कार्यरत वेतनमान V के कार्यपालकों हेतु एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 9 फरवरी, 2008 को कार्यालय परिसर में किया गया जिसमें 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया । संगोष्ठी का उद्घाटन श्रीमती पी.वी. वल्सलाजी कुट्टी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने किया एवं अध्यक्षता बैंक के अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक श्री एस.सी. सिन्हा ने की इस अवसर पर श्री एस.पी. गोयल, उपमहाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण) भी उपस्थित थे । निम्नलिखित अतिथि वकताओं ने प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी :-

1. श्री बी. आर. शर्मा, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

2. श्री राकेशकुमार, निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

3. श्री रमेशबाबू अणियेरी, संयुक्त निदेशक, बैंकिग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली अंचल, राजभाषा विभाग, जीवन भारती लेवल-5 टॉवर-1, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु राजभाषा संगोष्ठी

दिनांक 15-2-2008 को आचलिक कार्यालय के सभाकक्ष में अंचल की समस्त शाखाओं/विभागों के सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु 'राजभाषा संगोष्ठी' का आयोजन किया गया । उक्त संगोष्ठी में श्री रमेशबाबू अणियेरी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार ने उच्चाधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी अपेक्षाओं, नीति एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने बाबत् सूचित किया । श्री एस.के. त्रिपाठी, उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वार्षिक कार्यक्रम 2007-08 एवं नोटिंग व टिप्पणी से अवगत कराया। संगोष्ठी के उपरांत सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों के बीच 'हिन्दी टिप्पण एवं नोटिंग प्रतियोगिता' का आयोजन भी किया गया ।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून -248005

आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन

20वीं "आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी" का आयोजन संस्थान के मुख्य गोष्ठी-कक्ष में संपन्न हुआ ।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कार्यकारी निदेशक डॉ. ए. दत्ता ने इस प्रकार की संगोष्ठियों की सार्थकता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित रूप से ऐसी संगोष्ठियां वैज्ञानिकों को मौलिक रूप से हिंदी में लेखन कराने में उत्प्रेरक के रूप में सिद्ध हुई हैं । आज हमारे युवा वैज्ञानिक व नए शोधार्थी इस क्षेत्र में प्रभावी प्रस्तुतियां दे रहे हैं । हमें प्रस्तुतियों में अधिकाधिक विचार विनिमय के रूप में हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए । प्रसन्नता का विषय है कि हमारे वैज्ञानिक जटिल से जटिल विषयों को भी महत्वपूर्ण ढंग से हिंदी में अभिव्यक्त करने लगे हैं । यह नियमित त्रैमासिक रूप से आयोजित आंतरिक हिंदी संगोष्ठियों का ही परिणाम है ।

संगोष्ठी का संचालन करते हुए संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं संयोजक डॉ. दिनेश चमोला ने कहा कि किसी

भी देश के ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियों पर तभी गर्व की अनुभूति संभव है जब उनका सार्थक संदेश संबंधितों के साथ-साथ देश के आम नागरिकों तक पहुंच रहा हो। इसमें सेतु के रूप में सिद्ध हो सकती है हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। इन संगोष्ठियों की सार्थकता यही है कि हमारे हिंदीतर भाषी वैज्ञानिक भी हिंदी में लिखने में उत्साहवर्धित हुए। किसी देश के युवाओं में ज्ञान-विज्ञान एवं भाषा के प्रति उत्साह कहीं न कहीं देश की भावी बौद्धिक उन्नति का परिचायक है। हमें मौलिकता से संख्या की अपेक्षा गुणता में विश्वास रख हिंदी में विज्ञान-लेखन कर अपनी उत्कृष्टता का परिचय देना चाहिए।

संगोष्ठी सत्र में सुश्री ज्योति जोशी ने "द्रव्य प्रवाहिकी: एक समीक्षात्मक परिचर्चा" विषय के अंतर्गत प्रस्तावना, न्यूटोनियन, गैर-न्यूटोनियन द्रव्य की परिभाषाएं एवं प्रकार आदि पर अपनी प्रस्तुति दी। श्री आलोक यादव ने "जैव तेल: तेजी से उभरता हुआ ऊर्जा स्रोत: ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों, जैव तेल, कॉलम वर्णलेखिकी से प्राप्त आण्विक संरचना, शीशम से प्राप्त जैव तेल, जैव तेल में विद्यमान रासायनिक पदार्थ, वनस्पति स्रोत एवं उनसे प्राप्त जैव तेल, जैव तेल की संरचना आदि पर अपना आलेख प्रस्तुत किया। सुश्री भावना बिष्ट ने "निष्कर्षण के क्षेत्र में आयनिक द्रवों का प्रयोग" प्रस्तावना, आयनिक द्रव के विशेष गुण, आयनिक द्रव्यों के संश्लेषण की सामान्य विधि, आयनिक द्रवों का हाइड्रोकार्बन उद्योग में प्रयोग, आयनिक द्रव्यों का ऐरोमैटिक निष्कर्ष में प्रयोग, आयनिक द्रव्यों द्वारा ईंधन का विगंधकीकरण पर प्रस्तुति दी। श्री मृत्युंजय कुमार शुक्ल ने "ब्यूटेनॉल-गैसोलीन और इथेनॉल-गैसोलीन संम्मिश्र: परिवहन ईंधन के रूप में तुलनात्मक अध्ययन" ब्यूटेनॉल के लाभ, उत्पादन, तुलनात्मक गुण-धर्म, आसवन वक्र, गैसोलीन के वाष्प दाब पर इथेनॉल और ब्यूटेनॉल संम्मिश्रण का प्रभाव, जलीय प्रावस्था पृथक्करण जैसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला तथा श्री दिलीप कुमार जेना ने "जलवायु परिवर्तन: अधिशोषण द्वारा CO_2 का नियंत्रण" विषय पर बर्फ पर एल्बीडो प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस, भारत की जीडीपी तथा व्यवसाय पर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, धरती को ठंडा करने के उपाय आदि पर अपनी प्रभावपूर्ण प्रस्तुति दी।

प्रस्तुति: डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'

विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस

'मॉरिशस में हिंदी की वैश्विक स्थिति और नागरी लिपि' पर विशेष संगोष्ठी

हिंदी के विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार और इसे अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में संवर्धित करने के उद्देश्य से भारत और मॉरिशस के सहयोग से स्थापित 'विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2008 को एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था 'हिंदी की वैश्विक स्थिति और नागरी लिपि' इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में भाषण देने के लिए भारत से डॉ. परमानन्द पांचाल को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।

इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, मॉरिशस के विशाल सभागार में आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने मॉरिशस के शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री, माननीय धरम गोकुल जी ने किया। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में हिंदी शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक है। यहां हिंदी को पूर्णत: बढ़ावा दिया जाता है। यहां दो विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो चुके हैं। श्रीमती संगीता दिरपोल प्रसाद द्वारा प्रस्तुत वंदना गीत के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात् विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव, डॉ. विनोद वाला 'अरूण' ने सचिवालय के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नागरी लिपि की संगोष्ठी के आयोजन के महत्व को रेखांकित किया। भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त महामहिम श्री संजीव रंजन ने अपने पुरोवाक् वक्तव्य में सचिवालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया और हिंदी के विकास के लिए देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत से आमंत्रित डॉ. परमानन्द पांचाल ने हिंदी के विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार में मॉरिशस की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मॉरिशस सरकार की प्रंशसा की और कहा कि 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री शिव सागर राम गुलाम जी ने ही हिंदी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा बताते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने और मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय

स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था । आज यह सचिवालय उन्ही के सद्प्रयासों को सुफल है । वह दिन दूर नहीं जब हिंदी संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी । उन्होंने सचिवालय की महासचिव डॉ. विनोद वाला 'अरूण' को बधाई दी कि उन्होंने न्यूयार्क में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित प्रथम मन्तव्य को कार्यान्वित करते हुए देवनागरी लिपि पर प्रथम संगोष्ठी आयोजित की है । डॉ. पांचाल ने हिंदी की वैश्विक स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि मॉरिशस में हिंदी तो है और यहां अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं किंतु हिंदी दिखाई नहीं देती । सार्वजनिक स्थानों पर सर्वत्र फ्रेंच और अंग्रेजी के ही बोर्ड दिखाई देते हैं । यदि इनके साथ ही हिंदी के भी कुछ साईन बोर्ड लगाएं जाएं तो इससे हिंदी की लोकप्रियता बढ़ेगी । मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री महेन्द्र गौरेसू जी ने भाषा और संस्कृति के अभेद्य संबंधों पर प्रकाश डालते हुए नागरी लिपि को हिंदी के लिए आवश्यक बताया । इस अवसर पर विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रकाशित 'विश्व हिंदी समाचार' पत्रिका के प्रवेशांक का लोकार्पण भी किया गया । विश्व हिंदी सचिवालय के उपमहासचिव डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने आगुन्तकों को धन्यवाद दिया । संचालन श्री गुलशन सुखलाल ने किया ।

संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में, जिसकी अध्यक्षता विश्व हिंदी सचिवालय की शासी परिषद के सदस्य श्री सत्येन्द्र टैंगर ने की, डॉ. परमानन्द पाचाल ने नागरी लिपि के इतिहास, उसकी वैज्ञानिकता और उसके ध्वन्यात्मक गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला और अन्य लिपियों की तुलना में नागरी लिपि की श्रेष्ठता को पावर प्वाइंट की सहायता से सचित्र रूप में प्रदर्शित किया । अगले सत्र की अध्यक्षता डॉ. उदय नारायण गंगू ने की । मॉरिशस के कई विद्वानों और प्राध्यापकों ने भी अपने विचार रखे, जिनमें श्रीमती अनीता पदारथ, हनुमान दुबे गिरधारी; डॉ. हेमराज सुन्दर, श्री राज हीरामन, डॉ.अलक धनपत, डॉ. राजरानी गोविन, प्रियवंदा, श्री सुखलाल रंगा प्रभृति विद्वान सम्मिलित है । इस अवसर पर मॉरिशस में भारत के द्वितीय सचिव, डॉ. जय प्रकाश कर्दम भी विशेष रूप से उपस्थित थे ।

डॉ. पांचाल ने मॉरिशस में अपने प्रवास के दौरान महात्मा गांधी संस्थान, हिंदी संगठन, हिंदी प्रचारिणी सभा लॉंग माउंटेंन, गवर्न्मेट हिंदी टीचर्स यूनियन, सनातन धर्म टेम्पल्स फेड्रेशन,आर्य रवि-वेद प्रचारिणी सभा, पोर्ट लूई तथा आर्य सभा आदि में भी नागरी लिपि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए । इस अवसर पर विश्व हिंदी सचिवालय की शासी परिषद् के सदस्य श्री अजामिलमाता बदल भी उपस्थित रहे ।

प्रस्तुति : डॉ. परमानन्द पांचाल

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं । लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है । लेख ए-4 आकार के कागज पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हजार शब्दों से अधिक का न हो । कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे । लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है ।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा । कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें ।

कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :- -

संपादक/उप संपादक
राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-4, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, मुंबई

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिये द्विभाषी तथा हिंदी गृह-पत्रिका प्रतियोगिता-2006-07-मूल्यांकन

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए द्विभाषी गृह-पत्रिका तथा हिंदी गृह-पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत वर्ष 2006-07 (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) के संबंध में मूल्यांकन समिति की बैठक श्रीमती पी. कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई की अध्यक्षता में 12 मार्च, 2008 को केंद्रीय कार्यालय भवन की 15वीं मंजिल पर स्थित सम्मेलन कक्ष-3 में पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम, सुश्री रूपम मिश्र, महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अध्यक्ष महोदया तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अधिकारियों तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया। तदुपरांत अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई :—

प्रतियोगिताओं के मानदंड संक्षेप में बताने के बाद सदस्य-सचिव ने मूल्यांकन समिति के समक्ष वर्ष 2006-07 की द्विभाषी एवं हिंदी गृह-पत्रिकाओं के संदर्भ में इस वर्ष द्विभाषी गृह-पत्रिका के लिए प्राप्त कुल 19 प्रविष्टियों और हिंदी गृह-पत्रिका के लिए प्राप्त कुल 11 प्रविष्टियों के समेकित ब्यौरे प्रस्तुत किए गए। समिति के सदस्यों ने प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के दौरान समिति ने निम्नलिखित सुझाव एवं निर्णय दिए :—

(1) दक्षिण भारत में स्थित बैंकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं के प्रयास की समिति ने सराहना की तथा उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई।

(2) पत्रिकाओं में कर्मचारियों की रचनाओं एवं बैंक की ... को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए।

(3) द्विभाषी पत्रिका वर्ग में निकाले जाने वाले हिंदी विशेषांक को वरीयता दी जाए एवं सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को इस संबंध में प्रोत्साहित भी किया जाए।

(4) गृह-पत्रिका प्रतियोगिताओं के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में चतुर्थ पुरस्कार पाने वाले बैंकों व संस्थानों को एक प्रमाण-पत्र के अलावा यथासंभव एक स्मृति चिह्न देने के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए तदसंबंधी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

(5) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को हर वर्ष सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भेजे जाने का भी निर्णय समिति ने लिया ताकि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं इन सिद्धांतों के अनुसरण में पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सकें।

मूल्यांकन समिति के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2006-2007 (अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक) के लिए हिंदी और द्विभाषी गृह-पत्रिकाओं के परिणाम निम्नानुसार तय किए गए :

(i) द्विभाषी गृह-पत्रिका प्रतियोगिता-2006-2007

पंजाब नैशनल बैंक	प्रथम
इलाहाबाद बैंक	द्वितीय
यूको बैंक	तृतीय
सिंडिकेट बैंक	चतुर्थ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	चतुर्थ
केनरा बैंक	चतुर्थ

(ii) हिंदी गृह-पत्रिका प्रतियोगिता-2006-2007

आंध्रा बैंक	प्रथम
कार्पोरेशन बैंक	द्वितीय
भारतीय स्टेट बैंक	तृतीय
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	चतुर्थ
सिडबी	चतुर्थ
बैंक ऑफ बड़ौदा	चतुर्थ

गुवाहाटी रिफाइनरी को राजभाषा पुरस्कार प्राप्त

वर्ष 2006-07 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत गुवाहाटी रिफाइनरी की अध्यक्षता में रहे न.रा.का.स.(उपक्रम), गुवाहाटी को राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए तृतीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिनांक 13 तथा 14 नवम्बर, 2007 को सिलीगुड़ी में आयोजित दो दिवसीय संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान माननीय सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार श्री रजित इस्सर के करकमलों द्वारा गुवाहाटी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक श्री.जी. भानुमूर्ति को प्रदान किया गया। इस दो दिवसीय भव्य समारोह में निदेशक (कार्यान्वयन) श्री शचीन्द्र शर्मा की उपस्थिति में पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैकों, केंद्रीय कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागाध्यक्षों, हिंदी अधिकारियों तथा हिंदी से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समारोह में भाग लिया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण गोवा द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा पुरस्कृत

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोवा द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के सर्वोत्कृष्ट निष्पादन (केंद्र सरकार, उपक्रमों एवं बैंकों, के कार्यालयों में) करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), दक्षिण गोवा द्वारा दिनांक 25-10-2007 को आयोजित छमाही बैठक में विशेष राजभाषा रोलिंग शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

विमानपत्तन निदेशक, भा.वि.प्रा. गोवा की ओर से श्री अनूप कुमार भावल, सहायक महाप्रबंधक (संचार) एवं श्री इन्ताज अली, हिंदी अनुवादक द्वारा श्री अश्विनी कुमार वैष्णव, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उपाध्यक्ष, मुरगांव पत्तन न्यास, वास्को, गोवा से शील्ड एवं प्रमाणपत्र ग्रहण किए गए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. एम.एल. गुप्ता उपनिदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, पश्चिमी क्षेत्र, मुम्बई उपस्थित थे। इस अवसर पद दक्षिण गोवा के विभिन्न कार्यालयों के अधिकांश कार्यालय प्रमुख एवं राजभाषा से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

नेहरू युवा केंद्र संगठन दि्वतीय तल, कोर-4, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र विकास मार्ग, दिल्ली-110092

नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्कोप मीनार स्थित सम्मेलन कक्ष में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। समारोह की मुख्य अतिथि सुश्री मीनाक्षी नटराजन, उपाध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र संगठन का स्वागत संगठन के प्रभारी कार्यकारी निदेशक श्री एस. के ठाकुर ने किया। मुख्य अतिथि ने 78 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगद पुरस्कार व प्रमाणपत्र बांटे। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि डॉ. शकील अहमद खान, महानिदेशक ने ऐसा अवसर चुना और ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन में हिंदी में काम काफी मात्रा में किया जाता है हम तो उस दिन की उम्मीद कर रहे हैं कि जब देश में सारा का सारा काम हिंदी में होने लगेगा तो ऐसे आयोजन की जरूरत नही पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि अगर बाल गंगाधर तिलक और राजाराम मोहन राय ने अपनी शिक्षा हिंदी माध्यम से की होती तो देश को और अधिक लाभ मिलता। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री विक्रमाजीत पाण्डेय, उपनिदेशक, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से हिंदी के प्रचार प्रसार में लाभ मिलता है आज यहां जितने भी कर्मचारी पुरस्कृत हुए हैं सभी युवाओं की श्रेणी में है सरकार का भी यही मानना है कि अगर देश का युवा हिंदी को अपना ले तो आगामी पीढ़ी इसका अनुपालन कर सकेगी। नेहरू युवा केंद्र संगठन ऐसी प्रतिभाओं को खोज कर आगे लाने का प्रयास कर रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संगठन के महानिदेशक डॉ. शकील अहमद खान ने कहा कि उनका हिंदी विभाग हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समय-समय पर नए नए प्रयास करता रहता है। संसदीय राजभाषा समिति भी उनके कार्य की प्रशंसा करती है संगठन स्तर पर हिंदी के प्रोत्साहन के लिए साहित्यिक गतिविधियां आयोजित कर रहा है। महानिदेशक ने सभी पुरस्कार विजेता कर्मचारियों को बधाई दी।

प्रशिक्षण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना
हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण

हिंदी टंकण (कंप्यूटर/मैनुअल) एवं हिंदी आशुलिपि की नई कक्षाओं का गठन-अगस्त, 2008

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का आगामी सत्र अगस्त, 2008 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 11 अगस्त, 2008 से प्रारंभ होगा तथा नियमित कक्षाएं दिनांक 18 अगस्त, 2008 से चलेंगी।

2. प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी:

(क) **हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण** की अवधि एक वर्ष है तथा कक्षा प्रत्येक कार्य दिवस पर एक घंटे की होती है। सभी आशुलिपिकों/निजी सहायकों/निजी सचिवों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्थान उपलब्ध होने पर हिंदी टंकण में प्रशिक्षित अवर श्रेणी लिपिकों को भी, विहित शर्तें पूरी होने पर आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) **हिंदी टंकण प्रशिक्षण** की अवधि 6 माह है तथा कक्षा प्रत्येक कार्य दिवस पर एक घंटे की होती है। सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंककों तथा इससे समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी टंकण प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्थान उपलब्ध होने पर प्रवर श्रेणी लिपिक(यू.डी.सी.) सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों को भी प्रवेश दिया जाता है।

(ग) हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76-रा.भा.(डी) दिनांक 2-9-76 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18-3-94-हि.शि.यो.(मुख्या) दिनांक 14-2-95 के अनुसार, निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, क्रमश: वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

(घ) प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/21/61-एच बी दिनांक 26 जून, 1962 के अनुसार 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है।

(च) केंद्रीय उपक्रमों, बैकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए टंकण 40/- रुपए तथा आशुलिपि 50/- रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान **उपनिदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम,** नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

(छ) प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी **टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना, ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-66 (दूरभाष 26176055) से भी प्राप्त की जा सकती है।**

3. हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए, पैरा 3 पर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा। संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे, ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके। इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को **प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा।** अत: इस पत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें **प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केंद्र पर, निर्धारित तिथि व समय, पर संपर्क करना है।**

4. टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर केवल उन्हीं अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों को कंप्यूटर अथवा मैनुअल टाइपराइटर पर हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है। नीचे दिए गए क्रम संख्या 1 से 7 तक के केंद्रों पर हिंदी टंकण/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण कंप्यूटर पर तथा क्रम संख्या 8 से 10 तक के केंद्रों पर मैनुअल टाइपराइटर पर दिया जाएगा। केंद्रों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम. सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री मुकेश कुमार फोन 26176055	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय
2.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लाक-2, लेवल-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय
3.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23036516	डाक भवन, योजना भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कनाट प्लेस, रिजर्व बैंक, आकाशवाणी, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि
4.	रेल भवन कमरा नं. 564-जे, रेल भवन, नई दिल्ली	श्रीमती उषा शर्मा फोन 23303209	रेल भवन, कृषि भवन, परिवहन भवन, शास्त्री भवन, नार्थ ब्लाक, अनुसंधान भवन, श्रमशक्ति भवन तथा आसपास स्थित सभी कार्यालय।
5.	बी-ब्लाक कमरा नं. 107, बी-ब्लाक हटमेंटस, (साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर	सेना भवन, साउथ ब्लाक, नार्थ ब्लाक स्थित समस्त कार्यालय, राष्ट्रपति भवन तथा आसपास हटमेंटस, में स्थित कार्यालय।
6.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथि गृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार फोन 23098591/4711	संघ लोक सेवा आयोग, लोकनायक भवन, निर्माण भवन, मौसम भवन, भारत पर्यावास केंद्र, अकबर रोड हटमेंटस, केंद्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय ।
7.	मानक भवन भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250, मानक भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	श्रीमती वीना कश्यप फोन 23230131/4438	मानक भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, बहादुर शाह जफर मार्ग परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय ।
8.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली	सुश्री पूनम ओसवाल 24618271-75 एक्स./556	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय तथा आसपास के सभी कार्यालय ।

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	उद्योग भवन अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कमरा नं. 540, उद्योग भवन, नई दिल्ली	अंशकालिक अनुदेशक	उद्योग भवन, निर्माण भवन, तथा आसपास के कार्यालय।
10.	चर्च रोड अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कमरा नं. 16, चर्च रोड, नई दिल्ली	अंशकालिक अनुदेशक	वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक चर्च रोड तथा आसपास के सभी कार्यालय।

प्रवेश की तिथियां

1.	केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, अधीनस्थ कार्यालय	**11 एवं 12 अगस्त, 2008**
2.	उपक्रम/निकाय/निगम/बैंक के कर्मचारी	**13 अगस्त, 2008**

यदि किसी कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केंद्र पर, स्थान उपलब्ध न रहने के कारण, प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है। **प्रशिक्षण में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।**

उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे निम्नलिखित प्रपत्र पर दिनांक 31-7-2008 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं । पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को भी प्रेषित की जाए। कृपया नामांकन निर्धारित प्रपत्र पर ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता एवं टेलीफोन नं. का पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने के लिए प्रपत्र

<table>
<tr><td colspan="4">31-7-2008 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारी</td><td colspan="3">नामित कर्मचारियों का विवरण नाम, पद व हिंदी में शैक्षिक योग्यता सहित</td><td>सुविधाजनक केंद्र</td></tr>
<tr><td rowspan="2">टंकण</td><td rowspan="2">आशुलिपि</td><td colspan="2">प्रशिक्षण</td><td rowspan="2">नाम</td><td rowspan="2">पद</td><td rowspan="2">हिंदी में योग्यता</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>टंकण</td><td>आशुलिपि</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
</table>

नामित करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम ....

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं. सहित ....

कंप्यूटर प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23–29 जून, 2008 तक सी.जी.ओ. कंप्लेक्स, नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए ''कंप्यूटर पर कुशल हिंदी प्रयोग'' प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहले बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 22 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

पाठ्यक्रम समन्वय श्रीमती मीनाक्षी महाजन तथा उनके सहयोगियों श्रीमती अनु तलवार, श्रीमती शोभा रानी आदि ने एम एस ऑफिस की मूल विशेषताओं, एम एस ऑफिस की उन्नत विशेषताएं, वेबसाइट डिजाइन, क्षेत्रीय भाषाओं में वेब सृजन, डेटाबेसों पर परिदृष्टि, इंट्रानेट बेसिक प्रयोग की तकनीकियों के बारे में प्रशिक्षण दिया तथा इन विषयों पर अभ्यास

भी करवाया गया। श्री केवल कृष्ण तकनीकी निदेशक ने यूनीकोड तथा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंत में प्रतिभागियों द्वारा वेबसाइट डिजाइनिंग तथा पावर पांइट पर प्रस्तुतिकरण दिया गया ।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., सैक्टर- 33, फरीदाबाद- 121003

उच्च स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सौजन्य से एनपीटीआई, फरीदाबाद में दिनांक 10 से 14 मार्च, 2008 तक पांच दिवसीय उच्च स्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/कार्यालयों से आए 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती चित्रा मुदगल ने राजभाषा हिंदी के प्रति अपने उदगार प्रकट करते हुए कहा कि विश्व मंच पर हिंदी को संवाद की भाषा बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास अपेक्षित हैं । हमें भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी के माध्यम से समन्वय स्थापित करना होगा । इस कार्य में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

श्री आर.एस. मीना, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.वि, का संचार व राजभाषा) ने अपने उदबोधन में प्रतिभागियों से कहा कि हमारा निगम विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है साथ ही हम निगम में राजभाषा की प्रगति के लिए भी कृत संकल्प हैं और इसके लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं । परिणामस्वरूप निगम को राजभाषा शील्डें एवं अन्य अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । उन्होंने प्रतिभागियों का आह्वान किया के वे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रबुद्ध व्याख्याताओं द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यानों को मनोयोग से सुनें व प्राप्त ज्ञान का उपयोग कार्यालयीन कार्यों में करें । श्री उपेन्द्र राय, महाप्रबंधक, (मानव संसाधन विकास कारपोरेट संचार व राजभाषा) ने कहा कि निगम में राजभाषा कार्यान्वियन को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर राजभाषा सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन होता रहता है । श्रीमती किरण सक्सेना, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अनुवाद एक महत्वपूर्ण विधा है । अत: अनुवाद के लिए स्रोत, भाषा और लक्ष्य भाषा पर समान अधिकार होना चाहिए साथ ही अनुवादक में विश्लेषण की विशेष क्षमता होनी चाहिए । अपराह्न सत्र में श्रीमती जानकी नायर, उप निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने प्रतिभागियों को अनुवाद की प्रक्रिया व सिद्धांत से परिचित कराया तथा अनुवाद का लिखित अभ्यास भी कराया ।

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने '' राजभाषा कार्यान्वियन, समस्याएं एवं समाधान'' विषय पर प्रतिभागियों के साथ आंतरिक परिचर्चा करते हुए उनकी विषयगत समस्याओं का समाधान किया । अगले सत्र में डॉ सूरज भान सिंह, पूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने तकनीकी शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया से प्रतिभागियों को अवगत कराया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले दिन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के श्री सतेन्द्र सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी व श्री एन.के.चावला, सहायक निदेशक ने प्रतिभागियों को क्रमश: अनुवाद की प्रक्रिया एवं सिद्धान्त से अवगत कराया एवं अनुवाद का अभ्यास भी करवाया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की इस श्रृंखला में दिनांक 13-3-2008 को श्री केवल कृष्ण तकनीकी निदेशक (राजभाषा) विभाग ने ''सूचना प्रोद्योगिकी व हिंदी प्रयोग में कंप्यूटर की उपयोगिता'' विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी । उन्होंने प्रतिभागियों को राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए मंत्र एवं श्रुतलेखन हिंदी साफ्टवेयर के संबंध में भी विस्तार से बताया एवं प्रतिभागियों की विषयगत शंकाओं का समाधान किया । अपराह्न सत्र में श्री इन्द्रजीत चावला, प्रशिक्षण अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने ''प्रशासन तथा लेखा संबंधी अनुवाद'' व ''कार्यालयीन टिप्पणी एवं पत्राचार का अनुवाद'' विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी । डॉ. गंगा प्रसाद विमल, पूर्व निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने ''विश्व भाषा के रूप में हिंदी की अनुवाद परक भूमिका'' विषय पर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया ।

इस प्रशिक्षण का समापन दिनांक 14-3-2008 को किया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ. दंगल झाल्टे, निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग, ने एनएचपीसी में राजभाषा की प्रगति की सराहना की । उन्होंने कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं तथा यह पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखती है ।

श्री आर.एस. मीना, कार्यपालक निदेशक ने निगम में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में आशीर्वचन स्वरूप प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया । उन्होंने कहा राजभाषा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है । प्रशिक्षण में प्राप्त उपयोगी जानकारी को आप सब अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में उपयोग में लाएं और राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहें ।

केनरा बैंक राजभाषा कक्ष, अंचल कार्यालय, डोरंडा, राँची

दिनांक 10-3-2008, 11-3-08 तथा 12-3-2008 को केनरा बैंक ने झारखंड स्थित अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों के अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए एक-एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला आयोजित की । यह एक-एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला राँची स्थित बैंक के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुआ जिसमें केनरा बैंक के झारखंड स्थित विभिन्न शाखाओं-कार्यालयों के 52 अधिकारी/प्रबंधक/वरि. प्रबंधकों ने राजभाषा प्रशिक्षण प्राप्त किया । प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए झारखंड अंचल के मंडल प्रबंधक, श्री वी. मंजूनाथ ने बैंकों में राजभाषा हिंदी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संवैधानिक आवश्यकता के साथ-साथ ग्राहक सेवा दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । बैंकों में शतप्रतिशत हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ''आकृति पैकेज'' तथा कंप्यूटर पर किए जाने वाले अन्य कार्यों के लिए ''बैंक स्क्रिप्ट'' पैकेज के संपूर्ण उपयोग पर जोर दिया ।

इस राजभाषा कार्यशाला प्रशिक्षण में भारत सरकार के राजभाषा नियम-अधिनियम, बैंक द्वारा प्रायोजित राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, हिंदी पत्राचार/कार्यालय नोट/टिप्पण व प्रारुप लेखन, द्विभाषी कंप्यूटर संबंधी जानकारी, बैंकिंग शब्दावली आदि विषयों पर सत्र लिए गए । प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों से केनरा बैंक झारखंड अंचल में बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सुझाव भी प्रदान किया जिसे अंचल स्तर पर कार्यान्वयन हेतु नोट किया गया ।

उक्त स्थल पर अंचल के राजभाषा कक्ष की तरफ से हिंदी में प्रकाशित विभिन्न बैंकिंग सामग्रियों की एक आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी ।

नराकास (बैंक) भुवनेश्वर

सदस्य बैंकों के राजभाषा अधिकारियों हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

नराकास (बैंक), भुवनेश्वर के तत्वावधान में भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा दिनांक 19 व 20 मार्च 2008 को स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र, लुईस रोड, भुवनेश्वर में सदस्य बैंकों के राजभाषा अधिकारियों हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सदस्य बैंकों के 14 राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया ।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक के मंडल विकास अधिकारी श्री एस.के. माथुर ने किया । श्री माथुर ने राजभाषा के तकनीकी विकास पर बल दिया व यूनिकोड में कार्य को समय की मांग बताया ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य था:

1. कंप्यूटर, नेटवर्किंग, इंटरनेट व प्रचालन प्रणाली की मूलभूत जानकारी देना ।
2. यूनिकोड की संस्थापना व कार्य का प्रशिक्षण ।
3. एस.एस. ऑफिस में प्रभावकारी ढंग से हिंदी का प्रयोग ।

सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिपुष्टि में लक्ष्यों की प्राप्ति 90 प्रतिशत तथा वापिस लौटने पर उपयोगिता 100 प्रतिशत दर्शायी ।

कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, प्रचालन प्रणाली व एम.एस. एक्सेल संबंधी सत्रों का संचालन भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी एवं सदस्य सचिव, नराकास (बैंक), भुवनेश्वर श्री गुलशन कुमार ने किया । एस.एस. वर्ड सत्र का संचालन भारतीय स्टेट बैंक की अधिकारी श्रीमती नमिता साहू ने किया एवं यूनिकोड संबंधी सत्रों का संचालन श्री हरिराम पंसारी ने किया ।

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली 30 अप्रैल, 2008 का
का.ज्ञा. संख्या:12011/1/2008-रा.भा.(का.-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषयः हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु वर्ष 2007-08 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के रूप में प्रविष्टियां आमंत्रित हैं ।

2. पात्रता तथा शर्तें:

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों ।

(ii) अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) पुस्तक 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित ही गई हो ।

(iv) पुस्तक के लेखक केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों । इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिए गए प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित है । सेवारत अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ (अनुलग्नक 'ग' पर दिए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें । सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधे राजभाषा विभाग को या सेवानिवृत्ति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे, उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं ।

(v) पुस्तक की विषयवस्तु केंद्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो । मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं ।

(vi) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो ।

(vii) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो ।

(viii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कॉपीराइट एक्ट (यथासंशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है ।

(ix) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां अवश्य भेजी जाएं ।

(x) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।

(xi) योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनुलग्नक 'क' पर दिए गए प्रोफार्मा में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए । विशेषज्ञों को पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है । विशेषज्ञ कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी या विश्वविद्यालयों/इंजीनियरी/मेडिकल संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं । पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर, संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए ।

3. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :-

प्रथम पुरस्कार	-	40,000 रुपये
द्वितीय पुरस्कार	-	30,000 रुपये
तृतीय पुरस्कार	-	20,000 रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	10,000 रुपये

4. पुस्तकों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा दो गैर सरकारी सदस्य होते हैं ।

5. प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक 20 अगस्त, 2008 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं

अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, ए विंग,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें । इस योजना के बारे में सूचना हमारी वेबसाइट http://rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

(बी.आर.शर्मा)
निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष: 24618967

अनुलग्नक ''क''

विशेषज्ञों के लिए निर्देश

1. पुस्तकों के संबंध में विशेषज्ञ की राय पूर्णतया गोपनीय होगी । विशेषज्ञ कृपया अपना संस्तुति पत्र मोहरबंद लिफाफे में ही भेजें ।

2. कृपया लिफाफे के बाईं ओर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित करें:-

(i) ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-संस्तुति पत्र''
(ii) लिफाफा राजभाषा विभाग की पुस्तक मूल्यांकन समिति की बैठक में ही खोला जाए ।
(iii) पुस्तक का नाम..
(iv) विशेषज्ञ का नाम..

3. विशेषज्ञ कृपया पुस्तक के संबंध में नीचे दिए गए संस्तुति पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपनी राय अवश्य दें । यदि जांच के अन्य मानक बिन्दुओं का समावेश करना चाहें, तो अलग-से कर लें, परंतु नियत बिन्दुओं पर अपनी राय अवश्य दें ।

4. सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के मामले में ''संस्तुति" पत्र का लिफाफा संबंधित कार्यालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के माध्यम से राजभाषा विभाग को भेजा जाए तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों आदि के संबंध में वह सीधे राजभाषा विभाग को भेजा जाए ।

पुस्तक का संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम..

2. लेखक का नाम···
3. क्या पुस्तक की विषय-वस्तु पर हिंदी में यह पहली रचना है?·······························
4. क्या पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन है?··
5. क्या विषय-वस्तु में मौलिकता का निर्वाह हुआ है?···
6. क्या लेखक की कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पनायुक्त है?·························
7. क्या पुस्तक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है?··
8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार :-··
9. समेकित रूप में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है:-

''क''	-	85 प्रतिशत से ऊपर
''ख''	-	60 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक
''ग''	-	60 प्रतिशत से कम

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर :
नाम व पूरा डाक पता:
दूरभाष:

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु
इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2007-2008

1. (क) लेखक का नाम···
   (ख) पदनाम या पूर्व पदनाम ···
   (ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम पता································
   (घ) मंत्रालय/विभाग का नाम···
   (ड.) लेखक का पूरा डाक पता (पिन कोड सहित)··
   (च) दूरभाष नं. (एस.टी.कोड सहित)/फैक्स·························
2. पुस्तक का नाम···
3. पुस्तक का विषय··
4. प्रकाशक का नाम व पता···
5. प्रकाशन का वर्ष···
6. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह-वर्ष)·······························
7. मैं·····················पुत्र/पुत्री श्री·····················जोकि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 के दौरान केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले···························(कार्यालय का नाम) में कार्यरत रहा/रही हूँ* या (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के संबंध में)············को (सेवानिवृत्ति की तिथि)·······················(पदनाम) के पद से ······················से (कार्यालय का नाम) सेवानिवृत्त हुआ हूं, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि:-

(i) उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नही करती है ।

(ii) उक्त पुस्तक ················(माह व वर्ष) से ······················(माह व वर्ष) के बीच में लिखी गई/प्रकाशित हुई है ।

(iii) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का संबंध मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से है ।

दिनांक : **लेखक के हस्ताक्षर**

***नोट :** जो लागू न हों काट दें ।

अनुलग्नक "ग"

मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा संबद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, वर्ष 2007-08 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है ।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2007-08 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी पुस्तक है ।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश की गई है ।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक :

पदनाम :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003, दिनांक : 30 अप्रैल, 2008 का. ज्ञा. सं. : 12011/02/2008-रा.भा. (का.-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना : वर्ष 2007-08

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08 अगस्त, 2005 के संकल्प सं. II/12013/1/2000-रा.भा.(नी.2) के तहत तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर उच्च स्तर के मौलिक हिंदी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी ।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं ।

3. **पात्रता एवं शर्तें :**

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा पर लिखी हो सकती है । उदाहरणार्थ :-

(i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि ।

(ii) समसामयिक विषय – जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि।

(2) योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं ।

(3) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है ।

(4) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

(5) जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उससे पिछले तीन वर्षों में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबंधित वर्ष के लिए विचारणीय नहीं होगी।

(6) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो ।

(7) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(8) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

(9) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं की जाएंगी । इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए ।

4. **पुरस्कार :**

प्रथम पुरस्कार (एक) – दो लाख रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

द्वितीय पुरस्कार (एक) – एक लाख पच्चीस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

तृतीय पुरस्कार (एक) – पचहत्तर हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

सांत्वना पुरस्कार (दस) – दस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को ।

5. **प्रविष्टि भेजने की विधि :**

(i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी ।

(iii) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है बशर्ते कि उसकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हो ।

(iv) प्रविष्टियां 20 अगस्त, 2008 या इससे पूर्व तक डाक द्वारा राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए ।

(v) प्रविष्टि भेजने का पता :– अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 ।

(vi) निर्धारित तिथि के बाद प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6. **मूल्यांकन समिति :**

(i) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(ii) प्रविष्टियां भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे ।

(iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(iv) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदण्ड स्वयं निर्धारित करेगी ।

(v) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

7. **पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :**

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा । पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का प्रथम श्रेणी का किराया तथा ठहरने के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

8. **सामान्य :**

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(iii) मूल्यांकन समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(iv) इस योजना के बारे में सूचना हमारी वैबसाइट http://rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

9. **विनियम शिथिल करने का अधिकार :**

जहां केंद्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

10. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस पुरस्कार योजना को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं, स्वायत संस्थाओं, आदि में परिचालित कर दें ।

(बी. आर. शर्मा)

निदेशक (कार्यान्वयन)

दूरभाष : 24618967

अनुलग्नक

प्रपत्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना–वर्ष 2007-08

1. पुस्तक का नाम ....

2. पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है ....

3. (i) लेखक/लेखकों का नाम ....

(ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) ....

(iii) दूरभाष/फैक्स संख्या ....

(iv) ई-मेल का पता ....

4. (i) प्रकाशक का नाम ....

(ii) प्रकाशक का पूरा पता ....

(iii) मूल्य ....

(iv) प्रकाशन वर्ष ....

(v) कापीराइट किसके अधीन है ....

5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था ? यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें;

(क) किस वर्ष में भेजी गई ....

(ख) किसे भेजी गई (पूरा पता) ....
....

(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें ....
....

6. क्या लेखक को राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें;

(i) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का नाम ....

(ii) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ ....

(iii) प्राप्त पुरस्कार की राशि ....

(iv) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई ....

(v) प्रकाशक का पूरा पता ....

(vi) पुस्तक का मूल्य ....

7. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि

(i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।

(ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।

(iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लघंन नहीं होता है ।

मैं/हम बचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

स्थान : ....

दिनांक : .... लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर ....

नोट : **1.** इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित 'अनुसंधान अधिकारी(कार्यान्वयन), कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, द्‌वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003, को भेजा जाए ।

2. लेखक द्‌वारा पुस्तक का विधिवत हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003, दिनांक : 17 अप्रैल, 2008 का का. ज्ञा. /I/20012/02/2008-रा.भा. (नीति-1)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन ।

संसद के 30 सदस्यों को लेकर गठित की गई संसदीय राजभाषा समिति राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करके इस बारे मे अपनी सिफारिशों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है जिस पर संघ के विभिन्न कार्यालयों द्‌वारा अनुपालन के लिए राष्ट्रपति द्‌वारा उपयुक्त आदेश दिए जाते हैं । संसदीय राजभाषा समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के 8 खंड प्रस्तुत कर चुकी है जिनमें से 7 खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जा चुके हैं और ये आदेश संघ के विभिन्न कार्यालयों द्‌वारा अनुपालन के लिए परिचालित किए जा चुके हैं ।

2. राजभाषा विभाग को विभिन्न मंचों से यह सिफारिश/सुझाव प्राप्त हुए हैं कि संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति के आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन हो । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करना एवं इसके लिए उपयुक्त एवं प्रभावी जांच बिंदु स्थापित करना प्रत्येक कार्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व है । संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(5) के अंतर्गत जारी किए जाते हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना बाध्यकारी है एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

3. संसदीय राजभाषा समिति ने मंत्रालय/विभाग वार हिंदी प्रयोग की प्रगति के निरीक्षण के उपरांत प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन के आठवें खंड में यह उल्लेख किया है कि कुछ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में इन आदेशों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है । उच्चस्तरीय समिति की इस टिप्पणी को गंभीरतापूर्वक लेते हुए राजभाषा विभाग इस बात पर पुनः बल देना चाहेगा कि सभी मंत्रालय/विभाग संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेशों का अपने अधीनस्थ/संबद्ध सहित सभी कार्यालयों में पूर्ण एवं त्वरित अनुपालन की सुदृढ़ व्यवस्था करें ।

(राकेश कुमार)

निदेशक (तकनीकी तथा नीति-1)

दूरभाष : 24617695

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003, दिनांक : 22 अप्रैल, 2008

संकल्प

सं. 21034/18/2008-रा.भा. (प्रशि.) संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम,1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 4(4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवबंर, 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-रा.भा. (घ) के द्वारा सूचित किए गए थे । उस संकल्प के पैरा-5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संकल्प सं. 14034/17/2005-रा.भा. (प्रशि.) दिनांक 16 नवंबर, 2005 के तहत ये आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2008 के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।

2. उक्त संकल्प में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2015 के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।

(पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाठकों के पत्र

"राजभाषा भारती" अंक 118 (जुलाई – सितंबर, 2007) पत्रिका की साज-सज्जा एवं छपाई मनोहर होने के साथ-साथ विभिन्न विषय-वस्तु रोचक एवं ज्ञानवर्धक है । खासकर "पुरानी यादें - नए परिप्रेक्ष्य में" तथा "पेज थ्री और चैप्टर थ्री" सरीखे आलेख रोचक और मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं ।

–उदय कान्त सिंह

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., बोकारो स्टील प्लान्ट, इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी-827001

"राजभाषा भारती" का 118वें अंक में सम्मिलित सभी लेख उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं, विशेषत: चिंतन खंड के अंतर्गत प्रकाशित लेखों - "देवनागरी लिपि - विकास, वैज्ञानिकता और मानवीकरण" तथा "भाषा शिक्षण" विश्व दर्शन हिंदी खंड के "विश्व मंच पर हिंदी" से यह अंक संग्रहणीय भी बन गया है ।

सुरूचिपूर्ण सामग्री संकलन एवं उत्कृष्ट संपादन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई ।

–गुमान सिंह रावत

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) इलाहाबाद बैंक, मंडलीय कार्यालय, 1, गांधी रोड, घंटाघर, देहरादून, उत्तराखंड

"राजभाषा भारती" का 118वाँ अंक पत्रिका का वर्तमान अंक विषयों की विविधता लिए हुए है जो न केवल राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि ज्ञानवर्धक भी । पत्रिका यूंहि सफलता के आयाम स्थापित करती रहे एवं कार्यान्वयन के क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती रहे, इसी आशा के साथ ।

–ए. एनरोज

क्षेत्रीय निदेशक भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय, डाक पेटी सं. 46, पोर्ट ब्लेयर-744101

"राजभाषा भारती" अंक 118 (जुलाई – सितंबर, 2007) पत्रिका का यह अंक पठनीय होने के साथ-साथ सरहानीय भी है । डॉ. परमानन्द पांचाल का चिंतन "देवनागरी लिपि : विकास, वैज्ञानिकता और मानवीकरण", श्री राजशेखर व्यास का लेख पुरानी यादें - नए परिप्रेक्ष्य में - "प्रेम से भरे थे भगतसिंह", श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे का लेख - विश्व हिंदी दर्शन "भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी" तथा श्री सुधाकर किशन राव गायकवाड का लेख "पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण" विशेष सराहनीय है ।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ ।

–डी. के. माथुर

कल्याण अधिकारी भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान

"राजभाषा भारती" के जुलाई – सितंबर, 2007 अंक पत्रिका में प्रकाशित लेख देवनागरी लिपि : विकास, वैज्ञानिकता और मानवीकरण, विधि के क्षेत्र में हिंदी "भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी", विश्व मंच पर हिंदी, पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण लेख सराहनीय एवं जन उपयोगी है । विदेशों में राजभाषा की प्रगति का उल्लेख हिंदी भाषा के विकास में सहायक होगा । राजभाषा विकास के लिए अपनी सभी शुभकामनाओं सहित ।

–संगीता श्रीवास्तव

सहायक प्रबंधक (राजभाषा) इरेडा, भारत पर्यावास केंद्र, कोर-4-ए, ईस्ट कोर्ट,
प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-3

"राजभाषा भारती" त्रैमासिक पत्रिका का प्रौद्योगिकी विशेषांक पत्रिका के संदर्भगत अंक को पढ़ने पर यह तथ्य सामने आया कि राजभाषा हिंदी में प्रौद्योगिकी संबंधी लेखों को अभिव्यक्त करने की अपार क्षमता है । इसके साथ ही वे सभी लेखक जिन्होंने अपने अथक प्रयासों द्वारा इतने उच्चकोटि के लेखों को एकदम नवीनतम विषय पर लिखे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं ।

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति का है । ऐसी स्थिति में इन संकल्पनाओं को सुलभ बनाने में "राजभाषा भारती" सचमुच अविस्मरणीय है ।

–सूर्य प्रकाश
सहायक निदेशक (राजभाषा)
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप कॉम्पलेक्स, तिरच्ची मार्ग, कोयम्बतूर

"राजभाषा भारती" अंक 117 (अप्रैल - जून, 2007), सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर आधुनिकतम जानकारी से परिपूर्ण यह पत्रिका हमारे संस्थान में राजभाषा के भविष्य को और भी उज्जवल करने में सहायक सिद्ध होगी । इस प्रकार की उत्कृष्ट, सूचनाप्रद और उपयोगी पत्रिका के प्रकाशन के लिए आप बधाई के पात्र हैं ।

–सुरेन्द्र कुमार
हिंदी अधिकारी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रावतभाटा राजस्थान साइट,
डाक-अणुशक्ति, जिला-चित्तौड़गढ़, रावतभाटा, वाया-कोटा, राजस्थान-323303

"राजभाषा भारती" का अंक 118 में जुलाई-सितंबर, 2007 में समस्त सामग्री ज्ञानवर्धक एवं पठनीय है । विविध शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित सामग्री अत्याधिक ज्ञानवर्धक है । "विश्व हिंदी दर्शन" के अन्तर्गत प्रकाशित लेख विश्व स्तर पर हिंदी की दशा एवं दिशा को स्पष्ट करने में सक्षम है ।

–डॉ. प्रीती सागर
वरिष्ठ प्रवक्ता हिंदी विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस.एस.जे. परिसर
अल्मोड़ा-263601 (उत्तराखण्ड)

"राजभाषा भारती" जैसी स्तरीय पत्रिका का नियमित प्रकाशन न केवल राजभाषा के अनुपालन एवं कार्यान्वयन को ही एक निरंतर गति प्रदान कर रही है । बल्कि प्रबुद्ध पाठकों के आम ज्ञान भंडार में भी लगातार श्रीवृद्धि किए जा रही है ।

–आशुतोष चटर्जी
हिंदी अधिकारी, आर्डनेन्स फैक्टरी दम दम, कोलकाता-700028

"राजभाषा भारती" अंक 117 (अप्रैल-जून, 2007) हिंदी पत्रिका का प्रौद्योगिकी विशेषांक पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं रोचक, ज्ञान वर्धक एवं सारगर्भित हैं । यह पत्रिका प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नित नए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास तथा अनुसंधान परक जानकारियों को हिंदी भाषा में जन-जन तक पहुँचाने में सार्थक है । प्रस्तुत पत्रिका राजभाषा संबंधी विकासशील गतिविधियों के साथ समाहित सौरमण्डल से संबंधित प्रौद्योगिकी अभिलेखों द्वारा प्रस्तुत "लेख 'सूचना प्रौद्योगिकी, कोर इन्टरफेस की भाषिक स्थिति' तथा श्री काली शंकर का लेख "अंतरिक्ष अन्वेषण का मानव कल्याणकारी स्वरूप" रोचक एवं प्रशंसनीय है । पत्रिका को संग्रहणीय बनाने हेतु सभी लेखक-एवं सम्पादक मण्डल समान रूप से साधुवाद के पात्र हैं ।

पत्रिका की उत्तरोत्तर सफलता की कामना करते हुए आगामी अंक हेतु प्रतीक्षारत ।

–सुभाषकुमार बी. पटियाल
उप सचिव (राजभाषा) संघ प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा

"राजभाषा भारती" के जुलाई-सितम्बर, 2007 के अंक में छपे कृषि विज्ञान पर डॉ. शुभंकर बनर्जी का एक लेख "कृषि अनुसंधानों में किसानों की सहभागिता" पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह लेख देश के कृषि वैज्ञानिकों को राष्ट्रभाषा हिंदी के अपने शोध-पत्र लिखने की प्रेरणा देता है । ऐसे व्यवहारिक लेख जो राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा वैज्ञानिकों और किसानों को एक मंच पर लाने के लिये प्रेरित करें और देश की खाद्य समस्या के समाधान के लिए उपाय सुझाए उन्हें इस पत्रिका में निरन्तर प्रकाशित करते रहने की कृपा करें । इससे खाद्य समस्या के समाधान के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिंदी को भी विज्ञान के क्षेत्र में बल मिलेगा । मैं डॉ. बनर्जी को साधुवाद देता हूँ । मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे अपने इस प्रकार के व्यवहारित लेख छपवाते रहेंगे ।

–आर. डी. गोयल

समिति संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति, राष्ट्रभाषा भवन, 1130 सदर करनाल-132001

"राजभाषा भारती" का 118वां अंक मैंने आद्योपांत देखा । बहुत अच्छा लगा । खुशी की बात है कि आपने इस पत्रिका का उत्कृष्ट स्तर बनाए रखा है। पत्रिका का मुद्रण तथा साज-सज्जा आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण है तथा संकलित सामग्री भी रोचक, उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक है । डॉ. परमापन्द पांचाल तथा श्रीमती कुसुम वीर के लेख मुझे विशेष विशेष रूप से अच्छे लगे । विभिन्न सलाहकार समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, हिंदी कार्यशालाओं आदि संबंधी समाचारों तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले राजभाषा नीति संबंधी आदेशों के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली ।

आशा है कि आप इस पत्रिका का स्तर बनाए रखेंगे और इसे और भी सुंदर एवं रोचक बनाते हुए नियमित रूप से प्रकाशित करते रहेंगे ।

–कृष्ण कुमार ग्रोवर
एफ बी/16, टेगौर गार्डन, नई दिल्ली-27

"राजभाषा भारती" का अंक 118वां अपने पूर्ववर्ती अंकों की तरह बहुआयामी जानकारियों से भरपूर है । सामग्री के संयोजन में रोचकता को खूब बनाये रखा गया है । इस हेतु "राजभाषा भारती" परिवार को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से हार्दिक शुभ कामनाएँ एवं बधाई ।

–ओम प्रकाश वर्मा
हिंदी अनुवादक
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, स्कीम-78, विजय नगर सेक्टर 'बी' इंदौर (मध्य प्रदेश)

"प्रौद्योगिकी विशेषांक" निश्चय ही हिंदी पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाएगी । हिंदी भाषा के माध्यम से प्रौद्योगिकी की नवीनतम जानकारी अन्य पत्रिकाओं के लिए दिशा निर्देश और मानदण्ड का कार्य करेगी। हिंदी समाज इस ज्ञान से अपने को नवीनतम बना सकेगा। प्रौद्योगिकी की विभिन्न दिशाओं और क्षेत्रों में उन्नति किस तरह से हिंदी उन्नत और संपन्न बना सकती है। इसका उदाहरण राजभाषा भारती का यह विशेषांक है।

–डॉ. वीरेन्द्र मोहन

सी-46, विश्वविद्यालय परिसर डॉ. हरीसंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-470003

"राजभाषा भारती" का अंक 118वां प्राप्त हुआ। आभार ! हिंदी भाषा एवं साहित्य के संरक्षण में आपकी यह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

–डॉ. छमहेन्द्र सिंह बेदी

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर-143005

"राजभाषा भारती" 118वां अंक का संपादन सराहनीय है । चिंतन साहित्यिकी, पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में, विश्व हिंदी दर्शन, पत्रकारिता, कृषि पर्यावरण एवं विविध स्तंभ के अंतर्गत संग्रहीत रचनाएं विविध विषयों पर ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारी प्रस्तुत करती है ।

दो नए स्तंभ "हिंदी के बढ़ते चरण" तथा "चित्र समाचार" शामिल किए जाने से पत्रिका के गुणातमक स्तर में और अधिक वृद्धि हुई है ।

–राजीव

महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

"राजभाषा भारती" 118वां अंक राजभाषा हिंदी विषयों के अलावा अन्य विषयों को सम्मिलित करने से पत्रिका सारगर्भित हुई है । इसकी रचनाएँ जैसे डॉ. प्रमोद कोव्वप्रत की "आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी चेतना महादेवी के काव्य में", राकेश कुमार की "प्रेमचन्द : गोदान में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद", राजशेखर व्यास की "प्रेम से भरे थे भगत सिंह", विश्व मोहन तिवारी की "पैज थ्री और चैप्टर थ्री", वास्तव में पाठक वर्ग के मन में रोमांच एवं कौतुहल पैदा कर देती है । "देवनागरी लिपि : विकास, वैज्ञानिकता और मानकीकरण" विषयक डॉ. परमानंद पंचाल का आलेख पठनीय एवं जानकारी पूर्ण हैं । इसके साथ ही इसमें देश भर के केंद्रीय कार्यालयों में सम्पन्न हिंदी विषयक गतिविधियों/समारोहों आदि की रपटें राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए अत्यंत उपयोगी हैं । आशा है – भविष्य में प्रकाशित होने वाली पत्रिका "राजभाषा भारती" हिंदी जगत में अपनी खास पहचान बनाएगी और हम सभी लाभान्वित होते रहेंगे ।

–डॉ. जगदीश लाल

हिंदी अधिकारी, प्रसार भारती, आकाशवाणी, कोलकाता

"राजभाषा भारती" पत्रिका दिन-प्रतिदिन नई चेतना का प्रसार कर रही है । अंक 118 में "साहित्यिकी" के अंतर्गत लिखित लेख "प्रेमचन्द : गोदान में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद", राजशेखर व्यास द्वारा लिखित "प्रेम से भरे थे भगत सिंह" बहुत पसंद किया गया । इस लेख से भगत सिंह का एक नया चेहरा सामने आया जो नितान्त अपरिचित था ।

श्री विश्वमोहन तिवारी जी द्वारा "पेज थ्री और चैप्टर थ्री" काफी सराहा गया इससे पत्रिका का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिखाई देने लगा है वैसे भी इसके लेख बहुत स्तरीय होते हैं तथा प्रमाणिक जानकारी प्रदान करते हैं । पृष्ठ में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के संदेश को प्रकाशित कर पत्रिका में चार चांद लगा दिए हैं ।

पृष्ठ की क्वालिटी व उत्तम संपादन के लिए संपादक मण्डल बधाई के पात्र हैं ।

–वी. आर. अम्बेडकर

उप स्टेशन प्रबंधक, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निम्बाल, ताल्लुक-इण्डि, जिला-बीजापुर, कर्नाटक-986211

"राजभाषा भारती" के अंक 118 में प्रकाशित लेख "प्रेम से भरे थे भगत सिंह" प्रमुख आकर्षण रखता है । विद्वान लेखक ने भगत सिंह के जीवन के अनछुए पहलू का मार्मिक विवेचन किया है । "ग्लैमरस" हो रहे हैं हिंदी समाचार पत्र (मधु बाला) एवं "देवनागरी लिपि : विकास, वैज्ञानिकता और मानवीकरण" (डॉ. परमानंद पांचाल) महत्वपूर्ण आलेख है।

पत्रिका अपनी साज-सज्जा सहित सादगी एवं कलेवर तथा छपाई-सफाई के लिए विशिष्ट आकर्षण बनाए हुए हैं ।

चितरंजन लाल "भारती"

वरिष्ठ सहायक एसजी (राजभाषा)

राजभाषा अनुभाग, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पो-पंचग्राम, असम-788802

MGIPRRND—2832 HA/2008—5,000

केंद्रीय रेशम बोर्ड, द्वारा संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री रामानंद प्रसाद, शाखा प्रबंधक, महाराष्ट्र बोर्ड, भंडारा ।

मुख्य अतिथि. डॉ. जयंतीलाल जैन, महाप्रबंधक, इंडियन बैंक संबोधित करते हुए ।

पं.सं. 3246/77

आई एस एम एन 0970-9398

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)
प्रैस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम
समाचार-पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम
'राजभाषा भारती' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली
4. क्या भारत का नागरिक है ?	भारतीय नागरिक
5. प्रकाशक का नाम व पता	शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक राजभाषा विभाग, भारत सरकार, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24698054
6. संपादक (पदेन) का नाम व पता	बिजय चंद्र मंडल, निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24617807
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	लागू नहीं

मैं, शान्ति कुमार स्याल घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./-

प्रकाशक के हस्ताक्षर

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।